द्वादश माला, खंड 5, अंक 35

सोमवार, 3 अगस्त, 1998
12 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 5 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 3 अगस्त, 1998/12 श्रावण, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
63	34	श्री खरबेला स्वाई	श्री खारबेल स्वाईं
64	22		
115	1	प्रभा	प्रथा
163	नीचे से 3	श्री जगवीर सिंह द्रोण	श्री जगतवीर सिंह द्रोण

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 35, सोमवार, 3 अगस्त, 1998/12 श्रावण, 1920 (शक)

विषय	कालम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1-2
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	2-8,188-190
(एक) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	
श्री बाबागौड़ा पाटील	2-3
(दो) 3 अगस्त, 1998 को हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में उग्रवादियों द्वारा हत्या की घटना	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	188-190
लोक पाल विधेयक - पुरःस्थापित	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	3-6
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	6-11
दक्षेस सम्मेलन और भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	6-11
नियम 193 के अधीन चर्चा	12-119,127-132,146-188
(एक) भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं	
श्री पूर्णो ए॰ संगमा	12-18
श्री जगमोहन	18-28
श्री रूपचन्द पाल	28-33
श्री वैको	34-38
श्री मुलायम सिंह यादव	38-50
श्रीमती कृष्णा बोस	50-54
श्री शिवराज वी॰ पाटील	54-62
श्री खारबेल स्वाईं	62-67
श्री लालू प्रसाद	67-71
श्री सी॰ श्रीनिवासन	71-73
श्री इन्द्रजीत गुप्त	73-79
प्रो॰ प्रेमसिंह चन्दूमाजरा	79-82
श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण	82-86
श्री प्रमथेस मुखर्जी	89-95
श्री चन्द्रशेखर साहू	95-97
श्री राम विलास पासवान	97-102
श्री के॰ नटवर सिंह	103-109
श्री ई॰ अहमद	115-117

विषय		कालम
	श्री प्रकाश यंशवंत अम्बेडकर	117-119
	श्री बीर सिंह महतो	119
	श्री सुरेश कुरूप	127-129
	प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	129-132
(दो)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का विवासन	
	श्री हन्नान मोल्लाह	146-154
	श्री मधुकर सरपोतदार	156-167
	श्री ए॰सी॰ जोस	167-171
	श्री अजित कुमार पांजा	172-184
	श्रीमती गीता मुखर्जी	184-188
नियम 377 के अधीन मामले		120-126
(एक)	मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कतिपय स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	120
(दो)	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मारोली पीपा में गंगा नदी के ऊपर रेलवे पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
	श्री रामशकल	120
(तीन)	जालौन संसदीय क्षेत्र में पर्यटक और पुरातत्वीय स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	120-121
(चार)	उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पेय जल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता	
	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	121
(पांच)	असम के शिवसागर जिले में अहोम राजाओं के ऐतिहासिक स्मारकों और भग्नावशेषों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता	
	श्री विजय हान्दिक	122
(छह)	महाराष्ट्र के कोपरगांव में एक नये डाक घर भवन के निर्माण की आवश्यकता	
	श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे	122-123
(सात)	महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों में एक नये दूरभाष केन्द्र के लिए न्यूनतम दूरभाष कनेक्शनों के मानदण्ड में छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी॰एस॰ अहिरे	123
(आठ)	पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सभी भागों में एस॰टी॰डी॰ दूरभाष सुविधा की आधुनिक प्रणाली को स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती संध्या बौरी	123-124
(नौ)	उत्तर प्रदेश में फैजाबाद-अम्बेडकर नगर/फैजाबाद-इलाहाबाद/फैजाबाद-रायबरेली राजमार्गों पर एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता	
	श्री मित्रसेन यादव	124
(दस)	तमिलनाडु की ओंजगकल जल योजना को शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के॰ पी॰ मुनूसामी	124-125

विषय कालम

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश के किसानों से अतिरिक्त तम्बाकू खरीदने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के॰ येरननायडू 125-126

(बारह) तमिलनाडु में बन्डावासी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में अच्छी सड़क और रेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री एम॰ दुराई 126

आधे घंटे की चर्चा 132-146

लीला सेठ आयोग

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन 132-136

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन 136-138

श्री शैलेन्द्र कुमार 138-139

श्री पी॰सी॰ चाक्को 139-141

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 141-145

लोक सभा

सोमवार, 3 अगस्त, 1998/12 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रावधानों को 1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1997 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1446/98]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 399/एस/0089/पी॰डी॰आईआरडी(ओ) जिसमें सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) 11 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/876 जिसमें इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1976 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1447/98]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1997 जो 19 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1998 जो 3 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1448/98]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटील) : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है। फिलहाल इसके तीन घटक हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के निराश्रितों को 75 रुपए प्रतिमाह की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर एकमुश्त सहायता दी जाती है। स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5000 रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को दो जीवित बच्चों के जन्म तक 300 रुपए की सहायता दी जाती है।

7 जुलाई, 1998 को सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत लाभ को मुख्य जीविकोपार्जक की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गरीब परिवारों में एक से अधिक जीविकोपार्जक होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत अब मुख्य जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) परिवार का वह

[श्री बाबा गौड़ा पाटील]

सदस्य होगा जिसकी आय पारिवारिक आय में अधिक हो। "परिवार" शब्द में अविवाहित व्यस्क की मृत्यु के मामले में अव्यस्क भाई/बहन भी शामिल होगा। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभ को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। बच्चे के जन्म से पहले ही राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभ का समय पर वितरण कर दिया जाएगा। यदि आवेदन करने में विलंब हुआ हो तो लाभ देने से इंकार नहीं किया जायेगा और बच्चे के जन्म के बाद ही लाभ का भुगतान किया जा सकता है।

तीनों योजनाओं के अंतर्गत अब सहायता की मंजूरी और उसका वितरण ग्राम पंचायत/ब्लाक स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम सभा की बैठक में किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित कर्मचारियों को सहायता की मंजूरी और वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। लाभ का वितरण मोहल्ला/पड़ोस समिति की सार्वजनिक बैठक में किया जायेगा।

लोक पाल विधेयक*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): प्रधान मंत्री जी भी अंग्रेजी बोलने लगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह विधेयक जन्म-मरण के अनेक फेरे पार करके आज की स्थिति में पहुंचा है। जब 1966 में मोरार जी भाई की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का निर्माण हुआ तो उन्होंने दो संस्थाओं के बारे में सुझाव दिये थे—एक लोकपाल और दूसरा लोकायुक्त। लोकायुक्त का गठन राज्यों में हो गया और लोकायुक्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक लोकपाल का प्रश्न है, बार-बार लोक सभा के सामने प्रस्ताव लाये गये, विधेयक पेश हुए, चर्चाएं भी हुई, समितियां बनीं और यह सिलसिला 1968 में शुरू हुआ। 1971 में इसके लिए विचार का प्रबंध हुआ 1985 में फिर इसे लाया गया, क्योंकि विधेयक पारित होने से पहले लोक सभा भंग हो जाती थी, बीच में ही तिरोहित हो जाती थी। 1996 में आखिरी बार प्रयत्न हुआ था कि इसे कानून का रूप दिया जाए, लेकिन तब भी लोक सभा के भंग होने की स्थिति पैदा हो गई। हमने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेन्स में इस विधेयक को कानून का रूप देने का वचन दिया है। आज हम अपना वचन पूरा कर रहे हैं। हमने यह भी वचन दिया था कि प्रधान मंत्री को इस विधेयक की परिधि में लाया जाए। यह चर्चा का विषय है, इस पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, चर्चा के दौरान वे सामने आ सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम चाहते हैं कि मंत्रियों, प्रधान मंत्री तथा संसद सदस्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, प्रधान मंत्री भी संसद का सदस्य होता है। कानून सभी पब्लिक सर्वेन्ट्स पर लागू होगा और सभी संसद सदस्य उसकी सीमा में आयेंगे। क्योंकि अब...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी जो बिल पेश कर रहे हैं इसमें सांसद और विधायक को जांच के घेरे में क्यों ला रहे हैं? सांसद को तो वेतन भी 1500 रुपये मिलता है। मजदूरों को जो मिनीमम वेजिज मिलता है, उससे भी कम सांसदों को मिलता है। इसलिए इनको इससे बाहर रखें।...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सांसदों का वेतन 1500 रुपये है। एम॰पीज॰ को इसकी परिधि से बाहर कर दिया जाए। चूंकि यह मिनिमम वेजिज से भी कम है।...*(व्यवधान)*

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : एक चपरासी का वेतन भी हमसे ज्यादा है। प्रधान मंत्री जी लोकपाल बिल तो ला रहे हैं, लेकिन संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाने के बारे में भी कुछ सोचिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए, आप बैठिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, लोकपाल में तीन सदस्य होंगे और तीनों न्यायपालिका से आयेंगे। लोकपाल और अन्य दो सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति बनेगी, उप-राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होंगे और प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लोक सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, उस सदन का नेता जिसमें प्रधान मंत्री सदस्य नहीं होगा, वह शामिल किया जायेगा और लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता, राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि लोक पाल बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है या विचार शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह कृपया माननीय प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो खण्ड, 2, दिनांक 3 अगस्त, 1998 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोकपाल सार्वजनिक पदारूढ़ व्यक्तियों के खिलाफ उन शिकायतों की जांच करेगा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के अधीन दंडनीय होंगे। लोक पाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य, यदि वे किसी सदन के सदस्य होंगे, सांसद होंगे या विधान मंडल के सदस्य होंगे, तो उन्हें उनसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : महोदय, विधेयक के पुरःस्थापित होने के स्तर पर भाषण नहीं दिया जाता। ऐसा लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक नई परम्परा अथवा प्रथा डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि बिल को पेश करते समय बिल की रूपरेखा के बारे में दो शब्द कहे जाते हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : ऐसा कभी नहीं किया जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राजनीति से प्रेरित है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी जब भी बोलते हैं, तो उनको इस प्रकार से बीच में बोलने से टोका या रोका नहीं जाता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : यह कभी नहीं हुआ। विधेयक पर विचार करते समय उनको बोलने का पूरा अधिकार है। मैं प्रधान मंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं परन्तु मैं नियमों का भी सम्मान करता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री इस सभा के नेता हैं और वे केवल किन्हीं प्रश्नों का उल्लेख कर रहे हैं। उनको इस प्रकार से टोकना नहीं चाहिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि विधेयक को पुरःस्थापित करते समय कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। ऐसे भी कई मौके आए हैं जब विधेयक के प्रस्तावकर्ता ने विधेयक पुरःस्थापित करते समय संक्षिप्त वक्तव्य दिया है। यह एक सीधा-सादा तथ्यात्मक टिप्पण है जिसका विपक्ष द्वारा इसी आधार पर विरोध किया जा रहा है और वह भी माननीय प्रधान मंत्री के मामले में। मुझे इस घटना पर खेद है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आगे समय नहीं लेना चाहता हूं। विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और सदन को उस पर विचार का पूरा मौका मिलेगा। मेरा इरादा मोटी-मोटी रूपरेखा सदस्यों के सामने रखने का था जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन में आसानी हो और इंट्रोडक्शन में जो संभावित आपत्तियां हैं, उनका निराकरण किया जा सके। मुझे इस अवसर पर और ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोक पाल की संस्था की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री जी विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुझे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति प्रदान कीजिए।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

दक्षेस सम्मेलन और भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, पिछले कुछ सप्ताह से सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों और अपनी विदेश नीति के घटनाक्रमों के बारे में सदन को नियमित रूप से अवगत कराती रही है। मैं माननीय सदस्यों को एकदम हाल ही की घटनाओं विशेष रूप से सार्क, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों और हाल की ए आर एफ और आसियान बैठकों की बातचीत के बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

दसवें सार्क शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं 28 से 31 जुलाई, 1998 तक कोलम्बो की यात्रा पर गया। वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री मेरे साथ थे, जिन्होंने शिखर-सम्मेलन से पहले मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए हमारे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

इस शिखर-सम्मेलन में सार्क सदस्य देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने की साझी इच्छा की पुनः पुष्टि की। हमारी इस संकल्पना पर आम समझौता था कि पर्याप्त रूप से परिवर्तित सार्वभौम आर्थिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि द्विपक्षीय सहयोग के साथ सार्क क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाया जाए। इस शिखर-सम्मेलन के दौरान इन क्षेत्रों की कार्यसूची और विचार-विमर्श पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया।

इस बात पर सहमति हुई कि सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की दिशा में उपयोगी रूप से कार्य करे इस प्रयोजन के लिए व्यापक कानूनी रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया जाएगा जिसमें अल्प विकसित देशों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए उदारीकृत व्यापार सुविधाजनक उपायों के लिए अनुसूचियों को शामिल किया जाएगा। दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार व्यवस्था के तहत तीसरे दौर की व्यापार वार्ता सम्पन्न करने के लिए और अगला दौर शुरू करने के लिए समान उपाय किए जाएंगे।

व्यापार उदारीकरण को तेज करने के लिए सुस्पष्ट पहल करने की हमने अपनी प्रतिबद्धता और रजामंदी दोहरायी है। मैंने अपनी सरकार के इस निर्णय की घोषणा की कि 1 अगस्त, 1998 से अधिमानतः सार्क देशों के आयातों पर सभी प्रकार के मात्रा संबंधी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। इस निर्णय से इस क्षेत्र के दूरगामी सकारात्मक आर्थिक और विकासात्मक परिणाम होंगे, इस निर्णय की सराहना हुई है। हमने इच्छुक सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं को आरम्भ करने के लिए भी हमारी रजामंदी जताई है। श्रीलंका ने इस पेशकश को स्वीकार किया है।

हमारी चर्चाओं में, इस बात को स्वीकार किया कि व्यापार से संबद्ध संयुक्त उद्यमों, निवेश और व्यापार सेवाओं जैसे पर्यटन को संवर्धित करने के जरिए व्यापार उदारीकरण के लाभ अधिक व्यापक और संतुलित होंगे। सार्क देशों में फास्ट ट्रेक के अन्तर्गत भारत के लिए निवेश की सीमा को 8 मिलियन अमरीकी डालर से 15 मिलियन अमरीकी डालर तक पर्याप्त रूप से बढ़ाने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। इससे भारतीय निवेश और प्रोत्साहन व्यापार के अधिक प्रवाह को प्रेरणा मिलेगी।

सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई : उदाहरण के लिए सार्क के लिए एक सामाजिक चार्टर महिला और बाल संबंधी अवैध दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक अभिसमय को अन्तिम रूप दिया जाना। इस पर अगले सार्क शिखर-सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिशु कल्याण पर एक क्षेत्रीय अभिसमय भी विकसित किया जाएगा।

हमने नेटवर्क के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की महत्ता पर बल दिया। भारत ने लोगों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए एक सार्क विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल पर विचार करने के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव किया है। हमने परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों में सहयोग की उपयोगिता को भी रेखांकित किया और इस प्रयोजन के लिए भारत में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सहभागिता का निमंत्रण दिया है। भारत ने पर्यावरण से जुड़े व्यापक प्रस्तावों के लिए समर्थन की पुनः पुष्टि की है।

मैं इस शिखर-सम्मेलन के अलावा मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों, बंगलादेश और नेपाल के प्रधान मंत्रियों तथा भूटान की मंत्री परिषद् के अध्यक्ष के साथ हुई मेरी द्विपक्षीय बातचीत की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इन चर्चाओं ने हमारे मैत्रीपूर्ण संपर्कों को दोहराने, अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने की लाभदायक चर्चा करने, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति और अपनी जानकारी को बांटने का अवसर उपलब्ध कराया।

मैंने अन्य नेताओं के साथ अपनी बातचीत में शान्ति और स्थायित्व के प्रति हमारी वचनबद्धता को दोहराने, हमारे हाल के नाभिकीय परीक्षणों के बारे में फैली भ्रान्तियों को दूर करने में इस अवसर का लाभ उठाया। हमारी विश्वासोत्पादक और निरस्त्रीकरण की पहल को सराहा गया है। एक व्यापक और भेद-भाव रहित सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण व्यवस्था और एक हथियार मुक्त विश्व की दिशा में उपयोगी वार्ता आरम्भ करने की आवश्यकता के संबंध में एक राय थी।

हमने इस शिखर-सम्मेलन के लिए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए श्रीलंका की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है तथा विशेष रूप से राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंग को उनकी उस दूरदर्शिता तथा कार्यकुशलता के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है जिससे उन्होंने इस शिखर-सम्मेलन के विचार-विमर्श का मार्गदर्शन किया है। हम सार्क की अध्यक्षता का नया उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हम श्रीलंका को अपने पूरे समर्थन का आश्वासन देते हैं।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 29 जुलाई को मेरी लम्बी बातचीत में मैंने पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने की हमारी बचनबद्धता तथा सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान की हमारी इच्छा दोहराई है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हम निष्ठा और विश्वास विकसित करने,

आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग के लिए अनेक अवसरों का लाभ उठाने के लिए मिलजुल कर कार्य करें ताकि हम अपने लोगों का जीवन सुधार सकें। मैंने विवेकपूर्ण रूप से तथा वास्तविक तरीके से हमारे मतभेदों का समाधान निकालने के लिए मिल-जुलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमारी बातचीत का वातावरण सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक था। मैंने प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के साथ सार्थक क्रियाकलाप जारी रखने के लिए उत्सुकता व्यक्त की है।

प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी बातचीत हमारी आधिकारिक स्तर की बातचीत पर भी संकेन्द्रित रही। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस प्रकार की बातचीत पिछले वर्ष पुनः शुरू हुई थी और जून, 1997 में बातचीत के विषय संयुक्त रूप से तय किए गए थे। इस प्रयोजन की रूपरेखा को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। हमने अपने-अपने विदेश सचिवों को निदेश दिया है कि वे बैठक कर इस कार्य को पूरा करें।

भारत ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष, संयुक्त वार्ता की अपनी बचनबद्धता पर सदैव बल दिया है। इस प्रकार की व्यापक और सतत् प्रक्रिया से निष्ठा और विश्वास पैदा करने, परस्पर लाभकारी सहयोग संवर्धित करने और द्विपक्षीय मसलों का समाधान निकालने में सहायता करने में योगदान मिलेगा। इस वार्ता का उद्देश्य समग्र रूप में संबंधों का समाधान निकालना होना चाहिए, न कि संकीर्ण, अलग-थलग विचारधारा, अन्यथा इस वार्ता का मूल प्रयोजन अर्थात् व्यापक तथा स्थायी संबंध स्थापित करना समाप्त हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष द्विपक्षीय क्रियाकलाप जो कार्यात्मक क्षेत्रों में विश्वास पैदा करना और सहयोग सुदृढ़ करना चाहता है तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संवर्धित सम्पर्कों से एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करने में भी सहायता देता है जिसमें बातचीत के कठिन मसलों का उपयोगी ढंग से समाधान निकाला जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह स्वीकार किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर सहित सभी बकाया मसलों को द्विपक्षीय तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। हमारे द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों से यह सुनिश्चित करना सम्भव होगा और इस बात का सुनिश्चय होगा कि यह प्रक्रिया को रचनात्मक तथा स्थायी पद्धति से स्पष्ट रूप में आगे बढ़े साथ ही सामाजिक प्रक्रिया के अंग के रूप में विश्वासोत्पादक उपायों, सहयोग करने तथा अनसुलझे मसलों को निपटाने के लिए बातचीत हेतु उपयोगी अवसर प्रदान करें।

हमारे विदेश सचिवों ने कोलम्बो में मुलाकात की और इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान किया। हम इस कार्यवाही में लगे रहेंगे और कोई समझौता करने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए संपर्क करना जारी रखेंगे, ताकि यह वार्ता जारी रखी जा सके।

प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी बातचीत के दौरान, मैंने इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद को शह और समर्थन देना हमारे मैत्री और शान्तिपूर्ण संबंधों की सामान्य भावना के अनुकूल नहीं है। तथा इन गतिविधियों को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हमने इस वर्ष 24 से 29 जुलाई तक आयोजित आसियान-पश्च-मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी भाग लिया था जो इसके वार्ता भागीदारों और आसियान क्षेत्रीय फोरम (ए आर एम) की बैठकों के साथ क्रिया-कलाप आसियान का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शिष्टमंडल ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में भाग लिया था। मेरी सरकार ने आसियान और एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के सभी देशों के साथ सहयोग मजबूत करने की नीति का अनुपालन करने की पुष्टि की है। द्विपक्षीय संपर्कों के अलावा, हमने उनके साथ वार्ता भागीदारी और आसियान क्षेत्रीय फोरम की रूपरेखा के भीतर सक्रिय संवाद भी स्थापित किया है। इस वर्ष इन बैठकों में हमारी सहभागिता, इसलिए विशेष महत्वपूर्ण थी कि हाल के परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में नाभिकीय निरस्त्रीकरण संबंधी हमारी नीति को एक बार पुनः स्पष्ट करने और इस क्षेत्र की आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व में हमारी सतत् रुचि को प्रदर्शित करने तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में समझ को बांटने का एक अवसर मिला। आसियान क्षेत्रीय फोरम के अध्यक्ष के वक्तव्य, जिसमें दक्षिण एशिया में हाल के परीक्षणों की निन्दा करने से संबंधित एक पैराग्राफ है, जिससे हमने अपने आपको अलग रखा, हमारी नीति और गैर-विभेदकारी आधार पर व्यापक, सार्वभौमिक नाभिकीय अप्रसार की ओर नाभिकीय हथियार सम्पन्न देशों द्वारा प्रयोजनमूलक पहल की आवश्यकता के तर्क आधार पर हमने आसियान देशों में एक बेहतर आम सहमति देखी। हमने आसियान देशों को यह विश्वास दिलाया है कि हम दक्षिण पूर्व एशिया में नाभिकीय हथियार रहित क्षेत्र के स्तर का पूरी तरह से सम्मान करते हैं।

आसियान देशों के साथ हमारे क्रियाकलापों से यह समझबूझ परिलक्षित होती है कि भारत के साथ सहयोग और वार्ता भागीदारी में अच्छी प्रगति हुई और यह कि हमें व्यापार और निवेश, मूलभूत तथा मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क में बातचीत के अन्तर्गत परियोजनाओं और उपायों के अनुपालन द्वारा इसे संयुक्त रूप से समेकित करने की आवश्यकता है।

हमारे शिष्टमंडल के नेता ने आसियान देशों, रूस, चीन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स तथा जापान और यूनाईटेड किंगडम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ रचनात्मक और आशाजनक चर्चाएं भी की थीं। आसियान और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठकों में हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्रिया-कलापों ने हमारे पश्च-पोखरण-2 राजनयिक प्रयासों में सहायता की है। हमारी अवधारणा, तथा उन उपायों की महत्ता को, हमने जो कदम अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ताओं का मुकाबला करने के लिए उठाए हैं, को बेहतर स्वीकृति प्राप्त हुई

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

है। अब भी यह मान्यता है कि भारत इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति और स्थायित्व का पक्षधर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज की कार्यसूची में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाओं पर अल्पकालिक चर्चा के लिए श्री के॰ नटवर सिंह और श्री॰ पी॰ ए॰ संगमा के नाम दिए गए हैं। प्रधान मंत्री ने भी सभा में आज वक्तव्य दिया है जिसका सीधा संबंध अल्पकालिक चर्चा के विषय से है।

यदि सभा सहमत हो तो हम प्रधान मंत्री के वक्तव्य को शामिल करते हुए अल्पकालिक चर्चा की अवधि को बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः सदस्य बोलते समय प्रधान मंत्री द्वारा दक्षेस सम्मेलन में दिए वक्तव्य का हवाला दे सकते हैं।

श्री पी॰ ए॰ संगमा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा शुरू करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जानसठ में पुलिस ने जो पांच आदमियों की हत्या की है, उस सिलसिले में मैंने 31 तारीख को भी जीरो ऑवर में नोटिस दिया था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस पर मुझे बोलने का मौका दिया जाये। आज भी इस पर मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कल जीरो ऑवर में मौका देंगे।

[अनुवाद]

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, कल जीरो ऑवर में मौका देंगे।

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क : इसमें आज ही बोलने का मौका दे दीजिए, यह जरूरी है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ऐसा है कि यह मैटर फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित करने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इस नीति की वजह से पांच लोगों की जानें गई हैं...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा पांच बेगुनाह नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया है...*(व्यवधान)* यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का इस समय अधिवेशन नहीं चल रहा है। मैंने भी इस संबंध में नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज मौका नहीं मिलेगा, कल बोल दिया न।

[अनुवाद]

श्री पी॰ उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय, प्रधान मंत्री को कम से कम भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा पर पहला भाषण सुनने के लिए सभा में मौजूद रहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री को राज्य सभा में वक्तव्य देना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री राज्य सभा में वक्तव्य देने के बाद वापस आएंगे।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आज नहीं, कल मौका देंगे।

श्री बूटा सिंह : मुझे कल मौका देंगे?

अध्यक्ष महोदय : हां, कल देंगे।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए॰ संगमा (तुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विदेश नीति की अति अद्यतन स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य को अभी-अभी सुना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि चालू

शताब्दी की अंतिम तिमाही के दौरान मुख्य घटनाओं में से एक घटना में बिलकुल परिवर्तन आया है और वह अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में परिवर्तन आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सैन्यबल ही आवश्यक नहीं है अपितु आर्थिक आधिपत्य अथवा आर्थिक विकास प्रेरक बल के रूप में उभर कर सामने आया है।

आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध सैन्य बल के आधार पर आवश्यक नहीं है जो संयुक्त अमरीका जैसे महाशक्ति वाले राष्ट्रों की कार्यवाही से भी स्पष्ट है। सोमालिया में अपना सैन्य बल स्थापित करने के बावजूद कई दर्जनों दुर्घटनाओं के कारण अमरीका को वहां से हटना पड़ा।

अमरीका को लेबनान से इसलिए हटना पड़ा क्योंकि बेरूत में समुद्री बैरकों के उड़ाने से 250 लोगों की जानें गई थीं। इसका अर्थ यह है कि लेबनान की हालत की तुलना में 250 अमरीकी सैनिकों की जानें अधिक कीमती थी।

तीसरे अमरीका वियतनाम को साम्यवादी गुट से बाहर निकालने के लिए 50,000 मौतों को स्वीकार नहीं कर सका। जब हम तात्कालीन सोवियत संघ पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि सोवियत संघ जैसी महाशक्ति भी अपने देश को संगठित नहीं कर पाई। अपने सैन्य बल के बावजूद, वह देश विखण्डित हो गया। अतः इससे स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि आज सैन्य शक्ति अथवा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। आज आर्थिक विकास का अधिक महत्व है। यदि आप एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति अमरीका की नीति पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति क्लिंटन सभी आदर्शों की उपेक्षा करते हुए बीजिंग जा रहे हैं। किसलिए? मुझे याद है जब अमरीका के वाणिज्य मंत्री श्री ब्राउन, जिनकी विमान में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई थी, से बीजिंग में पत्रकारों द्वारा यह पूछा गया कि क्या वे मानव अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे तो उन्होंने यह उत्तर दिया, "मैं यहां नैतिक मूल्यों का उपदेश लेने नहीं आया हूं मैं यहां विरोध करने आया हूं। मैं यहां कुछ काम करने आया हूं।" अतः विश्वभर में अर्थव्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण बन रही है; वाणिज्य अधिक महत्वपूर्ण बन रहा है और परमाणु हथियार और सैन्य बल नहीं।

अपनी इस बात को कहने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं इसे हमारे द्वारा हाल ही में किये गये परमाणु परीक्षणों के साथ जोड़ना चाहूंगा। मैं उसके लाभ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि पिछले वाद-विवाद में मैं परमाणु परीक्षणों के बारे में पहले ही बोल चुका हूं।

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न स्थिति का किस प्रकार सामना किया है। मैं इस सरकार पर यह आरोप तो लगाऊंगा ही कि यह सरकार राजनयिक क्षेत्र में पूरी तरह से निष्फल रही है। आज, देश को यह पता नहीं है कि विदेश मंत्रालय का कार्यभार कौन देख रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं जानता हूं कि विदेश मंत्रालय का कार्यभार किसके पास है। क्या इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, साउथ ब्लॉक अथवा गृह मंत्रालय देख रहा है। आज गृह मंत्री विदेश नीति के बारे में बहुत सुंदर वक्तव्य दे रहे हैं। वास्तव में विदेश मंत्रालय किसके पास है?

हमारे भूतपूर्व विदेश सचिव श्री जे॰ एस॰ दीक्षित ने यह चेतावनी दी थी कि समान्तर विदेशी नीति संबंधी प्रणाली जो वास्तव में इस समय प्रचलन में है, हमारे देश के लिए वांछनीय नहीं है। क्या हम कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि विश्व को सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विदेश मंत्री नहीं है और हम विश्व के अधिकांश देशों से अलग-थलग से पड़ गये हैं? यदि यह सरकार दूसरी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है तो मैं नहीं समझता कि विदेश मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना कठिन कार्य होता।

आज हम यह देखते हैं कि श्री नागेश्वर दयाल को भारत सरकार की तरफ से खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है। हम यह देखते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री ब्रिजेश मिश्र भारत की ओर से विश्वभर में जा रहे हैं। हालांकि मैं इतना जानता हूं कि श्रीमती वसुन्धरा राजे, राज्य मंत्री को सिंगापुर, मनीला और हनोई सही रूप से भेजा गया है।

आयोग सारे विश्व में जा रहा है और नौंवीं पंचवर्षीय योजना की आज क्या स्थिति है? नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में किसे चिंता है?

मैं नहीं समझता कि यह देश के लिए अच्छा है हम नहीं जानते श्री नरेश्वर दयाल के दौरे का क्या हुआ। मैं उस सज्जन का अत्यधिक सम्मान करता हूं वह बहुत अच्छे राजनयिक होंगे लेकिन क्या वे भारत के विदेश मंत्री का विकल्प हो सकते हैं?

मैं श्री जसवंत सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने उनके साथ यात्राएं की हैं। मैं श्री जसवंत सिंह के साथ विश्व के अनेक भागों में राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मिला हूं। मैं उनकी सामर्थ्य जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे विदेश मंत्री नहीं हैं। उन्हें विदेश मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? मुश्किल कहां हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। वे समर्पण नहीं कर रहे हैं।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं समर्पण नहीं कर रहा हूं। यह एक गम्भीर वाद-विवाद है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ठोस विदेशी नीति संधियों वाली सरकारें एक मान्यता प्राप्त अथवा सांविधिक दर्जा वाले मिशनों के अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों के साथ कार्य करने में कौताही नहीं बरतते।

मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं स्वयं भी उस स्थिति का शिकार हुआ था। 1985 में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, के पास वाणिज्य मंत्रालय था और मुझे वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया

[श्री पूर्णो ए॰ संगमा]

गया था वास्तव में, मैं ही वाणिज्य मंत्रालय का कार्य रेख रहा था। लेकिन मेरे प्रतिरूप, अन्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। वे कह रहे थे; कि "वे कौन होते हैं?" वे मुझे कनिष्ठ मंत्री मान रहे थे। क्या यह देश के लिए अच्छी बात है? और हम नहीं जानते कि श्री जसवंत सिंह के इन दौरों का क्या हुआ। मैं समझता हूं कि वे वाशिंगटन गए थे और श्री टालबोट से मिले थे? और वहां क्या हुआ? वे फ्रैंकफर्ट में मिलने पर भी सहमत हुए थे। और फ्रैंकफर्ट बैठक का क्या निष्कर्ष निकला। वे नई दिल्ली में मिलने के लिए भी सहमत हुए। उसके बाद श्री टालबोट नई दिल्ली आए और चर्चा की है और उसका क्या निष्कर्ष निकला। वे एक बार फिर वाशिंगटन में मिलने के लिए सहमत हुए हैं। मैं नहीं जनता कि वाशिंगटन के बाद वे कहां मिलने के लिए सहमत होंगे। क्या यही विदेश नीति चलाने का तरीका है?

प्रधानमंत्री ने अभी-अभी हमें बताया है कि 29 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लम्बी बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने सभा को आगे यह भी सूचित किया है कि यह लम्बी बैठक "सौहार्दपूर्ण और सार्थक रही"। बहुत अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसके लिए सहमत नहीं हुए। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि उनकी बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, तो उन्होंने कहा कि "शून्य"। और हमारे प्रधानमंत्री इस बैठक को "सार्थक और सौहार्दपूर्ण" कहते हैं। मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यह पूछा गया कि "यदि आपने लम्बी बैठक की है और निष्कर्ष शून्य, तो आपने इतना अधिक समय बर्बाद क्यों किया"? तो उन्होंने यह कहा "हां, यह समय की बर्वादी थी"। भारत के प्रधान मंत्री, विश्व का महानतम प्रजातंत्र, के साथ चर्चा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधान मंत्री के साथ उनकी बैठक समय की बर्बादी ही थी। क्या अपनी विदेश नीति के संचालन का यही तरीका है?

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : यह एक बहुत अनुत्तरदायी वक्तव्य है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से आया है ...*(व्यवधान)*

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : हां, यह हो सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : महोदय, मैं समझता हूं मुझे भारत के पक्ष को रखने के लिए प्रयास में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। बात केवल इतनी है कि जो तरीका वे अपना रहे हैं वह गलत है। मुझे उन प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए जो स्वयं राज्य मंत्री कर रही हैं। लेकिन इन सभी प्रयासों से हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। इन सब राजनयिक गतिविधियों के बावजूद सच्चाई यह है कि तथाकथित मुख्य संभाषी की दोषसिद्धि करने में सक्षम नहीं हुए और इसका परिणाम रहा अलगाव। इसके अनेक कारण हैं कि हम दोषसिद्धि नहीं कर पा रहे हैं। इसका पहला कारण हमारी निरस्त्रीकरण की मांग और हमारे परमाणु परीक्षण के बीच असंगति है। एक ओर हम पूर्ण निरस्त्रीकरण की मांग करते हैं और दूसरी ओर हम परमाणु हथियार बनाते जा रहे हैं।

दूसरी विसंगति बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर तो परमाणु परीक्षणों के बीच असंगति है और दूसरी ओर निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याओं वाले भारत की वास्तविक छवि है। हमारे पास परमाणु हथियारों के लिए अत्यधिक धनराशि खर्च करने के लिए है लेकिन हम अपने देशवासियों को खाना देने में समर्थ नहीं हैं।

वे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या हम परमाणु हथियारों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत और सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के बिना कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। काम की सुरक्षा के बिना कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती सामाजिक सुरक्षा के बिना कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। हमें भारत की जनता को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि उपलब्ध कराने पर बल देना होगा। मैं सब चीज का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं?

सभी जानते हैं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। मैं अपने सहयोगी श्री के॰ नटवर सिंह को पी-5, जी-8, एफ॰एम॰सी॰टी॰ और सी॰टी॰बी॰टी॰ के मुद्दों पर बोलने के लिए अधिक समय देना चाहता हूं। इसलिए मैं उन पहलुओं में नहीं जा रहा हूं। मैं अपने आपको विदेश नीति के मामले के रूप में आर्थिक दौर के सिद्धांत तक सीमित रखना चाहता हूं। आज हम कहां खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् सेंसेक्स में 600 प्वांइट की भारी गिरावट आई और रुपया में कहीं-कहीं तो 42 और 43 प्रति डालर के बीच गिरावट आई है और मैरिल लिंच के अनुसार, यह 46 प्रति डालर तक पहुंच जाएगी। एफ॰आई॰आई॰ और आपरेटर्स अपना धन भारत से निकाल रहे हैं; और वे लंदन स्थित भारत के कार्यालयों से अपना धन निकालने का निर्णय ले रहे हें। देश में प्रत्यक्ष निवेश वास्तव में बंद हो गया है और मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दस प्रतिशत को पार कर गई है। निर्यात में 17 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ गई है। व्यापार घाटे में 840 मिलियन डालर की तुलना में 1.85 बिलियन डालर की वृद्धि हो गई है हमारी केडिट रेटिंग में कमी आ गई है। मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत पहुंच गई है। भुगतान संतुलन में गिरावट आई है। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत पर आ गया है जिससे 3500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है; अद्यतन आंकड़े जो मैंने कल

पढ़े थे, वे 2 बिलियन डालर है। ये आज हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है।

देश के पास इस आर्थिक समस्या का सामना करने और इस पर विचार करने के लिए समय नहीं है और हम शस्त्रीकरण जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं अपने प्रधान मंत्री का अत्यधिक सम्मान करता हूं। लोगों को हमारे प्रधान मंत्री से बहुत आशाएं हैं, लेकिन मुझे डर है कि प्रधान मंत्री और उनकी सरकार लोगों की इन आशाओं को पूरा करने में कहीं विफलन हो जाएं।

कृपया कुछ करिए। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन लोगों में से जाने जाते हैं जिन्हें मानवता के नाते गरीब लोगों की अधिक चिंता है। मैंने एक कविता पढ़ी है—जो माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लिखी गई है मैं उसके साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं माननीय प्रधान मंत्री के कथनानुसार अन्य लोगों को भी समय देना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नहीं, प्रधान मंत्री के रूप में नहीं।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : हां, नहीं प्रधान मंत्री के रूप में नहीं, यह कविता "हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में है और इसका शीर्षक "हिरोशिमा की पीड़ा" है। मैं नहीं जानता कि क्या मैं इसे हिन्दी में पढ़ सकूंगा। मेरे पास इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। लेकिन मैं इसे हिन्दी में पढ़ने का प्रयास करता हूं। मैं पहली और अंतिम पंक्तियां पढ़ूंगा, इसमें कहा गया है;

[हिन्दी]

"किसी रात को
मेरी नींद अचानक उचट जाती है
आंख खुल जाती है
मैं सोचने लगता हूं कि
जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का
आविष्कार किया था;
वे हिरोशिमा—नागासाकी के
भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर
रात को सोये कैसे होंगे"?

[अनुवाद]

यह है श्री वाजपेयी। मुझे नहीं मालूम कि श्री वाजपेयी जी 11 मई की रात को सोये थे या नहीं। मुझे मालूम नहीं कि ...*(व्यवधान)* तो मैं समझता हूं कि उन्होंने खर्राटे की नींद ली थी। मैं पूरी कविता पढ़कर सुनाना नहीं चाहता क्योंकि यह एक बहुत लंबी और भावनात्मक कविता है। परन्तु मैं इस कविता का अंतिम पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है :—

[हिन्दी]

"क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही,
ये अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ,
अच्छा नहीं हुआ?
यदि हुई तो वक्त उन्हें कठघरे में खड़ा नहीं करेगा।
किन्तु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा।"

[अनुवाद]

उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा : "क्या उन्होंने एक क्षण भर के लिए यह सोचा कि जो कुछ उन्होंने किया है वह मानवता के लिए ठीक नहीं है।" यह बिल्कुल ठीक प्रश्न है। "यदि हुई तो वक्त उन्हें कठघरे में खड़ा नहीं करेगा। और यदि यह नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।" मैं चाहता हूं कि श्री वाजपेयी जी अपने गिरेबान में झांककर देखें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वह कवि वाजपेयी है, यह प्रधान मंत्री वाजपेयी है।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री वाजपेयी जी अपनी आत्मा की आवाज सुनें और दीन-दुखियों की ओर देखें, उन लोगों की ओर देखें जिनके पास दो वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है, उन लोगों पर नजर डालें जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उन लोगों की ओर देखें जो अनपढ़ हैं और उनके लिए कुछ करें। वाजपेयी जी आपका परमाणु विस्फोट हमारी समस्याओं का हल नहीं है। समस्या तो कहीं ओर है लेकिन वे स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी मुख्य बात का खुलासा करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि मुझे श्री संगमा जी से एक विशेष प्रकार के भाषा की उम्मीद थी क्योंकि वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और साथ ही जाने माने सदस्य हैं और वह एक जाने माने अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि मैं आज बोलूंगा। जब मैंने संगमा जी को बोलते सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि कहीं मैं पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली में बैठा हूं या भारत की संसद में। उन्होंने प्रधान मंत्री महोदय के बारे में इस तरह से बात कही है जैसे कि वे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा लिये गये स्टैण्ड की प्रशंसा कर रहे हों और हमारे

[श्री जगमोहन]

द्वारा लिये गये स्टैण्ड को गलत कह रहे हों, उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि हमारा स्टैण्ड ठीक है अथवा गलत। क्या हमें कश्मीर के संबंध में हार मान लेनी चाहिये थी? क्या हमें अपनी राष्ट्रीय नीतियों के संबंध में झुक जाना चाहिये था? आखिर उनका स्टैण्ड क्या था? उन्हें बिल्कुल साफ-साफ कहना चाहिए कि जब वह परिणाम शून्य की बात करते हैं तो इससे उनका मतलब क्या है।

मैं समझता हूं कि यदि उन्होंने अपना स्टैण्ड नहीं बदला होता तो परिणाम शून्य ही होता और यदि बदल लेंगे तो अतर्क संगत हो जायेगा। इस वार्ता को विफल करने की पाकिस्तान ने पहले ही सोच रखी थी। उनका रुख तो पहले से ही दुश्मनी का था और इसीलिए उन्होंने शून्य तथा समय की बर्बादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि उनकी संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। हमने अपनी ओर से गरिमा और मर्यादा बनाए रखी तथा स्वयं को संतुलित रखा। यही भारतीय संस्कृति है जिसे बनाए रखने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री को भारतीय मूल्यों के प्रति दृढ़, स्पष्ट और कटिबद्ध रहने के लिए बधाई देता हूं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि विश्व स्तर के मामलों में हमने इतना सहयोग कभी नहीं दिया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि जीवन के प्रति इस महान जाति का रुझान आध्यात्मिक रहा है। भारतीयों ने संसार को गरिमा, करुणा, संतुलन, सौहार्द और शांति का पाठ पढ़ाया है। इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। हिन्दुस्तान ने न तो कभी किसी पर आक्रमण किया और न ही कभी किसी को अपने अधीन किया। हम भारतीयों की इस अपरिग्रह, अंहिसा और शांति प्रियता की भावना पर गर्व करते हैं। लेकिन हम रत्तीभर भी नहीं झुकेंगे। इसके बाद श्री संगमा जी यह कहते हैं कि आर्थिक प्रगति ही किसी देश की रीढ़ होती है। इस बारे में तो कभी कोई दो राय रही ही नहीं और न है। हमारी पार्टी ने कब कहा कि आर्थिक प्रगति देश की रीढ़ नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछले पचास वर्षों में इस देश को आर्थिक सुदृढ़ता किसने दी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। 61 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश में इतने अनपढ़ लोग क्यों हैं? आप पचास साल तक इस देश पर राज करते रहे, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। आपके पचास वर्ष का शासन ही इस आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत ही गंभीर मसले पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समझने का प्रयास करें। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

श्री जगमोहन : अंत में श्री संगमा जी द्वारा प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी की कविता को बड़े ही काव्यमयी ढंग से पढ़ने और उन पंक्तियों को मजाक में लेने के बारे में कहूंगा कि एक तरफ तो वाजपेयी जी हैं जो प्रधान मंत्री होने के बावजूद ऐसा सोचते हैं और एक आप हैं कि इसका क्या बनाकर रख दिया।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि दुनिया के हरेक शांतिप्रिय नागरिक ने इतने ही महान विचार व्यक्त किए हैं।

याद कीजिए ऐसा ही परमाणु परीक्षण जब पहली बार मैक्सिको में किया गया था तो उसी समय ओपनहाइजर नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था? ओपन हाइजर उसकी विनाश लीला को देखकर तुरन्त ही ट्रूमेन के पास गए और उनसे कहा कि कृपया इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेन्सी के अंतर्गत लाया जाए और कृपा करके इस रहस्य को सोवियत संघ को भी बता दें क्योंकि हथियारों की होड़ तो है नहीं और आज नहीं तो कल सोवियत संघ इस प्रौद्योगिकी की खोज कर ही लेगा। हमें इस बात से सोवियत संघ को अवगत करा देना चाहिए और परमाणु अस्त्रों पर वास्तव में नियंत्रण करना चाहिए।

ट्रूमेन ने ओपनहाइजर की इस बात को बड़े धीरज और ध्यान से सुना और कहा कि जाकर विन्सटन चर्चिल से बात कीजिए। विन्सटन चर्चिल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके पश्चात् जापान पर अणुबम गिरा दिए गए। हालांकि यह बता दिया गया था कि यह जरूरी नहीं है परन्तु फिर भी उसका प्रयोग किया गया। यहां तक कि अणुबम गिराए जाने के पश्चात् तत्कालीन युद्ध मंत्री हेनरी सिम्पसन ट्रूमेन के पास गए और बोले कि भेदभाव की इस नीति को बंद कीजिए अन्यथा इससे इन हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा। ट्रूमेन ने उनकी बात को दोबारा भी नहीं सुना क्योंकि उस समय विदेश मंत्री ने कहा था कि हमें यह भेदभाव की नीति ही अपनानी है। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या तर्क दिया था? उन्होंने तर्क दिया था कि यदि हमारे हाथ में परमाणु अस्त्र होगा तो यह वार्ता में हमारे लिए मददगार साबित होगा और हम दुनियां को अपने इशारे पर नचा सकते हैं।

आज विकासशील देश अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं और दुनिया का सबसे अमीर देश अमरीका सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मनमर्जी से चला रहा है, क्यों? परमाणु अस्त्र उसकी मुट्ठी में हैं। यह वही बात है जिसे हमारे प्रधान मंत्री चाहते थे कि वे वार्ता मेज पर ही इसे बंद कर दिया जाये और जिन लोगों के पास बदलने की शक्ति है। हम तो चाहते हैं कि विश्व परमाणु अस्त्रों से विहीन हो जाए और यह आपकी भलाई के लिए भी है इसलिए हमारी भी भलाई इसी में है बल्कि सभी की भलाई इसी में है। जो आपके लिए बुरा है वह हमारे लिए भी बुरा है और सभी के लिए बुरा है।

श्री संगमा जी याद कीजिए कि गोर्बाचेव ने क्या कहा था? विश्व में सुरक्षा को देखा नहीं जा सकता। अगर कोई एक राष्ट्र सुरक्षित है तो दूसरा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। इस परमाणु विस्फोट के पश्चात् अमरीका में यह धारणा बन रही है कि "हमारा भविष्य क्या होगा और

यदि हमारे पास परमाणु बम नहीं होता और किसी दूसरे के पास होता तो हमारी क्या स्थिति होती। इस मामले में हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैं कैनबरा कमिशन और इन्टरनेशनल कोर्ट के मतों को उद्धृत करना चाहूंगा जिनके अनुसार विश्व को परमाणु अस्त्रों से विहीन करना हम सबकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है। अमरीका इस बात को क्यों अनदेखा कर रहा है। हम सब चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि विश्व को परमाणु अस्त्रविहीन होना चाहिए और शान्ति स्थापित होनी चाहिए।

श्री वाजपेयी जी ने जो महान विचार अपनी कविता में अभिव्यक्त किए हैं वे उन्हें अमलीजामा पहनाना चाहते हैं। यदि एकाधिकारवाद कायम रहता है तो इस बात को व्यवहार रूप में नहीं लाया जा सकता। पांच परमाणु महाशक्तियों द्वारा परमाणु अस्त्र रखने का क्या औचित्य है? क्या यही लोकतांत्रिक अथवा संयुक्त राष्ट्र 'चार्टर' की भावना है? जी नहीं, यह तो पूर्णतया अलोकतांत्रिक और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के खिलाफ है।

भारत ने जो महान कार्य किया है वह यह है कि इसने विश्व को इस तथ्य के प्रति सावधान किया है। इसके बाद आए अनेक मतों से यह पता चला कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमने इन लोगों के पाखंड और दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश कर दिया है और हमने यह दिखा दिया है कि हमारे पास भी उन्नत प्रौद्योगिकी है और यदि वे हमारी विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं तो हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। हमने उनसे कहा है कि इतिहास से सबक लें। 1945 में जब उन्होंने इस परमाणु शक्ति को अपने तक सीमीत रखना चाहा तो शीत युद्ध शुरू हो गया और अनेक वर्षों तक हथियारों की होड़ चलती रही।

आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप चीन को क्यों महत्व दे रहे हैं? हमें भारत में भी यह क्यों बताया जाता है कि जब पाकिस्तान यह मुद्दा उठायेगा तो चीन के दृष्टिकोण को सुना जायेगा। इसका कारण यह है कि वे शक्ति सम्पन्न हैं।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा जी, आपने बहुत से अन्य मुद्दों को नहीं लिया। कश्मीर के बारे में आपका क्या विचार है? चीन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबध में हमारी क्या नीति होनी चाहिए। कश्मीर में क्या हो रहा है? पिछली बार भी जब संगमा जी बोले थे तो उन्होंने वही पाकिस्तान के साथ सम्बंधों और बातचीत करने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने कश्मीर में दस वर्षों से चल रहे आतंकवाद और तोड़फोड़ के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला था। कितनी आपदाएं आई हैं?

कितने निर्दोष लोगो की मृत्यु हुई? कोलम्बो में हुई औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों में भारत के प्रधान मंत्री की यह सफलता रही कि परमाणु मुद्दे को अन्य किसी बात से न जोड़कर केवल परमाणु निरस्त्रीकरण से ही जोड़ा गया। विश्व अब इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है। आज चीन हमसे मतभेद रख सकता है। वे नहीं चाहते कि हम परमाणु शक्ति बनें। वे हमें शक्तिशाली नहीं देखना चाहते। अमेरिका ने क्या किया? अब ब्रेजिन्सकी सिद्धांत नाम का नया सिद्धान्त है। चीन क्यों प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है और हमें क्यों शक्तिशाली बनना चाहिए? इसका कारण यह है कि हम अपने को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप यह बात क्लिंटन के चीन दौरे के दौरान देख चुके हैं और ऐसा ही पहले राष्ट्रपतियों के समय में भी होता रहा है और आप में से अधिकांश यह बात जानते होंगे कि ब्रेजिन्सकी एक सुरक्षा सलाहकार था। उसने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। मैं उसके लिखे कुछ वाक्यों को सुनाना चाहता हूं। वह चीन और अमरीका को आज के उभरते नए माहौल में प्राकृतिक भागीदार समझता है। वह लिखता है कि :

> "चीन की मध्य एशिया में बढ़ती रुचि रूस द्वारा इस क्षेत्र के मास्को के नियंत्रण में राजनीतिक पुनर्एकीकरण के प्रयास में बाधक है। इस संबंध में तथा फारस की खाड़ी के संबंध में चीन की बढ़ती रुचि से यह प्रतीत होता है कि चीन भी अमरीका की तरह तेल उत्पादक देशों में राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ मुक्त आवागमन बनाए रखना चाहता है। इसी प्रकार चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया के संबंध में रुस के प्रति झुकाव को निरस्त करता है।
>
> महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अमरीका और चीन दोनों को ही यूरेशिया में एक दूसरे की जरूरत है। बृहत चीन को ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अमरीका को अपना स्वाभविक मित्र समझना चाहिए। जापान और रूस के विपरीत अमरीका ने चीन के विरुद्ध कभी कोई क्षेत्रीय मंसूबा नहीं रचा" इत्यादि।

यहां पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि चीन इस क्षेत्र में अमरीका का क्षेत्रीय मित्र होने के साथ बड़ी शक्ति बन जाएगा। जैसाकि पश्चिम यूरोप इसी लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है उसी प्रकार चीन भी इस क्षेत्र में ऐसा ही करेगा। इस प्रकार हमारी यह स्थिति है।

12.09 बजे अपराह्न

[रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

इसलिए हम अपनी सुरक्षा के प्रति चिन्तित हैं और परमाणु प्रौद्योगिकी अर्जित करना चाहते हैं परन्तु हमारा इरादा किसी पर आक्रमण करने का नहीं है। परन्तु इसके साथ ही हम इतने कमजोर भी नहीं बने रहना चाहते कि कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

[श्री जगमोहन]

इसके बाद कश्मीर का मुद्दा आता है जिसे पाकिस्तान विश्वस्तर पर उठाते हुए समस्या पैदा करना चाहता है और यही कारण है कि इन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है। जब भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा होती है तो पाकिस्तान कश्मीर की समस्या को उठा देता है।

अब डोडा में देख लीजिए वे क्या कर रहे हैं। दूसरी जगहों पर भी देख लीजिए वे क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल मेरे कानों में आलोचना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। आज श्री संगमा जी ने एक वक्तव्य दिया है। इस प्रकार के अनेक लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं कि भारत परमाणु परीक्षण के बहाने कश्मीर मुद्दे को उछाल रहा है और कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। यह सही नहीं है। बिल्कुल निराधार है। वास्तविकता तो बिल्कुल ही अलग है। यह मत भूलिए कि यह सब खेल अमरीका का है और पाकिस्तान के पश्चिमी मित्र राष्ट्रों का है जिससे वे कश्मीर के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं।

अब मैं आपको इस संबंध में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 1992 में अमरीका में अनेक विचारक थे जिनको प्राचारित किया जा रहा था। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि भारत परमाणु अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर कर दे। अमरीकी विचारकों में श्री कोहेन जो अमरीका की विदेश नीति प्रस्थापना के भी सदस्य थे, ने कहा था कि परमाणु अप्रसार संधि का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है जिसका अर्थ यह है कि वे कश्मीर समस्या को, कश्मीर की कठिनाइयों को भुनाना चाहते हैं और भारत पर दबाव डालना चाहते हैं कि इस तरह से वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। वह प्रचार करते हैं कि "परमाणु अप्रसार संधि का रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता है।" यह प्रचार दस वर्ष पहले किया गया था। ये सारी समस्याएं इसीलिए पैदा की जा रही थी। अब आप वर्ष 1993 की कारनेगी फाउंडेशन की रिपोर्ट को ही देख लीजिए जिसमें यह कहा गया है कि परमाणु मुद्दे और कश्मीर मुद्दे को एक साथ रखकर देखा जाना चाहिए और इन दोनों मुद्दों पर एक साथ चर्चा होनी चाहिए और इन सभी मुद्दों पर साथ-साथ विचार-विमर्श होना चाहिए। अब आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया था। लेकिन वे भारत की शस्त्रों संबंधी इच्छाओं को कश्मीर मुद्दे के साथ जोड़कर देखते थे। तभी तो श्रीमती रोबिन राफेल ने यह वक्तव्य दिया था कि "हम कश्मीर को गैर-विवादित क्षेत्र नहीं मानते हैं। हम यह चाहते हैं अथवा हम वह चाहते हैं।" जोन मैलेट कौन होते हैं जो हमारे देश में आकर हमें यह कह गए कि "अरे यह तो विवादित क्षेत्र है। हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे।" यह सब भारत पर दबाव डालने के लिए ही किया जा रहा था।

हमें अमरीका की इस चाल को समझ लेना चाहिए। यह खेल पिछले दस सालों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह परमाणु परीक्षण के पश्चात् ही हुआ है। ऐसा तो हमेशा से होता रहा है। हम उनके सामने कभी नहीं झुके। इसलिए हमें आज भी उनके सामने नहीं झुकना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि जब हैदराबाद की समस्याएं उठ रही थीं उस समय भी श्री चर्चिल और श्री बटलर सहित सभी लोग भारत के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। तब श्री पटेल ने कहा था कि यह प्रक्रिया न तो एक तरफा है और न ही दो तरफा है। यदि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो इस का जवाब देना हमें भी आता है। हमारा राष्ट्र मजबूत और विशाल है और आप हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते।" उसके बाद चर्चिल और बटलर ने जो मार्ग अपनाया उसे हम इतिहास में अच्छी तरह जानते हैं। हैदराबाद की समस्या हल हो गई थी। यदि हम अपनी बात पर अडिग रहें और इतिहास से कुछ सीख लें तो मुझे पक्का विश्वास है कि कश्मीर समस्या हल हो जाएगी और पाकिस्तान का खेल भी खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा कोलम्बो में अपनी एक इंच भूमि न छोड़ने की बात कहने से यह बिल्कुल साफ है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप दूसरी बात सुनना चाहते हैं, सच्ची बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ठीक है, मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शांति। क्यों बाधा डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राम नारायण मीणा (कोटा) : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जगमोहन जी उलाहना दे रहे हैं कि कश्मीर समस्या के जनक कौन-कौन हैं। वह इस बात का भी खुलासा करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : दूसरा तर्क श्री संगमा जी ने यह दिया है कि हमारा देश गरीब देश है और हमें यह परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए। इस पर मेरा यह कहना है कि हम इस परमाणु शक्ति के न होने के कारण ही गरीब हैं क्योंकि दूसरे देश हमें अपने इशारों पर नचाते हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि हमने इसी समय यह परीक्षण क्यों किया? जिसे देखो वही इसी की चर्चा कर रहा है जैसे कुछ हो गया हो। जब मैं पिछली बार परमाणु मुद्दे पर बोला था तो मैंने बताया था कि यह क्यों किया गया। मैं उन कारणों को नहीं दोहराऊंगा। परन्तु एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि भारत के सामने एक ही विकल्प था कि वह या तो परमाणु परीक्षण करे अथवा इस अवसर को गंवा दे। आपको याद होगा कि जब सी॰टी॰बी॰टी॰ के मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया था तो इस मुद्दे को महासभा में उठाया गया था। भारत के विरुद्ध सांविधानिक चाल चली गई थी। वर्ष 1999 में आरंभ में फिर वही बातें दोहराई जाती तो भारत के सामने उस विकल्प को अपनाने का भी अधिकार नहीं रह जाता।

अतः वहां विकल्प सीमित था तथा हमें या तो इसका उपयोग करना था अथवा इसे छोड़ देना था। अब क्या आप इसे छोड़ना चाहते हैं। यह हमारी हमेशा से नीति थी कि हम अपनी तैयारी जारी रखें तथा हमें यह करना था। अतः यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है कि हमने इस समय ऐसा क्यों किया। आखिरकार इस विश्व में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैं समझता हूं कि जब कभी भी आप निहित स्वार्थ की बात करेंगे, शोरशराबा होगा। लेकिन यदि हम दृढ़ रहें तो विश्व या तो हमारी इस स्थिति को मानेगा कि यह परमाणु शस्त्र मुक्त अथवा शस्त्र मुक्त विश्व हो या फिर इस सिद्धांत को मानेगा कि सभी राष्ट्रों की समान अधिकार तथा बाध्यताएं हैं तथा ये समान जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। आप भेदभावपूर्ण विश्व नहीं अपना सकते हैं। हम यही मांग कर रहे हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं समस्या उत्पन्न होगी, हमारा देश गरीब है। हमें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा? कई बातें होंगी। लेकिन इकबाला की एक प्रसिद्ध पंक्ति है :

[हिन्दी]

तुंद-ए-बादा-ए मखालफ से न तू घबरा ए आका, ये तो आती है तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए।

[अनुवाद]

यदि हम इन कठिनाइयों का समय पर सामना करेंगे तो हम एक शक्तिशाली राष्ट्र होंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि दृढ़, शक्तिशाली, स्पष्ट और एकता रखने की बजाए हम फूट और अवरोहण के संकेत दे रहे हैं। वास्तव में कश्मीर समस्या यही है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि डोडा में केवल पाकिस्तानियों अथवा उनके एजेंटों द्वारा लोगों की हत्या की जा रही है। इसमें देश के अंतर्गत कार्य कर रहे कई व्यक्तियों और शक्तियों का हाथ है। यह कैसे होता है कि कश्मीर मुद्दा हर बार उठाया जाता है। जब माननीय श्री बलराम जाखड़ डोडा नरसंहार पर बोल रहे थे तो वे गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमें क्या हो गया है। क्या हम कठोर नहीं हो सकते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई रुख अपनाया गया तो उसे डांट कर पद से हटा दिया गया। मुझे याद है जब मुझे 1990 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में दूसरी बार भेजा गया था, राज्य पर कुल मिलाकर आतंकवादियों का पूरा कब्जा था। अत्यधिक कठिनाई के साथ समस्या नियंत्रित की गई अन्यथा 26 जनवरी को ईदगाह से 15 लाख व्यक्तियों के साथ खुले रूप से घोषणा की गई होती। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जब मैंने इस तरीके से कार्य किया, तो ब्लू-स्टार, 'ताइनामेन स्क्वायर' जैसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन यहां के लोगों ने यह नहीं कहा कि जगमोहन ने ऐसा 'ताइनामेन स्क्वायर' अथवा 'ब्लू स्टार' जैसी घटना के बगैर ही कर दिया। वे ऊंची आवाज में कहने लगे कि मैं हेब्रन, चंगेज खां हो गया हूं। वे वास्तव में वही कहने लगे हैं जो श्रीमती बेनजीर भुट्टो कह रही थीं। श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, "जाग, जाग जाग"। वह ऐसा क्यों कह रही थीं। वह आवेश में क्यों आ रही थी। वह आवेश में इसलिए आ रही थी क्योंकि वह यह जान चुकी थी कि एक व्यक्ति है जो आईएसआई के खेल को समझ चुका है और वह सिविल प्रशासन को पुनः सुचारू बना देगा और यदि उसने ऐसा कर दिया तो समस्या समाप्त हो जायेगी आई॰एस॰आई॰ का खेल समाप्त हो जायेगा और यहां लाये गये लाखों कालानिष्कोव अस्त्र-शस्त्र बरामद हो जायेंगे।

ऐसा करने के बजाए उन्होंने क्या किया? जैसाकि मैंने कहा कि आपने यह गलत कहा कि भारत-पाक का कोई सहयोग नहीं है। एक तरफ बेनजीर भुट्टो मेरी निंदा कर रही थी तथा दूसरी तरफ आप मेरी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में आने के बाद उन्होंने श्री जगमोहन को अपना निशाना बनाया। ये सभी बातें रिकार्ड में हैं। इसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने कहा था कि यदि यह व्यक्ति चला जाए तो वे लड़ेंगे नहीं, वे भाग जायेंगे।

लेकिन आज भी यही हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से भी पूछता हूं कि 'डोडा' की घटनाएं बारंबार क्यों घटित हो रही हैं यह बारंबार क्यों होगा। यह इसलिए क्योंकि आपने सिविल प्रशासन की निचले स्तर से संरचना नहीं की है। जब मैं वहां था, मैंने डोडा में पहला काम यह किया जबकि पूरा कश्मीर अशांत था तथा मेरी सहायता हेतु कोई नहीं था, कि मैंने विशेष आयुक्त को डोडा, पुंछ तथा राजौरी भेजा। सिविल प्रशासन को निचले स्तर से गठित किया जाना चाहिए अन्यथा वह इसी प्रकार हो जायेगा जैसा कि आजकल हो रहा है। आपको निरोधात्मक कार्यवाही करनी होगी। इस देश में जो कोई भी निरोधात्मक कार्यवाही करता है उसकी परवाह नहीं की जाती है। आप इसे दूसरे तरीके से समझें।

मैं आज मांग करता हूं और मैं गृह मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि वे इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। जब मैं वहां गया था तो हताहतों की संख्या कितनी थी और अब प्रतिदिन कितने लोग हताहत हो रहे हैं। हमारी भारतीय भूमि पर मुस्लिम तथा कश्मीरी पंडितों का

[श्री जगमोहन]

रक्तपात नकारात्मक राजनीति और नाशवादी राजनीति का परिणाम है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह केवल पाकिस्तान के कारण है। हम भी इतने ही दोषी हैं और मैं हमेशा कहता हूं :

[हिन्दी]

खौफ तो मुझे गुल से है इस चमन को कहीं जला न दे।"

[अनुवाद]

यह हमारी नकारात्मक राजनीति है जिससे वोट बैंक की राजनीति बनी है और राजनीति इसके सहारे चली है। मैं चीन के तियानमैन स्क्वायर में जो कुछ हुआ उसका प्रशंसक नहीं हूं। आप इसे याद रखें। कुछ लोग कहते हैं कि तियानमैन स्क्वायर में छः लोग मारे गए जबकि कुछ अन्य का कहना है कि 600 लोग मारे गए। किसी को सच्चाई मालूम नहीं है। हम यह कहें कि 600 लोग मारे गए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है अब कन्क्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : मैंने इस सभा में पहले ही कहा है कि बहुत कम लोग मुझे सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वास्तव में, मैं बोलना भी नहीं चाहता था। फिर भी मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं है। मैं इस बात के साथ समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। हमें इस संकट की घड़ी में स्पष्ट, स्थायी और एकजुट होकर रवैया अपनाना पड़ेगा। आज हमारी विदेश नीति अत्यधिक चुनौती क़ा सामना कर रही है तथा इस चुनौती का हम सबों को एकजुट होकर सामना करना चाहिए। हमें यहां-वहां बहस कर श्रेय जुटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विगत में जो कुछ भी हुआ आज हम सभी को पाकिस्तान द्वारा अपनाये गये अत्यंत आक्रमक रवैये के परिप्रेक्ष्य में संकल्प करना चाहिए। हमारा रवैया सम्मानजनक किंतु दृढ़ होगा। और हम चुनावों अथवा चुनावी राजनीति जैसी छोटी बातों से अभिभूत नहीं होंगे। हम एकजुट होकर चुनौती का सामना करेंगे तथा हम चीन और अमरीका के मध्य पनपने वाले नए संबंध से अनजान नहीं रहेंगे। हम इस पर नजर रखेंगे। हमारे दृष्टिकोण को उचित रूप से समझा जायेगा। अमरीका में ऐसे लोग हैं जो हमारे रवैये की प्रशंसा कर रहे हैं। हमें समानता तथा भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का आदर करने वाले इन लोगों से अनुरोध करना चाहिए। हमें किसी के भी साथ गलत ढंग से पेश नहीं आना चाहिए। हम शांतिप्रिय रहेंगे। हमें संतुलित तथा सम्माननीय ढंग से रहना चाहिए। हमारी मुख्य चिंता यही है।

जहां तक कश्मीर की आंतरिक समस्या का प्रश्न है, हमें वहां यदि हम वहां शांति चाहते हैं, सिविल प्रशासन को पुनः तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्यों स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद डोडा तथा अन्य स्थानों से इन विशेष आयुक्तों को हटा दिया गया। गुप्तचर एजेंसियां वहां बुरी तरह असफल रही हैं तथा मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है क्योंकि डोडा सीमावर्ती जिला नहीं है। पाकिस्तान की सीमा वहां नहीं मिलती है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। महोदय, वे वहां आ चुके हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी गुप्तचर एजेंसियां उनका पता क्यों नहीं लगा पा रही हैं। वहां छोटे-छोटे गांव हैं। उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से एक स्थान पर रखा जा सकता है।

यदि आप छोटे-छोटे गांवों में सभी लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसा इनके सम्ब बना कर कर सकते हैं। यह कभी भी किया जा सकता है।

हमें अपनी आंतरिक तथा बाहरी समस्याओं पर नए सिरे से सोचना होगा। मैं यही कहना चाहता था।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस 125 दिन पुरानी सरकार ने इस देश को काफी नुकसान पहुंचाया है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, हमारी मिली-जुली संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमारी प्राचीन विदेश नीति को हुई क्षति के कारण हम अंतराष्ट्रीय समुदाय से कट रहे हैं।

आजादी प्राप्त करने से लेकर वर्षों तक हमने अथक प्रयासों से सर्वसम्मति से अपनी विदेश नीति को तैयार किया है। अचानक भारतीय जनता पार्टी जो एक अल्पसंख्यक सरकार है और जिसे इस देश के 25 प्रतिशत से कम लोगों का समर्थन प्राप्त है, जिसे इस राष्ट्रीय मतैक्य को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, ने वास्तव में गलत नीति का अनुसरण किया है जिसके कारण देश में और विश्व भर में संसार के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को अन्ततः गहरे संकट में डाल दिया है।

पोखरन-दो परीक्षण के बाद मेरे दल ने तत्काल यह शंका व्यक्त की थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की इस दुखदपूर्ण घटना का मुख्य उद्देश्य गम्भीर विकृत आर्थिक स्थिति से लोगों का ध्यान भंग करना और इस सरकार का कई क्षेत्रों में असफल होना और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस दुखदपूर्ण घटना से अन्ततः काफी नुकसान होगा। हम आर्थिक दृष्टि से अनिश्चितता की स्थिति से गुजर रहे हैं, औद्योगिक विकास धीमा हो गया है, स्टाक मार्किट की स्थिति अनिश्चित है ऋण देने वाली एजेन्सियों का काम धीमा पड़ गया है, रुपए के मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है और कई देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

निःसंदेह, मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अमरीका को इस प्रकार के आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वे हमें उपदेश नहीं दे सकते हैं। वही लोग हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरों को डरा-धमका रहे हैं। हमने इन महाशक्तियों विशेषकर अमरीका सरकार के इस आधिपत्य रवैये का विरोध किया है। लेकिन हमने यह शंका भी व्यक्त की है कि आर्थिक प्रतिबन्धों का चाहे कोई तत्काल प्रभाव न पड़े लेकिन दो अथवा तीन वर्षों के बाद इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर लम्बे समय तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सरकार ने हमें और अपने सहायक दलों को मौका दिया है क्योंकि इसने बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़कर हमारी स्थिति कमजोर की है। इससे हमारी स्थिति में बदलाव आया है।

संयुक्त मोर्चे की पिछली सरकार ने हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में सुधार लाकर बहुत बड़ा योगदान किया है। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा एक उल्लेखनीय घटना थी। हमारा एक विशाल पड़ोसी देश जिसका इतिहास, संस्कृति और अन्य कई बातें, जो हमसे बहुत मिलती-जुलती हैं और जिसके हमारे साथ कई दशकों तक खराब सम्बन्ध रहे, उसके राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया।

न केवल कश्मीर के मामले में अपितु उनके पूर्ण रवैये में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जिन मामलों को हम तत्काल हल नहीं कर सकते हैं उन्हें हम एक तरफ रखें और आर्थिक, वाणिज्य, संस्कृति, लोगों के अंतर्संबंधों आदि जैसे दूसरे मामलों पर विचार करें। पाकिस्तान सरकार को भी यह संदेश दिया गया है। हम चीन और बंगलादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया में थे। बंगलादेश के साथ ऐतिहासिक नदी संधि पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल के साथ ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका और दूसरे कई देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए जिनकी वजह से विकासशील देशों की नजरों में जो हमें हमेशा विकासशील देशों और नाम के चैम्पियन के रूप में देखना चाहते हैं, वास्तविक रूप से स्थिति बेहतर हुई है। हमें यह जानकर खेद हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो भारत के परम मित्र हैं, पोखरन-दो परीक्षणों के बाद हमारे देश के साथ रुष्ट हो गए। यह घटना नाम बैठक से ठीक पहले घटित हुई। इसकी वजह से आजादी से लेकर अब तक हमारे कई नेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में इस देश द्वारा जो मार्ग अपनाया गया उसमें गहरी दरार पड़ गई।

दक्षिण अफ्रीका को भी परमाणु अस्त्रों की जानकारी है। लेकिन उन्होंने उन्हें बनाने का निर्णय नहीं लिया है और विश्व के सामने यह घोषणा की है कि वे यह चाहते हैं कि उन्हें विस्फोट न करने पड़े। हम अपने मित्रों और विकासशील देशों जिनकी हमें नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन और कई अन्य स्थानों पर बहुत अधिक आवश्यकता है, के बीच अकेले पड़ गए हैं।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों की बात है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे आतंकवाद और दूसरी गतिविधियों को बढ़ावा देकर गलत कार्य कर रहे हैं। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी, एक तरफ से सकारात्मक कदम उठाकर जिसे हम कभी कभी गुजराल सिद्धान्त के नाम से जानते थे, हमने व्यापार के माध्यम से, लोगों के साथ संबंध स्थापित करके, कलाकारों, कारीगरों आदि को दूसरे देशों में भेजकर अपने संबंधों को सुधारने में लगे थे। उनके कलाकार और कारीगर भारत में आ रहे थे और हमारे कलाकार वहां जा रहे थे। व्यापारिक समुदाय भी व्यापारिक संबंधों को सुधारने में रुचि ले रहा था। विश्व व्यापार संगठन में कम से कम तीन अथवा चार बार पाकिस्तान ने विकसित देशों के आधिपत्य रवैये के खिलाफ भारत का पक्ष लिया।

यूरोप में आप देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी जो सदियों तक विवादों में उलझे पड़े थे और आपस में युद्धरत थे और जिनमें बैर-भाव की भावना थी, में मित्रता स्थापित हो गई है। यदि फ्रांस और जर्मनी आपस में एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं और सामान्य बाजार की संरचना कर सकते हैं और दूसरे देशों के साथ मिलकर सामान्य मुद्रा चला सकते हैं और विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक समूह के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं तब भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं मिल सकते हैं और यही काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आने वाले वर्षों में डालर की तुलना में यूरो अधिक शक्तिशाली होगा। जब साम्राज्यवादी षडयंत्र के कारण विभक्त हुए कई अन्य देश जैसा कि भारत के साथ भी हुआ था आपस में मिलकर अपने विवादों को हल कर सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आशय यह नहीं कि पाकिस्तान जो कार्य कर रहा है हम उसका समर्थन करें।

इसका आशय यह भी नहीं है कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसका समर्थन किया जाना चाहिए। हमें उनकी भर्त्सना करनी चाहिए जिस प्रकार वे सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके द्वारा किए जा रहे कई और नाकारात्मक कार्यों की भर्त्सना करनी चाहिए।

दक्षेस सम्मेलन में जो कुछ निर्णय लिए गए मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन दोनों प्रधान मंत्रियों ने आपस में लम्बे समय तक बातचीत करने में अथवा घोषणा करने में कि दोनों विदेश सचिव इस मामले पर चर्चा जारी रखेंगे, से अधिक काम किया जा सकता था। यदि भारतीय पक्ष की ओर से कोई स्पष्ट नीति तैयार की गई होती तो कुछ और सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते थे।

लेकिन वे उलझन में हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलते हुए पूर्व वक्ता ने भी यह इशारा किया था कि वे कितने उलझन में हैं। अपने भाषण के अंतिम भाग में वे एकपक्षीय नीति, पाकिस्तान के प्रति संयुक्त मोर्चे की सरकार की नीति को जारी रखने, आदि के बारे में बोल रहे थे। इससे पूर्व वे कुछ भिन्न कह रहे थे। इससे केवल यह पता चलता है कि हमारी विदेश नीति गड़बड़ायी हुई है। पोखरन-

[श्री रूप चन्द पाल]

की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप इस सरकार ने देश को गहरे संकट में ला खड़ा किया है और अलगाववाद की स्थिति पैदा कर दी है। अब वे यह नहीं जानते हैं कि इसका क्या हल निकला जाए।

उन्होंने राजनैतिक दलों से परामर्श नहीं किया था। जब उनके पास जनादेश नहीं है तो उन्होंने मान्य विदेश नीति को बदलकर क्षति पहुंचाई है। उन्होंने इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखाया कि दूसरे राजनैतिक दल जिनका द्विपक्षीय सबंधों को स्थापित करने और दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में 'अहम योगदान रहा है, के विचार जान लिए जाएं।'

मैं अपने दल की ओर से यह दावा कर सकता हूं कि नाम के अंदर और नाम से बाहर इस देश की भूमिका और विकासशील देशों के संघर्ष और अमरीका व दूसरी अन्य शक्तियों के आधिपत्य के खिलाफ हमारी नीति बहुत स्पष्ट है।

उन विस्फोटों के पीछे तक तर्क दिया गया कि देश की सुरक्षा संबंधी स्थिति में अचानक परिवर्तन हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी दलील विश्वास करने योग्य नहीं है। हमने यह भी नोट किया कि रक्षा मंत्री के अनुसार भारत के उत्तर का पड़ोसी चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं कि प्रधान मंत्री का भिन्न दृष्टिकोण है क्योंकि हमें उनके साथ समितियों में काम करने और इस संबंध में उनके विचारों को जानने का अनुभव प्राप्त है। कुछ माह पूर्व उन्होंने कुछ भिन्न कहा था लेकिन हमें यह जानकर हैरानी हुई है कि उसी प्रधान मंत्री ने श्री बिल क्लिंटन को पत्र लिखकर यह कहा है कि उत्तर का पड़ोसी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद क्या हुआ? उन्हें समझाने की सफल चाल के बजाय चूंकि उनके पास लोगों को इस बारे में समझाने के लिए कुछ नहीं था—कोई समझा पाने वाला तर्क भी नहीं था—हमें उद्धत राष्ट्रवाद और युद्धप्रियता देखने को मिली। कुछ मंत्रियों ने सीमा क्षेत्रों में जाकर कुछ कहा। 18 मई को हमारे महान गृह मंत्री जी ने क्या कहा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान को भारत के परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बन जाने से जोड़ा। रक्षा मंत्री जी कुछ कह रहे थे और गृह मंत्री जी कुछ और ही कह रहे थे। इस बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कुछ कहने का क्या अधिकार है, मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली ने काम करना आरंभ कर दिया है। श्री ब्रजेश मिश्र, श्री जसवन्त सिंह सभी प्रधान मंत्री के दूत हैं।

उन्होंने न केवल सारांश, शैली और ढांचे में वरन् जो कुछ भी तैयार किया गया था इसमें अन्य सभी प्रकार से भी नुकसान पहुंचाया था।

हमारे मिशन क्या कर रहे हैं? क्या हमारे मिशन उन सभी विकसित देशों में लोकमत को सहमत कर पाए हैं? लोक मत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने उसका जिक्र नहीं किया जो श्री खुराना जी ने कहा है। उन्होंने युद्ध का समय और स्थान निर्धारित करने के बारे में कहा था।

श्री रूप चन्द पाल : मुझे खेद है कि मैंने श्री खुराना की बात का उल्लेख नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का स्थान और तारीख निर्धारित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह तैयार हैं। वह अब कहां चले गए हैं?...*(व्यवधान)*

श्री रूप चन्द पाल : मैं सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने की गुप्त चाल का उल्लेख कर रहा था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि सभी लोग प्रधान मंत्री के दूत हैं। कुछ कूटनीतिज्ञों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे मिशन क्या कर रहे हैं। वह बड़ी विदेश नीति के प्रचार के लिए अधिक धनराशि चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें संतुष्ट किया जाए। यदि आप भूतपूर्व कूटनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कूटनीतिज्ञों द्वारा प्रकट किए विचारों को पढ़ें तो आप अन्तर स्पष्ट कर सकते हैं। हम सुश्री अरुंधती घोष जो व्यापक परमाणु अप्रसार संधि की प्रक्रिया से जुड़ी रही हैं उनकी प्रतिक्रिया भी जान सकते हैं। हम रक्षा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया भी जान सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने बाहरी विश्व में जो कुछ हो रहा है उससे कोई सबक नहीं सीखा है। क्या इससे हमें सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? क्या इससे हमें हमारी स्थिति मजबूत करने, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की हमारी मांग और महासभा को मजबूत बनाने में हमें सहायता मिलेगी। क्या इससे हमें गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन में सहायता मिलेगी ताकि आने वाले समय में विश्व व्यापार संगठन और अन्यत्र विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था में हमारी भागीदारी बेहतर हो सके? नहीं, महोदय, इस उद्धत राष्ट्रवाद और युद्धप्रियता से हमारी स्थिति को धक्का लगा है।

अब अमेरिकी दबाव के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। अलग-थलग पड़ जाने के कारण हमने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है। हमने अपने बड़े और छोटे पड़ोसियों के साथ एक दशक से अधिक समय में बनाई मित्रता खो दी है; हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार आर्थिक क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर रही है और विद्युत क्षेत्र, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय नियमों को अधिकाधिक रियायतें दे रही है। हम देख रहे हैं कि आर्थिक सहयोग में, जिससे हमें हमारे पड़ोसियों से सहायता मिलती, 2000 से अधिक मदों पर से आयात प्रतिबंध हटाने के संकेत से हमें अधिक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे कदम उठाए गए हैं लेकिन इनके परिणाम पर्याप्त नहीं होंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा।

नेपाल को भारतीय कॉरीडोर दिए जाने के समझौते के बावजूद भ्रांति है, नेपाल को इस कॉरीडोर से होकर बंग्लादेश को हमारे माल की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारत 'साक' में वह सब हासिल नहीं कर पाया है जो कि उसे प्राप्त करना चाहिए था।

हमारे वैज्ञानिक अपमानित हो रहे हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि उन्हें संरक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी, महोदय, जब हमारे महान् वैज्ञानिक इतना अपमानित हो रहे हैं उस समय विश्व वैज्ञानिक समुदाय अमेरिकी कार्रवाई के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री की स्थिति अनिश्चय की है।

श्री रूप चन्द पाल : इस सरकार में इतना भी साहस नहीं है कि वह भारतीय समाज के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की निन्दा कर सके। ये लोग मानवाधिकारों का हनन और लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने योजनाबद्ध और जानबूझ कर यह सब किया है। वह हमारे माननीय वैज्ञानिकों को अपमानित कर रहे हैं। उनकी निन्दा की जानी चाहिए।

माननीय संगमा जी प्रधान मंत्री की एक कविता पढ़ रहे थे।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह प्रोहिविटेड हो गया है।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : शायद प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री बनने के बाद हिरोशिमा को भूल गए हैं। लेकिन भारत के लोगों को यह याद है। कलकत्ता में 5 अगस्त और देश के अन्य भागों में 6 से 9 अगस्त के बीच भारतीय लोगों द्वारा शांति रैलियां आयोजित की जाएंगी, युद्ध विरोधी रैलियां निकाली जाएंगी। इन रैलियों में भाग लेने वाले लोग वैज्ञानिक कूटनीतिज्ञ, शिक्षाविद, कामगार और किसान होंगे। हिरोशिमा दिवस को भारतीय लोगो की आवाज सुनाई देगी। अंततः इस देश के लोग इस देश हित में और पीड़ित मानवता के हित में केवल विकासशील देशों के दलितों के हित में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पीड़ितों के हित में इस देश की विदेश नीति में परिवर्तन लाएंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो आज भोजनावकाश नहीं किया जाए क्योंकि माननीय सदस्यसों की सूची लम्बी है, इसलिए भोजनावकाश को बहस में ही लगा दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : बहस कितने समय तक चलेगी?

सभापति महोदय : मोटे तौर से दो घंटे बहस होती है लेकिन सदस्यों की सूची और रुचि दोनों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकासी) : सभापति महोदय मुझे, भारत की विदेश नीति के संबंध में चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री संगमा जी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए मुझे बहुत निराशा हुई। वह अच्छे वक्ता हैं। यद्यपि हम श्री संगमा के विचारों से सहमत न हों फिर भी उनके तर्क सदैव ही बहुत अच्छे होते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आज उनका भाषण एक निरर्थक प्रयास क्यों था।

मैंने सोचा था कि उस पक्ष की ओर से आज श्री के॰ नटवर सिंह चर्चा आरंभ करेंगे। अचानक श्री संगमा को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया। आरंभ में ही जब श्री संगमा ने चर्चा आरंभ की उन्होंने यह आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। उन्होंने पूछा कि विदेश मंत्री कहां हैं क्योंकि श्रीमती वसुन्धरा राजे केवल विदेश राज्य मंत्री हैं? श्री संगमा जी मूल तथ्य भूल गए कि पंडित जवाहर लाल नेहरू कई वर्षों तक विदेश मंत्रालय के कार्य स्वंय देखते रहे। श्री संगमा जी यह भी भूल गए कि जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो वह विदेश मंत्री का कार्य भी देख रहे थे। उस समय मेरे मित्र श्री के॰ नटवर सिंह विदेश राज्य मंत्री थे। अतः इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है।

कांग्रेस दल की ओर से बोलने वाले वह पहले वक्ता हैं। दूसरा प्रश्न यह था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवन्त सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका में श्री स्ट्रोब टालबोट के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त करके आपको क्या उपलब्ध हुआ है?

उन्होंने मजाक में कहा कि इसके बाद फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट के बाद दिल्ली में और दिल्ली के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारी बैठक होगी।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह जी को श्री टालबोट के साथ वार्ता करने के लिए नियुक्त करने से हुए लाभ के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। इस संबंध में हमें जो महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं उनके बारे में जोर देकर कहना चाहता हूं। आसियान क्षेत्रीय मंत्र में, एंग्लो-सैक्शोन देशों ने जापान की सहायता से पोखरण परमाणु परीक्षण करने के लिए एक निन्दा प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की। इसका कारण यह था कि पी-5 और जी-8 देशों की बैठक में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने आसियान क्षेत्रीय मंच पर भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश उप मंत्री श्री स्ट्रोब टालबोट के साथ बात करने से हमें जो लाभ हुआ वह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने पी-5 और जी-8 देशों की बैठक में ऐसे प्रस्ताव का विचार व्यक्त किया था और सुरक्षा परिषद की बैठक में निन्दा प्रस्ताव लाने के जिसके पीछे जिसका हाथ था, उसी

[श्री वैको]

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बार आसियान क्षेत्रीय मंच पर ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। हमने अपने कूटनीतिक प्रयासों से यह सफलता हासिल की है। इस कारण से हम अलग-थलग नहीं पड़े हैं।

आसियान क्षेत्रीय मंत्र में क्या हुआ? एंग्लो-सैक्शोन देशों-कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था और जापान ने इसका समर्थन किया था। तीसरी दुनियां के देशों, दक्षिण पूर्वी देशों ने भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि लाओस, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया ये देश पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के लिए भारत की निंदा करने के ऐसे किसी भी प्रस्ताव के एकदम खिलाफ थे। यद्यपि चीन ने निन्दा प्रस्ताव पारित कराने की अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास किया। अंत में ऐसा न करा पाने में अपनी असफलता को स्वीकार न करते हुए उन्होंने अध्यक्ष पर अस्वीकृति का वक्तव्य देने के लिए दबाव डाला। यह हमारी कूटनीतिक उपलब्धि रही है।

सभापति महोदय, अभी-अभी मैं एक प्रस्ताव (संख्या 1172) का उल्लेख कर रहा था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् ने पारित किया था।

ऐसा प्रस्ताव पारित करके सुरक्षा परिषद् ने मनमाने ढंग से व्यवहार किया है और सभी स्वीकृत मानकों और प्रथाओं का उल्लंघन किया है, यह केवल चार्टर के अनुच्छेद 31 के कारण किया गया है जिसमें जो कहा गया है, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य, जो सुरक्षा परिषद् का सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद् के समक्ष लाए गए ऐसे किसी प्रश्न पर चर्चा में मतदान किए बिना, भाग ले सकता है जिससे उस सदस्य देश के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हों।"

महोदय, भारत ने 'नेशनल एसेम्बली' और जनरल ऐसेम्बली के सदस्य देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि सुरक्षा परिषद् ने इस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर न देकर चार्टर के उपबंधों की अवहेलना की है।

श्री संगमा ने यह कहकर आलोचना की है कि पोखरन में परमाणु परीक्षण करके सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के बताए हुए पथ से भटक गई है और पूर्व के दशकों में स्थापित विदेश नीति से हट गई है।

इस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू के यें शब्द उद्धृत करना प्रासंगिक है। मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा बम्बई में 26 जून 1946 को की गई इस टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होने कहा था :

> "जब तक विश्व अपने वर्तमान अस्तित्व में रहेगा, प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए नवीनतम वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने होंगे और उनका प्रयोग करना होगा। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत अपना वैज्ञानिक अनुसंधान विकसित करेगा और मुझे भारतीय वैज्ञानिकों से आशा है कि वे रचनात्मक प्रयोजनों के लिए परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि भारत को डराया जाता है तो वह अपनी ओर से हर तरह से अपनी सुरक्षा की अनिवार्य रूप से कोशिश करेगा। मुझे आशा है कि भारत सामान्यतः अन्य देशों के साथ मिलकर परमाणु बमों के प्रयोग को रोकेगा"।

प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि भारत को परमाणु परीक्षण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी मार्क्सवादी पार्टी से हमारे माननीय मित्र ने कहा है कि इस परमाणु परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत को किसी से भी कोई खतरा नहीं है। चीन से कोई खतरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूर्ववर्ती लोकसभा की रक्षा संबंधी स्थायी समितियों की रिपोर्टों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इन रिपोर्टों में स्पष्टरूप से यह इंगित किया गया है हमारी सुरक्षा को हमारे पडोसी चीन से खतरा हैं। समिति के सभापति महान संसदविद् श्री इन्द्रजीत गुप्त थे जिनके प्रति मेरा अत्यधिक सम्मान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं?

श्री वैको : मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। उस रिपोर्ट में इस साक्ष्य के साथ विशेष उल्लेख किया गया है कि चीन से हमारी सुरक्षा को चुनौती है। हम समझते हैं कि चीन से हमारी सुरक्षा को खतरा है, जिसके साथ मिलकर पांचवें दशक में हमने पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा लगाया था। 1962 में हमारे साथ धोखा हुआ था।

हम सन्निकट खतरा महसूस करते हैं कि वह देश पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी अथवा परमाणु प्रौद्योगिकी की आपूर्ति कर रहा है। क्या अपनी सुरक्षा करना इस देश का काम नहीं है? इसलिए भारत, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, भारत अनेक मानवजातियों और सभ्यताओं से बने इस देश ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मई में पोखरन में परमाणु परीक्षण करके वास्तव में विश्व के सभी देशों द्वारा बहुत कर्कश प्रतिक्रिया और कर्कश आलोचना द्वारा ध्यान आकर्षित किया है। क्या यह मिथ्याचार नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रतिबंध लगा दिया है? क्या यह मिथ्याचार नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने परमाणु परीक्षणों की आलोचना की है और परमाणु अप्रसार का उपदेश देना शुरू कर दिया है?

वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुई त्रासदी पर माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को श्री संगमा उद्धृत कर रहे थे, वास्तव में, यह अमरीका ही था जिसने बम गिराकर हजारों लोगों का अस्तित्व मिटा दिया और आज भी यह संयुक्त राज्य अमरीका है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको : मैंने तो अभी अपनी बात शुरू ही नहीं की है।

श्री मुरली देवड़ा (दक्षिण मुम्बई) : यदि अभी आपने अपनी बात शुरू नहीं की है तो आपकी बात समाप्त कब होगी?

श्री वैको : मैं अभी तक श्री संगमा द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दे रहा था। मैं तो सभापति की इच्छा पर निर्भर हूं।

यह वही अमरीका है जो भूमिगत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह वही संयुक्त राज्य अमरीका है जिसने अलास्का में मार्च के महीने में फ्लारिडा के मूल निवासियों को पूर्व चेतावनी दिए बिना भूमि दहला देने वाले परीक्षण किए थे। यह वही संयुक्त राज्य अमरीका है जिसने चार बार परमाणु परीक्षण किए, जिसने ऐसे प्रक्षेपास्त्र बना लिये हैं जो एक ही समय में आठ परमाणु सज्जित अस्त्र ले जा सकते हैं। यह वही संयुक्त राज्य अमरीका है जिसने चीन की आलोचना की; चीन पर प्रतिबंध लगाया; जब उसने लोपनूर में अपने परीक्षण किए। यह वही संयुक्त राज्य अमरीका है जिसने सबसे अधिक 1037 परीक्षण किए। इसी संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन को वाणिज्यक लाभ के लिए सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया। यह वही संयुक्त राज्य अमरीका है जिसने टियन्यानमेन स्क्वेयर घटना की आलोचना की और अब श्री बिल क्लिंटन चीन की उस ग्रेट वाल पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में, जब उनको वाणिज्यिक उत्पादों के लिए व्यवसाय में बलिदान देने वालों की आवश्यकता थी तब उन्होंने चीन को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया। अब संयुक्त राज्य कांग्रेस में चर्चा की जा रही है। केंटुकी राज्य जिसका एक समय श्री अब्राहम लिंकन प्रतिनिधित्व करते थे वहां के रिपब्लिकन सीनेटर ने प्रतिबंधों को उठाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। सीनेटर मिच मैक कोनेल ने अमरीकी कांग्रेस में कहा था कि उन्हें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अमरीकी हितों का बलिदान नहीं देना चाहिए। यह उनका दृष्टिकोण है।

दो महीने पहले अनेक देशों में कटु आलोचना हो रही थी। इस सरकार द्वारा उठाए गए प्रशंसनीय कदमों के कारण इस मुद्दे पर अलग-थलग नहीं हैं। हमें एशियाई देशों तीसरे विश्व के देशों का समर्थन मिला है। आज विश्व तेजी से बदल रहा है। लोगों की समझ बदल रही है; धारणाएं बदल रही हैं क्योंकि हम अपनी विदेश नीति से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। सहस्राब्दी के आरम्भ सोवियत रूस में महान् अक्तूबर क्रांति हुई। इस सहस्त्राब्दि के अंत में हमारा दिल यह देखकर पीड़ा से भर जाता है कि सोवियत रूस में यह सब कुछ हो गया। लेनिन, समाजवाद के महान् समर्थक, इस सहस्राब्दी के महान् क्रांतिकारी की प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया था और तीन-चार सप्ताह के बाद क्या हुआ? रोमानोव, जार निकोलस उनकी पत्नी और बच्चों के अस्थि पंजर को दूरस्थल से ले जाकर शाही महल में शाही स्वागत किया गया और शाही महल के कब्रिस्तान में शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। आज ये चीजें हो रही हैं। विश्व बदल रहा है। विश्व के नक्शे पर नए देश उभर रहे हैं। कलम की एक लिखावट से चेकोस्लोवाकिया दो देशों में विभाजित हो गया। पहले के सोवियत संघ में आज 15 स्वतंत्र राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमरीका अचानक यह कहने लगा कि वह फिलिस्तीन राज्य के विभाजन की मांग का समर्थन करता है।

श्री नवाज शरीफ ने कहा था कि यह सामान्यतः समय की बर्बादी थी, और इस बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला, बल्कि शून्य रहा मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि श्री संगमा ने इसका उल्लेख किया है कोलम्बो में जो कुछ हो रहा था उसे सम्पूर्ण विश्व देख रहा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व को अपनी संवेदनशीलता और परिपक्व राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। पाकिस्तान और श्री नवाज शरीफ का उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण खुल कर विश्व के सामने आ गया है।

महोदय, कश्मीर मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कश्मीर पर बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन इस बार यह समझाने के लिए कि यह मुद्दा द्विपक्षीय ढंग से हल नहीं किया जा सकता श्री नवाज शरीफ ने यह कहने की कोशिश की है कि द्विपक्षीय वार्ता उन्हें स्वीकार्य नहीं है, लेकिन भारत ने पुनः सिद्ध कर दिया है कि कश्मीर पर वार्ता नहीं हो सकती। महोदय, इसी के साथ-साथ भारत ने विश्व को यह बताते हुए कि हम शांति और अच्छे पड़ौसी के रूप में सम्बन्ध बनाना चाहते हैं लेकिन हम देश के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते, भारत ने सार्क महा सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाई हैं। हमने विश्व को यह बता दिया है कि महा विनाश के हथियारों को सम्पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। हमने यह दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, यह सरकार हर तरह से क्षमा की पात्र है और विश्व के अनेक भागों से कटु आलोचनाओं के बावजूद उनके द्वारा उठाए गए सभी कदमों के लिए बधाई देता हूं।

श्री मुरली देवड़ा : वे भारत के विदेश मंत्री बनेंगे।

श्री वैको : मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं।

श्री मुरली देवड़ा : हम आपको मंत्री बनाने में मदद करेंगे।

श्री वैको : इसलिए, एक बार फिर भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न महाशक्ति रूप में खड़ा है, मनीला सम्मेलन में, हमने यह दिखा दिया है कि हम, एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है; और यह दर्जा पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, आज प्रधान मंत्री जी कोलम्बो से वापस आने के बाद सरकार की तरफ से बयान

[श्री मुलायम सिंह यादव]

पढ़ रहे थे। वह लिखित वक्तव्य था। उस वक्तव्य में कुछ भी नहीं था। उसमें निराशा ही निराशा थी। अगर कुछ था तो निराश वक्तव्य था। उसकी भाषा भी निराशाजनक थी और जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे तो वह स्वयं भी निराश थे। जब वह भारत वापस आए तो हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि शिखर सम्मेलन में हम लड़ाई जीत कर आए हैं। किस बात की? हम दुनिया में अलग-थलग बताए जाते थे, अब विश्व में एक स्थान बना कर आए हैं। दूसरे ही दिन, शायद उसी शाम को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ ने कह दिया कि वहां कुछ भी नहीं हुआ। आज देश के सामने प्रधान मंत्री जी गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं। वह प्रधान मंत्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं जो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा भी मौका आया था, जब वह नेता विरोधी दल थे तो प्रधान तंत्री श्री नरसिंह राव जी ने उनको एक प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में विदेश भेजा था। वह इतने समझदार थे कि उनकी विदेशी नीति के रूप में एक छवि थी। उन्होंने सम्मेलन से लौटने के बाद जैसे ही हवाई अड्डे से वक्तव्य दिया, उनकी छवि नाम की कोई बात नहीं रह गई है—चाहे वह कितना ही ढिंढोरा पीटें, लेकिन असलियत असलियत है।

सभापति जी, हमारे देश की विदेश नीति 1947 से पहले तय हो गई थी। 1937-38 में डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी की देखरेख में जो नीति बनायी थी, वह अभी तक लगातार चली आ रही थी—चाहे किसी की सरकार आई हो, कोई प्रधान मंत्री बना हो, लेकिन हमारी विदेश नीति, कभी बदली नहीं। उसी का परिणाम था कि हमने अपने बुनियादी मुद्दों को नहीं त्यागा और उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर भारत की विदेश नीति टिकी रही। भारतीय विदेश नीति आम सहमति पर आधारित रही है।

लेकिन भाजपा सरकार ने पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को विश्वास में नहीं लिया। इस सरकार ने उस विदेश नीति को छोड़ दिया जो भारत की मूल नीतियों व सिद्धांतों पर आधारित थी। भाजपा सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेना तो दूर रहा, अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं लिया। अभी श्री वैको बढ़-चढ़कर बोल रहे थे, शायद मिनिस्टर बनने की लालसा होगी। आप नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि आप मिनिस्टर बन जायें। क्या आपको विश्वास में लिया गया था? सभापति महोदय, किसी भी सहयोगी घटल दल को विश्वास में नहीं लिया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत की विदेश नीति एक-दो नेताओं के पाकेट में बन्द हैं इससे अन्तर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है। आज आम सहमति की विदेश नीति नहीं रही। जो हमारे मूल मुद्दे थे, उन से हम हट गये हैं। आप किसके पीछे घूम रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि दोस्त बनाने के चक्कर में अमेरिका के पीछे घूम रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे बुनियादी मुद्दे थे, क्या आप उन पर टिके हुये हैं?

सभापति महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि विदेश नीति जिन बुनियादी मुद्दों पर टिकी हुई थी उन्हें एक-एक करके त्यागा जा रहा है। आप जानते हैं कि 1937-38 में गांधी जी के नेतृत्व में डा॰ राम मनोहर लोहिया ने विदेश नीति बनाई थी। सन् 1947 में जब से नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्हीं नीतियों, सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर विदेश नीति चलती आ रही थी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, कोई सरकार आई हो लेकिन हम अपने मौलिक मुद्दों से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन क्या यह सरकार उन मुद्दों से पीछे नहीं हटी है?

सभापति महोदय, हमारा पहला मुद्दा विश्व शांति का था, दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था, तीसरा गुटनिरपेक्षता, चौथा मानवाधिकार तथा गैर-बराबरी के विरुद्ध तथा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध व बातचीत का सिलसिला जारी रखना है यही भारत के प्रमुख मुद्दे सिद्धान्त व बुनियादी मुद्दे थे। क्या आज देश की विदेश नीति इन सिद्धान्तों पर टिकी हुई है—नहीं। आप तो पूरी तरह से इन सिद्धान्तों से पीछे हट गये हैं। इन्हीं-सिद्धान्तों पर भारत को विश्व का व्यापक समर्थन प्राप्त था। आजादी के बाद अगर गैर-बराबरी के खिलाफ 20वीं सदी में कोई लड़ा है या किसी ने पक्ष लिया है या किसी मुल्क में असमानता रही है तो भारत ने उस आन्दोलन की अगुवाई की है तथा भारत लड़ा है। गुट निरपेक्ष नीति के कारण विश्व में कई देश हमारे मित्र बन गये और विरोध में कोई पड़ोसी नहीं रहा। जहां तक चीन का प्रश्न है, उसके बारे में हम बाद में कहेंगे। वर्तमान विदेश नीति के मूल मुद्दों से हटने के बाद हमारा देश विश्व के अन्य देशों से अलग-थलग हो गया है। श्री संगमा जी ने ठीक कहा है जिसको हम दोहराना नहीं चाहते। देश की जनता उन दुष्परिणामों को भोग रही है। उसका नतीजा यह हुआ है कि हमने अमरीका के सामने घुटने टेक दिये हैं। इस तरह भारत सरकार ने पूरी तरह से अमरीका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह हमारा इस सरकार पर आरोप है और जब प्रधानमंत्री उत्तर दें तो हमें बतायें कि किन कारणों से सरकार ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिये? वैसे इस सरकार ने पहले दिन से ही अमरीका के आगे घुटने टेक दिये थे। भारत ने 11 मई को पोखरन में परीक्षण किया था और उसी शाम को सरकार ने अमरीका को पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि चीन और पाकिस्तान की वजह से हमें मजबूर होकर यह परीक्षण करना पड़ा। सभापति महोदय, ऐसा नहीं था। इसके पीछे देश का हित या देश की सुरक्षा सर्वोपरि नहीं थी। इन्होंने देश को सर्वोपरि न मानकर अपनी पार्टी को सर्वोपरि माना, अपनी कुर्सी को सर्वोपरि माना और प्रधानमंत्री कुर्सी बचाने के लिये पोखरन परीक्षण किया गया। यह सरकार आज कोई भी बहाना ढूंढे, कुछ भी कहे लेकिन ममता बहन भी उस समय दुविधा में थी स्वामी जी, जो जयललिता के नेतृत्व में जीतकर आये थे, वह उस समय दुविधा में थे, जयललिता भी दुविधा में थी। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि सी॰टी॰बी॰टी॰ पर बहुत कुछ बोला जा चुका है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अमरीका का पिछलग्गू बनकर, जो हमारे मित्र देश थे, उनको भी इन्होंने खो दिया है।

सीटीबीटी पर भी दोहरा चरित्र है। सीटीबीटी के संबंध में आज जो पड़ोसियों से संबंधों को बिगाड़ा जा रहा है या अमेरिका से बातचीत हो रही है, उस पर हम कहना चाहेंगे कि गुपचुप वह बात हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सीटीबीटी के बारे में जो बात कहे उसे सार्वजनिक रूप से कहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि गुपचुप बातचीत हो रही है। अगर गुपचुप बात हो रही है, तो सदन को बताइए कि क्या-क्या बातें हो रही हैं? सीटीबीटी के किन-किन प्रावधानों पर आप सहमत हैं, हम कहना चाहते हैं कि सीटीबीटी पर भारत का स्टैण्ड इसलिए था कि यह सीटीबीटी की संधि गैर-बराबरी की संधि है और भारत की स्पष्ट नीति थी कि जब तक दुनिया की सारी परमाणु शक्तियां एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से अपने परमाणु हथियार नष्ट नहीं करेंगी, तब तक भारत सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं करेगा और आज भी भारत उस बात पर कायम है। क्या सरकार इस बात पर कायम है? अगर नहीं है तो कौन से प्रावधान हैं जिन पर सहमति है यह बताएं। आप कार्यवाही उठाकर देख लें, इसी सदन में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सीटीबीटी के कुछ प्रावधानों पर हस्ताक्षर करने हेतु विचार कर सकते हैं, जरा बताइए कि वे कौन से प्रावधान हैं, जिन पर आप हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं? इतनी कमजोरी क्यों दिखाई? आज हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सीटीबीटी पर दस्तखत किये तो समाजवादी पार्टी निर्णय ले कि हर स्तर पर हर तरह से कहेंगे, हर तरह से विरोध करेंगे।...*(व्यवधान)* डेकोरम हमें मत सिखाइए। अगर सीटीबीटी पर दस्तखत किये तो डेकोरम की परवाह हम नहीं करेंगे, देश की सुरक्षा और देश के हित को सर्वोपरि मानेंगे। धीरे-धीरे गुपचुप बात क्यों हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो बताएं कि सी॰टी॰बी॰टी॰ के किन प्रावधानों पर विचार कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

जब परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था तब भी कश्मीर में क्या हो रहा था? हम क्या नाम लें, उन्होंने कश्मीर में क्या किया था और वर्तमान रक्षा मंत्री उनके बारे में क्या विचार रखते थे, हम दोहराना नहीं चाहते।...*(व्यवधान)* जब आप कश्मीर में गवर्नर थे तब आप क्या कर रहे थे और आपके वर्तमान रक्षा मंत्री आपके बारे में क्या कह रहे थे? हमारा मुंह मत खुलवाइए। आप क्या कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने साफ-साफ कहा है कि आपने निर्दोष लोगों की हत्या करायी है, बलात्कार करवाए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके रक्षा मंत्री कहते थे। आज स्पष्ट करें कि आप सही थे या आपके रक्षा मंत्री सही थे? आपको यह बताना चाहिए क्योंकि आप दोनों सत्ता पक्ष में मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो उन बातों को साफ करना चाहिए कि कौन सही था और कौन गलत था। आज हम नहीं कह रहे हैं परन्तु हम बता रहे हैं कि आपके रक्षा मंत्री आपके बारे में क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में हमने झुग्गी-झोंपड़ियों में घुसकर देखा है, घरों और कारखाने में जाकर देखा है कि किस तरह से हिन्दु-मुस्लिम शांतिपूर्ण तरीके रहते थे, प्यार से रहते थे। लेकिन कश्मीर का गवर्नर उनको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहने देना चाहता है, वह कत्लेआम कराकर खून बहा रहा है। आपके जमाने से ही उग्रवाद बढ़ा है। अब कहते हैं कि तमाम हिन्दू मारे जा रहे थे। जब से परमाणु परीक्षण हुआ, तब से जरा बताएं कि पहले वहां लोग ज्यादा मारे जा रहे थे या अब ज्यादा मारे जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : आप फिगर्स क्वोट करिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यही डेकोरम है?...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : आप फिगर्स क्वोट करिये। जबानी जामा-खर्च मत बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : फिगर्स सरकार बताएगी। अभी कहा जा रहा था कि तमाम हिन्दू मारे जा रहे हैं और जब से परमाणु बम का परीक्षण पोखरण में हुआ तब से सारे हिंदू सुरक्षित हो गये, पूरा डोडा सुरक्षित हो गया। कम से कम देश को इस तरह से गुमराह तो मत करो, आंखों में धूल तो मत झोंको। जब से भाजपा सरकार आयी है तभी से हिदुओं की यह दुर्दशा है। जब संयुक्त मोर्चा सरकार डेढ़ साल रही, हमारे पूर्व गृह मंत्री बैठे हैं, हम रक्षा मंत्री थे, जरा बताइये कि डेढ़ साल में कितने हिंदू मारे गये और अब कितने मारे जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)* अयोध्या के बारे में हमारी स्पष्ट नीति है कि अगर कोई भी...*(व्यवधान)* अयोध्या के बारे में आप सुन लीजिए कि अभी तो 16 मरे थे, अगर कभी भी संविधान और कानून के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ कोई काम करेगा तो देश हित तें, आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, 16 तो कम हैं 32 पर भी गोली चलवानी पड़ी तो चलवायेंगे। क्या आप बार-बार अयोध्या-अयोध्या कहते हो। वहां देश के हित में गोली चली थी, देश की एकता के लिए गोली चली थी, हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए गोली चली थी,...*(व्यवधान)* सभी धर्मों के पूजा स्थलों की हिफाजत के लिए गोली चलवानी पड़ी थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : वहां हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। दोनों मारे गए हैं।

[हिन्दी]

उसके बारे में हमने कहीं नहीं बताया। हम जानते हैं कि हजारों मुसलमान कश्मीर छोड़ आये हैं...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हाउस की डेकोरम कहां गई, प्रधान मंत्री जी को बुलाइये। सभापति जी आप डेकोरम देखिये...*(व्यवधान)*

[श्री मुलायम सिंह यादव]

जब हमारे गृह मंत्री जी वहां के प्रभारी थे और अब श्री आडवाणी जी वहां के प्रभारी बने हैं, आप समीक्षा करिये कि क्या हालत हैं। जम्मू कश्मीर में गुप्त जी के रहते शांति थी। एक-दो छिटपुट घटनाएं होती थीं। हम लोग मौखिक रूप से एक ललकार देते थे। पाकिस्तान का पसीना निकल जाता था। अब पाकिस्तान से बात करने में भाजपा सरकार का पसीना निकल रहा है।...*(व्यवधान)* आज यह हालत है, देसी मुर्गी विलायती बोल।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, उसी दिन से ऐसा है। हम लोग मौखिक रूप से एलान कर देते थे, पाकिस्तान को खबरदार कर देते थे कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे देश की तरफ बुरी निगाह की तो लड़ाई दुश्मन की धरती पर होगी। वह चुप रह जाता था। यही हम बोलते थे। अब क्या करते हैं, अब तो पसीना निकल रहा है। आप कहते हो कि हम परमाणु शक्ति सम्पन्न देश हो गये हैं। आपके बाद पाकिस्तान भी मूर्खता कर रहा है, नवाज शरीफ भी बेवकूफी कर रहे हैं। तथा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। सभापति जी सच्चाई यह है कि भारत में अटल जी की कुर्सी को खतरा था और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की कुर्सी को खतरा था। दोनों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए परमाणु परीक्षण किया है। न हिंदुस्तान से पाकिस्तान को खतरा था और न पाकिस्तान से हिंदुस्तान को खतरा था, बल्कि दोनों की कुर्सियों को खतरा था। एक बनावटी खतरा पैदा करके दोनों देशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह हम गंभीरता के साथ बोल रहे हैं कि दोनों देशों को बरबाद करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा किया गया है। वहां नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और यहां अटल जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। इसलिए दोनों देश परमाणु शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं।

सभापति जी, आप भी महासंघ के पक्षधर रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि आप चीन की बात करते हो, दुनिया में वातावरण बनाने की बात करते हो, आप कम से कम बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर ही वातावरण बनाइये। जर्मनी से सीखो, वियतनाम से सीखो और आपस में मिलकर एक वातावरण बनाइये, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश का एक महासंघ बनाइये। चीन से कोई खतरा नहीं रहेगा। आप चीन को दुश्मन नम्बर एक मानते हो। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सेना बहादुर है। हमारी बहादुर सेना के रहते हुए हमारे देश का कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता है। सभापति जी, जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश का महासंघ नहीं बनेगा, तब तक आप चीन का ढिंढोरा पीटते रहिये, आप चीन का बाल भी बांका नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, अगर छीन सकते हैं, तो चीन से जाकर छीनो कैलाश और मानसरोवर को जो शिवजी की तपोभूमि है और पार्वती का मायका है। आप धर्म की बात करते हैं। धर्म कहां चला गया? जय श्री राम की जय बोलने वाले, जय शिव शंकर की तपोभूमि कहां है? धर्म के नाम पर आप देश को बांट रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति-शांति। बीच में मत बोलिए।

श्री तपन सिकदर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं। हमने शंकर को वहां नहीं भेजा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : श्री राम और शिव जी का नाम लेने वालों को चुल्लूभर पानी में डूबना चाहिए। इसलिए लालू प्रसाद जी ठीक कह रहे हैं—जय श्रीकृष्ण। अगर आप हिन्दू-मुसलमान को लड़ओगे, तो हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे और फिर कृष्ण से ज्यादा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। सारे चरवाहे और गोपाल तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति-शांति।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम पूरी गंभीरता से बात कर रहे हैं। सभापति जी आजादी के बाद इस सरकार की विदेश नीति के चलते जितना अपमान हमारे देश का इस बार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई के बाद पूरे विश्व में भारत के पक्ष में वातावरण तैयार करने के लिए जय प्रकाश जी को भेजा गया था। अब कौन भेजा जा रहा है-एक अफसर और जब वह सरकारी अफसर अफ्रीका में जाता है, तो राष्ट्रपति उससे मिलने से मना कर देते, उप राष्ट्रपति उससे मिलने से मना कर देते हैं, रक्षा मंत्री उससे मिलने से मना कर देते हैं। अब पता नहीं वे किससे मिलकर आए या बिना मिले ही लौट आए। जब प्रधान मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे, तो वे अपने वक्तव्य में बताएंगे कि वे किससे मिलकर आए। आज हमारे देश की हालत यह है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का अपमान जितना इस बार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसको हिन्दुस्तान की जनता कभी नहीं भूलेगी और इस सरकार को इसकी सजा जरूर देगी।

सभापति महोदय, यह विदेश नीति नहीं, यह तो आर॰एस॰एस॰ नीति है। विदेश नीति के स्थान पर आर॰एस॰एस॰ नीति कैसे चलेगी, वह क्या करेगी। आर॰एस॰एस॰ वाले तो नेकर पहन कर सुबह डंडा घुमा लेते हैं। अब डंडे से क्या एटामिक बम विस्फोट और न्यूक्लीयर युग में चले गए। डंडा हमारा असली था। आज भी हमारा बूढ़ा आदमी डंडे से चल लेता है। हमारे देश ने अहिंसा के रास्ते पर आजादी हासिल की। अहिंसा में कितनी ताकत थी कि सात समुंदर पार से आया अंग्रेज गांधी और गौतम की अहिंसा की नीति के आगे टिका नहीं और भागना पड़ा, यह हमारे देश की नीति है, यह हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश के मूल सिद्धान्त हैं।

सभापति महोदय, आज हम अपने मूल सिद्धान्तों से हट गए हैं। हमारे देश का अपमान एक जगह नहीं, कई जगह हुआ है। अभी हमारे

देश में अमरीका के विदेश मंत्रालय में उप विदेश मंत्री श्री टालबोट आए। कहां हमारा विश्व ख्याति प्राप्त महान देश भारत और कहां अमरीका के विदेश मंत्रालय में एक छोटा सा उप मंत्री, लेकिन हमने देखा मंत्री लोग उसके आगे-पीछे घूम रहे हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने भी उनको मिलने का समय दे दिया। जब जसवन्त सिंह जी, अमरीका गए थे, तो अमरीका में भारतीय अखबारों में तो जसवन्त सिंह जी के बारे में चाहे जो छपवा लें, लेकिन अमरीका के अखबारों में उनके बारे में एक शब्द भी नहीं आया। हमने मालूम किया है। अमरीका में हमारे जसवन्त सिंह जी का कितना सम्मान हुआ, पत्रकारों ने, मीडिया ने उनको कितना महत्व दिया? जब हमारे देश में उनका डिप्टी मिनिस्टर आता है तो हमारे प्रधान मंत्री तक उसको लंच और डिनर देते हैं। मैंने टी॰वी॰ पर देखा जसवन्त सिंह जी उनके पीछे-पीछे भाग रहे थे। हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे देश का मान-सम्मान कहां पहुंच गया है और अगर हमारे देश का सम्मान गिराया है, तो इस सरकार की गलत विदेश नीति के कारण गिरा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तरदायी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश को अपमानित किया है।

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी तो समय है।...*(व्यवधान)* हमारा आधा समय तो टोका-टाकी में ही चला गया है। अगर यह टोका-टाकी न हो तो हम अपना भाषण जल्दी ही समाप्त कर देंगे। ...*(व्यवधान)* हमें पता है कि मेरे खड़े होने से उनको बहुत परेशानी होती है और वह परेशानी तो रहेगी ही।...*(व्यवधान)* भाजपा की पोल हम ही खोल सकते हैं क्योंकि आपातकाल में 19 महीने हमारे साथ आर॰एस॰एस॰ वाले भी थे। अगर हम जेल न गये होते तो हम इनकी पोल खोल ही न पाते।...*(व्यवधान)* इनमें ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इमरजैंसी के समय माफी मांग ली थी। जब मैंने कहा कि आपने माफी क्यों मांग ली, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरू ने कहा कि माफी मांगकर बाहर आओगे तो तुम अच्छा काम कर लोगे इसलिए माफी मांग ली। ...*(व्यवधान)* बहुतों ने माफी मांग ली। पता नहीं...*(व्यवधान)* वरना उनकी पोल खोल देते।...*(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : ज्यादातर सदस्य तो बी॰जे॰पी॰ के ही थे जबकि दूसरी पार्टी के मुश्किल से पांच-सात सदस्य ही थे। आप बढ़-चढ़कर बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी तो दस मिनट ही हुए हैं।

सभापति महोदय : पच्चीस मिनट हो चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपसे कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी में भाषण हो रहे थे जिससे लग रहा था अभी लंदन के लोग बोल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि लोक सभा लंदन में है। हमें ऐसा नहीं लगता कि यह भारत की लोक सभा है। हमें प्रधान मंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी। उनकी कविता संगमा जी ने सुनाई। अटल जी की कविता को हमने पढ़ा है। अटल जी अपनी कविता पढ़कर व्याख्या करें कि आज के संदर्भ में उनकी कविता कहां तक सही है, प्रासंगिक है। उन्होंने नई व्याख्या तो नहीं कर दी, यह भी पता चल जायेगा। आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि हमें याद नहीं था। यद्यपि मैंने यह लाइनें पढ़ीं हैं और उसे अंडरलाइन भी कर दिया है। अटल जी की किताब मेरे पास रखी है। अटल जी ने वह किताब पूरी पढ़ी होगी जो उन्होंने लिखी है। आप लोगों ने पढ़ी हो या न पढ़ी हो लेकिन मैंने अटल जी की पूरी किताब पढ़ी है।...*(व्यवधान)* हां,...*(व्यवधान)*

सभापति जी, कमीर के प्रश्न पर हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार के रहते आज कश्मीर का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। 50 साल से लेकर अभी तक यह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न नहीं बना था लेकिन अब बन गया है। यह सबसे बड़ी पराजय है हमारी विदेश नीति की, कूटनीति की। इससे बड़ी पराजय और क्या हो सकती है? आज विदेश नीति की विफलता के कारण, कूटनीति की विफलता के कारण कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान सफल रहा है। जब भी मुस्लिम सम्मेलन होते थे तो उन में पाकिस्तान को कोई भी समर्थन नहीं देता था। आप जानते हैं कि कश्मीर के सवाल पर मुस्लिम देश कभी भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं देते थे और मुस्लिम देशों के सम्मेलनों में भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिलता था। पाकिस्तान कहीं कश्मीर के सवाल को नहीं उठा सका। लेकिन आज नवाज शरीफ पूरे अरब कंट्रीज में जाकर कह रहे हैं कि हिन्दु विस्फोट हो गया है और अब हमें इस्लामी विस्फोट के लिए आप मदद करिये। आज पूरे अरब कंट्रीज जो भारत का साथ दे रहे थे, वे अब भारत से अलग हो रहे हैं। वहां अब भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की मदद के लिए धन इकट्ठा हो रहा है। इससे बड़ी पराजय और क्या हो सकती है?...*(व्यवधान)* आपके पास इसका कोई जवाब है? आपकी विदेश नीति के कारण भारत की इससे ज्यादा पराजय और क्या हो सकती है? हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आज हिन्दुस्तान चारों तरफ से घिर गया है। जैसे अंगूठी घिरी हुई है वैसे ही हिन्दुस्तान घिरा हुआ है। नेपाल भी हमारे साथ तैयार नहीं है, बर्मा भी तैयार नहीं है। मालद्वीप हमारे साथ हमेशा रहा लेकिन आज वह भी तैयार नहीं है। नेपाल हमारे साथ नहीं है, चीन हमारे साथ नहीं है और पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हो गया है। कोई भी देश हमारे साथ नहीं है। आज पूरे मित्र देश, पड़ौसी देश हमारे साथ नहीं हैं। पूरा हिन्दुस्तान अलग-थलग हो गया है।

सभापति जी, अब हमारा कोई दोस्त नहीं है और यह दोस्त बनाने के चक्कर में हम अमरीका के पीछे घूम रहे हैं। इसके लिए हम कोई

[श्री मुलायम सिंह यादव]

शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि आप अमरीका के पीछे मत घूमिये क्योंकि अमरीका ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया और न देगा। आप सावधान रहिये। अमरीका ने क्या काम किया, वह आपको याद होगा। अमरीका के राष्ट्रपति चीन गये और वहां जाकर उन्होंने चीन को पंच बना दिया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका की शांति की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं।

यह हमारी विदेश नीति की असफलता है। पचास साल से लगातार हमारी विदेश नीति की सफलता रही कि हमने पाकिस्तान और चीन को कभी एक नहीं होने दिया। लेकिन भारत की इस विफल विदेश नीति के कारण पाकिस्तान और चीन एक हो गए और दोनों को अमरीका का आशीर्वाद मिल गया। आप कहते हैं कि हम अलग-थलग नहीं पड़े, प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पर आकर कहा कि हम अलग-थलग नहीं पड़े। जरा बताइए, आज पाकिस्तान और चीन के बीच जो रिश्ते हैं, उसमें चीन कितना आपके साथ है, अमरीका कितना आपके साथ है? प्रधान मंत्री ने चीन व पाकिस्तान को लिखा आपने अमरीका को पत्र लिखा और आपके डिफैंस मिनिस्टर चीन को नम्बर एक का दुश्मन कहते थे लेकिन अब बकरी की तरह मिमियाने लगे कि चीन हमारा दोस्त है। चीन कहता है कैसी दोस्ती? वह प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी दिखा देगा कि आप यही दोस्ती करना चाहते हैं। आप किताब दिखा देते हैं कि मुलायम सिंह ने ऐसा कहा। यह सच है कि हमारी निगाह कमजोर पर नहीं जाती, जो मजबूत है, जबरदस्त है, जो लोगों का शोषण कर सकता है। रक्षा मंत्री रहते हुए उसकी तरफ हमारी निगाह गई और हमने काम किया। लेकिन हमने बड़बोलापन नहीं किया, शोर नहीं मचाया, शक्तिपीठ बनाने की बात नहीं की, मंदिर बनाने की बात नहीं की, चुपचाप काम किया। मैंने सबसे कहा कि हमारी नीति है कि जो मजबूत है, जिससे खतरा है, उसके बराबर हमें तैयारी करनी चाहिए। मैंने वह किया है। आप उसे दिखा रहे हैं। आपने किया-धरा कुछ नहीं। चीन एक नम्बर पर हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ?

1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई। उसके बाद 1965 और 1971 में दो युद्ध हुए और दोनों में भारत जीता पर चीन ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : आप क्या बोलते हैं।...*(व्यवधान)* आप कुछ भी बोल देते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : बड़बोलेपन और जल्दबाजी का यह नतीजा हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोस्त बन गए।...*(व्यवधान)* अब इन्हें कौन पढ़ाएगा इनको जितनी ट्रेनिंग दी जाती है उतना ही जानते हैं। इनको पता है कि चीन चुपचाप बैठा रहा और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई हुई। सबसे पहले अपने दोस्तों को विश्वास में लिया जाता है। इंदिरा जी ने रूस को विश्वास में लिया, उसके बाद बंगलादेश की लड़ाई हुई और बंगलादेश और पाकिस्तान को अलग कर दिया। सारी दुनिया में हिन्दुस्तान के खिलाफ कोई भी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह विदेश नीति है, इसे विदेश नीति कहते हैं। ...*(व्यवधान)*

क्या आज वह स्थिति है। भारत कभी चीन तथा पाकिस्तान दोनों देशों को एक साथ दुश्मन बनाकर अपनी नीति का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। अब कूटनीति और विदेश नीति में अफसरशाह है। पहले अटल जी जाते थे। जब अटल जी नेता, विरोधी दल थे तो नरसिंह राव जी अटल जी को विदेश भेजते थे। भारत के पक्ष को विश्व से समझने के लिए लोकनायक जयप्रकाश जी को भेजा गया। अब किसे भेजते हैं? अपने विभाग के नौकरशाह, अफसरशाह को भेजते हैं। अब केवल फाइल पर दस्तखत करने वाले लोग विदेश नीति, कूटनीति तय करेंगे। उनसे फाइल पर दस्तखत करवाइए। विदेश नीति, कूटनीति के लिए, आप अपने को याद कीजिए, नरसिंह राव जी आपको भेजते थे, उसी तरह समझदार राजनीतिज्ञ को भेजा जाता है। देश सर्वोपरि है, देश के मामले में हम सब एक हैं, देश की सत्ता के मामले में एक हैं, देश को मजबूत बनाने में एक हैं। यदि आप विपक्ष पर विश्वास करते, इधर से लेकर यदि दस लोगों को सारी दुनिया में भेज दिया जाता तो आज वातावरण दूसरा ही होता। लेकिन आपने विदेश नीति को पॉकेट में रखा, विदेश नीति भी पॉकेट में रखी जाएगी, ऐटम बम भी पॉकेट में है।...*(व्यवधान)* जिस पर आपको भरोसा होता, उसे भेज देते।...*(व्यवधान)* लालू जी को भेज देते, बढ़िया काम करके आते, सबको ठीक करके आते। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : भेजना क्या है। लड़ना तो हमको ही है, आप तो भागने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : लड़ना तो हम लोगों को ही है। वीरेन्द्र सिंह जी, युद्ध तो आप लड़ते हैं या हम लोग लड़ते हैं। वीरेन्द्र सिंह जी, सीमा पर थे लोग नहीं हैं, सीमा पर आज या तो आपके लोग हैं या हमारे लोग हैं। ये तो मजा ले रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव : प्रधान मंत्री जी को हमारी राय है कि अब भी समय है, समय रहते पड़ोसी देशों को भारत के दोस्त बनाइए। डा॰ लोहिया कहा करते थे कि किसी देश की अर्थनीति भुजा है और विदेश नीति मुट्ठी है। अगर हमारी बाजू मजबूत है तो मुट्ठी जोर से बंधी रहेगी। इसके लिए कुछ कर रहे हैं? संगमा साहब ने ठीक कहा कि पानी, बिजली, दवाई नहीं, आज प्याज नहीं, गरीब आदमी के लिए टमाटर नहीं, आलू नहीं, यह तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब आदमी को सब्जी चाहिए। उसके लिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज बाढ़ है, किसान हमारे देश के विकास की बुनियाद है। मा॰ लालू प्रसाद जी बाढ़ पर बोलते हैं, उस समय डैकोरम चलता ही नहीं है।

श्री लालू प्रसाद : आसमान में छेद हो रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : इतनी खराब हालत है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि पहले भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करिये। हमारी कितनी बड़ी असफलता हुई, आज दुनिया में तमाम मुल्क सुरक्षा परिषद् में सदस्य बनाने के लिए भारत का समर्थन करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज हिन्दुस्तान को सुरक्षा परिषद में सम्मिलित करने के लिए समर्थन हेतु कोई भी मजबूत देश, बड़ा देश तैयार नहीं है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने भारत को इस हालत में ला दिया था कि दुनियां के तमाम देश भारत को सुरक्षा परिषद् में स्थान देने हेतु तैयार होने लगे थे। यह अफसोस की बात है जब पोखरन विस्फोट हुआ उस समय प्रमुख राष्ट्रों में भारत का कोई राजदूत अथवा हाई कमिश्नर नहीं था। उस समय अमेरिका और इग्लैण्ड में कोई भारत के अधिकारिक राजदूत ही नहीं थे जो देश की नीतियों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं दो मिनट और लूंगा।

इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं तथा सावधान करना चाहते हैं और प्रधान मंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि भारत को कभी भी तीसरी ताकत की देखरेख में पाक के साथ बातचीत हेतु राजी नहीं होना चाहिए। इन्दिरा जी की शिमला में मि॰ भुट्टो के साथ आमने-सामने बातचीत हुई, उसी का पालन करना चाहिए। तीसरा पक्ष जब-जब बीच में हुआ, मध्यस्त जब-जब हुआ तो भारत को घाटा हुआ। आपको याद है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1964 के राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में इंग्लैंड गये और इग्लैंड का दबाव पड़ा और उन्होंने कच्छ तिऊ पर पंच निर्णय को स्वीकार कर लिया और उसे छोड़ दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, समाप्त किया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव : एक मिनट की बात है।

इसी तरह से 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी ताशकन्द गये तो हाजी पीर दर्रे को भी हमें देना पड़ा। रूस हमारा मित्र राष्ट्र था, उसके दबाव में आकर फील्ड मार्शल अयूब खान ने हमारे देश के सैनिकों के महान बलिदान से जीते हुए हाजी पीर दर्रे को हमने वापस कर दिया। यदि हाजी पीर दर्रे को हमने नहीं दिया होता तो शायद पाकिस्तान का काश्मीर में हस्तक्षेप इतना आसान नहीं होता और आज पाकिस्तान हमारे सामने इस तरह कड़ा रुख नहीं अपना पाता। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने मध्यस्थता में हाजी पीर दर्रा भी दिया और कच्छ तिऊ भी दिया, इसलिए हम आपको राय दे रहे हैं कि मध्यस्थता करेंगे तो भारत को नुकसान और पाकिस्तान को फायदा होगा। ...*(व्यवधान)* इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि तीसरी मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान हमेशा लाभ में रहा है। मुझे लगता है भारत पुनः मध्यस्थता के लिए उत्सुक हो रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार को इसके लिए चेताना चाहता हूं।

दूसरी बात कहकर हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं, संयुक्त मोर्चा की सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि चीन से हमारे रिश्ते सुधर रहे थे। हो सकता था कि समस्या का समाधान हो जाता। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधर रहे थे, लेकिन एक मिनट में सारे रिश्ते पर पानी फेर दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने पाक को राजी कर लिया था कि कश्मीर के सवाल को कोल्ड स्टोरेज में डालकर अन्य समस्याओं पर बात करें।

आज आप युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने मित्र देशों को विश्वास में ले लिया। वैसे मित्र तो आपके रहे नहीं, आपकी विदेश नीति के चलते शत्रु बढ़े हैं, मित्र घटे हैं। हम तो जानते हैं, आज विदेश नीति दो लोगों की पाकेट में है और सीमा पर जो गोलीबारी चल रही है, उसके चलते आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है, उसमें युद्ध की स्थिति पैदा मत कीजिए।

आज भी हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, बंगलादेश और हिन्दुस्तान का एक महासंघ बनाया जाए। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी राय में पाकिस्तान का बंटवारा गलत था, अप्राकृतिक था। जब भी दोनों देशों में तनाव होता है तो हमारे देश में वहां के बटे परिवारों का आना जाना बंद हो जाता है। भारत-पाकिस्तान के मध्य व्यापार, उद्योग, बिजली सभी चीजों का लेन-देन तो शुरू हो।

मैं सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे सिख भाइयों के भी वहां कई तीर्थ स्थान व गुरुद्वारे हैं, उनका भी वहां आना-जाना शुरू हो। सिख भाई गुरूद्वारों में जाएं, इसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी कर रही है। आपकी विदेश नीति के कारण देश का सम्मान गिरा है, मंहगाई बढ़ी है। भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से कमरतोड़ मंहगाई हो गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं प्रधान मंत्री द्वारा कोलम्बो में दक्षेस देशों की बैठक में सफलतापूर्वक भाग लेकर लौटने का स्वागत करती हूं। जब वे कोलम्बो में थे तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ थी। वे अब लौट आए हैं। हमने सुबह के समय उनका भाषण सुना था। उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं इस बारे में वास्तविक चिन्ता भी व्यक्त करना चाहूंगी।

श्री संगमा जी ने सवेरे एक बात यह कही थी कि आज के जमाने में आर्थिक शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने प्रासंगिक बात कही है। यदि ऐसा है तो मुझे नहीं मालूम कि उन्हें प्रधान मंत्री की कोलम्बो यात्रा से क्यों निराशा हुई है। हमारे प्रधान मंत्री जी वहां पर आर्थिक एजेन्डे के लिए ही गए थे। हमने कोलम्बो में उनकी आर्थिक रणनीति का सबूत देखा है। हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने 2000 से अधिक

[श्रीमती कृष्णा बोस]

वस्तुओं के मात्रापरक प्रतिबंध को हटा दिया है ताकि हमारे छोटे-छोटे पड़ोसी देश हमारे बाजार तक आसानी से पहुंच सकें। वहां पर उन्होंने मुक्त व्यापार की चर्चा की। हम यहां भी जानते हैं कि हमारा भी वहां पर खूब व्यापार चलेगा। इस सबके लिए श्री संगमा जी कम से कम प्रधान मंत्री की प्रशंसा के कम से कम एक दो शब्द तो बोल ही सकते थे।

इस सबके अलावा, आर्थिक पहल के साथ ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान को एजेन्डे में कुछ भी बात नहीं कहने दी। पाकिस्तान ऐजेन्डे में कुछ और बात ही कहना चाहता था लेकिन प्रधान मंत्री द्वारा की गई आर्थिक पहल के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए उसे उम्मीद थी कि विपक्ष प्रशंसा के कम से कम दो शब्द तो कहता कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने दक्षेस बैठक में आर्थिक मुद्दे उठाए।

महोदय, इतना सब कहने के बाद मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मत्रियों के बीच हुई बातचीत में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। मैं समझता हूं कि हमारी राजनयिक पहल का उद्देश्य यह था कि कोई अन्य राष्ट्र हमारी परमाणु नीति की निंदा न कर पाए। प्रधान मंत्री के एक तेजतर्रार दूत श्री जसवन्त सिंह जी आसियान के बैठक में शामिल होने के लिए मनीला गए हुए थे। मैं आसियान की बैठक में श्री जसवन्त सिंह जी की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देती हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लालू जी, कृपया इनको बोलने दीजिए।

श्री चिन्मयानंद स्वामी (मछलीशहर) : ये आपस में बात कर रहे हैं। जब एक सदस्य बोल रहा है तो क्यों ये बराबर बोलते रहते हैं। बैक बैंचर्स को सुना नहीं जाता और आगे बैठने वाले बराबर बोलते रहते हैं। यह ठीक तरीका नहीं है।

ये लोग सदन में लगातार बात करते हैं। सदन में गंभीरता का ध्यान नहीं रखते।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप शांत हो जाइए।...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानंद स्वामी : हम शांत क्यों हो जाएं? आप शांत हो जाइए।...*(व्यवधान)* आप चुप बैठेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। ...*(व्यवधान)* यह क्या तरीका है?

सभापति महोदय : आप फिर इसी तरह बात कर रहे हैं। इस तरह से बैठे-बैठे बोलना उचित नहीं है। सभी को सुनना चाहिए। किसी के बोलने में बाधा डालना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम लोग चुप बैठे हैं। आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : मुझ पर ध्यान देने के लिए मैं दोनों ओर से आपका धन्यवाद करती हूं। यदि आप कहें तो मैं पुनः अपनी बात पर आना चाहूंगी।

मैं आसियान की बैठक में श्री जसवन्त सिंह जी की भूमिका के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में यह कहा था कि :

> "भारत की निंदा करने के बारे में आसियान और एआरएफ तथा पी-5 और जी-8 के देशों के बीच में आम सहमति नहीं थी और यह हमारी परमाणु नीति की सफलता का प्रतीक है।"

श्री जसवन्त सिंह की बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि 'निंदा' (कंडेम) शब्द के स्थान पर 'खेद' (डिप्लोर) शब्द को रखना निश्चित ही राजनयिक सफलता है और जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि हमने एजेंडा में अन्य बातों को शामिल करने से रोका तथा इस प्रकार पाकिस्तान को मनमौजी एजेंडा बनाने से रोका।

मैं कहना चाहूंगी कि इस मामले में हमें और गहराई से विचार करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं। हमें बहुत सोच-समझकर कदम उठाना होगा।

हममें से अनेक सदस्यों को याद होगा कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी कोलम्बो में थे तो हमने चीन और अमरीका द्वारा की जा रही दादागिरी की इसी सभा में चर्चा की थी। परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि परमाणु अप्रसार संधि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं अब दावे के साथ कहती हूं कि हमने उनकी बात को नकारते हुए परमाणु परीक्षण किए। जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। हमारे सामने दूसरा मुख्य मुद्दा यह है कि अब हमें एशिया में परमाणु अस्त्रों की होड़ के संबंध में निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि परमाणु विकल्प के मुद्दे पर सभा में सदैव एक मत रहा है। लेकिन परमाणु अस्त्रों की होड़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बारे में आप सहमति नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस बारे में प्रधान मंत्री जी सभा को विश्वास में ले। आखिर प्रधान मंत्री क्या चाहते हैं? क्या वह यह चाहते हैं कि हम परमाणु हथियार तैनात कर दें और यह कहें कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। अथवा वह यह चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करें, एशियाई देश मिलकर बैठें और वे हमेशा एक-दूसरे पर परमाणु अस्त्रों से निशाना साधे न रहें?

इस संबंध में प्रधान मंत्री की ओर से यह आश्वासन चाहूंगी कि वह परमाणु हथियारों के खतरनाक और खर्चीले मार्ग पर चलने से पूर्व

अपनी राजनयिक पहल को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। हमें पोखरण को बिल्ली के रूप में देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए बल्कि सच्चाई का सामना करना चाहिए।

थोड़ी देर पहले किसी सदस्य ने किसी श्रीमती अंरुधती के बारे में चर्चा की थी। मैं किसी और अरुंधती के बारे में चर्चा करना चाहूंगी जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और उनका कहना है कि :

> "यदि परमाणु युद्ध हुआ तो हमारा शत्रु चीन अथवा अमरीका नहीं होगा बल्कि स्वयं पृथ्वी हमारी शत्रु होगी। पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर हमारे विरोध में उठ खड़े होंगे और तब यह युद्ध अत्यंत भयानक होगा।"

मैं समझती हूं कि दोनों ही पक्ष इस पर ध्यान देंगे और सावधानी बरतेंगे। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस सत्र के प्रथम दिन 'संयम तथा जिम्मेदारी' जैसे दो शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे विश्वास है कि हम उनके द्वारा कहे गए शब्दों को याद रखेंगे। जब राजस्थान में परमाणु परीक्षणों की गूंज हुई तो मैं पश्चिम बंगाल के अपने ग्रामीण संसदीय क्षेत्र के एक अत्यंत गरीब गांव में थी। मैंने जो कुछ भी घटित हुआ उस पर गर्व महसूस किया। मुझे अपने वैज्ञानिकों पर अत्यंत गर्व है। लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति में भी थी जहां मैं देख रहा थी कि मेरे आसपास मौजूद लोगों के पास पेयजल, बिजली अथवा प्राथमिक विद्यालयों जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमें 'जय विज्ञान' के नाम से एक अच्छा नारा दिया है। मैं इस नारे को वास्तविक रूप से यथार्थ होते देखना चाहती हूं। जब हम राजनीति तथा विज्ञान के बीच उपयोगी भागीदारी करेंगे जो इस भूमि पर हमारे भूख का उन्मूलन करेगी तब उस दिन प्रधान मंत्री जी द्वारा 'जय विज्ञान' का दिया गया नारा वास्तविक रूप से यथार्थ रूप लेगा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं।

मैं हमारे देश तथा पाकिस्तान, हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच विचार-विमर्श में आने वली अड़चनों से अवगत हूं। यह अड़चन क्या है? यह 'क' (के) अक्षर अर्थात् कश्मीर है। यह हरेक बार उठाया जाता है तथा हमारे लिए अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न करता है। मैं जानती हूं कि हमारा पड़ोसी देश अत्यधिक जिद्दी है। मैं जनती हूं कि हमारा पड़ोसी देश अत्यधिक अविवेकी है। लेकिन हमें बातचीत जारी रखनी होगी। हमें यह सोचना है कि हम अपने यहां क्या कर सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि हम कश्मीर में लम्बे समय से परेशानी में रह रहे लोगों को यह आश्वासन दें कि हम इस क्षेत्र के वैध अधिकारों का कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे तथा यदि अलग-थलग होने की कोई घटना होती है तो हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। हम अपने कठिन पड़ोसी के साथ बिना किसी विवाद में पड़कर कम से कम इतना कर सकते हैं क्योंकि हम यह जरूर याद रखें कि परमाणु शस्त्रों के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह आश्वासन किसी अन्य मंच पर दिया जाना चाहिए।

हजारों परमाणु हथियार पूर्व सोवियत संघ के विघटन को नहीं बचा सके। हमें यह याद है। अतः हम क्या कर सकते हैं? हमें यह कहना होगा कि हम अपने क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाओं की कभी अनदेखी नहीं करेंगे। हमारे पास वहां एक अच्छा केंन्द्र-राज्य संबंध संघीय ढांचा होना चाहिए, निर्णय की प्रक्रिया में सबसे छोटे राज्य की भी बात सुनी जानी चाहिए। हमें इन सबों को इस प्रकार से आश्वासन देना चाहिए।

मुझे ज्ञात हुआ है कि यहां किसी सदस्य ने यह कहा है कि श्री नवाज शरीफ ने कहा है कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच बातचीत पूर्णतया असफल रही है। आज के समाचार-पत्र में मैंने उनके द्वारा युद्ध संबंधी कही गई बातें पढ़ीं हैं। यह अत्यंत गैर-जिम्मेवाराना ढंग से कही गई बातें हैं। मैं यह सोच कर कांप उठती हूं कि अब इस प्रकार के गैर-जिम्मेवार लोगों के पास परमाणु शक्ति है। इसकी तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। हम जिम्मेवारी के बारे में बोल रहे हैं। हम संयम के बारे में बोल रहे हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

यदि बातचीत का नतीजा शून्य से भी हजार गुना अधिक निकले फिर भी हमें बातचीत जारी रखनी होगी। बातचीत जारी रहनी चाहिए। हमें बातचीत जारी रखनी होगी चाहे श्री शरीफ को कुछ भी कहना हो। मुझे हमारे प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास है कि वे राजनयिक प्रयासों को हमेशा प्रथम स्थान देंगे तथा किसी खतरनाक विवाद से दूर रहेंगे।

मैं अपने विपक्ष के सहयोगी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आंतरिक मामलों में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं किंतु जब हम विदेशी मामलों के बारे में बात कर रहे हैं तब हमेशा रचनात्मक आलोचना ही स्वागत योग्य है। लेकिन भारत-पाक मुद्दा अथवा परमाणु मुद्दा संबंधी संवेदनशील मुद्दों पर मैं प्रधान मंत्री का समर्थन करती हूं। यह उनसे एक अनुरोध है। मैं हमारे प्रधान मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे असंतुष्ट पड़ोसी देशों के साथ बातचीत जारी रखें तथा जब तक राजनयिक प्रयासों के मार्ग प्रशस्त हैं तब तक हथियारों का अंबार नहीं लगाएं। धन्यवाद।

श्री शिवराज वी॰ पाटील (लातूर) : महोदय, इस सभा में मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है कि हम हमारे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुर्भाग्यवश चर्चा नहीं कर पाये हैं। हम इसके लिए सत्तारूढ़ दल अथवा विपक्षी दलों अथवा पीठासीन अधिकारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए हम सभी दोषी हैं।

हमारे संविधान के सातवीं अनुसूचि में रक्षा तथा विदेशी मामले क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय विषय हैं किसी योजना में पूरे देश का

[श्री शिवराज वी॰ पाटील]

समावेश होता है तथा यह पांच वर्षों के लिए किया जाता है। भारत में गरीबी अनेक वर्षों से व्याप्त है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सहारे हम भविष्य की ओर जा सकते हैं। ग्रामीण विकास तथा बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्वश हम इन मुद्दों पर सभा में चर्चा नहीं कर पाये हैं। क्यों? शायद हमारे लिए इन मुद्दों पर चर्चा करने हेतु पर्याप्त समय नहीं है। मेरी समझ से हमें इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने हेतु और अधिक बैठकें करनी होंगी। शायद सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार शायद यह समझती है कि इसकी केवल आलोचना की जाती है तथा सकारात्मक सुझाव नहीं दिया जा सकता है। शायद हम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों तक ही अपना ध्यान दे रहे हैं तथा इससे अधिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुधार की गुंजाइश है तथा यह हमारी प्रणाली के लिए बेहतर होगा कि हम इस पर ध्यान दें तथा सभा में अपने आचरण में सुधार लायें और यहां इन मुद्दों के प्रति निपटने के हमारे तरीकों में संशोधन करें। दुर्भाग्यवश हमने विदेशी मामलों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया है। हमने सभा में विदेशी मामलों पर चर्चा नहीं की है। इस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा रही है। इसका आम सभाओं में भी उल्लेख नहीं किया जाता है। हम यह भूल कर रहे हैं तथा हमें इसे सुधारना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी मामलों पर चर्चा की जाए।

विश्व का दायरा सिमटता जा रहा है। विदेश संबंधी मामले अत्यधिक कठिन होते हैं, संभवतः ये कई मायनों में आंतरिक मामलों से अधिक कठिन होते हैं। यदि हम विदेशी मामलों पर ध्यान न दें तो हमें न सिर्फ विदेशी बल्कि आंतरिक मामलों में नुकसान पहुंचने की संभावना है।

अतः विदेशी मामलों पर यथोचित ध्यान दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस मामले को आज चर्चा के लिए उठाया गया है तथा अधिकांश वरिष्ठ सदस्यगण इस पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं।

विदेशी मामलों पर चर्चा करते हुए हम कभी-कभी यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विदेशी मामले सांस्कृतिक मामले तथा सामाजिक मामले महत्वपूर्ण हैं लेकिन आर्थिक मामले और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह जीवन का एक सच है तथा हमें इसे मानना होगा। हमारे जीवन में आर्थिक मामलों ने अपना अधिक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है तथा हमें आर्थिक मामलों पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम आर्थिक मामलों पर ध्यान नही देंगे तो हम गरीबी का उन्मूलन करने में सफल नहीं होंगे, हम सामाजिक सामंजस्य बहाल रखने जो देश की रक्षा हेतु आवश्यक है, में सफल नहीं होंगे, हमारे पास यथा आवश्यक रक्षा शक्ति नहीं होगी जो हमारे क्षेत्र तथा संप्रभुता की रक्षा करने हेतु आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ केवल अर्थशास्त्र नहीं है, जीवन केवल धन से संबंधित नहीं है और किसी देश के जीवन में निश्चितरूप से केवल अर्थशास्त्र और धन के ही पहलू नहीं हैं बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृति पहलू भी हैं। देश को युद्ध, शांति तथा आंतरिक प्रतिक्रियाओं संबंधी मामलों से निपटना होगा। यदि हम इन तथ्यों में ध्यान नहीं देने जा रहे हैं तो शायद हम भूल करने जा रहे हैं तथा वर्तमान विश्व जहां हम बाजार अर्थशास्त्र सामाजिक ढांचा तथा इससे संबंधित मुद्दों पर बात कर रहे हैं में यह आवश्क है कि हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें नुकसान होने की संभावना है।

अब आज, हमारे द्वारा वर्तमान राजनैतिक मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना थी तथा हमें कोलम्बो में दक्षेस सम्मेलन पर चर्चा करने हेतु कहा गया है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को आज की जा रही चर्चा के संकल्प का भाग बनाया गया है। सभा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा यहां ठीक ही कहा गया है कि यह कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र शांति सौहार्द की बात कर रहा है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है। इतिहास गवाह है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश रहा है और, भारत ऐसा देश बना रहेगा जो सभी जगह शांति और सद्भावना का समर्थन करेगा। हम युद्ध को टालने हेतु सभी सम्भव तथा आवश्यक कार्य करेंगे।

अब यह कहा जाता है कि वर्तमान में होने वाले युद्ध, युद्ध करके नहीं जीते जाते हैं किंतु इन्हें टाल कर जीते जाते हैं।, यहां कोई विजेता नहीं है सभी पराजित होते हैं। सरकारें पराजित हो जाती हैं, लोग पराजित हो जाते हैं। यह इतना विनाशकारी होता है कि वर्तमान में युद्ध से कोई विजेता नहीं बन सकता इसलिए हमें युद्ध टालना अनिवार्य है।

हमें निरस्त्रीकरण के सिद्धांतों का समर्थन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1988 में श्री राजीव गांधी द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुसार हम इन बातों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। हम गैर-परम्परागत और परम्परागत निरस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। निरस्त्रीकरण सीमित अवधि के भीतर, और निर्धारित समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए।

यह निरस्त्रीकरण न केवल परमाणु और महा विनाशकारी हथियारों का होना चाहिए बल्कि यह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी होना चाहिए। यह परम्परागत हथियारों से संबंधित भी होना चाहिए। यह किसी विशेष अवधि के भीतर होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि भारत यह देखने की कोशिश करेगा कि भारत उन सभी देशों के साथ प्रस्तावों का समर्थन करेगा जो भेदभाव पूर्ण न हों। यदि वे पक्षपातपूर्ण होंगे तो भारत अपना निर्णय स्वयं करेगा। लेकिन यदि वे पक्षपातपूर्ण नहीं हैं तो भारत निश्चित रूप से विश्व के उन सभी अन्य देशों के साथ रहेगा।

मेरा यह कहना कि दुर्भाग्यवश भारत के ऊपर पांच युद्ध थोपे गए थे। पांच, इसलिए कहता हूं क्योंकि कच्छ की खाड़ी युद्ध को भी मैं एक युद्ध के रूप में शामिल करता हूं और इसे पांचवां युद्ध मानता हूं। यदि युद्ध थोपे जाते हैं तो हम क्या करें? क्या यह सम्भव है कि हम युद्ध से भाग खड़े हों?

भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और फिर भी भारत को विगत में पराजित कर दिया गया था। लोग भारत इसलिए आए थे क्योंकि भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ और धनी था। यद्यपि भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत था, फिर भी भारत पराजित हो गया था और परतंत्र हो गया था। हमें भारत के इस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए यदि भारत पर युद्ध थोपा जाता है तो भारत को इसका मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि इसका सामना किया जाता है, तो भारत को इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बहुत नाजुक मुद्दा है जिसके बारे में हमें अपनी नीतियों को बनाते समय सावधान रहना होगा और सभी सम्भावनाओं जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। यदि भारत इन सम्भावनाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है तो भारत को अपनी सम्प्रभुता, भू-क्षेत्र और अपने हितों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत को इस मुद्दे पर बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाना होगा।

मैं उनमें से नहीं हूं जो आलोचना के कारण आलोचना करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस सम्माननीय सदन में अपने विचार बहुत ईमानदारी से व्यक्त करने चाहिए। यह ऐसी सभा नहीं है जहां हम एक दूसरे की मात्र आलोचना कर सकते हों और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। यह इन सबका स्थान नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां एक दूसरे द्वारा कुछ सकारात्मक बातें की जा सकती हैं और जो लाभकारी हो सकती हैं। मेरे लिए इस सरकार पर या उस सरकार पर दोषारोपण करना सम्भव नहीं है, इस सरकार ने या उस सरकार ने क्या किया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कतिपय विकास के लिए जिम्मेदार रही है और हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। हम इस बात से डर रहे हैं कि सरकार उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मन में आशंका है कि जो कदम उठाया गया है उसके लिए सरकार उन परिणामों का सामना करने की स्थिति में नहीं है जो उन्होंने जानबूझ कर उत्पन्न किए हैं कि वे भारत के हितों की रक्षा कर पाएंगे।

उदाहरण के लिए, आर्थिक मंच से संबंधित कठिनाइयों का मामला लेते हैं। हम इस प्रश्न को पूछते रहे हैं; आपने कदम उठाए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ कठिनाइयों का सामना करने जा रहे हैं। कृपया हमें यह बताइए कि आप इन कठिनाइयों से कैसे निपटेंगे। हमें बताया गया है कि भारत डरता नहीं है और हमें इन सब चीजों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। निश्चित से भारत को डरना नहीं चाहिए? निश्चित रूप से हम डरे नहीं हैं; निश्चितरूप से हम भारत को दी गई सहायता या मदद पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों अथवा सीमाओं के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन भारत को इस समय आर्थिक प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

क्या यह सच नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं? क्या यह सच नहीं है कि रुपए का अवमूल्यन हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन में कमी हुई है? इन कठिनाइयों से निपटने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं उनके प्रति हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहां से हम यह नहीं कहना चाहेंगे कि आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं के सम्बन्ध में हमें बताना होगा।

अब मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आता हूं। जब हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हों तो हम केवल एक देश का ध्यान नहीं रखें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक बड़े देश पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं इसलिए हम डर रहे हैं। यहां अनेक देश हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में समर्थन वापस ले लिया है। सम्भवतः कुछ समय पश्चात् वे अपना रवैया बदल सकते हैं और हमारी सहायता भी कर सकते हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे हमारी मदद करते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हानि हो रही है। कुछ समय के लिए विकसित देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, देने का विरोध कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इन चीजों को रक्षा प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, वे कह रहे थे कि आपको दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों को नहीं दिया जाएगा। पोखरन विस्फोट के बाद मैं समझता हूं कि एक देश से दूसरे देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर और प्रतिबंध नहीं लगेंगे। वे अन्य देशों से वैज्ञानिकों का निष्कासन कर रहे हैं।

इस मुद्दे पर इस सभा में अनेक बार चर्चा हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने वैज्ञानिकों को अन्य देशों में जाने की अनुमति देनी चाहिए अथवा क्या हमें उन्हें अन्य देशों में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? हमने कहा है कि हम अपने वैज्ञानिकों को अन्य देशों में, उस देश के लिए कार्य करने, उस देश के विकास में योगदान देने तथा उनसे कुछ सीखने के लिए जाने देना चाहते हैं। यदि ये वैज्ञानिक कुछ देशों से निष्कासित किए जाते हैं तो हम उनका वापस स्वागत करेंगे। इन वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशालाओं में लेने और उन्हें उनका स्थान देने की जिम्मेदारी सरकार और देश की होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। हमें उनका स्वागत करने का निर्णय लेना चाहिए। उन्हें हमारी प्रयोगशालाओं में कार्य करने का अवसर प्रदान करें हमने उन्हें अन्य देशों में जाने से नहीं रोका था यदि वे वापस आ रहे हैं तो हम उन्हें आने से मना भी नहीं करेंगे। इस मामले के संबंध में हमारी एक नीति होनी चाहिए।

[श्री शिवराज वी॰ पाटील]

जहां तक सी॰टी॰बी॰टी॰ का संबंध है लोगों के मन में कुछ आशंकाएं पैदा हो गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में बहुत सावधान रहना होगा। इस सभा ने यह संकल्प लिया है कि भारत सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। सरकार को सी॰टी॰बी॰टी॰ के संबंध में नीति बनाते समय इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए। यदि इस सभा और लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता है तो सम्भवतः सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं होगी कि हम विदेशी कार्यों के मामले में सहयोग नहीं कर रहे। यह जो बहुत नाजुक क्षेत्र है और जिसे बहुत सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए। हम कठिनाइयों को समझते हैं। लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी कि इस कठिन स्थिति को कुशलता से निपटना चाहिए।

मेरे मन में एक आशंका आतंकवाद के संबंध में है जिसे मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। आतंकवाद छद्म युद्ध है। जनरलों ने नीति बनाई है कि खुले युद्ध में हजारों और करोड़ों रुपए खर्च हाते है, अनेक जानें जाती हैं और देश युद्ध शुरू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमें खुले युद्ध पर धनराशि खर्च नहीं करनी चाहिए और हमें इस छद्म युद्ध पर धनराशि खर्च नहीं करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध के कारण हमें अनेक राज्यों में क्षति हो रही है जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षति हो रही है। पंजाब को इसके कारण सबसे अधिक क्षति हुई है। इसके कारण कुछ शहरों को भी क्षति पहुंची है मुझे डर है कि यह छद्म युद्ध कहीं भविष्य में बढ़ न जाए। यह इसलिए है क्यों कि वे खुला युद्ध शुरू नहीं करेंगे बल्कि वे आतंकवादी गतिविधियों का रास्ता अपनाएंगे और आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक खर्च करेंगे। यदि भारतीय अधिक ही भोले भाले होने के कारण खुद को इस कठिनाई के लिए तैयार नहीं करते तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हम भावी कठिनाई का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं?

मैं समझता हूं कि हमें अपने देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। और इसके साथ ही हमें इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पुलिस बल को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। यदि हम अपनी पुलिस का आवश्यक रूप से आधुनिकीकरण नहीं करते, उन्हें परिवहन और संचार सुविधा उपलब्ध नहीं कराते, उन्हें आसूचना सुविधा प्रदान नहीं करते, उन्हें वांछित प्रशिक्षण प्रदान नहीं करते तो अधिक संभावना इसी बात की है कि हमारे सुरक्षा बल सभी स्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे और हमें छोटे-मोटे युद्ध का सामना करना पड़ेगा।

मुझे आशंका है कि भारत को आगे आने वाले समय में दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हम युद्ध नहीं कर सकते और प्रार्थना करते हैं कि युद्ध न हो। परन्तु जब युद्ध छिड़ जाता है तो मैदान छोड़कर कोई नहीं भागता और इसका डट कर मुकाबला करता है। जितना भी हम कर सकते हैं करेंगे। परन्तु आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का सामना हमें बहुत सावधानी के साथ करना होगा।

मैंने प्रधान मंत्री द्वारा सार्क सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण भाषण को पढ़ा है, उस वक्तव्य में प्रधानमंत्री महोदय ने चार-पांच मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही है कि सार्क देशों को फ्री ट्रेड जोन की स्थापना करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने व्यापार के उदारीकरण के बारे में कहीं है, तीसरी बात उन्होंने सार्क देशों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने की कही, चौथी बात बैंकिंग, शिपिंग विमानन, बीमा और अन्य सेवाओं में व्यापार करने की कही; पांचवीं बात उन्होंने इन देशों के बीच पर्यटन के बारे में कही; छठी बात उन्होंने सामाजिक मुद्दों के बारे में कही और सातवीं बात उन्होंने ऊर्जा तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय ज्ञान के आदान-प्रदान के बारे में कही।

मेरे विचार से यह एक अच्छा पैकेज है। सार्क देशों के नेताओं ने खूब अच्छी तरह विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया है। अब हमें इन संकल्पों को लागू करना है ताकि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। सार्क इस समय जो भी कर रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है और यह आवश्यक है कि उन कठिनाइयों को दूर किया जाए।

हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान गलत भाषण का प्रयोग कर रहा है। फिर भी जैसा कि इस सभा में एक महिला सदस्य ने कहा था कि हमारे पास बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। हम पाकिस्तान के सुर में अपना सुर नहीं मिला सकते, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बम विस्फोट करने के बाद हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल न हों और पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की होड़ में शामिल न हों।

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तो वही बात हुई कि आपके पास कपड़ा है जिससे आपको जलती लकड़ी को ढंके रखना है और कपड़े को भी नहीं जलने देना है। हमें यह करना है कि ऐसा हो परन्तु अच्छे ढंग से हो।

अपराह्न 2.24 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

आइए अब हम अपने पड़ौसी देशों के संबंधों पर चर्चा करें। हम पड़ौसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन एक बड़ा देश है और हमें उसके साथ बड़ी सावधानी से बातचीत करना जरूरी है। पड़ौसी देशों के साथ मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर हो कि रक्षा मंत्री साधारण वक्तव्य देने से बाज आएं। रक्षा मंत्री का काम है काम करना और विदेश मंत्री का काम है बातचीत करना। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे आवश्यक वक्तव्यों से बचना चाहिए जो पड़ौसियों के साथ संबंधों में परेशानी पैदा करने वाले हों। हमें यह कहने से बचना चाहिए कि फलां

देश हमारा एक नंबर का शत्रु है और फलां देश दो नम्बर का शत्रु है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए।

जहां तक रूस, अमरीका, यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और निर्गुट देशों का सवाल है, तो इतिहास गवाह है कि विदेशी मामलों के संबंधों में नेहरू जी ने जो कहा वही किया। उसी तरह यह बात आज भी सच है और कल भी सच रहेगी। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और वे अच्छे ही रहने चाहिए।

परमाणु परीक्षण के पश्चात् अमरीका ने अनेक वक्तव्य दिए हैं और साथ ही अनेक देशों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अन्य देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के वक्त भारत ने भी वक्तव्य जारी किए थे। इसलिए हमें अमरीका के साथ इस ढंग से पेश आना चाहिए कि उसका असर हमारे संबंधों पर नहीं पड़े। अब यदि उन्हें हमारी नीति पसंद नहीं है तो न हो। हमें भी ऐसे देशों की नीतियां पसन्द नहीं है। दो प्रजातांत्रिक देशों के बीच कोई दुर्भावना नहीं रहनी चाहिए।

यूरोपीय देशों ने बहुत प्रतिरोध दर्शाया है। हमें चाहिए कि हम उन्हें और जानकारी दें। एशियाई देशों ने भी अपने-अपने वक्तव्यों में काफी नाराजगी व्यक्त की है। जापान ने भी अपने वक्तव्य में कई बातें कही हैं। उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि हमें जापानी सरकार के साथ जापानी जनता के साथ भी बातचीत करनी चाहिए।

गुट निरपेक्ष देश काफी समझदार हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान रूस से जो अच्छे संबंध बनाए थे, वे अब गुटनिरपेक्ष देशों के साथ सहायक सिद्ध हो रहे हैं। गुट निरपेक्ष देशों और निर्गुट आन्दोलन की अनदेखी करके भारत का भला होने वाला नहीं है। अब यह सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है कि निर्गुट आंदोलन निरर्थक हो गया है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि हमारी विदेश नीति का आर्थिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है परन्तु इसके साथ ही हमें गुट निरपेक्ष देशों के साथ संबंधों में इस सिद्धान्त को नहीं अपनाना चाहिए। गुट निरपेक्ष देश एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच है जहां पर ये देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग संबंधी बातचीत कर सकते थे। ये बातें आज भी सार्थक हैं। इसलिए यह आवश्यक है हमारे संबंध इन देशों के साथ मधुर हों।

विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मैं समझता हूं कि स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया है। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत को बेहतर संबंध कायम रखने के लिए राजनयिक प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम झुकते हैं तो हम छोटे हो जाएंगे और अगर फैलते हैं तो सुदृढ़ हो जाएंगे और काम के भी। यदि हम पूरे विश्व के बारे में सोचेंगे तो हमारा भला तो अपने आप ही हो जाएगा।

इसी प्रकार यदि हम भारत के बारे में सोचेंगे तो राज्यों का हित स्वतः ही हो जाएगा और यदि हम राज्यों का हित साचेंगे तो जनपदों का हित स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन यदि हम केवल जनपदों के हितों के बारे में सोचेंगे तो राज्यों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे और केवल राज्यों के बारे में साचेंगे तो राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे और यदि हम केवल विश्व को छोड़कर अपने ही देश के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए अपने हितों की रक्षा कर पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केन्द्र सरकार मुख्यतः रक्षा और विदेश मामलों के लिए उत्तरदायी होती है। यदि हम इन पर ध्यान नहीं देकर विदेश और रक्षा नीतियों संबंधी योजनाएं बनाते रहेंगे तो देश का नुकसान होगा।

जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री तथा विदेशी मंत्री थे तब मुझे कहा गया कि विदेशी मामलों पर एक-दो बार नहीं बल्कि तीन बार चर्चा की गई। मैं वहां बैठा हुआ था। एक बार जब विदेशी मामलों पर चर्चा हो रही थी तो एक सज्जन उठ खड़े हुए तथा कहा, "अब हमें विदेशी मामलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमें आर्थिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए।" विपक्ष में बैठे हुए एक सज्जन उठ खड़े हुए तथा उन्होंने कहा, "जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री थे तो क्या भारत आर्थिक रूप से आज से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उस समय भारत जो कुछ भी कहता था उसे अन्य देशों द्वारा अत्यधिक महत्व देकर सुना जाता था। आज इसकी विदेश संबंधी मामलों में बात को महत्व देकर क्यों नहीं सुना जाता है अतः केवल आर्थिक पहलू ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन विदेश नीति का यही एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मैंने विदेशी मामलों पर हमारे माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज वी॰ पाटील द्वारा दिए गए अत्यधिक रोचक भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों श्री पी॰ए॰ संगमा तथा श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए भाषण को भी ध्यानपूर्वक सुना।

हर कोई एक बात से सहमत है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। हर काई इस बात से सहमत है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है, शांति प्रिय राष्ट्र है तथा शांतिप्रिय राष्ट्र रहेगा। इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। हजारों वर्षों से भारत विश्व में शांतिप्रिय सह-अस्तित्व का प्रणेता, संदेशवाहक तथा अग्रणी देश रहा है। लेकिन अब विषय यह है कि क्या पोखरन में परमाणु विस्फोट किए जाने से हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की राह से भटक जायेंगे। मुख्य मुद्दा यही है।

विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा हमारी आलोचना की गई है। उन्होंने सरकार की आलोचना की है। श्री पी॰ए॰ संगमा तथा श्री मुलायम सिंह यादव हमारी आलोचना कर रहे थे। वामपंथी दलों के

[श्री खारबेल स्वाई]

माननीय सदस्यों द्वारा भी आलोचना की जा रही थी कि परमाणु विस्फोट किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहले हमें भोजन तथा कपड़े की आवश्यकता है। इस देश के लोग गरीब हैं। अतः उनकी देखभाल करने के बजाए हम परमाणु अस्त्र शस्त्रों की चिंता कर रहे हैं। इन मुद्दों का विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों तथा वामपंथी दलों के सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है।

जब वर्ष 1982 में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे तब भी इसी प्रकार की बातें कही गई थी। उस समय यह कहा जा रहा था, "हम गरीब हैं। हमें ये एशियाई खेल नहीं चाहिए। एशियाई खेलों पर इतना धन खर्च किया जा रहा है। इस धन से हम लोगों को पर्याप्त आवास तथा भोजन उपलब्ध करा सकते थे।" मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कोई देश जो गरीब है अथवा जो अपने कुछ लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता है, कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा अथवा एशियाई खेल आयोजित नहीं करेगा? क्या अमरीका अथवा ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों अथवा जापान अथवा अन्य सभी देशों को केवल इन सभी चीजों का आयोजन करने का अधिकार है? मेरे कहने का आशय है कि जिस देश में आत्म विश्वास आत्म बल नहीं है वह हीन भावना से ग्रस्त होता है। वह देश तरक्की नहीं कर सकता है तथा अन्य देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है।

श्री शिवराज पाटील को छोड़कर कांग्रेस दल के सभी सदस्यों द्वारा सरकार की आलोचना की गई है। वे यह पूछ रहे हैं कि सरकार ने ये परीक्षण क्यों किए?

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : इन बातों को नोट करने हेतु कोई मंत्री उपस्थित नहीं है।

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : मैं यहां उपस्थित हूं।

श्री भुवनेश्वर कालिता : माननीय सदस्य एक महत्वपूर्ण विषय पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और इन मुद्दों को नोट करने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : मैंने अपने अजीज दोस्त को इन मुद्दों को नोट करने का अनुरोध किया है। इस बीच मैं एक वरिष्ठ नेता के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहा था।

श्री खरबेला स्वाईं : इन परीक्षणों को लेकर हमारी आलोचना की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी तब भी सरकार ने पोखरन में परीक्षण किए थे। क्या इससे विश्व पर कोई प्रभाव पड़ा? बिना अस्त्र-शस्त्र तैयार किए परमाणु परीक्षण का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हालांकि वर्ष 1974 में एक परीक्षण किया गया फिर भी इसका विश्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां मैं अमरीका अथवा विश्व की महाशक्तियों की बात कर रहा हूं।

महाशक्तियों द्वारा भारत के प्रति क्या सोचा गया? श्री मुलायम सिंह जी ने कहा है कि इन दिनों अमरीकी समाचार पत्रों में भारत के विषय में कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है। मैं पूछ सकता हूं कि उनके द्वारा पूर्व में ही ऐसा कब किया गया है? मैं यहां तक कह सकता हूं कि पोखरन में परीक्षण किए जाने से पूर्व अमरीकी सरकार तथा अमरीकी लोगों द्वारा भारत को पूर्णतया एक असभ्य देश माना जाता था। अधिकांश अमरीकी लोगों द्वारा हमें 'रोड इंडियन्स' के रूप में जाना जाता था। जब अमरीकी लोग वहां की यात्रा पर गए कुछ भारतीय लोगों से मिलते थे तो उनके द्वारा यह पूछा जाता था कि वहां आने से पूर्व इन लोगों का पाला कितने सांपों अथवा हाथियों से पड़ा था। वे यह सोचते थे कि भारत शायद एक सभ्य देश नहीं है। अमरीकी समाचार पत्रों में वे हमारे प्रति एक शब्द भी नहीं लिखते थे। मैं आपको बताऊं कि पोखरन परीक्षण के बाद वहां हमारे बारे में चर्चा की जा रही है। अमरीकी समाचार पत्रों द्वारा हमारे बारे में हर तरह की अच्छी बुरी बातें लिखी जा रही हैं। वे शायद हमारे खिलाफ लिख रहे हों लेकिन वे लिख रहे हैं जरूर।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : क्या कहते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खरबेला स्वाईं : मुझे खुशी हो रही है कि श्री लालू प्रसाद जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया है। मैं लोक सभा का एक नया सदस्य हूं। जब एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा मुझ पर टिप्पणी की जा रही है तो मुझे इसका गर्व है कि वह मुझे एक नौसिखिया सदस्य नहीं मानते। माननीय नेता द्वारा मेरे द्वारा कही जा रही बातों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

मैं यह कह रहा था कि अब भारत के बारे में चर्चा की जाती है। हमारे द्वारा परीक्षण किए जाने के दो अथवा तीन दिनों के पश्चात् अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने कहा कि भारत की महान सभ्यता है। इसकी लगभग 10000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। उन्होंने ऐसा पोखरन परीक्षण के पूर्व कभी नहीं कहा। इससे पूर्व भारत एक गरीब देश था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अमरीका के लिए भारत एक महत्वहीन देश था। मैं यह सकता हूं कि इन परमाणु परीक्षणों से भारतीयों तथा भारत सरकार को आदर, सम्मान तथा आत्म विश्वास मिला है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब जबकि हमने परीक्षण कर लिए हैं तो चाहे माननीय सदस्य गण जो कुछ भी कहें फिर भी क्या यह संभव हो सकेगा कि भारत की पोखरन परीक्षण के पूर्व की स्थिति पर वापिस लाया जा सकता है? ये परीक्षण

किए जा चुके हैं। ये किसी दल के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में थे। एक स्वर से साथ देने के बजाए विपक्ष के सदस्यगण अब हमारी आलोचना कर रहे हैं। क्या इससे देश के प्रति उनकी रूचि का पता चलता है?

जब वे परीक्षणों की आलोचना कर रहे हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि वे देश भक्त हैं।

जब कालीदास भोजराज को पालकी में बैठाकर अपने कंधों पर ले जा रहे थे और उन्हें चलते समय कष्ट हो रहा था तो भोजराज ने उनसे पूछा 'कि बाधति' कालीदास ने उत्तर दिया 'स्कंध न बाधते राजन तब वाधति वाधते'। अतः आर्थिक प्रतिबंधों के लगाने से कष्ट नहीं हुआ है अपितु विपक्ष की हीन मानसिकता से काफी दुख पहुंचा है। उनके इस रवैये ने हमें यह कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ लड़ नहीं सकते हैं, यदि पैसा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे?

माननीय सदस्य अमरीका से निष्कासित किए गए भारतीय वैज्ञानिकों का जिकर कर रहे थे। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत के लिए यह शुभ संकेत है। मुझे याद है कि छठे दशक में "प्रतिभा पलायन" शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता था। लोग इस देश से इंजीनियरी, डाक्टरी आदि करने और डिग्रियां प्राप्त करने के बाद पैसा कमाने के लिए अमरीका जाते थे। मैं अब गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रतिभा पलायन से विपरीत कार्य हो रहा है कि वे लोग अब भारत वापस आ रहे हैं। हमारे अपने लोग वापस आएंगे वे भारत को समृद्ध बनाएंगे। हम यह कहेंगे कि हमारे लोग वहां गए थे और वे अमरीका में रह गए थे।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री असफल रहे हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय शिवराज पाटील ने अभी-अभी यह कहा है कि सरकार पोखरन विस्फोट की घटना के बाद के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप घटनाओं का क्रमवार अवलोकन करें, तो आप देखेंगे कि एशिया के देशों ने अमरीका जैसे पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत द्वारा किए परीक्षणों की भर्त्सना नहीं की है। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है? कोलम्बो में हुए दक्षेस सम्मेलन में, दक्षेस देशों द्वारा पाकिस्तान द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं किया गया भारत द्वारा इस संबंध में जो तर्क दिया गया उसे स्वीकार किया गया... *(व्यवधान)*। मैं जानता हूं कि इससे आपको कष्ट पहुंचेगा। जब मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो उन्हें कष्ट पहुंचेगा। वे कहते हैं "मिनिस्टर बन जाओगे।" वे जब भी यह कहेंगे कि 'मिनिस्टर बन जाओगे' मुझे बहुत खुशी होगी। हां, यदि मुझे मंत्री बना दिया जाता है तो मुझे खुशी होगी। मैं उनकी टिप्पणी का यही उत्तर दे सकता हूं।

हमें दक्षेस सम्मेलन में सफलता मिली लेकिन पाकिस्तान को असफलता ही हाथ लगी। पाकिस्तान भारत पर गोलाबारी कर रहा है क्योंकि वे दक्षेस सम्मेलन में सफल नहीं हो पाए। वे अमरीका जैसे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहानुभूति पाने के लिए भारतीय क्षेत्र में गोले बरसा रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका दिमाग कुण्ठित हो चुका है क्योंकि वे हमारी राजनयिक नीति से मात खा चुके हैं।

पूर्व में जब पोखरन-दो परीक्षणों के बाद आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गए थे, तब विपक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे थे अब जबकि प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? आप देश की रक्षा कैसे करेंगे? आदि। अमरीका और जापान जैसे देश यह कह रहे थे कि अभी और आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए।

क्या आप भी वही बात नहीं कह रहे हैं? अब आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने, आर्थिक प्रतिबन्धों को समाप्त करने और आर्थिक प्रतिबन्धों में कटौती करने की बातचीत चल रही है। अमरीकी सीनेट ने स्वयं ही अपने कानूनों में दोष तलाशने का प्रयास किया है और उन्होंने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर अगले एक वर्ष के लिए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने पर रोक लगाई है। वे यह काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या यह भारत सरकार की कूटनीति की सफलता है? क्या यह भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सफलता नहीं है? मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक शांतिमय परिवर्तन है, यह ढोल बजाए बिना भारतीय लोकतंत्र की जीत है। महोदय यह एक सफलता है। इन सब बातों से पता चलता है कि भारतीय लोकतंत्र सफल हुआ है।

अन्ततः मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हम इन्द्र, विष्णु, ब्रह्म और महेश्वर की पूजा करते हैं क्योंकि प्रत्येक के पास कोई न कोई बहुत विनाशकारी शस्त्र है। वे उसका उपयोग नहीं करेंगे । वे पशुपथ, त्रिशूल, सुदर्शन और चक्र धारी हैं। 36 करोड़ भगवान हैं। हम उनके नाम नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे असहाय हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। वे कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं। हम केवल शक्तिशाली देवताओं के बारे में जानते हैं। विश्व केवल उन्हीं देशों को नमन करता है जो शक्तिशाली हैं। विश्व उनका सम्मान करता है। देश का भावी आर्थिक विकास इस सम्मान और गौरव पर निर्भर करता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं।

पहले जो सरकार रहीं उनमें भी वही सदस्य थे और वही वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु उपकरणों का परीक्षण नहीं किया? क्योंकि उनकी कोई राजनैतिक मंशा नहीं थी, उनका कोई राजनैतिक संकल्प नहीं था। भारत के प्रधान मंत्री और भारत माता के सपूत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपनी राजनैतिक पराकाष्ठा के फलतः परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। वे 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व का एक समृद्ध, शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं।

[श्री खारबेल स्वाई]

मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें हमें 21वीं शताब्दी की ओर शान से ले जाने के लिए अपना कार्य जारी रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के सार्क सम्मेलन में जाने के पहले एक प्रश्न हमने यहां किया था कि पाकिस्तान से क्या कोई तारीख बातचीत के लिए हुई है तो प्रधान मंत्री जी और खुराना जी ने बड़ा जोर देकर उस दिन जवाब में बताया कि पाकिस्तान से बात करने की तारीख तय हो गई है। यह माननीय सदस्यों को याद होगा, सदन को पता है। भारत के कई अखबारों में, प्रमुख समाचार पत्रों में छपा था कि प्रधान मंत्री जी मि॰ नवाज शरीफ से बात करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, बड़ा अच्छा रैस्पोंस आ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति क्यों आई? ऐसी क्या स्थिति हो गई, ऐसे क्या हालात हो गये? इस शासन के पहले जितना काल गुजरा, हमारी आजादी के पचास साल गुजरे, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि लोग कभी इतने ज्यादा उत्सुक हुए हों।

प्रधान मंत्री जी वहां गए। भारत के प्रमुख समाचार-पत्रों में फोटो छपी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ और हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल जी की फोटो छपी। दोनों के हाथ में बोतल थी ...*(व्यवधान)* बोतल का मतलब अंग्रेजी जानने वाले लोग गलत समझ लेते हैं। हम हिन्दी वाले हैं, बोतल दूध की भी होती है और पानी की भी होती है। उन दोनों के हाथ में पानी की, मिनरल वाटर था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह भी 15 रुपये की आती है।

श्री लालू प्रसाद : हमारे देश में पानी भी 15 रुपये लिटर मिलता है। हमें आशा थी कि प्रधान मंत्री जी जब वापस आएंगे तो निश्चितरूप से दोनों में जो बातचीत हुई है, उसका ब्यौरा देंगे। सार्क सम्मेलन में कई राष्ट्र जुटे थे। भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश और कुछ छोटे-छोटे राष्ट्र थे। अगर आप प्रधान मंत्री जी का आज का वक्तव्य देखें तो उसमें कुछ खास नहीं है। केवल आफिशियल्स द्वारा जो रुटीन वर्क होता है, उसी का ब्यौरा इसमें है। हमें उनके वक्तव्य में कोई ठोस चीज नहीं मिली, बल्कि ऐसा लगा कि वे कुछ गंवा कर ही आए हैं और कोई बात आगे नहीं बढ़ी। एक रटी-रटाई बात जो हमारे पदाधिकारियों ने उसमें लिख दी, जैसे बिजनेस के क्षेत्र में उदारवादी नीति का फायदा उठाया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, यहां से सामान वहां जाए, ये सारी बातें ही वहां हुई। इसी रुटीन वर्क को उन्होंने यहां पढ़ दिया। अटल जी के जो सहयोगी हैं और उनके सहयोगी दलों के जो सदस्य हैं, वे कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ गया यह इनके चलते हुआ। न्यूक्लियर टैस्ट हुआ, हमें समय देखना चाहिए था कि यही समय उसके लिए क्यों चुना गया। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और देश में भी चारों तरफ डिबेट हो रही है। परसों मैं जमशेदपुर गया था। वहां टेलीग्राफ के लोग और कई अन्य जाने-माने पत्रकार भी जुटे थे। वे हमसे पूछ रहे थे कि इस टैस्ट के बाद राष्ट्र ने क्या खोया और क्या पाया। हम लोगों ने अपने विचार वहां रखे। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि आज भारत की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। हमने किनको लक्ष्य बनाया था, न्यूक्लियर टैस्ट के पीछे हमारी मंशा क्या थी। क्या हमने अमेरिका को लक्ष्य बनाया था या सम्पन्न राष्ट्रों को लक्ष्य बनाया था? उस परिप्रेक्ष्य में जो यह न्यूक्लियर टैस्ट हुआ, उसका असर और प्रभाव कहां तक जाता है। जब प्रधान मंत्री जी ने टैस्ट के बाद विपक्ष के नेताओं और वैज्ञानिकों को अपने निवास पर बुलाया तो वहां वे डैमोंस्ट्रेशन करा रहे थे। हमने डा॰ कलाम जी से कहा था कि यह जो टैस्ट हुआ, दुनिया के सम्पन्न देश जिनका अगुवा अमेरिका है, उसने न जाने ऐसे कितने टैस्ट किए हैं और वह छोटे-छोटे राष्ट्रों को कह रहा है, भारत को भी कह रहा है कि सी॰टी॰बी॰टी॰ पर दस्तखत करो। भारत ऐसा नहीं कर रहा था। दुनिया को पता था, दुनिया के लोगों को पता था कि आणविक क्षेत्र में भारत के पास न्यूक्लियर डिवाइसेज हैं।

लेकिन हमने अपनी पोल, हमने अपनी रणनीति सरकार बनते-बनते खोल दी। दुनिया एलर्ट हो गई और हम कन्फाइन हो गए। हम सीमित हो गए। डा॰ कलाम से पूछा कि आप बताएं कि यदि न्यूक्लियर टेस्ट से लड़ाई हुई तो हम भारत के लोग अमरीका से लड़ने में क्या इस टेस्ट से सक्षम होंगे? यदि हैं तो अपने वैज्ञानिकों को बुला लीजिए। उनकी क्षमता को समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि आप पैसा लाइए, साधन दीजिए तो हम निश्चित रूप से इस अमरीका तक पहुंचने के बारे में भी विचार करेंगे। दुनिया में जो बड़े राष्ट्र हैं, दुनिया का जो कॉमर्शियल सेंटर है, जिनके हाथ में दौलत हैं, वे छोटे-छोटे राष्ट्रों को तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, यह उनकी नीति रही है और हम अपनी कूटनीति में विफल रहे हैं। आपकी विफलता, भारतीय जनता पार्टी और आर॰एस॰एस॰ का कट्टरपंथ, कम्युनल करेक्टर में जाकर हम पाकिस्तान की सरहदों से सिमट गए हैं।

जब हमने टेस्ट किया, अमरीका का बयान आता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। अमरीका से पाकिस्तान टीम जा रही है कि हम उनको मना कर देंगे कि तुम मत फोड़ना। आपको याद होगा, सारी दुनिया का ध्यान केन्द्रित कर दिया गया। पाकिस्तान भर से हिन्दुस्तान अमरीका की टीम गई। अमरीका ने कहा कि मैंने तो इनको मना किया है, तुम जवाब मत देना। जो अखबारों में बातें चली, वही मैं जानता हूं। उसने भी चार ठोंके। पाकिस्तान ने भी छः न्यूक्लियर ब्लास्ट किए तो हमारा ध्यान लड़ाई पर केन्द्रित हो गया। आपकी नीति और आपकी गंदी कूटनीति ने, आपके कट्टरपंथ ने, आपके कम्युनल करेक्टर ने भारत और पाकिस्तान को एक जगह लाकर फेंक दिया।

मुलायम सिंह यादव जी के एक बार फुफकारने से, ललकारने से पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती थी। यह जरूर था कि सीमा पर पहले वह उपद्रव करता था लेकिन बाद में पाकिस्तान को डिफेंस में जाना पड़ता था परंतु आज हालत है कि आज कैसी-कैसी बातें पाकिस्तान आपकी वजह से कर रहा है। आप अगर खुश हैं, आनन्दित हैं, दुनिया में अगर आपका गौरव बढ़ा है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। चीन के मामले में सोवियत रूस जब था तो सोवियत रूस छोटे-छोटे राष्ट्रों को अमरीका के डोमिनेशन के ख़िलाफ खड़ा करता था। आज सोवियत रूस बिखर गया है। अमरीका का मुकाबला जापान कर सकता था लेकिन जापान में आज चीन का राज चल रहा है। चारों तरफ स्थिति यह हो गई है कि जब प्रधान मंत्री जी बाहर गए तो उन्होंने सीधे श्री नवाज शरीफ से कहा कि कश्मीर की पहले बात करिए।

अपराह्न 3.00 बजे

जम्मू कश्मीर की बात करिए। दुनिया को मालूम है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंग है। यह कहने का मतलब है कि पाकिस्तान भारत से बात नहीं करना चाहता है। चीन को किसने नाराज किया? चीन को नाराज किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने। गैर जिम्मेदारी का बयान दिया कि चीन अव्वल नम्बर का दुश्मन है। इस बयान पर जब चीन ने रियैक्ट किया, तो आपके विदेश विभाग के प्रवक्ता कहते हैं कि यह भारत सरकार का चीन के प्रति रियैक्शन नहीं है। यह सरकार की हालत है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है और कोई इस तरह का बयान देता है, कोई संयम नहीं है। यह देश हमारा है, देश के सर्वहारा लोगों का है। चाहे बिहार रैजीमेंट हो या राजपूत रेजीमैंट हो या कुमाऊं रैजीमेंट हो या गोरखा रैजीमेंट हो या मद्रास रैजीमेंट हो या सिक्ख रैजीमेंट हो-यह देश इन बहादुर लोगों का है। हमारी पंचशील की नीति...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : खुराना जी का नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : यह देश खुराना जी का नहीं है। खुराना साहब, जिस दिन दिल्ली में बम गिरेगा, तो वे अस्पताल में नजर आयेंगे ...*(व्यवधान)* खेत-खलिहानों और चौक-चराहों पर देश की बहादुर जनता नजर आएगी, लेकिन जब सर्वहारा की बात करते हैं, तो कहते हैं कि विदेश नीति पर बोलो। हमारी बहन बैठी हैं, वे बतायें कि आप की वजह से हम लोगों को क्यों अपमानित किया जा रहा है? अमरीका में टैक्नोलॉजी के नाम पर, कम्प्यूटर के मामले में साइन्टिस्ट्स की क्रीम को चुन-चुनकर ले जाया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि अब हमारे साइन्टिस्ट को वहां से भगाया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है? उनसे कहा जा रहा है कि अमुक तारीख तक अमरीका छोड़ दो। क्या यह बात आपके गौरव की है। यह बापू का अहिंसा पर आधारित देश है। अहिंसा हमारा अमोघ अस्त्र है। अहिंसा के रास्ते से दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत को पराजित किया जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि आपका दोष भी नहीं है। आप आरएसएस के लोगों को गंठा पहनाकर ट्रेनिंग देते हैं। कांग्रेस का तैयार किया हुआ और वैज्ञानिकों का तैयार किया हुआ न्यूक्लियर बम, स्वदेशी छोड़कर आप न्यूक्लियर टैस्ट पर चले गए। ...*(व्यवधान)* लंगड़ी विलार घर में ही शिकार...*(व्यवधान)* यह माला थैला रखा रह जाएगा। रजाई ओढ़ कर घर में ही रह जाओगे और चलेंगे हम, इस बात को समझ लेना। प्रधान मंत्री जी सदन में नहीं हैं, सुन रहे होंगे, खेत और खलिहानों में, देश के अन्दर चारों तरफ सद्भावना कायम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कम्युनल हार्मनी, भूख और प्यास-क्या आपका घर ठीक है? आपने बम तो फोड़ दिया और डिवाइस की बात करते हैं। भारत के अन्दर जगह-जगह न्यायालय की मनाही के बावजूद क्या मंदिर डिवाइस अलग-अलग नहीं बन रहा है? क्या देश में हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख-ईसाई, जो परिवार हैं, वे इन्टैक्ट हैं, असुरक्षा की भावना उनके मन में नहीं है। आपके लाखों अर्द्ध सैनिक बल जम्मू-कश्मीर में लगे हुए हैं।

जो हमारे सैनिक हैं, आर्मी है, सरहदों पर लड़ने वाली आर्मी आज देश के अंदर किसी वजह से है। भारत को दूसरों से मुकाबला करने से पहले अपने घर को अंदर से ठीक रखना पड़ेगा। घर फूटे, ग्वार लूटे। पड़ोसी नाराज हैं और आप देश को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिका क खिलाफ न्यूक्लियर टेस्ट कहां था, यह बंदर घुड़की है पाकिस्तान की भारत के खिलाफ। मुलायम सिंह जी ने नवाज शरीफ के बारे में ठीक कहा कि वहां गरीबी, भूख, प्यास है और भारत में भी गरीबी, भूख और प्यास है। राम राज कौन लाएगा, कौन गरीबी मिटाएगा? आपने कहा कि हमने बम फोड़ दिया-"बोलो बम और तोलो कम।" देश में बड़े-बड़े होरडर्स और ट्रेडर्स सारा सामान जमा कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आप अखबार में पढ़िए, अगर अखबार ने गलत लिखा है तो इनके खिलाफ प्रिविलेज दीजिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, हमें आपसे बड़ी आशाएं हैं। इसमें 50 आदमियों के सीमा पर मरने की खबर है।...*(व्यवधान)* स्वदेशी पर हम क्या बोलें। अभी मुलायम सिंह जी ने कहा है "देसी मुर्गी, विलायती बोल", "देखो यह कुदरत का खेल, खा गया राशन, पी गया तेल।" स्वदेशी, गांधी बाबा का ठेहुना धोती, हाथ में डंडा, क्या गांधी जी को कमीज का, कोट का शौक नहीं था। "वह है भारत, वह है स्वदेशी, चलो गांव की ओर।" आप गरीबी का कैसे मुकाबले करेंगे, जमीनें सूखी पड़ी हैं। बीजेपी के पापाचार से वर्षा नहीं होती, कुदरत भी साथ नहीं देती। पता नहीं कैसे-कैसे लोग उधर बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* अगर राजा पापी होगा तो बाढ़ आ जाएगी।

श्री तपन सिकदर : बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ का पैसा कहां चला गया?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप हमें टोका-टाकी करते हैं। मुलायम सिंह जी और हमने तय किया कि हम वहां नहीं जाएंगे और आपको सलाह

[श्री लालू प्रसाद]

देते हैं कि आप बैठिए, ऐसे मंत्री नहीं बनते। आप ही जैसे लोगों के लिए रहीम जी ने कहा—

"रहिमन चुप भर बैठिए, देख दिनन के खेल,
जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी है देर।"

श्री तपन सिकदर : मैं भी आपको भोजपुरी में बताता हूं—"सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।"...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, सरकार की यही नीति थी, दुनियां में जिन कमजोर राष्ट्रों पर अन्याय होगा, हमारी नीति थी कि वहां भारत अकेले खड़ा हो जाएगा। हम अन्याय और जुल्म को नहीं सहेंगे, लेकिन आज अंगूठी की तरह बर्मा में विदेशी सैनिक लगे हुए हैं। हम पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, बंग्लादेश और पूरे चीन से घिरे हुए हैं। हमने जार्ज साहब का फोटो देखा—टोपी लगा कर बर्फ में खड़े हैं, पीछे आर्मी वाले हैं, जहां शंकर जी मानसरोवर में हैं उनको वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, वह डर के मारे वहां जा नहीं सके।

देश का रक्षा मंत्री कहां जा रहा है, बिहार में क्या बोलकर आता है, चुनाव के लिए तैयार रहिये, समता पार्टी की सरकार बनेगी। समता रमता ही रह जाएगी, सरकार नहीं बनेगी। इसलिए आप सभी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, देश की एकता के लिए, देश में भाईचारे के लिए सबको साथ लीजिए क्योंकि अगर देश पर किसी तरह का हमला होगा तो हम सभी को इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए अपने मन से कट्टरपन को खत्म कीजिए, फंडामैंटिलिस्ट लोगों के बहकावे में मत आइये और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। स्वर्गीय शास्त्री जी ने नारा दिया था "जय जवान, जय किसान" लेकिन आप क्या कह रहे हैं। "जय श्रीराम, राम-राम"। इसलिए हम तमाम ग्वाल-बाल, आदिवासी, गरीब आदमियों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं "जय श्रीकृष्ण, जय भगवती और जय देवी दुर्गा।" उनके लौरिक स्वरूप को लेकर हम देश को बचाएंगे, साधू-बाबा लोग नहीं बचाएंगे।

यह सरकार हर मोर्चे पर बिल्कुल विफल रही है और न्यू-क्लीयर विस्फोट के बाद राष्ट्र को इनकी नीतियों के कारण बड़ा भारी नुकसान हुआ है, इसका खामियाजा आने वाले समाज को उठाना पड़ेगा। ये तो महीना, दस दिन में जाने वाले हैं, जिस दिन इन्द्रजीत बाबू तैयार हो जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री सी॰ श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर दिया। भारत मात्र एक देश नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भिन्नता में एकता ही भारत की ताकत है। जब विश्व के दूसरे देश हथियारों का प्रयोग करने में लगे थे, तब भारत ही अकेला देश था जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अहिंसा और शांति का संदेश दिया। इस वर्ष हमने परमाणु परीक्षण किए हमारे इरादे नेक हैं। हमने अपने परमाणु परीक्षणों को बुद्ध की मुस्कान' के साथ सम्बद्ध किया है। बुद्ध ने संसार का परित्याग किया, लेकिन बुद्ध ने विवेक का परित्याग नहीं किया। हम कोई परमाणु शक्ति नहीं हैं, हम परमाणु संत हैं। परमाणु शस्त्रों का प्रयोग तभी किया जाएगा जब संत को परेशान किया जाएगा।

अपराह्न 3.14 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

इस मौके पर, मैं इस महान सफलता के लिए अपने प्रधान मंत्री और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं। अब अमरीका ने हम पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए हैं। अमरीका ने भी हमारे कुछ वैज्ञानिकों को निष्कासित किया है। उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को अमरीका का वीजा देने से मना कर दिया है। इन घटनाओं के साथ, मैं महसूस करता हूं कि स्वराज का नया दौर शुरू हो गया है और पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का युग समाप्त हो गया है।

महोदय, जहां तक कश्मीर के मामले का संबंध है, इसे केवल द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि हम विश्व को यह विश्वास दिला पाए हैं कि कश्मीर का मामला एक द्विपक्षीय मामला है जिसे शिमला समझौते के दायरे के भीतर ही हल किया जा सकता है। दक्षेस सम्मेलन के मंच ने भी पाकिस्तान को इसे बहुपक्षीय मामला बनाने के लिए डांट लगाई है।

इस संबंध में, मैं रूस के साथ अपने लम्बे समय के संबंधों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। रूस अभी भी कश्मीर के मामले में हमारे पक्ष का समर्थन करता है। रूस तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थल पर 1000 मेगावाट क्षमता वाले दो परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की सहायता देने के लिए भी तैयार हो गया है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार रूस के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करे।

महोदय, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि श्रीलंकाई नौसेना एवं लिट्टे द्वारा तमिलनाडु के मछुआरे खुले समुद्र में भारी संख्या में मारे जा रहे हैं श्रीलंका सरकार 1974 के कटचाभीवु समझौते का उल्लंघन कर रही है। इस समझौते के तहत हमारे मछुआरों के मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार सुरक्षित है। चूंकि इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है, हमारे नेता, डा॰ पुराची भलाइवी ने कटचाभीवु को वापस लेने का आह्वान किया है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार के साथ जोर-शोर से उठाना चाहिए था।

जहां तक लिट्टे का सवाल है, तमिलनाडु में उनकी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। पूरे तमिलनाडु में बम विस्फोटों के पीछे न केवल आई॰एस॰आई॰ बल्कि इस आतंकवादी गुट का भी हाथ है। आंतरिक शांति का हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों पर बहुत असर पड़ता है। अतः तमिलनाडु में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जोरदार शब्दों में राष्ट्रहित में डी॰एम॰के॰ सरकार को बरखास्त करने की अपील करता हूं। जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् श्री राजीव गांधी की हत्या की सच्चाई जानने के लिए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री पद से हट जाएं या उनकी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर तमिलनाडु के मछुआरों को बचाने की अपील करता हूं। यह मेरा नम्र निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा है कि इस सदन में विदेशी मामलों एवं विदेश नीति पर बहस किए हुए हमें काफी समय हो चुका है। आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। हालांकि उपस्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री की आरंभिक टिप्पणियों को मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है।

मैं जानता हूं कि वह अधिकांश ध्यान कोलंबो सम्मेलन पर केन्द्रित करना चाहते थे। चूंकि विदेशी मामलों पर बहस न केवल काफी समय पश्चात् हो रही है अपितु बहुत नाजुक नई स्थिति उत्पन्न होने के बाद हो रही है। मैं उनसे देश की परमाणु नीति अब क्या होगी इस पर कुछ सुनने की उम्मीद कर रहा था हमने परमाणु क्षमता के युग में प्रवेश कर लिया है। अब हम अनौपचारिक रूप से उन देशों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह हमारे लिए एक नई उपलब्धि है। मैं प्रधान मंत्री से सरकार की भावी परमाणु नीति के बारे में जानना चाहता हूं। मगर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि हमारा किसी पर भी आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं कि भारत वह देश नहीं है जो दूसरों पर आक्रमण करता रहता है और तो और हम परमाणु शस्त्रों से आक्रमण नहीं कर सकते। इन हथियारों से बड़े पैमाने पर तबाही मचती है। इन हथियारों को आप किसी के विरूद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकते और पड़ोसी देश के खिलाफ तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जवाबी कार्यवाई होकर रहेगी। मुझे बड़ी मुश्किल से यह विश्वास होता लगता है कि जब पोखरण परीक्षण किया गया तो हमारी सरकार और विशेषतः हमारे वैज्ञानिक इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि पाकिस्तान ने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। क्या ऐसी बात पर विश्वास करना संभव है? हम अपने वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं नहीं मानता कि यह संभव है जब पोखरण परीक्षण किए गए तो उन्हें यह पता नहीं था और उन्होंने सरकार को चेतावनी नहीं दी कि पाकिस्तान द्वारा भी ऐसा किये जाने की संभावना है। दो सप्ताह के भीतर ही उन्होंने अपने परमाणु परीक्षण किए। सरकार कह सकती है कि उसे इससे आश्चर्य नहीं हुआ। मगर मैं समझता हूं कि सरकार को आश्चर्य हुआ अगर उन्हें ऐसी उम्मीद थी तो पोखरण परीक्षण के समय देश को कोई संकेत दिया गया होता। भारत द्वारा हासिल इस महान क्षमता पर ध्यान देने के बजाय हमें यह पहले ही समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान द्वारा भी ऐसा किए जाने की संभावना है और उन्होंने ऐसा ही किया। अब स्थिति क्या है? एक तरह से मैं यह महसूस करता हूं कि भारत-पाकिस्तान के बीच एक अन्य युद्ध—हमने पहले ही चार या पांच युद्ध किए हैं—की संभावना पहले से अब कुछ कम है। क्योंकि, इन परीक्षणों से पूर्व युद्ध टैंकों, बंदूकों, हवाई जहाजों आदि पारंपरिक हथियारों से लड़े गए थे। वास्तव में किस संबंध में भारत, पाकिस्तान से आगे है। इसमें कोई शक नहीं है। यह भी एक कारण है कि पाकिस्तान सदैव विश्व को यह बताने का प्रयास करता रहा है कि भारत उससे काफी शक्तिशाली है और वह पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है, अतः अमरीका और चीन आदि को उसकी मदद करनी चाहिए। मगर पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने के पश्चात् या गैर-पारंपरिक हथियारों के मामले में कुछ हद तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के बाद दोनों ही देश अमुमन बराबरी पर हैं, क्योंकि वे इन हथियारों को एक दूसरे के विरूद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। न पाकिस्तान भारत पर और न ही भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है। ये व्यापक विनाश के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिरोशिमा के पश्चात् समस्त विश्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। हां इन्हें (युद्ध) रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या वे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या वे युद्ध न होने देने के लिए इसे रखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर वे इसका इस्तेमाल हमले के लिए नहीं करना चाहते हैं। मुझे इसका यकीन है। इससे छद्म युद्ध को नहीं रोका जा सकता।

मैं श्री शिवराज पाटील से सहमत हूं कि इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान के इशारे पर जो छद्म युद्ध—हमारी सीमाओं पर छोटे स्तर पर और विशेषकर जम्मू-कश्मीर में और भी तेजी से चल रहा है। इस कारण हमें सावधान रहना होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि हमारी परमाणु नीति क्या होगी। इस बारे में हमें कुछ बताया जाना चाहिए। यह भारत की संसद है और परमाणु परीक्षणों के बाद हम पहली बार विदेशी मामलों पर बहस कर रहे हैं। अतः इस देश की परमाणु नीति क्या होगी?

जहां तक सी॰टी॰बी॰टी॰ का सवाल है, समय-समय पर विभिन्न लोगों द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है कि यदि इसमें कुछ संशोधन किया गया तो हम सी॰टी॰बी॰टी॰ पर या इसके कुछ प्रावधानों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मगर इन प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे क्या हैं। ये संशोधन कौन से हैं जिन पर हम इच्छुक हैं? जहां तक

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मुझे पता है, श्री जसवन्त सिंह जो विश्व भर का दौरा कर रहे हैं और अमेरिकी अधिकारियों से भेंट कर शायद इसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हमें कभी यह नहीं बताया कि सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर करने से पहले हम अमेरिका से किन मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मेरे विचार से हमें इसके बारे में बताया जाना चाहिए। जहां तक हमारा संबंध है, हम आम आदमी हैं और जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर कर भी देते हैं तो शायद अमरीका सी॰टी॰बी॰टी॰ से संबद्ध कुछ अति संवेदनशील प्रौद्योगिकी देने का इच्छुक नहीं हो। यदि हम सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल होनी चाहिए जिसे सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों को आपस में आदान प्रदान करना चाहिए। मुझे नहीं पता, शायद इस कारण संधि रूकी हुई है। मुझे और कोई शर्त सी॰टी॰बी॰टी॰ में भेद-भाव पूर्ण नजर नहीं आती। यदि कोई है तो मैं इस बारे में जानना चाहूंगा।

जहां तक अप्रसार संधि का सवाल है यह साफ तौर पर भेद-भावपूर्ण है। जहां तक सी॰टी॰बी॰टी॰ का सवाल है मुझे नहीं पता इसका कोई प्रावधान किसी देश या देशों के विरूद्ध भेदभावपूर्ण है। मैं अमरीका वासियों को जानता हूं, वे उस प्रौद्योगिकी को जिसे भारत हासिल करना चाहेगा भारत को नहीं देना चाहेंगे। शायद पर्दे के पीछे वर्तमान में जो बातचीत और सौदेबाजी चल रही है वह इससे संबंधित हो। यदि इस संबंध में सरकार हमें कुछ बताती है तो मैं इस बात के लिए आभारी हूंगा।

उसके बाद, महोदय, श्री वाजपेयी द्वारा दिए गए वक्तव्य में एक जगह उन्होंने कहा है, "मैंने अन्य नेताओं के साथ हुई बातचीत के अवसर का लाभ हाल के परमाणु परीक्षणों के बारे में उत्पन्न भ्रान्तियों को दूर करने में उठाया।" उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भ्रान्तियां क्यों उत्पन्न हुईं, वे भ्रांतियां क्या थीं और वे देश कौन से हैं जिन्हें हमारे परीक्षणों को लेकर भ्रांतियां हैं। हमें बताया जाना चाहिए कि वे भ्रान्तियां क्या हैं? हमारे प्रधान मंत्री ने उन भ्रान्तियों को कैसे और क्या आश्वासन देकर दूर किया? मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा क्योंकि इस वक्तव्य में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है, "सार्क बैठक में पाकिस्तान का नजरिया, उन्हीं के शब्दों में, औरों से अलग संकीर्ण था।" पाकिस्तान हमेशा ऐसे करता है। वे लोग हर चर्चा को संकीर्ण बनाकर कश्मीर के एकल मुद्दे तक सीमित करना चाहते हैं और स्वाभाविक है कि हमने उसका ठीक ही विरोध किया। सार्क संगठन की यह भी प्रथा है कि यह ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं करेगा जो सदस्य देशों के बीच विवाद के विषय हैं और, इसीलिए, पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अतः अघोषित युद्ध तो जारी रहेगा ही।

श्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि परिणाम शून्य रहा है और बातचीत में समय की बर्बादी ही हुई है क्योंकि उनके दृष्टिकोण में जब तक कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत नहीं होती है और कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बातचीत करना समय की बर्बादी है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस प्रश्न का उल्लेख हो रहा है, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "अब हम कैसे अनुमान लगाएं? हमने जो परमाणु परीक्षण किए हैं उनके प्रभावों का जायजा हम कैसे लेने जा रहे हैं?"

इस सदन में कई माननीय सदस्य हमेशा बात करते हैं कि अब हम कितने मजबूत हो गए हैं शक्तिशाली हो गए हैं, वगैरा-वगैरा। मैं समझता हूं कि यही ठीक है। हमें यह आकलन करना चाहिए कि क्या इन पोखरण परीक्षणों के बाद भारत पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और पाकिस्तान कमजोर हो गया है। इसका पता कैसे लगाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं। जिस तरह से वे सीमापर गत कुछ दिनों से हरकत कर रहे हैं, बेवजह गोलाबारी कर रहे हैं और रोज गोले छोड़ रहे हैं और पहले की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा कर रहे हैं, निर्दोष सिविलियन लोगों तथा हमारी सुरक्षा दलों और सेना के सदस्यों को मार रहे हैं उसे देखते हुए हमारे सेना प्रमुख को वहां स्वयं जाना पड़ा था। वह अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ अब वहां डटे हैं और वहां चल रही पाकिस्तानी गोलाबारी का मुकाबला करने के लिए उपायों पर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे हमारे इस हथियार से डर गए हैं। हां, यह जरूर हुआ है कि हमारे हथियार की वजह से उन्होंने स्वयं अपना हथियार तैयार कर लिया है। वे मानते हैं कि भारत इस मामले में उनसे श्रेष्ठ नहीं है। जब केवल पारम्परिक हथियारों की बात थी तो भारत दस गुना, संभवतः सौ गुना ज्यादा ताकतवर था। समयाभाव के कारण मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं। यदि आप हमारे टैंकों, जहाजों, तोपखानों और अन्य हथियारों की तुलना पाकिस्तान के पास मौजूद इन्हीं तरह के हथियारों से करते हैं तो हम उनसे 20 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन यदि इन हथियारों की तुलना को छोड़ दें, क्योंकि इससे कोई खास फायदा नहीं है, तो हम दोनों परमाणु युग में प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान का अघोषित युद्ध जारी है और वह इस तरह से हरकत कर रहा है जिससे नहीं लगता कि वह डर गया है और अब उसे लड़ाई रास नहीं आ रही अथवा वह पहले से कम लड़ाकू हो गया है।

अतः मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि जब वे भारत को मिली इस तथाकथित अतिरिक्त शक्ति को लेकर इतने जोशखरोस में दिख रहे हैं तो वे इसका प्राक्कलन अथवा मूल्यांकन किस तरह से कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि :—

> "प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी बातचीत के दौरान मैंने इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद को भड़काना और समर्थन देना मित्रता और शांतिपूर्ण संबंधों

हेतु हमारी स्वयं की इच्छा के विरूद्ध है और यह कि इस तरह की गतिविधियां शीघ्र रुकनी ही चाहिए।"

प्रधान मंत्री ने नवाज शरीफ को ये बातें बताई। लेकिन एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिससे पता चलता हो कि हमारे प्रधान मंत्री की इस मांग पर श्री नवाज शरीफ की क्या प्रतिक्रिया थी। मैं तो यही मानता हूं कि श्री नवाज शरीफ की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। या तो उन्हें हमारे प्रधान मंत्री की बातों का खंडन करके कहना चाहिए था कि उनका आंतकवाद को भड़काने और समर्थन देने से कोई लेना देना नहीं है अथवा वह कह सकते थे कि "मैं कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं हूं।"

लेकिन मैं केवल इतना कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में जो कुछ उन्होंने श्री नवाज शरीफ को कहा उसे छोड़कर कुछ भी नहीं है।

विश्व की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव आया है। उसका उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और निश्चित तौर पर यह सत्य है। इससे भारत को क्या लाभ प्राप्त होगा? क्या भारत को विश्व आर्थिक परिवर्तन से कोई लाभ हो रहा है अथवा कुछ अन्य देश अपेक्षाकृत अल्प विकसित देशों की कीमत पर लाभ कमा रहे हैं? भारत के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कमजोर राष्ट्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का भारत का एक लम्बा इतिहास और परम्परा रही है। हम कमजोर राष्ट्रों के हमेशा चैम्पियन रहे हैं। श्री लालू प्रसाद ने भी इसका उल्लेख किया है। परम्परागत रूप से, हमें कमजोर राष्ट्रों, निर्गुट और तीसरी दुनियां के देशों के चैम्पियन के रूप में देखा जाता रहा है।

अब, विश्व की इस नई आर्थिक स्थिति में, निःसंदेह कुछ ऐसी शक्तियां जो आर्थिक और वित्तीय तौर पर काफी मजबूत हैं और जिनके अपने देशों में बहुराष्ट्रीय निगम हैं, इस नई विश्व आर्थिक स्थिति का प्रयोग अल्प विकसित और कमजोर राष्ट्रों को धमकी देने और एक तरह से मजबूर करने, दबाव डालने और डराने के लिए कर रहे हैं। इन कमजोर देशों का इसके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। इस समस्या की तुलना में अब भारत की भूमिका क्या है? मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति क्लिंटन को हम अपनी विश्वसनीयता दिखाने के लिए इतने चिंतित हैं कि परीक्षण के फौरन बाद हमारे प्रधान मंत्री जी जाते है और उन्हें एक पत्र लिखते हैं जिसकी जरूरत, मैं समझता हूं कि नहीं थी। प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति क्लिंटन को पुनः यह आश्वासन देने की क्या आवश्यकता थी कि जो कुछ हमने किया है वह चीन की वजह से किया है और यदि चीन से कोई खतरा नहीं होता तो हमने ये परीक्षण नहीं किए होते। यह कहना तो घुमावफिराव वाली बात है और माफी मांगने जैसा है कि "जी हां, हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाय? आखिरकार, चीन हमें धमकियां दे रहा है।" उसके कुछेक सप्ताह बाद ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति क्लिंटन चीन की यात्रा करते हैं और वहां लोगों के साथ कितने मैत्रीभाव से मिलते हैं तथा उन्हें जहां तक आर्थिक, वाणिज्य और इसी तरह की चीजों का संबंध है, अनेक तरह की रियायतें देते हैं। हमने हमेशा यही सोचा कि भारत एक ऐसा बड़ा बाजार है कि अमरीकी और अन्य पश्चिमी शक्तियां हमें अप्रसन्न नहीं करेंगी क्योंकि वे हमारे बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। यह तो अभी भी सच है लेकिन चीन हमसे बड़ा बाजार है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन की ओर भाग रही हैं। उनका वहां स्वागत हो रहा है। उन्होंने स्वयं को वहां स्थापित कर लिया है। उनको प्राप्त होने वाला लाभ बढ़ता जा रहा है। अतः मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान केवल परमाणु विस्फोटों को करके किया जा सकता है। हमें अपनी उस भूमिका को नहीं त्यागना चाहिए जिसका अनुसरण हमने निरन्तर रूप से उस समय से किया है जब हमने निर्गुट और शांति का रास्ता अख्तियार किया था। मैं नहीं जानता कि अब हम स्वयं को निर्गुट देश कह सकते हैं। लेकिन, कुछ भी हो, चूंकि अब हम एक परमाणु संपन्न देश हैं अतः हम और बुलन्द आवाज में बोलने की स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि अब हम हमारी ओर उम्मीद लगाए अल्प विकसित देशों के अधिकारों के लिए ज्यादा जोरदार ढंग से बोलते हैं। हमें अब उन्हें एकजुट करना चाहिए ताकि विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों के दबावों का हम प्रतिरोध कर सकें।

अंत में, महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। इससे कोई फायदा नहीं है। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता जिनके बारे में लोग पहले ही बोल चुके हैं। प्रधान मंत्री ने शिखर बैठक में भाग लेने के साथ-साथ अन्य नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों का जिक्र किया है। जब मुख्य शिखर बैठक चल रही थी तो उन्होंने मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ द्विपक्षीय बैठकें की थीं। यह अच्छी बात है। लेकिन सूचनार्थ, मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या, उदाहरणार्थ, भूटान के प्रतिनिधि के साथ जब उन्होंने पृथक द्वीपक्षीय बैठक की थी तो क्या उन्होंने इस मसले पर चर्चा की थी—जैसाकि बताया गया है और मैं समझता हूं कि यह सच भी है—कि भूटान के अन्दर 'उल्फा' की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। भूटान एक संप्रभु देश है। यह एक स्वतंत्र देश है। सब को पता है कि यह हमारा पड़ोसी मित्र है। भारत सरकार निश्चित तौर पर जानती है कि जब हम सरकार में थे उसी समय हमारे सम्मुख यह प्रश्न मौजूद था कि "आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? भारत भूटान में इन "उल्फा" कैम्पों को नष्ट करने के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? उल्फा उग्रवादी जो असम के पड़ोसी राज्यों से होते हुए भूटान जाते हैं, सभी तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं भूटान नरेश स्वयं इस संबंध में बहुत चिंतित थे।" हमें ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान और अड्डा बन गया है जहां से वे असम में सभी तरह की हिंसा और अत्याचार फैला रहे हैं। वे सीमा पार भूटान चले जाते हैं। क्या इस मामले पर भूटान नरेश के साथ चर्चा की भी गई थी? मैं इसके बारे

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

में नहीं जानता हूं। अतः इसके बारे में जानना चाहूंगा। यदि उन्होंने इस मामले पर चर्चा नहीं की है तो यह एक अलग बात है। परन्तु यह एक ऐसी बात है जो हमारी सुरक्षा के साथ अत्यधिक निकट रूप से जुड़ी हुई है।

दूसरी बात यह है कि बंग्लादेश के बारे में मैं मानता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने श्रीमती शेख हसीना के साथ भी विश्वासपूर्वक द्विपक्षीय वार्ता की है। मुझे उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं है। उन्होंने सरकारी स्तर पर और प्रधानमंत्री स्तर पर हमें कुछ समय पहले यह आश्वासन दिया था कि वे यह नहीं चाहेंगी कि बंग्लादेश का भारत की इन उग्रवादी समूहों में से किसी के द्वारा उपयोग किया जाए और इनकी शरणास्थली बने तथा बंग्लादेश को आधार मानकर वहां से भारत विरोधी कार्यवाही की जाए। सीमा को पार करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। वे हमेशा ही यही करते आ रहे हैं। परन्तु बाद में हमें कुछ चौंकाने वाली रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि किसी एक अथवा अन्य कारण से बंग्लादेश के प्राधिकारी इन लोगों को रोकने और इन गतिविधियों पर नियंत्रण पाने अथवा इन शिविरों को बंद करने को सुनिश्चित करने के मामले में अत्यधिक सफल नहीं रहे हैं। उनके प्रशासकीय ढांचे और इसी प्रकार से अन्य मामले में थोड़ी कमी है। इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? उल्फा के सुविख्यात नेता श्री अनूप चेतिया ने बंग्लादेश में शरण ली है। हमारी सरकार इसकी तलाश में है। दुर्भाग्यवश, बंगलादेश के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। किंतु हम अनूप चेतिया जैसे व्यक्ति को वापस लाना चाहते हैं ताकि हम उसके नेतृत्व में हुई हिंसा और अपराध के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। मुझे इस मामले में अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है। कुछ कारणों से बंग्लादेश सरकार के द्वारा इस व्यक्ति का भारत सरकार को सौंपना संभव नहीं हो पाया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले पर चर्चा हुई थी अथवा नहीं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे बंग्लादेश से होते हुए भारत की सीमा पर उग्रवादी संगठनों को हथियारों की तस्करी को वास्तव में रोकने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि इन द्विपक्षीय बैठकों में, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति के बारे में हमने सार्थक चर्चा की है। सहयोग का यह क्षेत्र भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वे भूटान नरेश और बंग्लादेश की श्रीमती शेख हसीना के समक्ष इस मुद्दे को रखे होंगे। यदि हां, तो इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा और इसके संबंध में अब हम क्या करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर चर्चा करने से पहले देश की संस्कृति, हमारे पूर्वजजन, पैगम्बर, गुरुओं और पीरों ने जो कहा, जब हम उस पर चलने की बात सोचते हैं तो हमें अहिंसा का सिद्धान्त मिलता है। हमारे देश की यह संस्कृति रही है कि यहां जब्र का मुकाबला सब्र से किया गया। गुरू तेगबहादुर साहब की शहादत जब्र का मुकाबला सब्र से करने के लिए हुई थी। उससे पहले गुरु अर्जुन देव ने जो शहादत दी—तत्ते तवे पर बैठाकर उन पर तत्ता रेता डलवाया गया—वह भी जब्र का मुकाबला सब्र से करने की बात थी। शायद यही सिद्धान्त महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जी ने अपनाया और हमारे देश में पंचशील का सिद्धान्त प्रचलित हुआ।

1962 में जब चीन का अटैक हुआ, उस समय हमें अहसास हुआ—दुनिया मानती है जोरों को, लानत है कमजोरों को। कमजोर लोगों को मित्रता भी नहीं करने देते। हमें यह सिद्धांत भी इस धरती के गुरुओं ने दिया कि जब सारे उपाय फेल हो जाएं तो हथियार उठाना चाहिए। क्योंकर आज "हलाहल से दर्दहस्त हलालात, वर्दहस्त शमशीरदस्त" की बात कही गई, इसलिए कही गई कि हमें मजबूत होना होगा। आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, साथ ही अपना सम्मान कायम करने के लिए, आजादी कायम करने के लिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी हमें जरूर सोचना चाहिए। इसलिए जो उपाय किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वे देश के हित में हैं।

जहां तक पड़ौसी देश हैं, उनके साथ दोस्ती की बात है, मैं समझता हूं कि दोस्ती होनी चाहिए और दोस्ती ही हमारे जैसे देश के लिए अच्छी हो सकती है। हमारे देश के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी। कुछ बातें हुई, पड़ौसी मुल्कों के साथ, चीन की बात भी हुई, यहां चर्चा में बात आई कि चीन के बारे में बयान दे दिया, इससे दुश्मनी बढ़ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीन के साथ पहले दोस्ती थी? यहां माननीय मुलायम सिंह जी बैठे होंगे, मैं उनका बहुत सत्कार करता हूं, वे किसानों की बात करते रहते हैं।

बंगलादेश की उस समय की पॉलिसी, उस समय के प्रधान मंत्री के सिरे चढ़ गई। मैं समझता हूं कि बंगलादेश के बनने से भारत को क्या मिला? हमने एक और दुश्मन खड़ा कर लिया और जो आज पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं 50 वर्षों में जो कुछ हुआ, उसका नतीजा है। क्या इन चार महीनों में पाकिस्तान दुश्मन बना लिया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने? चीन के साथ क्या चार महीनों में दुश्मनी खड़ी हो गई। 50 वर्षों से जो नीति अपनाई गई, यह उसका नतीजा है कि पड़ौसी मुल्क लाइन में खड़े हुए हैं। श्रीलंका में हमने पैसा भी दिया और अपनी फौज भी मरवाई। बंगलादेश में फौज भी भेजी। अगर किसी के घर में हम आग लगाएंगे तो अपने घर भी अगले आग लगा सकते हैं, यह सोचने की बात है कि हमने अपने घर को पहले मजबूत करना होगा, तब दुश्मन से लड़ना होगा। हमें घर को मजबूत करना होगा, यह सच्चाई है कि कोई चोर, कोई डाकू किसी घर में नहीं घुस सकता, न चोरी कर सकता है, न डाकू डाका मार सकता है, जब तक घर का कोई सदस्य उसके साथ न मिला हो या कोई पड़ौसी उसको इन्फोर्मेशन नहीं देता हो। हमें यह भी सोचना

होगा कि जो पड़ौसी मुल्क हैं या विदेशी दुश्मन लोग हैं। हमारे देश में आई॰एस॰आई॰ की कार्रवाई क्यों असफल हुई, क्यों कर रहे हैं। उसके लिए देश के लोगों की जो अशान्ति थी, उसको किसी ने नहीं सुना। पंजाब की भी समस्या थी, असम की समस्या भी थी, बोड़ोलैंड की समस्या भी है, नागालैंड की समस्या भी है, ये समस्याएं किसने पैदा कीं। ये समस्याएं पैदा होने के कारण ही दुश्मन को मौका मिला।

मैं समझता हूं कि आज जैसे ही राजनीति में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का नतीजा है कि जो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जैसे पंजाब में हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही थी और हमारे धार्मिक स्थानों पर फौज के हमले हुए तो यह सब कुछ आज थोड़ी सी आशा बंधी है, हमें इस बात का विश्वास हुआ है कि हम इस देश के नागरिक हैं और देश के लिए हमने जो कुर्बानियां कीं, आज की सरकार उसका मूल्य पा रही है। जब देश के लोगों का विश्वास बढ़ेगा, देश के लोग देश की सरकार के साथ होंगे तो दुश्मन का मुकाबला भी कर पाएंगे, इसलिए मैं पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के पक्ष में हूं। मगर मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि हमें अपनी ताकत को, हमें अपनी मजबूती को और बढ़ाना होगा।

जो न्यूक्लियर टैस्ट हुए, उससे हमारी शक्ति बढ़ी है, उससे चीन से दुश्मनी कैसे बढ़ गई? क्या अमेरिका पहले हमारे साथ था? अमेरिका तो पहले ही चीन को भी उठा रहा था, पाकिस्तान को भी उठा रहा था। आज उनको पता तो चल गया कि हम भी दुनिया में कुछ हैं। अपनी आइडैण्टिटी दिखाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए अगर हमने कोई प्रदर्शन किया है तो उससे हमारा बल बढ़ा है और दुश्मन को महसूस हुआ है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज की जो सरकार है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्राइममिनिस्टरशिप के अन्दर, उसने सार्क में जाकर अपने देश की स्थिति को स्पष्ट किया और अच्छे ढंग से रखा। मैं समझता हूं कि दुनिया कह रही थी कि पता नहीं भारत अलग-थलग पड़ जायेगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वहां बोला और वहां अपनी पॉलिसी को रखा और अपनी बात को मनवाया। मैं समझता हूं कि सरकार और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूं। और इनको धन्यवाद भी देता हूं।

मैं फिर इस बात को कहता हूं कि जब लड़ाई होती है, उस समय सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को पड़ना पड़ता है, आप सब को पता है। नुकसान सबसे ज्यादा हमको उठाना पड़ता है। इसी बात को मैं बार-बार दोहराना चाहता हूं कि विदेश नीति में मैक्सीमम, जितना भी हो सके, पड़ौसी मुल्कों के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए।

उनके साथ सम्बन्ध अच्छे रखने चाहिए और जो बार्डर एरिया के राज्य हैं, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। उनकी जो मांगें हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। अभी इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि हथियारों को यहां आने से रोकने के लिए सीमा पर तार लगाई गई है। तार लगाने से हमारी बहुत सी जमीन उस पार, पाकिस्तान में चली गई है। वहां के लोग हमारी फसलें काट लेते हैं, ट्यूबवैल ले जाते हैं, इससे हमें बहुत नुक्सान होता है और इसे कोई देखने वाला नहीं है। वहां जाने के लिए चार-चार गेट हैं, लेकिन दो ही खोले जाते हैं, समय भी सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक का है, लेकिन सुबह दस बजे गेट खोलकर दोपहर दो बजे ही बंद कर देते हैं। जब तक लोगों में विश्वास नहीं होगा, वे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए विदेश नीति के साथ-साथ घर की नीति भी मजबूत बनाने की जरूरत है। मैं प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा वक्तव्य दिया।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : अध्यक्ष महोदय, पोखरण-दो के बाद भारत की विदेश नीति को सम्भालने के बारे में वाद-विवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है विशेषरूप से ऐसी स्थिति में जब हमारे प्रधान मंत्री कोलम्बो गए और द्विपक्षीय कूटनीति स्थापित करने का प्रयास किए तथा उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से वार्ता करने की कोशिश की। हम उनके वक्तव्य के साथ-साथ विदेश नीति को लागू करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम विशेषकर भाजपा सरकार के बनने के बाद गत ढाई माह की गतिविधियों के बारे में अत्यधिक गम्भीर रूप से चिंतित हैं। मैं बिना अधिक समय लिए अपनी बात अत्यंत संक्षेप में रखूंगा।

भारत की विदेश नीति के बारे में गत पचास वर्षों से बनायी गई सर्वसम्मति आज बिखर गई है। हमारे हितैषी देश और समग्र विश्व के देश हथियारों की होड़ पुनः शुरू करने के लिए हमारी निंदा कर रहे हैं। सार्क पड़ोसी देश भी चिंतित हैं क्योंकि यदि परमाणु युद्ध होगा तो सर्वप्रथम उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी भर्त्सना की जा रही है। पी-5 सम्मेलन के विदेशमंत्रियों ने हमारी निंदा की है और जी-8 सम्मेलन के विदेश मंत्रियों ने हमसे परीक्षण रोकने को कहा है। उनका कहना है कि भारत को 'परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र' का दर्जा नहीं दिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने हमारी भर्त्सना की है। श्री कोफी अन्नान का कहना है कि वे गम्भीर रूप से परेशान हुए हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की आलोचना की जा रही है और उसे अलग-थलग किया जा रहा है। इसलिए अब भारत अलग-थलग पड़ गया है।

हमारी चिंता का प्रमुख विषय यह है कि हमारी विदेश नीति एक निश्चित दिशा नहीं है। मैं इस बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री कौन हैं और किसको विदेश मंत्री बनाना चाहिए परन्तु मेरी चिंता यह है यह भारत की विदेश नीति नहीं है अपितु आर॰एस॰एस॰ की विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति के बारे में टानी ब्लेयर, जाक शिराक और रूसी राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए श्री ब्रजेश मिश्र को भेजकर सरकार और क्या समझा सकती है? विदेशों में विदेश सचिव को नहीं भेजा गया परन्तु आर॰एस॰एस॰ को आदर्श मानने वाले व्यक्ति को भेजा गया था। क्या आप इसके कारण

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

भारत की विदेश सेवा के मनोबल पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? समस्या यह है कि विदेश नीति प्रधान मंत्री कार्यालय से कार्यान्वित की जा रही है न कि विदेश विभाग द्वारा।

तीसरी प्रमुख चिंता यह है कि हमने कश्मीर की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत-पाक वार्ता ठप्प सी हो गई है। भारत-पाक वार्ता के बारे में 'समय की बर्बादी', 'शून्य परिणाम' और 'दिमागी फितूर' जैसे बयान कभी भी जारी नहीं किए गए थे। इस सबके अलावा पाकिस्तान हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। श्री जगमोहन द्वारा हस्तक्षेप करके कश्मीर के बारे में कही गई बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा था कि यह वाद-विवाद विदेशी मामलों पर था अथवा आंतरिक मामलों पर था। विदेशी मामलों के बारे में इस वाद-विवाद पर ऐसे मामलों पर चर्चा की गई जिन पर आमतौर पर गृह संबंधी मामलों के बारे में वाद-विवाद में चर्चा भी की जाती है।

हम लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि अब कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। हमने अमरीका-चीन-पाकिस्तान के संबंधों को और प्रगाढ़ बना दिया है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य चीन को निष्पक्ष निरीक्षक की भूमिका देने की बजाय उसे बिचौलिया बना दिया है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

हमारी अगली चिंता सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए हमारे दावे के बारे में है। हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा पहलुओं का संबंध है एक समय ऐसा था जब भारत की स्थिति सुदृढ़ थी। हमारे पास परमाणु हथियार थे। हमने 1974 में परमाणु विस्फोट किया था। परन्तु अब हमने परमाणु हथियारों के मामले में ही नहीं अपितु सम्प्रेषण प्रणाली के क्षेत्र में भी समानता प्राप्त कर ली है।

मेरा अगला प्रश्न यह है : क्या आपने विखण्डनीय सामग्री और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के अंतरण के बारे में चीन द्वारा पाकिस्तान को अनुचित रूप से मदद करने के बारे में गम्भीरता पूर्वक आपत्ति दर्ज की है? यह एक गम्भीर बात है कि चीन ने 1989 के दौरान पाकिस्तान को प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त परमाणु हथियार उपलब्ध कराये हैं। क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई आपत्ति दर्ज की है? क्या आपने चीन द्वारा परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन के बारे में आपत्ति करने की पहल करने की आवश्यकता महसूस की है? हमने 'रिंग मेग्नेट' के निर्यात के बारे में समाचार पढ़ा है। इसका व्यापक रूप से प्रचार किया गया। परन्तु हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने में असफल हुए हैं।

हम पोखरण-दो विस्फोट के बाद की स्थिति, आर्थिक प्रतिबंध अथवा व्यापार प्रतिबंध अथवा प्रौद्योगिकियों के दोहरे इस्तेमाल किए जाने की स्थिति को सम्भालने के संबंध में बुरी तरह से विफल हुए हैं। हमने क्या देखा है? इस संबंध में हमें बेहिसाब कट्टरता देखने को मिली है। श्री खुराना ने अगले युद्ध के लिए समय और स्थान के बारे में बात की है। मेरे पास अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों का उद्धरण देने के लिए समय नहीं है। पोखरण विस्फोट के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने का यह सर्वोत्तम उपाय नहीं था। मेरे विचार से हमने एक अच्छा अवसर खो दिया है। यदि आप कठोर और कड़े आर्थिक कदम उठाए होते जैसाकि पाकिस्तान ने किया है, तो पूरा देश आपका साथ देता। भारत एक ऐसा सुदृढ़ देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ऐसे मौके पर हम कुछ कठोर और कड़े कदम उठा सकते थे जिसकी देश को आवश्यकता है।

अमरीका ने बंग्लादेश को स्टेट्स ऑफ फेसिस एग्रीमेंट (एस ओ एफ ए) का दर्जा प्रदान किया है। अमरीका ने यह किन कारणों से किया? वे पहले ही डीगो गार्सिया में हैं। अब वे बंग्लादेश विशेषकर चटगांव में आना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने अब तक यह नहीं बताया है कि इस मामले में क्या हुआ है। कृपया हमें इस मामले के संबंध में बताएं। कृपया हमें यह भी बताएं भारत-अमरीका वार्ता की क्या स्थिति है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

श्री जसवंत सिंह समझौते कराने में निपुण हैं चाहे वे देश के भीतर अथवा देश से बाहर समझौता करा रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि उनको आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ऐसी गम्भीर चिंता व्यक्त की जा रही है कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर, विशेषकर सीटीबीटी और फिसिल मेटीरियल्स कट ऑफ ट्रीटी के संबंध में नरम रवैय्या अपना रहे हैं।

यह अफवाह फैल गयी है कि भारत सरकार ने सीटीबीटी के बारे में एक लिखित आश्वासन दे दिया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों, दोहरे इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी के अंतरण के संबंध में थोड़ी ढील देने और परमाणु शस्त्रों की स्थिति के बारे में नरम रवैय्या अपनाने के बदले में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री कोफी अन्नान को ऐसा दस्तावेज सौंपने का प्रस्ताव किया है। कृपया हमें विश्वास में लेकर यह बताएं कि क्या सरकार ने श्री स्ट्रोब टाल्बोट के साथ ऐसी कोई पेशकश की है। सुरक्षा परिषद् के प्रवक्ता ने 4 मई को इस प्रकार कहा :

> "भारत ने सी॰टी॰बी॰टी॰ के कुछेक उत्तदायित्वों का सावधानीपूर्वक पालन करने का सापेक्ष प्रस्ताव किया है।"

वे उत्तरदायित्व कौन से हैं?

अपराह्न 4.00 बजे

मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करूंगा कि भारत को विदेश नीति के मामले में स्व-सक्रियता का रुख अपनाना चाहिए। सरकार

अन्दरूनी मामलों में स्व-सक्रियता का रवैया अपनाने की बात कर रही है। श्री आडवाणी इस शब्दों का प्रयोग बार-बार करते हैं। परन्तु हमें विदेश नीति के सम्बन्ध में स्व-सक्रियता अपनाने की आवश्यकता है। हम जो पहल शुरू में करते थे, हमें अब पुनः शुरू करनी चाहिए। हम अब नैतिकता के उस मंच पर नहीं हैं जहां हम कभी होते थे और जब दुनियां हमारी बातों को सुनती थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है।

लेकिन भारत कोई छोटा देश नहीं है। हमारी आबादी लगभग एक अरब तक की है। आर्थिक रूप से हम ऐसी व्यवस्था में हैं जहां से हम अपनी बात कह सकते हैं और शेष विकासशील देश हमें सुनेंगे। कृपया विकासशील देशों—जी-15, जी-77 और 'नाम' इत्यादि का नेतृत्व पुनः संभाल लीजिए। निर्गुट देशों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही है जहां से गांधी जी ने अपने कार्यों का श्री गणेश किया था और विश्व को नई सोच दी थी। अतः कृपया एक एजेन्डा तैयार कीजिए और पश्चिमी देशों के एजेन्डों का अनुसरण मत कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे यह 1952 में "स्टैण्डस्टिल एग्रीमेन्ट आन टेस्टिंग" के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दिया गया नेहरू का ज्ञापन रहा हो अथवा निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का पहला, दूसरा और तीसरा विशेष सत्र रहा हो, यह भारत ही था जिसने निःशस्त्रीकरण पर वाद-विवाद का एजेन्डा तैयार कर पहल की थी। हमारे पास इंदिरा गांधी द्वारा की गई पहल और राजीव गांधी द्वारा की गई पहल का लाभ है। राजीव गांधी द्वारा की गई पहल के अंतर्गत हमने एक ठोस कार्य योजना तैयार की थी। कृपया हमें बताइए कि आप परमाणु हथियार मुक्त तथा हिंसा मुक्त विश्व से संबंधित राजीव गांधी कार्य योजना के बारे में क्या करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी योजना थी जिसे बहुत स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था। योजना तीन चरणों के लिए बनाई गई थी—1988-1994, 1995-2000 और 2000-2010 इन तीनों विशिष्ट चरणों को स्पष्ट कर दिया गया था। राजीव गांधी द्वारा की गई पहल को लेकर मौजूदा भारत सरकार का क्या रवैया है?

"नो फर्स्ट यूज" (पहले प्रयोग नहीं) अथवा "गैर-परमाणु संपन्न देशों के विरूद्ध पहले प्रयोग नहीं" जैसी सन्धियां की जानी हैं। उस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? कृपया हमें बताएं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं?

अंततः हमें विदेश नीति के आर्थिक पहलुओं के बारे में कुछ बताइए जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है बल्कि सुरक्षा पहलुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे वरिष्ठ सहकर्मी श्री शिवराज पाटील ने उसके बारे में चर्चा की है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी उस बारे में बात की है। आज यह सच है कि भारत किसी भी आर्थिक समूह का सदस्य नहीं है और हम किसी भी व्यापारिक गुट का हिस्सा नहीं हैं।

विकासशील देशों में अपने नेतृत्व को पुनर्स्थापित करने और एजेन्डा तैयार करने का प्रयास करते हुए, मैं कुछ मदों के सुझाव देना चाहूंगा जिससे आप आर्थिक वार्ताओं का एजेन्डा तैयार कर सकते हैं। पहले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आचार संहिता पर "अंकटाड पहल" मौजूद थी। विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद, उसे दरकिनार कर दिया गया है। कृपया उसे विश्व व्यापार संगठन के एजेन्डे में पुनः शामिल कीजिए। दूसरे, बौद्धिक सम्पदा कानून बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया पेटेन्ट कानून को संशोधित करने के लिए स्व-सक्रियता का रवैया अपनाइए। भौगोलिक अभियान अधिनियम जैसे मुद्दे भी हैं जिससे बासमती चावल के पेटेन्ट में हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं। बायो-डायवर्सिटी कन्वेशन है, प्लान्ट वेराइटीज, प्रोटेक्शन एक्ट भी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में टर्मिनेटर प्रौद्योगिकियां लागू की जा रही हैं। यदि आप इन कानूनों को अधिनियमित नहीं करते हैं, यदि हम इन चीजों को आर्थिक विचारों के केन्द्र में नहीं ले जाते हैं तो बाद में हमें बहुत दुःख होगा।

हमें अमरीकी कानूनों जैसे, स्पेशल 301, सुपर 301, "बैन आन एक्सपोर्ट आव् डुअल-यूज टेक्नोलोजीज्" द्वीविधों प्रयोग वाली प्रौद्योगिकी के रूप में विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों के विरूद्ध हमें कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। ये द्विपक्षीय कार्यवाहियां हैं जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुमत्य नहीं हैं। हमें अमरीका को इन मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की आवश्यकता है। श्रम आवागमन अथवा संबंधित व्यक्तियों के मुक्त आवागमन से संबंधित मुद्दा भी है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

वीसा पद्धति बहुत ही भेदभावपूर्ण है। विकसित देशों के साथ यह मामला उठाना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों को वीसा देने से मना करने के मामले की शिकायत वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ को करनी चाहिए।

"क्लाइमेट चेन्ज कन्वेंशसन्स", विश्व पर्यावरण निधि सुविधा, इत्यादि जैसे मुद्दे भी हैं। इन सभी मुद्दों पर हमें पहल करने की आवश्यकता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परमाणु निःशस्त्रीकरण जिस पर हमें पहल करने की आवश्यकता है।

चाहे यह सी॰टी॰बी॰टी का मामला हो या फिर "फिसाइल मैटीरियल कट-आव् ट्रीटी" हो, जब अगले वर्ष नई संधि पर बातचीत करने का अवसर आएगा तो भारत को तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व करना ही चाहिए। उसे तीसरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए तथा एजेंडा निर्धारित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अभी आठ और सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। उसके बाद, माननीय प्रधान मंत्री को उत्तर देना है।

उससे पूर्व, 4 बजे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कतिपय लोगों के निर्वासन के संबंध में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन दूसरी चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। 5:30 बजे आधे घंटे की चर्चा भी होनी है।

अध्यक्षपीठ सभा के विचार जानना चाहेगी। क्या इस चर्चा के बाद दोनों मदों को लिया जा सकता है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, विदेश मामलों पर चर्चा पूरी हो जाने और प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर दे दिए जाने के बाद हम अन्य दो मदों को ले सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, जिस समय हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। अतः इसे कल पहले मद के रूप में लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कल नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा पहले ही कार्य सूची में शामिल है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, कल पहले मद में अनु॰जा॰/अनु॰जन जा॰ पर चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आप इसे कल महाराष्ट्र से कामगारों के निष्कासन से संबंधित चर्चा पूरी होने के बाद ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल हमें नियम 193 के अधीन चर्चा और जैन आयोग की रिपोर्ट को पूरा करना है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह निर्णय लिया गया था कि कल चर्चा की पहली मद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में चर्चा होगी। उसके बाद आप कोई भी मद रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा पूरी होने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं। अब श्री प्रमथेश मुखर्जी बोलेंगे।

श्री तपन सिकदर : महोदय, विशेष उल्लेख का क्या हुआ? क्या उनको अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं?...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : इसे पांच बजे लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय, नियम, 193 के अन्तर्गत चर्चा का क्या हुआ? क्या आप इसे कल ले रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम यह चर्चा समाप्त होने के बाद निर्णय लेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : महोदय, देश की विदेश नीति पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : नियम 193 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर होगा कि हम इसे कल तक के लिए टाल दें।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : यदि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा देर रात शुरू की जाएगी तो इसका महत्व समाप्त हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : वास्तव में इस सभा में 4 बजे होने वाली चर्चा के लिए मैं दूसरे सदन में चल रही चर्चा से उठ कर चला आया हूं। मैं दूसरे सदन में था जहां जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। यदि सभा इस पर कल सुबह चर्चा करने के लिए सहमत हो जाती है तो मैं दूसरे सदन में जा सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : हम इस पर कल सुबह चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मेरा सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह है कि आप इसे कल लें या जिस समय भी लें, यह आपके ऊपर है, लेकिन एससी, एसटी का डिस्कशन कल के लिए शुक्रवार से लगा हुआ है। आपको मालूम है कि शुक्रवार को चार बजे यह तय हुआ था। बीएसी में, लीडर्स मीटिंग में तय हो गया था कि कल दो घंटे के लिए यह आइटम लिया जाएगा, इसका 11 बजे से एक बजे तक टाइम फिक्स था, उसके बाद आप जो लेना चाहें, लें। ऐसा न हो कि कल भी इसको लास्ट में डालें।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : मेरा निवेदन है कि सभा की बैठक जैन आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए पांच तारीख तक बढ़ा दी गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि जैन आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को चर्चा के लिए अपराह्न 2 बजे लिया जाए। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि इस पर 2 बजे ही चर्चा शुरू की जाए। कृपया ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश मत कीजिए कि इसे मुल्तवी करना पड़े। हम इसे पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक के लिए पहले ही मुल्तवी कर चुके हैं। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था और हमने उसका पालन किया। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे हमें इसे और मुल्तवी करना पड़े। मेरा निवेदन है कि जैन आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर 2 बजे से चर्चा शुरू की जाए।

[हिन्दी]

श्री मदल लाल खुराना : पांच बजे तक आप इसे ले लीजिए, फिर पांच बजे से महाराष्ट्र, बंगाल वाला लेना है। कल मैम्बर्स सैलरी एंड एलाउंसेज के बारे में बिल है तथा और भी कई बिल हैं उनको भी पास करना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर इस डिबेट का जवाब कल सुबह दे देंगे, उसके बाद कुछ और ले लें।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, तेल क्षेत्रों के बारे में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि सभी इस बात से सहमत हों तो हम इसे चर्चा किए बगैर प्राप्ति कर सकते हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मुझे देश की विदेश नीति पर चर्चा जारी रखने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा एक सजेशन है कि पांच बजे लीडर्स की मीटिंग होगी उसमें आप तय कर लीजिए। इसको यहां डिसकशन का मुद्दा क्यों बनाते हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है? मैं समझता हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यह चर्चा कल होगी।

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पूरी करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी कल उसका उत्तर देंगे।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या अपराह्न 2 बजे जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा आरंभ होगी?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : ठीक है।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, कुछ लोगों को वापस भेजे जाने पर चर्चा कब शुरू होगी?

अध्यक्ष महोदय : पांच बजे शुरू होगी।

श्री के॰ नटवर सिंह (भरतपुर) : प्रधान मंत्री जी विदेश नीति के संबंध में चर्चा का उत्तर कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी उसका उत्तर कल देंगे।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री पी॰ए॰ संगमा का देश की विदेश नीति के संबंध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हृदय से स्वागत और प्रशंसा करता हूं। मेरे पास दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है और इसका शीर्षक है "न्यू डाइमेंशनस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी" यह देश से बाहर उनके बहुमूल्य भाषणों का संकलन है। मैं यह दर्शाने के लिए उसमें कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ अन्यत्र कहा उसका किस तरह से अपने कार्यों से उल्लंघन किया।

मेरे पास एक दूसरी पुस्तक है जिसका शीर्षक है "ए फारेन पॉलिसी फार इंडिया" जिसके लेखक श्री इन्द्र कुमार गुजराल हैं। भूतपूर्व और वर्तमान दोनों प्रधान मंत्रियों ने भारत की विदेश नीति के संबंध में पुस्तक लिखी है। दोनों पुस्तकों में विश्व शांति, निरस्त्रीकरण तथा गुटनिरपेक्षता के लिए वही सदियों पुरानी प्रतिबद्धताएं की गई हैं।

मैं अपनी बात यहां से आरंभ करता हूं कि विश्वशांति, निरस्त्रीकरण और गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के संबंध में हमारे देश की एक परम्परा रही है। आज भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पोखरण क्षेत्र में किए गए परमाणु परीक्षण, जो कि परमाणु परीक्षणों की एक महत्वपूर्ण घटना है, से इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है। यह नीति से बिलकुल हटकर है। सुरक्षा को खतरे के बगैर पोखरण क्षेत्र में किया गया परमाणु परीक्षण भारत की सदियों पुरानी विदेश नीति और गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के हमारे सिद्धान्तों का उल्लघंन का उदाहरण बन गया है।

मैं अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए श्री मुचकुन्द दूबे जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, के एक मुख्य लेख 'वर्ल्ड न्यूक्लियर ऑर्डर एण्ड इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेन्स' का हवाला दे रहा हूं। यह एक विस्तृत उद्धरण है। आपकी अनुमति से मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "अपने सुरक्षा हितों की खातिर, मोल-जोल करने की क्षमता जिसकी अत्यधिक कमी है हासिल करने तथा नई विश्व व्यवस्था की रचना में प्रभावी योगदान करने के लिए परमाणु अवरोधक क्षमता प्राप्त करना न सिर्फ अनिवार्य है अपितु अपरिहार्य भी है। किंतु निश्चय ही यह आवश्यक शर्त नहीं है। परमाणु अवरोधक क्षमता के अर्जन के साथ ही आर्थिक प्रतिबन्धों के बावजूद आर्थिक विकास की सतत् गतिशीलता बनाए रखनी होगी, सामाजिक क्षेत्रों में दीर्घ काल से लंबित पड़ी अक्षमताओं को दूर करना होगा तथा राजकाज चलाने की कुछ मूलभूत समस्याओं से निपटना होगा इसके लिए प्रत्येक स्तर पर कुछ त्याग करना होगा और इन सबसे ऊपर राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता बनाए रखनी होगी।
>
> क्या भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इन भारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी?"

अपराह्न 4.14 बजे

[श्री वी॰ सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*]

मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विगत चार वर्षों के दौरान भाजपा तथा इसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली सरकार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

महोदय, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के बारे में एक और जिक्र आया है। हम लोगों ने महान् कवियत्री तथा उपन्यासकार अरुन्धती राय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है का नाम सुना है उन्होंने एक अत्यन्त ही बेहतरीन लेख लिखा है जो द आउटलुक में छपा है। मैं इस लेख के सभी विषयों से सहमत नहीं हूं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का यहां उल्लेख किया जा सकता है। आपकी अनुमति से मैं एक विशेष बात का यहां जिक्र करना चाहता हूं।

"एक व्यक्ति जो अपना नाम नहीं लिख सकता है क्या बम से संबंधित मूल तथ्यों को समझ सकता है? क्या किसी ने उन्हें 'न्यूक्लियर विन्टर' के बारे में बताया है। क्या इस व्यक्ति के लिए इन सबका कोई महत्व नहीं है?" बुद्धिजीवियों का ऐसा ही रवैया भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों से संबंधित प्रश्नों पर विशेषज्ञों की यही रवैया है।

श्री वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान गए थे। उन्होंने वहां कई बैठकें कीं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए गए भोज में शानदार भाषण भी दिया था। मैं आपकी अनुमति से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक 'न्यू डाइमेन्सन्स ऑफ इंडियाज फारेन पॉलिसी' से उद्धृत करना चाहता हूं।

"ए न्यू इरा ऑफ अन्डरस्टैंडिंग"

आज पाकिस्तान में होने पर मुझे सचमुच काफी प्रसन्नता है। यह भव्य राजधानी न सिर्फ नैसर्गिक खूबसूरती से भरपूर है अपितु यह आपकी संस्कृति तथा आपक नए अरमानों का प्रतीक है।

वर्ष 1978 में पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए गए रात्रि भोज में उनके भाषण की शुरू की पंक्तियां हैं। यह अत्यन्त ही उत्कृष्ट भाषण है तथा मैं यह बताना चाहता हूं कि इस उत्कृष्ट भाषण की भावना का आज उन्होंने कैसे उल्लंघन किया है।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : जब वह विदेश मंत्री थे तब उन्होंने यह भाषण दिया था तथा अब वह प्रधान मंत्री हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : उन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया, मैं उद्धृत करता हूं :

"हम लोगों को स्मरण करना होगा कि बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होना महत्वपूर्ण है, मैं अल्लामा इकबाल से उद्धृत करने से अधिक कुछ नहीं कर सकता हूं :"

तत्पश्चात् उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक बेहतरीन कविता का पाठ किया। मैं उर्दू या हिन्दी नहीं जानता। मैं इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद उद्धृत कर रहा हूं।

"ठहरता नहीं कारवां-ए-वजूद
कि हर लहजा है शान-ए-वजूद
समझता है तू रजा-ए-जिन्दगी
इयाकत बौक-ए-परवाज है जिन्दगी
बहुत उसने देखे हैं पश्तो-ओ-बालन्द
सफर उसको मंजिल से बढ़कर पसन्द
सफर जिन्दगी के लिया बारग-ओ-साव
सफर है हकीकत
हजार है मजाज।"

[हिन्दी]

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : जिस तरह से आप सुना रहे हैं, अगर अल्लामा इकबाल सुन लेते तो खुदकुशी कर लेते।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। कृपया मुझे अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने की अनुमति दीजिए।

"द कारवां ऑफ लाइफ नेवर हाल्ट्स
एट एवरी मोमेन्ट लाइफ हैज ए फ्रेश विसेज।
यू थिंक लाइफ टू बी ए सीक्रेट;
बट लाइफ इज वनली द अर्ज टू कीप मूविंग;
इट हैज सीन मेनी अप्स एण्ड डाउनन्स एण्ड
लव्स मूवमेंट मोर दैन रेस्ट;
मूवमेंट इज द एसेन्स ऑफ लाइफ।
टू मूल इज रियालिटी;
टू स्टैण्ड इज इल्यूजन।

यह इस्लामाबाद में उनके द्वारा दिए गए भाषण का अंश है। यह इस बात का सूचक है कि भारत तथा पाकिस्तान को बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ना चाहिए तथा जनता का जनता से, विचारधारा का विचारधारा से सम्पर्क होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ आज की कार्रवाई से इस भावना का हनन हुआ है।

मैं इस पुस्तक से यह भी दिखा सकता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री आई॰ के॰ गुजराल ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की है। भारत-पाक संबंधों को पुनः सुधारने तथा इन दो पड़ोसी देशों के बीच दोस्ताना संबंध पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए

गए प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए यहां अनेक दृष्टान्त दिए जा सकते हैं तथा इस प्रयास पर पोखरण परीक्षण ने पानी फेर दिया है। महोदय, मैं अनेक हवाले दे सकता हूं किंतु यहां सिर्फ हवाला देना ही पर्याप्त नहीं है। मैं यह समझता हूं कि किसी भी सरकार की विदेश नीति उसकी आंतरिक नीति पर निर्भर करती है। यदि एक देश की आंतरिक नीति, आर्थिक नीति अच्छी तथा स्थायी है तो विदेश नीति अवश्य ही अच्छी और स्थायी होगी। यह दुर्भाग्यजनक है कि आज भारत सरकार की आर्थिक नीति संतोषजनक नहीं है। यह उन लोगों के हित में है जो उदारीकरण तथा निजीकरण में विश्वास रखते हैं। यह राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के हित में हैं। यह गरीब तथा भूखे लोगों के हित में नहीं है। यह लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं की चिन्ता नहीं करता है।

कश्मीर वास्तव में एक महत्वपूर्ण मसला है किंतु मात्र कश्मीर भारत की विदेश नीति को नहीं निर्धारित कर सकता है। श्री जगमोहन की ऐसी धारणा हो सकती है किंतु भारत की विदेश नीति को सिर्फ कश्मीर के मामले निर्धारित नहीं कर सकते। कई बातें हैं। यह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो सकता है किंतु यह भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने का प्रश्न नहीं हो सकता। पूर्वोत्तर का प्रश्न है; विप्लव का प्रश्न है; आतंकवाद का प्रश्न है; गरीबी का सवाल है, विघटित हो जाने का प्रश्न है, तथा इस तरह की अन्य और भी बातें हैं। ये सारी बातें इस सरकार द्वारा इन परिस्थितियों से गलत ढंग से निपटने से उत्पन्न आर्थिक हताशा का परिणाम हैं।

बांग्लादेश-म्यांमार-नेपाल का एक 'गोल्डन ट्राएंगल' है तथा पाकिस्तान-अफगानिस्तान भारत से मिलकर बना एक 'गोल्डन क्रिसेन्ट' है। हमारे उत्तर भारत के राज्य 'गोल्डन ट्राएंगल' तथा 'गोल्डन क्रिसेन्ट' के क्षेत्र में आते हैं। इसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। मादक पदार्थों के तस्कर ने स्थानीय दशा तथा हमारे पूर्वोत्तर की जनता को विषाक्त तथा प्रदूषित कर दिया है। यही मुख्य कारण है कि सिर्फ यही बातें हमारी विदेश नीति की प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इन बातों को हम स्वयं, हमारा गृह मंत्रालय, स्वयं की आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये बातें हमारी विदेश नीति की प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकती हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं अपनी पार्टी से एक मात्र वक्ता हूं। कृपया मुझे कुछ और समय दें।

सभापति महोदय : आप प्रधान मंत्री तथा पूर्व प्रधान मंत्री के भाषणों का हवाला दे रहे हैं। अब आप और कितना समय लेंगे?

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं अपने विषय पर पहुंच चुका हूं तथा आपने भी यह देख लिया है। मैं उनके भाषणों का हवाला यह बताने के लिए दे रहा था कि कैसे काम किया जा रहा है।

आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय हम सोवियत संघ के विघटन के बाद को नए विश्व को देखते हैं। हमने देखा है कि दो ध्रुवों वाला विश्व अब एक ध्रुवीय विश्व में बदल चुका है। आज विश्व सिर्फ दो शक्तियों या दो सिर्फ दो गुटों में नहीं बंटा है। आज सोवियत संघ के विघटन के तत्काल बाद विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। इस समय तक यूरो-अमरीकी साम्राज्यवाद एक ध्रुवीय विश्व पर राज कर रहा है।

इन परिस्थितियों में भारत एक महान भूमिका निभाने की स्थिति में था। भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता की भूमिका निभाने का एक महान अवसर मिला था। मुझे यह बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि प्रधान मंत्री महोदय जो कि भारत की विदेश नीति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं, वे इस सरकार का गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में नेतृत्व करने में विफल रहे हैं।

महोदय, यह एक तथ्य है कि भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था परंतु आंतरिक गड़बड़ियों के कारण निभा नहीं पाया। मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री व्याकुल हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वे अनिर्णय व हिन्दू कट्टरपन के बंदी हैं और यह एक तथ्य है। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे हैं। मुझे पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का साम्राज्य भारत के सामने था परन्तु हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाये।

आज, संसद का का सत्र चल रहा है और सी॰टी॰बी॰टी॰ पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। यह सभा का सर्वसम्मत निर्णय था कि भारत सरकार को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। हमने एन॰पी॰टी॰ पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका क्या कारण था? वह इसलिए कि एन॰पी॰टी॰ भेद-भावपूर्ण थी और इसलिए हमने उसका विरोध किया था। हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसी स्वर में और उसी आधार पर हमने सी॰टी॰बी॰टी॰ पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया और यह इस सभा का सर्वसम्मत निर्णय था कि भारत सरकार को व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस पर प्रकाश डालेंगे और सभा को सूचित करेंगे कि हमारे वास्तविक विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह और श्री टॉलबॉट के बीच क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*

अंततः, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कोलम्बो में सार्क सम्मेलन के दौरान अच्छा नेतृत्व प्रदान किया। बहुत अच्छा व्यक्तिगत तौर पर उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के कारण मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं। उनके स्वतः प्रेरित वक्तव्य में माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने पैरा-4 में जो कहा है उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"इस पर सहमति हुई कि सार्क को मुक्त व्यापार क्षेत्र की

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

ओर अग्रसर होना चाहिए। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र भारत के गरीब लोगों की कहां तक मदद कर पायेगा?"

आपने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके बाजार अर्थ-व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय संस्थानों के लिए खोल दिया। यह द्वि-पक्षीय समझौता हो सकता है। मुझे यह नहीं मालूम कि कहां तक गरीब लोग मुक्त व्यापार क्षेत्र का लाभ उठा पायेंगे। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र से भारत के मध्य वर्गीय लोग और व्यापारी पूर्ण लाभ उठा पायेंगे। सरकार इससे कैसा आर्थिक लाभ उठायेगी, यह मुझे नहीं मालूम। मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूं।

अपने स्वतः प्रेरित वक्तव्य में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैरा 5 में जो कहा है, उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"हमने व्यापारिक उदारीकरण को तेज करने के प्रति अपनी वचनबद्धता, तत्परता और निर्भीक शुरूआत को बार-बार दोहराया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मैं दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : 'दि स्टेटमैंट एंड दि एग्रीमैंट ऑफ सार्क समिट' के कई अध्यायों पर हमें चर्चा करनी है। यह प्रथम विषय है। परन्तु इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत पांइटेड बात कहना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कोलंबो में सार्क समिट में सफलता हासिल हुई है, उसके लिए यह सदन समवेत् स्वर में उन्हें बधाई देता है, उनकी टीम को बधाई देता है।

माननीय सभापति महोदय, विदेश नीति की चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें आईं। मैं उस पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातें करना चाहूंगा। जैसे माननीय इंद्रजीत गुप्त जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात का बार-बार जिक्र किया है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि जब यूनाइटिड फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो भारत के प्रधान मंत्री जी ने अमरीका के निमंत्रण के सात दिन पहले अमरीका प्रवास प्रारम्भ कर दिया था, इसकी क्या जरूरत थी। उसकी बड़ी आलोचना हुई कि आप एक सप्ताह पहले अमरीका पहुंच गये।

यहां पूर्व स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस विद्वत्तापूर्ण भाषण से सदन के सारे सदस्यों और इस चर्चा को अधिक गंभीरता और संजीदगी के साथ बढ़ाया है, मैं उसका कुछ रेफरेंस देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की ओर से 'सार्क' के बारे में जो स्टेटमैंट प्रस्तुत हुआ है, उसमें साफ कहा गया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री का बयान बहुत ही सु-विचारित है।

[हिन्दी]

'सार्क' के बारे में मैं सदन के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूंगा। सभापति महोदय नान-एलायन्स एसेम्बली 99 में होने वाली है, यदि भारत चाहे और थोड़ा सा प्रयास करे तो क्यों न नई दिल्ली इसकी मेजबानी करे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, दो हजार आइटम्स पर लाइसेंस फ्री की एक महत्वपूर्ण घोषणा कोलम्बो दक्षेस में हुई है, वह कोई कम बड़ा पैकेज नहीं है। लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी आशंका है कि आज भी चीन का प्रोडक्ट्स नेपाल के माध्यम से भारत के बाजारों में बहुत तेजी से पहुंच रही है। क्या इस घोषणा से हम चीन के उत्पादों को यहां आने से रोक सकेंगे और क्या इस घोषणा का लाभ 'सार्क' कंट्रीज को उठाने का अवसर मिलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सभापति जी, माननीय सदस्य श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि भारत आज भी नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए प्रोएक्टिव रोल अदा कर सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत के प्रति सबका विश्वास है और भारत की अगुवाई में पूरे विश्व में अभी तक नाम की गतिविधियां और भूमिका रही है। हम लोग इसमें और आगे बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, न्यूक्लियर टैस्ट पर जो आज बात कही गई है मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। न्यूक्लियर टैस्ट के बारे में यहां बहुत से वक्तव्यों की चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब पाकिस्तान ने 'गौरी' मिसाइल का परीक्षण किया तो सब तरफ यही अनुमान लगाया जाने लगा था कि भारत कुछ न कुछ कदम जरूर उठायेगा। 28 मई को माननीय डा॰ राजा रामन्ना ने राज्य सभा में जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान द्वारा 'गौरी' मिसाइल के परीक्षण के बाद यह अपेक्षित था कि भारत कुछ न कुछ कदम उठाये और उसी के परिणामस्वरूप यह परीक्षण का कार्य हुआ, जो कि निश्चित रूप से सही समय पर हुआ है। मैं समझता हूं कि डा॰ राजा रामन्ना किसी पार्टी लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको यहां कोट करना बहुत उचित है।

सभापति महोदय, यहां विदेश नीति की चर्चा चल रही है और हमारे कई विद्वान माननीय सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की विदेश

नीति की बड़ी आलोचना की है। मैं सदन का ध्यान बी॰जे॰पी॰ की फॉरेन पालिसी के एक शब्द की ओर ले जाना चाहता हूं। 23.8.92 को भोपाल में बी॰जे॰पी॰ की जो नेशनल एक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई उसमें एन॰पी॰टी॰ तथा सी॰टी॰बी॰टी॰ से संबंधित एक रिजोल्यूशन पारित हुआ है, उसमें साफ लिखा है —

[अनुवाद]

भारत पर परमाणु शस्त्रों के अप्रसार और प्रक्षेपास्त्र तकनीक के भेद-भावपूर्ण शासन और नियंत्रण का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ देश अपने परमाणु शस्त्रों को न केवल बनाए रखना चाहते हैं बल्कि उनको सुधारना और बढ़ाना भी चाहते हैं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, इस स्थिति में क्या करें? जहां तक निरस्त्रीकरण की बात है, भारत अपनी प्रतिबद्धता पर पहले से जोर देता रहा है, आज भी उस पर कायम है और यह सदन उसके लिए अगुवाई करने के लिए तैयार है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार की तरफ रचनात्मक दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी आलोचना की बात नहीं है। मैं अपने संक्षिप्त वक्तव्य को इस रूप में रखते हुए कहना चाहता हूं कि आज भी हमें और पूरे भारत के लोगों को यह संदेश देने की जरूरत है कि भारत इस टर्निंग पाइंट में एक है। चाहे पाकिस्तान का मामला हो, या कोई भी मामला हो, हम यह संदेश नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि यदि पाकिस्तान नहीं होता तो भारत का विदेश मंत्रालय नहीं होता, ऐसी ध्वनि नहीं जानी चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं श्री नटवर सिंह जी, संगमा जी और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अपने विदेश नीति और प्रधान मंत्री जी ने सार्क के संबंध में जो वक्तव्य दिया, उस पर चर्चा कराने की अनुमति दी और इस सदन और देश का ध्यान खींचने का काम किया। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हम इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, हम सब एक हैं। भारत के हित के मामले में जो सरकार बनती है, भले ही हम दल के अंदर कहें, संसद में कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है लेकिन यह देश के बाहर भारत सरकार होती है और जब भारत सरकार होती है तो भारत सरकार का मतलब कोई पार्टी नहीं होता बल्कि सरकार होता है। यह हमारी आज तक की पालिसी रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी और हम 1977 से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वे 1977 में विदेश मंत्री थे। इस बात का हमें भी गर्व होता था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री बने हैं। उस समय शंकाएं भी थीं लेकिन अपने कम समय में इन्होंने विदेश मंत्री की हैसियत से जो काम किया, नाम अर्जित किया, उससे वे सारी शंकाएं निर्मूल हो गयीं। यह उम्मीद की जा रही थी और आज भी यह उम्मीद की जा रही है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वह पक्ष और विपक्ष को, कम से कम कुछ भी हो लेकिन वैदेशिक नीति के मामले में, डिप्लोमेटिक फंड के मामले में कोई शिकायत नहीं होने देगी। हमेशा से ऐसा रहा भी था कि जो हमारे वैदेशिक नीति के मामले हैं या सुरक्षा के मामले हैं, उन पर संसद में कभी बहुत गहरे मतभेद उभरकर सामने नहीं आये। मैं देख रहा हूं कि पहली बार इस सदन में गहरे मतभेद उभरकर सामने आये हैं और देश की जनता के बीच में इस मामले को लेकर बुनियादी बहस और बुनियादी मतांतर हुआ है।

जैसा मैंने पहले कहा कि देश का इंटरैस्ट सबसे ऊपर होता है और राष्ट्र के इंटरैस्ट के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं नहीं समझता कि उससे सदन, संसद या देश की जनता पीछे रही हो। जब कभी खून देने की बारी आई, भूखे रहने की बारी आई तो हमेशा यह काम देश की जनता ने किया और करती रहेगी। कभी-कभी हमें सोचना चाहिए कि शहीद होने और आत्महत्या करने में क्या अंतर होता है। यदि हम पांच माले से कूद जाएं और कह दें कि हम शहीद हो गये, लेकिन पांच माले से कूद कर मरना आत्महत्या कहलाता है। उनका शहीद की श्रेणी में नाम नहीं आता। उसी तरीके से जब हम नैशनल इंटरैस्ट की बात कहते हैं तो नेशनल इंटरैस्ट, पार्टी इंटरैस्ट और पर्सनल इंटरैस्ट में हमेशा अंतर रहा है। सबसे ऊपर राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित और उसके बाद व्यक्ति का हित होता है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब राष्ट्र के हित के ऊपर पार्टी हित रख दिया जाता है या व्यक्ति हित रख दिया जाता है तो राष्ट्र को लांग टर्म में उसका बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आज जो चीजें हुई हैं, हम दो घेरे में हैं। जो अणु परीक्षण हुआ, कुल मिलाकर हम अणु परीक्षण पर चले आते हैं, तो उसके एक तरफ कहा जाता है कि यह राष्ट्र के हित में सही हुआ है और इससे राष्ट्र की गरिमा बढ़ी है लेकिन दूसरी तरफ यह आरोप भी लगता है कि यह राष्ट्र हित में नहीं है। इसमें पार्टी का हित ज्यादा है और यह बम विस्फोट दूसरे बम विस्फोट को डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

जब बम विस्फोट हुआ, उस समय मैं अमरीका में था। वहां भी इस बात पर काफी चर्चा चल रही थी और तरह-तरह की बातें हो रही थीं। लेकिन एक बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि यह चैलेंज किसके खिलाफ है? हमने इस चैलेंज को किसके खिलाफ स्वीकारने का काम किया। क्या यह चुनौती अमरीका के खिलाफ है या जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि यह चुनौती चीन के खिलाफ है या यह चुनौती पाकिस्तान के खिलाफ है? जहां तक चीन का संबंध है, जार्ज साहब हमारे नेता रहे हैं, उनकी काबिलियत पर उंगली नहीं उठा सकते लेकिन कभी-कभी बेवक्त शहनाई बजती है। यह कोई

[श्री राम विलास पासवान]

ओकेज़न नहीं था जिसमें बिना प्रोवोकेशन के आपने चीन को टारगैट बनाना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि यह चैलेंज किसके खिलाफ था। यदि आप कहते हैं कि हमने यह चैलेंज अमरीका से शक्ति लेने के लिए किया है तो अलग बात है लेकिन यदि इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान से है तो उसके साथ संबंधों को इस रूप में दिखाने की क्या आवश्यकता है। आज पाकिस्तान भले ही देश हो लेकिन वह हर मामले में उत्तर प्रदेश से भी छोटा है और इस सदन और देश को मालूम है कि पाकिस्तान किसी चीज में सात जन्म में भी भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। यह पहले भी साबित हुआ है और भविष्य में भी हम साबित करने को तैयार हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें कही जा रही हैं, वे अंततोगत्वा पाकिस्तान पर आकर रुक जाती हैं। हमारे पास संदूक में जेवरात हैं। क्या जेवरात हैं, वह किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब जेवरात खोल देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि इसमें कितना सोना है, कितना हीरा है। जहां तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का मामला था हम कहते थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेड सिगरेट लाते हैं। लेकिन आज आपने चार अणु बमों का परीक्षण किया तो उसने पांच अणु बमों के परीक्षण किए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके खिलाफ है। आज पाकिस्तान की यह हालत हो गई है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टीरियल रैसीडैंस बेचना पड़ा रहा है।...*(व्यवधान)* यह हंसने की बात नहीं है। वह छोटा देश है, उसकी झलक सामने आ गई है। इस मामले में हम दोनों एक हैं, वह सैक्शन का विरोध कर रहा है और हम भी विरोध कर रहे हैं। सैक्शन का विरोध करके उसे अपने प्राइम मिनिस्टीरियल ऑफिस को बेचने की नौबत आ गई। हो सकता है आज हमारे सामने वह मामला न आए क्योंकि हम ज्यादा समृद्धिशाली देश हैं, लेकिन कुछ न कुछ असर तो यहां भी देखने को मिल रहा है। 42 रुपये में एक डालर, 44 रुपये में एक डालर, 42 रुपये टमाटर क्या साबित करता है। आप बम को नहीं खा सकते।...*(व्यवधान)* हमारे जैसा आदमी कभी डिस्टर्ब नहीं करता।...*(व्यवधान)* इन्हें जवाब देने की पूरी आजादी है।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : आपने डालर के लिए भारत में मंहगाई की बात की है।...*(व्यवधान)* डालर मंहगा नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : जब प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे तो यह बताएं कि जो 42 रुपये का एक डालर हुआ है, उसका कोई संबंध इकोनौमिक सैंक्शन से है या नहीं या वह स्वतः है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य कुछ चीजें प्रधान मंत्री जी पर छोड़ने का काम करें।

अभी इंद्रजीत गुप्ता जी ने बताया कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सैन्य शक्ति का संबंध है, हम उससे बीस गुना अधिक हैं। इसलिए पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक पड़ोसी राष्ट्रों का मामला है, भारत ने हमेशा से पड़ोसी राष्ट्रों की अगुवाई करने का काम किया। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं।

शिवराज पाटिल साहब यहां हैं, स्पीकर के डैलीगेशन में हम लोग गये थे। एक बार तो वाजपेयी साहब के साथ ही हम सब लोग गये थे। हम लोगों ने हमेशा से यू॰एन॰ओ॰ में और दूसरी जगहों पर देखने का काम किया कि इस्लामिक कण्ट्रीज पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहे। आज हमारा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है को हमारी जो रणनीति है, जो कूटनीति है, जो विदेशी कूटनीति है, डिप्लोमैटिक फ्रंट है, उस पर हमने अपने को फैल्योर साबित किया है, उसमें हम फैल्योर रहे हैं। आज उसका नतीजा है कि जो राष्ट्र हमारे साथ थे, उन राष्ट्रों ने आज हमसे अलग होने का काम किया है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आज पूछ रहा था कि हमारा आर्म्स के ऊपर कुल मिलाकर कितना खर्चा होता है तो मैं देखता हूं कि 20 हजार करोड़ से 25 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्चा होता है, पाकिस्तान का भी 20 हजार से 25 हजार करोड़ रुपया खर्चा होता है। यदि दोनों देशों का खर्चा मिला दें तो 50 हजार करोड़ रुपया खर्चा होता है। जिस देश में पीने का पानी नहीं हो, आज भी 50 प्रतिशत और गैरसरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हों, जीवन व्यतीत करते हों, उस देश का 25 हजार करोड़ रुपया या 25 हजार करोड़ रुपया आज कहां जा रहा है? घूम फिरकर यह पैसा अमेरिका के पास जाता है। आज रूस सुपर पावर नहीं है। आज एक ही सुपर पावर है, उसका नाम अमेरिका है। याद रखिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब भाषण समाप्त करिए। आपके दस मिनट समाप्त हो गये हैं। अब आप श्री नटवर सिंह का समय ले रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आपने मुझे दस मिनट दिये हैं और मैं अभी सात मिनट ही बोला हूं।

श्री के॰ नटवर सिंह : महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हमें और पंद्रह मिनट देंगे तो हम पूरे विषय को समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं बस पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : नहीं, आपको केवल दस मिनट ही दिये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि आज तीन साल के बाद हमारे हथियार बेकार चले जाते हैं। हिन्दुस्तान

और पाकिस्तान दोनों का सौदागर अमेरिका वहां बैठा हुआ है। अभी उसको एफ-16 दिया है, अब हमको कह रहा है कि तुम एफ-17 ले लो। न तो कभी पाकिस्तान को हिन्दुस्तान खत्म कर सकता है, न हिन्दुस्तान कभी पाकिस्तान को समुद्र में फेंक सकता है। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि यदि दोनों में से कोई एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकता है तो यह हथियारों की होड़ क्यों चल रही है? संगमा जी ने ठीक कहा कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात कहते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी तब तक नहीं आ सकती है, जब तक इकोनोमिक सिक्योरिटी नहीं होती है, जब तक कामर्स की सिक्योरिटी नहीं होती है, जब तक हैल्थ की सिक्योरिटी नहीं होती है, आज इस फ्रंट पर तो हम फैल्योर हैं, आर्थिक मामले में हम फैल्योर हैं, बेरोजगारी के मामले में हम फैल्योर हैं, हैल्थ के मामले में हैल्थ फॉर ऑल का नारा दिया गया, उस मामले में हम फैल्योर हैं, हर चीज पर हम फैल्योर हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विडम्बना और कुछ नहीं हो सकती है। आप न्यूक्लियर टैस्ट की बात करते हैं। जापान ने कभी न्यूक्लियर टैस्ट नहीं किया। हिरोशिमा के ऊपर बमबारी की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हिरोशिमा के ऊपर रुलाने वाली कविता है। लेकिन हिरोशिमा पर इतना होने के बाद भी जापान ने कभी न्यूक्लियर टैस्ट नहीं किया। जर्मनी ने कभी न्यूक्लियर टैस्ट नहीं किया। क्या जापान और जर्मनी किसी से कम शक्तिशाली देश हैं? हमने रूस को देखा है कि रूस कितना पावरफुल देश था, लेकिन वह न्यूक्लियर टैस्ट और आर्म्स के कम्पीटशन में कहां चला गया? आज वह जहां गया है, वह हमारे सामने है।

इसका मतलब यह नहीं है, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप भारत की ताकत को कम करो। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आप अपनी शैन्य शक्ति को कम करो, जितना करना है उसको आप बढ़ाओ, आपको कभी अपोजीशन पार्टी के लोग, चाहे पावर में कांग्रेस थी, बी॰जे॰पी॰ पावर में है या यूनाइटेड फ्रण्ट पावर में था, कभी किसी ने नहीं कहा कि आप डिफेंस में कटौती करने का काम करो, उल्टे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आपको उसमें जितना करना हो, उसमें आप करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश के इकोनोमिक फ्रण्ट के ऊपर विचार नहीं करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है,

[अनुवाद]

हमने सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण में चर्चा की।

[हिन्दी]

एक तरफ से प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमारा डिस्कशन कोर्डियल और कंस्ट्रक्टिव था।

दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा कि इस डिस्कशन का रिजल्ट जीरो था और वेस्टेज ऑफ टाइम था। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जो बात कही है वह सही है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इसके ऊपर जरूर जवाब दें कि यदि डिसकशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या रहा। जो आप रिजल्ट कह रहे हैं कि यह फ्रूटफुल डिसकशन रहा और कोर्डियल रहा, यह सही है...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : फ्रूटफुल नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान : यहां यह कहा गया है कि 'हमारी बातचीत का माहौल-मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक रहा'। 'रचनात्मक' शब्द का मतलब है कि यह लाभदायक थी। यदि यह लाभदायक नहीं है तो यह रचनात्मक कैसे हो सकता है?

[हिन्दी]

इसमें पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का उल्लेख नहीं है। प्रधान मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि यह डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव रहा, फ्रूटफुल रहा या जैसा वे कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम रहा या बिग जीरो रिजल्ट रहा।

इन शब्दों के साथ मैं फिर प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप देश की ताकत को बढ़ाएं, सेना के मामले में बढ़ाएं, लेकिन कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे देश के इकोनोमिक फ्रंट पर जो हमारे सामने चैलेंज है, उसको स्वीकार करने में हम असमर्थ हों।

[अनुवाद]

श्री के॰ नटवर सिंह : महोदय, पांच बजने में अभी नौ मिनट बाकी हैं। और अपने माननीय साथियों से इस चर्चा का समय पंद्रह मिनट बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। मै कुछ बातें कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : यदि सदन को कोई आपत्ति न हो तो दस मिनट और दिये जा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हां।...*(व्यवधान)*

श्री के॰ नटवर सिंह : महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं? ...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : महोदय, श्री नटवर सिंह विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। अतः प्रधान मंत्री के उत्तर देने से पहले ही उन्हें बोलना चाहिए अन्यथा मैं महसूस कर रहा हूं सभी छोटी-छोटी पार्टियों के सदस्यों को बोलने के लिए केवल पांच-पांच मिनट ही मिल पाएंगे।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : यहां और भी बोलने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अन्य सदस्यों के बारे में हम बाद में फैसला करेंगे।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : अन्य सदस्य भी विदेशी मामलों के संबंध में बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : अन्य बोलने वालों के बारे में क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम अन्य पार्टियों के निवेदन के बारे में विचार करेंगे।

श्री के॰ नटवर सिंह : सभापति महोदय, पिछली बार 27 और 28 मई को लोक सभा में विदेशी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। इन दो महीने और कुछ दिनों तक सरकार केवल क्षति को नियंत्रित करने का प्रयास ही करती रही और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए भेजा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस सरकार के द्वारा भारतीय विदेश नीति और कूटनीति को अन्य क्षेत्रों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया। यह कोई मेरी कपोल-कल्पना नहीं बल्कि तथ्य है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री हमें विदेश मंत्रालय की विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विदेश नीति के अन्य कार्यकलापों की एक सूची प्रदान करें। इसके अलावा परमाणु बम और पाकिस्तान व संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके दूतों की बातचीत के बारे में भी बताएं।

इन ढाई महीनों में क्या हुआ है? 11 और 13 मई के बीच भारतीय जनता पार्टी का हर्षोन्माद देखने लायक था। उसके बाद जब 28 मई को अचानक पुरजोर तरीके से हकीकत सामने आई, जब दो दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किये। लगभग बीस साल पूर्व पाकिस्तान में राजदूत होने के नाते मैंने 13 मई को श्री वाजपेयी को लिखकर दे दिया होता कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान को अपने परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोक सकती।

आप पाकिस्तानी बनकर वहां जाइये और देखिए वे कैसा महसूस करते हैं। और आपने क्या हासिल किया है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैं आपको बताऊंगा आपने क्या हासिल किया है। अंन्तर्राष्ट्रीय पटल पर पिछले 50 वर्षों के दौरान आज आप भारत को बिल्कुल अलग-थलग पड़ा हुआ पाएंगे। कौन आपके मित्र हैं? वियतनाम है, वह हमेश हमारा मित्र रहा है। क्या मॉरीशस तुम्हारे पक्ष में बोला? क्या भूटान तुम्हारे पक्ष में बोला? क्या नेपाल तुम्हारे पक्ष में बोला? देखें कौन-कौन तुम्हारे पक्ष में बोला है। पी-5, जी-8 और सुरक्षा परिषद् में तुम्हारे पक्ष में कौन-कौन बोला?

महोदय, विदेश मामलों की माननीय राज्य मंत्री, मेरी बहन यहां हैं। वे एक आकर्षक महिला हैं और बहुत तेजी से सीखती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बहुत संक्षिप्त शब्दों में कही है। आपने भी यही सीखा है, प्रधान मंत्री जी। आप बहुत कुछ कहते हैं और उसका अभिप्राय बहुत थोड़ा होता है। यह तो चातुर्य है और कूटनीति का मूल सिद्धान्त है कि कहा बहुत कुछ जाए और उसका अभिप्राय बहुत कम हो। किन्तु हममें से कुछ लोग यहां यह जानते हैं कि निहितार्थ क्या है, आपने कहा कि कोलम्बिया में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत को महान् सफलता मिली। गुट-निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद् में भारत की निन्दा की। 50 वर्षों में पहली बार सुरक्षा परिषद् ने भारत की निन्दा की और संकल्प को पारित किया गया। हमारी पहले भी निन्दा हुई किन्तु सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग किया था। इस बार यह किसी ने नहीं किया।

पी-5, जी-8 और सुरक्षा परिषद् से अलग-थलग पड़ जाना आपकी पहली उपलब्धि है। 33 वर्षों तक सुरक्षा परिषद् में कश्मीर पर कभी चर्चा नहीं हुई क्योंकि सितम्बर, 1965 में सरदार स्वर्ण सिंह सुरक्षा परिषद् से बाहर चले गए थे। मैं उस प्रतिनिधि मण्डल का सदस्य था और आपके प्रधान सचिव भी सदस्य थे। हम बाहर चले आए। जून, 1998 में आपके कारनामे के बाद ही ऐसा हुआ कि कश्मीर पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई और कश्मीर के बारे में हमारी निन्दा की गई। इसका जिम्मेदार कौन है?

क्या आप अपने अलग- थलग पड़ने के बारे में और जानना चाहेंगे?

[हिन्दी]

इधर कुंआ और इधर खाई, जिम्मेदार हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यह कुंआ किसने खोदा? यह खाई किसने खोदी?

[अनुवाद]

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया। विस्फोट करने के लिए आपने कारण ढूंढ़ लिए। हम यह बहुत पहले कर चुके होते। श्री क्लिंटन को लिखे अपने पत्र में आपने पहली बात चीन से खतरे के बारे में कही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे फिर कहूंगा कि आपको उस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। आपने हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि आपने उसे पढ़ा नहीं। अगर आपने उसे पढ़ लिया होता तो उस पर हस्ताक्षर नहीं किए होते। सामान्य सी बात है। देश के प्रति जवाबदेही उन देवी या सज्जन की है जिन्होंने मसौदा तैयार किया था। यह कूटनीति के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष को लिखे पत्र में आप अन्य राष्ट्रों का नाम नहीं लेते और जब आप किसी को दुश्मन कहते हैं तो आप उसे दुश्मन बना लेते हैं। यह तो सहज बुद्धि है। उस पत्र से क्या हुआ? चीन के साथ मधुर संबंध बनाने हेतु दस वर्षों के कार्य पर पानी फिर गया और आपने प्रक्रिया को आरम्भ किया हालांकि आपका दौरा स्थगित हो गया। हमें आघात पहुंचा।

आपके पत्र में यदि एक बात है तो मेरे प्रश्न के लिए श्रीमती वसुन्धरा राजे के उत्तर में बिल्कुल दूसरी बात हैं। आज तक आप किसी भी देश को यह विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि सुरक्षा संबंधी कोई खतरा था अतः सुरक्षा संबंधी खतरे की बात करने के बजाय आपको केवल इतना कहना चाहिए था कि अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए 1995 और 1996 में परमाणु विस्फोट करने वाले फ्रांस और चीन जैसे देशों की तरह ही एक सम्प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र देश भारत ने भी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया और परमाणु विस्फोट किया। यदि आपने ऐसा किया होता तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। यदि आपने हमसे कहा होता तो मैं आपको यह सलाह मुफ्त देता क्योंकि यह प्राथमिक है। किन्तु आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन पहला शत्रु है और आपके गृह मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान पहला शत्रु है और अपने पत्र में आप चीन और पाकिस्तान दोनों के बारे में कहते हैं। कृपया निर्णय कीजिए।

श्री मुरली देवरा : श्री खुराना ने भी कुछ कहा था।

श्री के॰ नटवर सिंह : नहीं, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता।

अपराह्न 5.00 बजे

यह आवश्यक नहीं है। हालांकि मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे कुछ विदेशी मित्रों ने बताया कि आपके कुछ मंत्रियों के वक्तव्यों को परमाणु विस्फोटों से भी अधिक नुकसानदेह समझा गया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं क्या वे भारत पर शासन कर रहे हैं? प्रधान मंत्री जी, आपने ऐसा नहीं कहा है। आपने सावधानीपूर्वक शब्द-चयन किया है जिसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूं, पर काश मैं आपके सहयोगियों के बारे में भी ऐसा कह सकता। आज आपकी यह स्थिति है कि 50 वर्षों में पहली बार विदेश नीति पर राष्ट्रीय आम-राय भंग हुई है। आप क्षतिपूर्ति तभी कर सकते हैं। जब हमें विश्वास में लेंगे क्योंकि इस देश की महान शक्तियों में से एक शक्ति यह रही है कि विदेश नीति के मामलों में देश और संसद की एक आवाज रही है। 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन में इस प्रकार का मतभेद है। आपको खेद है और हमें भी खेद है, पर क्षति तो हो चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि विदेश नीति और घरेलू नीति के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं? आपकी विदेश नीति सार्थक, शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण तभी हो सकती है जब आपकी घरेलू नीति भी ऐसी हो। आपकी सरकार में असंगतता का बेसुरापन है और जिस संगीत मण्डली का आप नेतृत्व कर रहे हैं उसका संगीत सुरीला नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके गठबंधन में कई युद्ध-संचालक हैं जो स्वयं कानून चलाते हैं और आपके अनुशासन को नहीं मानते। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। यह एक राजनीतिक सच्चाई है। आपने एक गठबंधन बनाया जिसका विदेश नीति जैसे मुद्दे पर भी कोई सामान्य आधार नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नटवर सिंह, मुझे भी संदेह है। आप सभा में बोल रहे हैं या प्रधान मंत्री जी से बोल रहे हैं?

श्री के॰ नटवर सिंह : ठीक है, महोदय, मैं आपसे ही बात करूंगा। मैं भूल सुधार करता हूं। अब मैं केवल आपकी ओर देखूंगा और चाहूंगा कि आप मुस्कुराते रहें।

अब जो दूसरी हानि हुई है वह यह है कि हमने पाकिस्तान के साथ बराबरी स्थापित कर ली है। 28 ओर 30 मई को हम बराबरी पर नहीं रहे, नीचे आ गए। अब आपने पहले आक्रमण न करने संबंधी समझौते का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि वह हस्ताक्षर करता है तो भारत की पारम्परिक श्रेष्ठता सदैव के लिए पुनः स्थापित हो जाएगी जबकि जो बराबरी आपने इतनी आसानी से उन्हें दी है उसे प्राप्त करने में उन्हें 50 वर्ष लगे। आप क्या सोचते हैं कि श्री नवाज शरीफ ने इसे समय की बरबादी और व्यर्थ क्यों कहा। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं कहा। यदि उन्होंने विस्फोट न किए होते तो वे ऐसा नहीं कह सकते थे। इसका आरम्भ हमने किया था। अब प्रत्येक अवसर पर पाकिस्तान की सरकार दुराग्रही रहेगी। आप सोचते हैं सुरक्षा परिषद् से आप छूट गए हैं। अगले महीने से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही है और हर दिन कश्मीर चर्चा का मुख्य मुद्दा रहेगा। आपकी क्या आकस्मिक योजनाएं हैं? हमारे समर्थन में वहां कितने मित्र होंगे जो कहेंगे कि इस मामले पर वहां चर्चा नहीं होगी?

श्री जसवंत सिंह अमेरिका के साथ आए दिन चर्चा कर रहे हैं। हम ये तो जानते हैं कि श्री जसवंत सिंह ने श्री टालबोट से क्या कहा है पर हम ये नहीं जानते कि श्री टालबोट ने जसवंत सिंह जी से क्या कहा। क्या आप बतला सकेंगे? यह जानना इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या चर्चा कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सी॰टी॰बी॰टी॰ में कुछ संशोधनों के बारे में कहा है। वे संशोधन क्या हैं? सी॰टी॰बी॰टी॰ में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और जिन 44 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उनके सहमत हुए बिना इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ ने तो इसकी पुष्टि भी की है। जब अमरीकी यहां आए थे तो आपको उनसे यह प्रश्न पूछना चाहिए था। यदि मुझे ठीक से याद है तो फ्रांस और चीन ने 1994-95 तक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे फिर भी उन्हें परमाणु शक्तियों का पूरा दर्जा दिया गया। आपको श्री टालबोट को बताना चाहिए था और आपको श्री क्लिंटन को भी बताना चाहिए था कि भारत एक अरब जनसंख्या और प्राचीन सभ्यता व महान् संस्कृति एवं परंपरा वाला देश है; हम निर्धन हो सकते हैं पर हमारे पास गौरव है और यदि आप हमें चीन और फ्रांस जैसा दर्जा न भी दें तो भी हम झुकने वाले नहीं हैं।

[श्री के॰ नटवर सिंह]

आप सी॰टी॰बी॰टी पर थोड़ा इधर-थोड़ा उधर सौदेबाजी कर रहे हैं। वे आपको परमाणु शक्ति का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमें इनकार करने वाले वे कौन हैं? उन्होंने तो हर नियम तोड़ा है और हमने हर एक नियम को माना है, फिर भी हमें ही हर बार कटघरे में खड़ा किया गया है। श्री जसवंत सिंह को सी॰टी॰बी॰टी॰ संबंधी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है और जब तक आप हमें साथ नहीं लेते आपको भी सी॰टी॰बी॰टी॰ संबंधी चर्चा करने का अधिकार नहीं है। यह निश्चित है। सी॰टी॰बी॰टी॰ पर अमेरिका से बात करने के लिए हम एक सामान्य कार्यक्रम चाहेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरी सभा की शुभेच्छाएं आपके साथ होंगी। मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप एक अरब लोगों के प्रधान मंत्री के रूप में जाएंगे और बात करेंगे। आपकी तरह के अधिक लोग नहीं हैं। चीन के श्री जियांग जेमिन पहले स्थान पर और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आप दूसरे स्थान पर हैं और बाकी 200 और 300 मिलियन लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का प्रधान मंत्री होना कोई कम गौरव की बात नहीं है। आप अमेरिका को बताइए कि प्रत्येक भारतीय आपके साथ है और हम वही दर्जा चाहते हैं जो उक्त को दिया गया है अन्यथा आप अपनी सी॰टी॰बी॰टी॰ अपने पास रखें। मैं क्रोधित या उग्र होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कूटनीतिक तथ्य बतला रहा हूं।

अब आप इस बात को ही लें कि अमरीका हमारे साथ क्या कर रहा है। कश्मीर का मुद्दा सुर्खियों में है और यह सबकी जुबान पर है। नेशनल जियोग्राफिक सोसायटी ऑफ अमरीका में अपने भाषण में श्री क्लिंटन कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए और चीन को भी उनके साथ वार्ता में भाग लेना चाहिए। यह 50 वर्षों में नहीं हो पाया है। यह किसकी देन है? यह हमारी देन नहीं है, फिर श्री क्लिंटन चीन गए और वे वहां 9 दिन तक रहे। चीन और अमरीका द्वारा जारी किए गए अपने संयुक्त वक्तव्य में तीन पृष्ठ भारत और पाकिस्तान के बारे में थे। उनका क्या हक है? चीन का उत्तर है, आपने क्लिंटन को भेजे गए पत्र के माध्यम से हमारा उल्लेख किया है, हम यहां आपका उल्लेख करते हैं। यदि आपको चीन के विरूद्ध शिकायत करनी थी तो चीन से ही शिकायत करते। क्लिंटन से शिकायत क्यों की? मैं सरकार से इसका उत्तर जानना चाहूंगा कि आप सभी पार्टियों को अपने साथ लिए बिना अकेले ही इस स्थिति से कैसे निबटेंगे। पचास वर्ष पहले जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया ढांचा 11 मई तक सही पाया गया था। आप 1977 में विदेश मंत्री बने थे। उसके बाद से पांच सरकारें बनीं, लेकिन वे भारत की विदेश नीति को नहीं बदल सकीं क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी नीति स्थिर, निष्प्रभावी और निरर्थक है। देश के एजेंडा बदलते रहे। 1950 में एक एजेंडा था तो 1997 में यह दूसरा लेकिन बृहत रूप में निरगुट आंदोलन में आप विकाशील देशों की आवाज उठा सकते हैं। श्री नवाज शरीफ से हमारे साथ वार्ता करने के बारे में पूछना चाहिए ताकि हम सुरक्षा परिषद में इन पांच महाशक्तियों से संयुक्त रूप से कह सकें कि "आइए हम आपके साथ बात करेंगे।" आपको अमरीका को यह बताना चाहिए कि उन्हें जिनीवा में राजीव गांधी की यथा प्रस्तावित योजना के अनुसार समग्र और समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की पहल करनी चाहिए। उन्हें पहल करने के लिए कहना चाहिए और भारत तथा पाकिस्तान दोनों को यह कहना चाहिए कि "हम आपका साथ देंगे लेकिन हमें वह दिन बताएं जब परमाणु हथियारों को पूर्णरूपेण नष्ट कर दिया जाएगा।" आज पांचों महाशक्तियां नियम और कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं और हमारे बारे में निर्णय ले रही हैं। मैं समझता हूं कि भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी बात पर ध्यान दिया जाएगा बशर्ते आप इस बात को हम सबके समर्थन से कहें। अन्यथा आपकी इसी तरह अनसुनी कर दी जाएगी जिस तरह से अभी आपकी उपेक्षा की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपकी परमाणु नीति क्या है? क्या आप परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं? क्या आप अपने प्रक्षेपास्त्रों को परमाणु हथियारों से लैस करेंगे? उन्हें कहां तैनात किया जाएगा? इस पर कितना खर्च आएगा? मैं 1953 से सरकार में किसी न किसी रूप में रहा हूं। आप कुछ चीजों का खुलासा नहीं कर सकते। आप कतिपय बातों को नहीं बता सकते हैं। हम आपसे कुछ चीजों के बारे में नहीं पूछेंगे। आपकी परमाणु नीति की व्यापक रूपरेखा क्या है? भारत की परमाणु नीति को हमसे परामर्श किए बिना बदल दिया गया है। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि "हम हथियार शामिल करेंगे। हम परमाणु विदेश नीति को बदलेंगे।" आपने हमसे परामर्श नहीं किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में भारत की परमाणु विदेश नीति को नहीं बदला। उन्होंने परमाणु हथियार शामिल नहीं किया। इस असलियत को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जिन हालात में सरकार ने 11 मई को नरम रूख अपनाया वह हमें विरासत में मिली है। आपके समक्ष शेष अन्य सभी विकल्प सख्त विकल्प हैं।

हम जानना चाहेंगे कि सी॰टी॰बी॰टी॰, सुरक्षा और परमाणु नीति से कैसे निपटेंगे और आप श्री क्लिंटन और अमरीकियों से कैसे निपटेंगे क्योंकि अमरीका की सैकेटरी ऑफ स्टेट्स सुश्री मैडलीन अलब्राइट ने स्वयं पांच अवसरों पर भारत जैसे महान देश के विरूद्ध अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग किया है। आप भी ऐसी बातें नम्रतापूर्वक दृढ़ता पूर्वक अपनी बातों पर जोर देते हुए कह सकते हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सैकेटरी ऑफ स्टेट्स को उस प्रकार से भारत के गृह मंत्री को सम्बोधित करने का कोई अधिकार नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने किया है।

मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने यह मामला श्री टालबोट के साथ उठाया था। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस मामले को उसके साथ उठाया है अथवा नहीं।

कूटनीति से मुझे निर्वाण अथवा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती बल्कि इससे मुझे आशा मिलती है और यह आवश्यक है कि आप इस सभा में आपके सहायतार्थ उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करके उसी प्रकार की सर्वसम्मति प्राप्त करें जो 11 मई से पूर्व थी। भविष्य में होने वाली चर्चाओं में प्रधान मंत्री जी यदि आप हमें विश्वास में लेंगे तो हम आपके साथ भरसक सहयोग करेंगे क्योंकि हम कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते। आपकी पार्टी का दृष्टिकोण शिमला समझौते के प्रति आलोचनात्मक था। अब शिमला समझौते के प्रति लगाव दिखा रहे हैं। यहां तक कि श्री एल॰के॰ आडवाणी भी शिमला समझौते की बात करने लगे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम जो शिक्षा हमने प्रदान की है उसका कुछ असर पड़ा है और इसे सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है जबकि एक समय इसे श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री भुट्टो द्वारा मिलकर रचा गया षडयंत्र समझा जाता था। मनाली में अपनी छुट्टियां बिताने के बाद आप शिमला गए थे। मेरी इच्छा थी कि आप ज्यादा छुट्टियां मनाते। शायद आपको इसकी आवश्यकता थी। 'माल' में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आपने कहा था कि शिमला समझौता अच्छा है। मुझे खुशी है। मैं आपको बधाई देता हूं। श्री एल॰के॰ आडवणी ने इस बात को बाद में माना, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। आपको पाकिस्तानियों को 'हां' कह देना चाहिए। हम केवल कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे इसके अतिरिक्त और किसी पर नहीं। यदि आप कोई मदद चाहते हैं तो मैं आपके शिष्टमंडल में शामिल हो जाऊंगा। उन्हें बता दीजिए "केवल कश्मीर" और हम इसका हल उनसे बेहतर ढंग से निकालेंगे। लेकिन आप कश्मीर मुद्दे के संबंध में क्यों झिझक रहे हैं? प्रधान मंत्री जी आपके पास बहुत अच्छा मामला है। आप इसे स्पष्ट रूप से और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाएं।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : 193 के बारे में क्या हुआ?

श्री के॰ नटवर सिंह : प्रधान मंत्री जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों की सहायता से हमारी विदेश नीति में आए विकारों को दूर कर इसे ठीक बनाएं। इस समय आपको न केवल भाग्य और सफलता की आवश्यकता है बल्कि आपको साहस की भी आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

सभापति महोदय : मैं इस सदन से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस चर्चा को सभा द्वारा बढ़ाए गए समय तक जारी रखा जाए। अभी तीन और माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलना है।

अनेक माननीय सदस्य : हम इस चर्चा को कल भी जारी रख सकते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : नियम 193 पर देर रात तक चर्चा करने का क्या फायदा है?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं प्रत्येक सदस्य को केवल पांच-पांच मिनट ही दिए जा सकती हैं। इसलिए उनके लिए कुल 15 मिनट बहुत होंगे।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)* निर्वासन मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती गीता मुखर्जी को अभी चर्चा शुरू करनी है। यह बताया गया था कि चर्चा पांच बजे शुरू होगी। लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका। 6 बजे यदि यह चर्चा समाप्त हो जाती है तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वाद-विवाद का समय बहुत कम होगा। इस पर चर्चा कल कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। इसलिए यदि तीनों सदस्य अपना भाषण पूरा कर लेते हैं तो उत्तर कल दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : उस समय तक 6 बज जाएंगे। सदन में कोई नहीं रहेगा।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी आधा घंटे की चर्चा भी है। तब क्या कार्य किया जाना है? हम इसे कल 11 बजे शुरू कर सकते हैं? माननीय प्रधान मंत्री यहां बैठे हैं। सदन के नेता के रूप में वे माननीय अध्यक्ष को दो शब्द कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल ग्यारह बजे इसे चर्चा के लिए ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही लाभदायक होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। यदि माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो हमें उनकी बात सुनने में बहुत खुशी होगी।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आधे घंटे की चर्चा भी है ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : सभापति महोदय, यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था कि कल दो बजे जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया था। माननीय अध्यक्ष भी इस पर सहमत हो गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह माननीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में पहले ही लाया गया है।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : ऐसा नहीं किया गया। यह निर्णय पहले ही लिया गया था। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि आज के इतने अधिक कार्य कल किए जाएंगे, तो कल दो बजे जैन आयोग की रिपोर्ट पर होने वाली चर्चा पर इसका प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए। इससे ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जिससे कि हमें इसे स्थगित करना पड़े।

[प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन]

इस पर चर्चा आरंभ होने से पहले अन्य सभी चर्चाएं पूर्ण हो जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष द्वारा कोई ठोस निर्णय की घोषणा नहीं की गई थी। संसदीय मामलों के मंत्री यहां उपस्थित हैं, वो इसका उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : अब समय कहां है? सदन रोज देर तक बैठता है यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, बी॰ए॰सी॰ की मीटिंग में पहले से तय हुआ था कि कल दो बजे जैन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और उसके पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की समस्याओं के बारे में चर्चा को लिया जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि प्रधान मंत्री जी कल सुबह जवाब देंगे। आज एक्सटर्नल अफेयर्स पर बहस को खत्म करके आपका जो नियम 193 है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह हमारा नहीं है, पूरे हाउस का है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जो गीता जी के नाम से नियम 193 के अधीन चर्चा है, उसको ले लिया जाएगा। हम एक घंटा लेट बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : वह आज नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : हम तय करते हैं कि इसे चार बजे तक समाप्त कर देंगे लेकिन वह समाप्त होता नहीं। सब बोलना भी चाहते हैं और टाइम भी एक्सटैंड नहीं करना चाहते।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.18 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विदेश नीति पर बोलने वाले केवल तीन सदस्य हैं। तीन सदस्यों को उनका भाषण पूरा कर लेने दीजिए। इसके बाद हम नियम 193 के तहत चर्चा आरंभ करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कब तक चलेगा? आधे घंटे की चर्चा भी तो है। आम तौर पर मैं बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता हूं। मगर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसे आम मामलों की तरह मत लें। यदि यह छः, या साढ़े छः या सात बजे आरंभ होती है तो यहां कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना भाषण यहां सुनाना चाहते हैं। मगर यह बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे यकीन है कि सब इस बात से सहमत हैं कि यह एक गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आधे घंटे की चर्चा भी है। इस पर हम कैसे चर्चा करेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल इसे आरंभ होने दीजिए। हम सीमित समय में चर्चा समाप्त करना चाहेंगे। आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : निर्वासन के मुद्दे पर हम कल ग्यारह बजे नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कल भी नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : रोज हमें नौ बजे तक बैठना पड़ता है। यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : मेरा कहना यह है कि सदस्यों को विदेशी मामलों पर बोलने का मौका दिया जाए। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। इसे छः बजे तक पूरा किया जा सकता है। कल सुबह ग्यारह बजे नियम 193 के तहत चर्चा के अन्तर्गत निर्वासन के मुद्दे पर चर्चा आरंभ की जा सकती है। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां जा कर स्थिति का जायजा लिया। कृपा करके इस पर सदन में बहस करायें। वहां स्थिति बहुत ही गंभीर है। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री विदेशी मामलों पर अपना उत्तर दे सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर चर्चा भी महत्वपूर्ण है। जैन आयोग रिपोर्ट और की गई कार्यवाई संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा दो बजे आरंभ की जा सकती है। हम इस पर चर्चा एक घंटे बाद तीन बजे भी आरंभ कर सकते हैं। यह मेरा आदरपूर्वक निवेदन है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : पश्चिम बंगाल के दोनों नेताओं द्वारा दिया गया यह सुझाव उचित है। इस पर मेरा एकमात्र संशोधन यह है कि प्रधान मंत्री ग्यारह बजे उत्तर दें और तत्पश्चात् नियम 193 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा आरंभ की जा सकती है। यह सही रहेगा।

श्री अजित कुमार पांजा : हम सहमत हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हर पक्ष के एम॰पी॰ ने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति

के सदस्यों ने वैलफेयर मिनिस्ट्री के संबंध में रिक्वैस्ट किया था लेकिन वैलफेयर मिनिस्ट्री ने डिस्कशन के बजाय यह माना कि एक दिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर डिस्कशन ले लेंगे। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में ऑल लेडीज ने तय किया था कि फ्राईडे को 4.00 बजे हर हालत में इसको ले लिया जायेगा चाहे और बिजनैस समाप्त हो या न हो। उसके बाद जब बी॰ए॰सी॰ में बैठे तो सब नेताओं की फिर राय ली गई। उस दिन हम लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी यह संभव न होगा, इसलिये सोमवार को रखो। सब लोगों ने कहा कि सोमवार को नहीं, मंगलवार को फर्स्ट लिस्ट मैं रखा जाये तथा उसके बाद ही दूसरा आईटम आयेगा। मैं आपसे आग्रह से कहना चाहता हूं कि दूसरे आइटम्स भी इम्पार्टेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले को इतना लाइटली न लिया जाये। आपसे आग्रह है कि आपने जो कार्यक्रम 11.00 बजे से 13.00 बजे तक लेना है, वह ले लीजिये तथा उसके बाद नियम 193 के अधीन चाहे महाराष्ट्र की चर्चा लें या जैन कमीशन रिपोर्ट को ले लीजिये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्राईम मिनिस्टर के रिप्लाई का क्या होगा?

श्री राम विलास पासवान : प्राईम मिनिस्टर का रिप्लाई 11 बजे हो जायेगा और उसके बाद एस॰सी॰एस॰टी॰ को ले लीजिये।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : सब को पता है कि जैन आयोग रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए सदन की बैठक बढ़ा दी गई। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था। मैं यह नहीं कह रहा कि अन्य चर्चाएं कम महत्वपूर्ण हैं। वो भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि आज चाहे जो भी कार्य हो इसे सदन की बैठक बढ़ाकर आज ही पूरा किया जाए। सदन की बैठक बढ़ाए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि पहले निर्णय लिया गया है, प्रधान मंत्री कल ग्यारह बजे उत्तर देंगे और तत्काल उसके बाद नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर बहस होगी। हम जैन आयोग की रिपोर्ट ठीक दो बजे चर्चा आरंभ करेंगे...*(व्यवधान)* मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरा कहना यह है कि आज का कार्य, नियम 193 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के निर्वासन पर बहस आरंभ करके आज समाप्त कर दिया जाए...*(व्यवधान)* कृपा हमारी बात मान लीजिए। सदन की बैठक जैन आयोग की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए बढ़ाई गई थी ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सदन की बैठक जैन आयोग पर चर्चा करने के लिए नहीं बढ़ाई गई थी। यह गलतफहमी है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : महोदय, विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कुछ मुद्दों पर कुछ राजनीतिक दलों की दिलचस्पी होती है। क्या मैं माननीय अध्यक्ष से यह निवेदन कर सकता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : महोदय, सब को पता है कि कल उपाध्यक्ष का चुनाव है। इसलिए हम यहां आएं हैं, हमें यह नहीं बताया गया कि यह चुनाव कब होगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : हम सदन की बैठक नौ बजे आरंभ कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम नौ बजे तक कैसे कर सकते हैं? यह कैसा सुझाव है?

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, विदेश मामलों पर बहस में भाग लेने के लिए सभी दलों ने वक्ताओं के नाम दे दिए हैं। मगर, भाषण देने के लिए केवल बड़े दलों के सदस्यों को मौका मिला है और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे जैसे छोटे दलों को अवसर नहीं मिला है। विस्तारपूर्वक तो नहीं बल्कि सीमित तौर पर विदेश नीति पर हम भी बोलना चाहते हैं। सूची में बचे हुए तीन सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सदन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री कल जवाब दें सकते है। यदि यह संभव नहीं है, तो अध्यक्ष से मेरा नम्र निवेदन है कि कल प्रधान मंत्री द्वारा जवाब दिए जाने से पहले इन तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* हम भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मेरा सुझाव है कि आज का कार्य आज ही देर तक बैठ कर समाप्त किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, आप कार्य कल समाप्त नहीं कर सकते।

अब श्री ई॰ अहमद बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं टोक नहीं रहा हूं। केवल आधा सेकेंड। अध्यक्ष महोदय, क्या निर्णय लिया गया? क्या हम दस बजे रात तक बैठेंगे?...*(व्यवधान)* क्योंकि वो चर्चा पूर्ण नहीं हो सकेगी। क्या आप यह समझते हैं कि महज कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने से अधिकांश सदस्य चले जाएंगे और इस कारण इसे आधे घंटे में समाप्त होने की उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आठ बजे तक बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह एक प्रथा बन गई है ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपा बैठ जाएं। अब श्री ई॰ अहमद। बोलेंगे।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आप हमारी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस विषय पर कल ग्यारह बजे चर्चा की जाए।...*(व्यवधान)* महोदय, यह उचित नहीं है, यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान मंत्री के जवाब के बाद आप इस पर बहस की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ई॰ अहमद।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। समयाभाव के कारण मैं सभा का अधिक बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। कोई भी सदस्य एक-दो मिनट के अन्दर विदेश नीति का व्याख्यान नहीं कर सकता। तथापि, महोदय, मैं इस सदन में ऐसी कतिपय बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका जिक्र अन्य सदस्यों ने नहीं किया। अतएव मैं अपनी बात केवल एक अथवा दो मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारी विदेश नीति की आधारशिला रखी थी। अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को रखते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो उन्होंने लिया था, वह था, अरब और इस्लामिक देशों के साथ मधुरतम संबंधों को बनाना। हम इस नीति का अनुसरण करते रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हाल के वर्षों में हमारी विदेश नीति के मामले में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा करता रहा है और वह है, हमारे पड़ोस में स्थित देशों के साथ संबंध। हमारे पड़ोस में, 'गल्फ कोआपरेशन काउन्सिल स्टेट्स' है जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, युनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, बहरीन और कतर हैं। जहां तक भारत का संबंध है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

पांच बिन्दुओं पर, हम इन देशों के साथ भारत के संबंधों की महत्ता की उपेक्षा नहीं कर सकते। पहला बिन्दु है कि ये सभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, दूसरा बिंदु यह है कि ये देश हमारी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत हैं। तीसरे, इन देशों के साथ हमारा 10 बिलियन डालर प्रति वर्ष का व्यापारिक संबंध है, चौथे हम इन देशों से 4 बिलियन डालर मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और पांचवां बिन्दु यह है कि साढ़े तीन मिलियन से ज्यादा लोग इन देशों में नौकरी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक आराम से रह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हम इन देशों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अन्य विभिन्न देशों को दे रहे हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि हमारे कितने मंत्रियों ने इन देशों का दौरा किया है? ये वे देश हैं जहां हमारे साढ़े तीन मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं और जहां से 4 बिलियन डालर से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। लेकिन इन देशों के साथ हम किस प्रकार का संबंध रखते हैं? वहां हमारे राजनयिक अवश्य हैं। लेकिन हम वहां पर केवल भारत सरकार के सचिवों को ही भेजते हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री इन देशों का दौरा क्यों नहीं करते हैं?

उनका कहना है कि वे भारत की स्थिति को लेकर काफी चिन्तित हैं। एक तरफ तो हम उन्हें यह बताने के लिए अपने राजनयिक नियुक्त करते हैं कि हमारा पोखरण परीक्षण केवल एक निवारक उपाय था; दूसरी तरफ हमारे मंत्रियों द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों से वहां रह रहे लोगों के मस्तिष्क में भारी चिंता पैदा कर दी है। हां, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने निश्चय ही नेक नियति से बयान दिया है। उन्होंने कहा है, "पोखरण परीक्षण के बाद से देश में भू-सामरिक स्थिति बदल गई है।" यहां तक कि उन देशों के समाचार पत्रों ने भी "चूजी कोटेशन्स" के रूप में हमारे बहुत ही अच्छे मित्र श्री मदन लाल खुराना के बयान को उद्धृत किया है। मैं उनके द्वारा दिए गए बयान को उद्धृत करता हूं : "यदि पाकिस्तान हमारे साथ और लड़ना चाहता है तो वह हमें समय और स्थान बता दे।" एक तरफ तो हम अपने देशों, अरब देशों को बताते फिर रहे हैं कि यह केवल निवारक उपाय था और दूसरी तरफ हमारे जिम्मेदार मंत्री गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इसलिए, वे क्या सोचते होंगे?

माननीय सदस्यों ने ओ आई सी (इस्लाम देशों का संगठन) देशों के बारे में उल्लेख किया है। विश्व के इन पचपन देशों में से अधिकांश ने हमेशा भारत का साथ दिया है। वे भारत का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हमेशा भारत का पक्ष लिया है। लेकिन क्या हम इन देशों के साथ उसी स्तर का संबंध रख रहे हैं अथवा उसी शिष्टाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका प्रदर्शन हम अन्य यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रति करते हैं? इसलिए देश के हित में यह नितान्त आवश्यक है कि हम इन देशों के साथ बहुधा अन्योन्यक्रिया जारी रखें। मुझे बड़ी खुशी है कि विदेश मंत्रालय में हमारी राज्य मंत्री, मनोहारी महिला, श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कुछेक अरब देशों का दौरा किया था। वह ठीक है लेकिन हम इन देशों के साथ और अधिक अन्योन्यक्रिया क्यों न करें?

महोदय, राजदूतों और उच्चायुक्तों को नियुक्त करना और उन्हें वापस बुलाना सरकार का विशेषाधिकार है। लेकिन जिस तरह से लन्दन में भारत के उच्चायुक्त को हटाया गया वह बहुत अशोभनीय था। इसे इस तरह नहीं किया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर सरकार किसी को नियुक्त करने का विशेषाधिकार रखती है। उस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सब कुछ बहुत शोभनीय ढंग से किया जाना चाहिए। इस मामले में यह शोभनीय ढंग से नहीं किया गया।

विदेशों के साथ सम्बन्धों में हमें भारत के हितों का ध्यान मस्तिष्क में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस पृथकता को रोकने में हम निश्चित तौर पर सक्षम होंगे और उसी नीति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे जिसकी शुरूआत और किसी ने नहीं बल्कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : अध्यक्ष, महोदय बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने जॉन कैनेडी द्वारा लिखित एक पुस्तक "थाउजेन्ड ईयर्स आव वार" पढ़ी थी। उनके अनुसार विगत हजार वर्षों में सभी युद्धों के पीछे एक आर्थिक पृष्ठभूमि रही थी।

पोखरण परीक्षण के बाद, एक बहस चल रही है कि क्या यह आवश्यक था अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि यदि परीक्षण से संबंधित विवाद जारी रहता है तो हम स्वयं को किस स्थिति में ले जा रहे हैं। यदि हम पश्चिमी देशों के साथ उन क्षेत्रों में प्रतियोगिता करने जा रहे हैं जिसमें उनका वर्चस्व है—जैसे कि अस्त्र-शस्त्र और विमान उत्पादन—तो कतिपय मात्रा में आर्थिक शक्ति उदीयमान क्षेत्रों केन्द्रों में पैदा होने जा रही है। 1920 के मुकाबले, पश्चिमी देशों की आर्थिक शक्ति पहले ही क्षीण हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में पश्चिमी देशों के योगदान में तीस प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट आई है। अगले बीस वर्षों में, विश्व के आर्थिक परिदृश्य में पश्चिमी देशों का आर्थिक योगदान घटकर चालीस प्रतिशत तक होने जा रहा है। यह भावी परिदृश्य है।

एक दूसरा परिवर्तन, जटिल परिवर्तन, भी उभर रहा है। वह है पहले अस्तित्व में रही पुरानी सभ्यता का पुनर्जन्म। निःसंदेह, अनेक क्षेत्रों में उनका रूप पहले ही आधुनिक हो चुका है। परिवर्तन सभ्यता के आधार पर हो रहा है। मैं बोसनिया का उदाहरण दे सकता हूं। बोसनिया का बंटवारा इसाईयों और मुसलमानों के आधार पर कर दिया गया था। अब, हमें नई विश्व व्यवस्था के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो उदीयमान सभ्यता पर आधारित है। इसका उदय तीसरी दुनिया के देशों में पहले ही हो रहा है।

आज हम अलग-थलग पड़ जाने की बात कर रहे हैं। कुछ देश चाहते हैं कि हम आर्थिक शक्ति बनें और कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम आर्थिक शक्ति बनें। इसीलिए, इस तरह के आर्थिक प्रतिबन्ध लगने जा रहे हैं। हम पोखरण में परमाणु परीक्षण पहले ही कर चुके हैं। अतः यह बहस करने से कोई फायदा नहीं कि यह लाभप्रद है अथवा नहीं। आज यह चर्चा करना कि क्या यह फायदेमंद होने जा रहा है अथवा नहीं का कोई अर्थ नहीं है। हमें एकजुट होकर रहना होगा। मैं जानता हूं कि हमारे सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्गुट आंदोलन में रहे हैं तथा इसके नेता भी रहे हैं। आगामी दस वर्षों में निर्गुट आंदोलन में क्या होने जा रहा है। क्या हम उसी पुरानी दकियानुसी बात से चिपके रहेंगे कि हम निर्गुट आंदोलन के नेता हैं अतः इसकी कोई प्रासंगिकता है। क्या जैसाकि मैंने कहा सभ्यता के आधार पर पुनः संतुलन बहाल किया जायेगा, तो मैं नहीं जानता कि निर्गुट आंदोलन का क्या हश्र होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें भी उस दिशा में चलना होगा।

अतः मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस मुद्दे जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं पर ध्यान देंगे। जैसाकि मैंने सुना है तथा कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से जाना है, भारत के विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों को चीन के मानचित्र पर दर्शाया गया है। जिसे विद्यालयों में चीन का हिस्सा होने के रूप में बताया जा रहा है। यह स्थिति अधिकारिक मानचित्रों में नहीं है किंतु विद्यालयों के मानचित्रों में इसे चीन के भाग के रूप में दर्शाया जा रहा है। यदि आज जो यह शिक्षा दी जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भाग नहीं है तब आने वाली पीढ़ियों में यह भावना रहेगी कि हम अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले जो चीन का एक हिस्सा है, चीन के साथ रहें, इस भावना से आने वाली पीढ़ियों में घृणा तथा विद्वेष पनपेगा। यह शिक्षा दी जा रही है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस मामले की जांच करने तथा इस सभा को यह सूचित करने जा रहे हैं। यह सच है अथवा नहीं।

मैं यहां एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहूंगा। वह है भाजपा के कुछ वक्ता सदस्यों का दृष्टिकोण विशेषकर पूर्व अध्यक्ष श्री पी॰ए॰ संगमा के प्रति। श्री संगमा ने भी भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार हुआ है जब कुछ सदस्यों ने यह कहते हुए यह रवैया अपनाया है कि "नहीं पोखरण परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, हमें बमों का विस्फोट नहीं करना चाहिए।" रवैया क्या रहा है?

श्री चंद्रशेखर ने भी उस दिन कहा कि इस देश में किसी परमाणु बम की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा हमें इसका विस्फोट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे भाजपा की ओर से दो प्रकार के दृष्टिकोण आते दिखते हैं। विशेषतः जब श्री जगमोहन बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूं लग रहा है मानों श्री पी॰ए॰ संगमा पाकिस्तान की संसद में बोल रहे हों। दूसरे उन्होंने रोम का उल्लेख किया। क्या मैं सत्ता पक्ष से जान सकता हूं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि श्री संगमा हिंदू नहीं इसाई हैं? इस प्रकार की टिप्पणी तब नहीं की गई जब पूर्व प्रधान मंत्री श्री चंद्रशेखर बोल रहे थे। क्या ऐसा उनके हिंदू होने के कारण है? यदि सत्ता पक्ष द्वारा धार्मिक आधार पर इस प्रकार का भेदभाव किया जाता रहा तो मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि इससे पूर्वोत्तर राज्य अलग-थलग हो जायेंगे क्योंकि वे सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज का हिस्सा नहीं हैं। विश्वभर में हो रहे इस सांस्कृतिक पुरुत्थान का प्रभाव इस देश पर भी पड़ेगा। हमें राजनीतिक समझबूझ से काम करना होगा, हमारे बीच विचारों के मतभेद हो सकते हैं हम शायद उस

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

धर्म वर्ग के नहीं हों जिस धर्म को आप मानते हो, लेकिन धर्म के आधार पर हमारे राष्ट्रीय हितों तथा किसी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारे देश की विदेश नीति किसी विशेष दल की नीति नहीं है, यह राष्ट्र की नीति है। हम एक ही आवाज में बोलते रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी चूंकि अब वह भी पधार चुके हैं से जानना चाहूंगा, कि 11 तथा 13 मई को परमाणु विस्फोट किए जाने हेतु उन्होंने किन-किन बातों को आधार बनाया। क्या हम ऐसा पाकिस्तान को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने हेतु कर रहे हैं? इन विस्फोटों का क्या लाभ है? हमें इन विस्फोटों से क्या प्राप्त हुआ है? रक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री ने विदेश मंत्रालय के अधिकारों का हनन किया है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जबकि प्रधान मंत्री जी ने इसका खंडन किया। गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से परस्पर विरोधी बातें कहीं। अतः इस प्रकार की परस्पर विरोधी बातों से हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है।

6 अगस्त, 1945 को जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के लोगों पर एक बम गिराया तब, हमारे दल पर प्रतिबंध लगाया गया तथा इसके बावजूद भी इसने भूमिगत रहकर जापान के लोगों की नृशंस हत्या के विरोध में प्रचार किया। हमें भोजन की आवश्यकता है। हमारे लोगों को भोजन, रोजगार और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। हमें परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही देश थे। लोग हमारे देश को विभाजित किए जाने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी भी विभाजन किए जाने के खिलाफ थे। फिर भी हमारे देश का विभाजन हुआ। हमें अच्छे संबंध तथा अच्छे पड़ोसी की आवश्यकता है। गत पचास वर्षों के दौरान हमने भ्रातृत्व, सहयोग, शांति, संयम तथा साथ-साथ जीने के आधार पर एक विदेश नीति अपनायी है। अतः बंग्लादेश, पाकिस्तान तथा भारत का एक संघ बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सभा की कार्य सूची में आम महत्वपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख है। यदि सभा सहमत हो तो नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर प्रस्तुत मान लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्यगण : जी हां।

अपराह्न 5.46 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कतिपय स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, पर्यटन विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कतिपय ऐतिहासिक व पुरातत्वीय महत्व के स्थानों को जो शताब्दियों से जनसाधारण के श्रद्धा व आकर्षण के केन्द्र हैं, पर्यटन स्थल घोषित करते हुए उन्हें केन्द्र द्वारा विकसित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु मेरा केन्द्रीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन स्थलों में मंदसौर का "सौंधनी स्तम्भ", श्री पशुपतिनाथ मंदिर, धर्मराजेश्वर, श्री भादवा माता मंदिर एवं श्री परासली तीर्थ को सम्मिलित किया जावे।

(दो) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मारोली पीपा में गंगा नदी के ऊपर रेलवे पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : मीरजापुर जनपद में स्थित पावन तीर्थ विंध्यवासिनी के दर्शन हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश के व नेपाल से लाखों तीर्थयात्री प्रति वर्ष आते हैं। इसके अतिरिक्त मीरजापुर में उत्पादित पीतल के बर्तन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिक्री के लिए जाते हैं। मीरजापुर में गंगा नदी पर रेलवे ब्रिज न होने से यह महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा उक्त क्षेत्र के लोगों के लिए कठिनाई भरी होती है। यदि मीरजापुर स्थिति भटौली पीपा पुल के स्थान पर सड़क व रेल्वे का एक पुल बना दिया जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के लाखों लोगों को सुविधा होगी।

(तीन) जालौन संसदीय क्षेत्र में पर्यटक और पुरातत्वीय स्थलों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र तीन तरफ से बेतवा, पहूज एवं यमुना नदियों से घिरा हुआ है। इन नदियों से घिरे इस क्षेत्र की पावन भूमि ऋषि और महाऋषियों की तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र के निम्न स्थल पर्यटन एवं पुरातत्वों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिनका रख-रखाव एवं विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

1. सैदनगर (एट) में मां असरादेवी का मंदिर।

---

* सभा पटल पर रखे माने गये।

2. जगम्मपुर (पचनदा) का विकास।

3. कोंच में दोहर का महावीर जी का मंदिर।

4. महेशपुरा ग्राम में महर्षि राहुल सांस्कृत्यायन की तपोभूमि।

5. कालपी में महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि जो यमुना नदी के किनारे पर है।

6. गरौठा में धेसान नदी के बीचों-बीच महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं लखेरी नदी के किनारे मां गिद्धवासिनी का मंदिर।

7. एट में मां शारदा (बैरागढ़) का मंदिर तथा मां रक्तदंता का मंदिर।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त स्थलों के रख-रखाव एवं उन्नयन हेतु समुचित धन की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : वैसे तो हमारे देश में अनेक ऐसी समस्यायें हैं जिनका निराकरण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है किन्तु इस समय जो सबसे गंभीर समस्या चल रही है जल संकट को और इसका कोई हल निकालते नजर नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान द्वारा जाहिर की गई यह आशंका बेबुनियाद नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध पैट्रोल के लिये नहीं बल्कि पानी के लिये लड़ा जायेगा। आज देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के लिये जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है उससे हम कोफी अन्नान के कथन का अर्थ सहज ही समझ सकते हैं। गर्मी आते ही पानी की एक बाल्टी के लिये लोगों को लड़ते-झगड़ते देखा जा सकता है। यह भयावह स्थिति आये दिन उत्तर प्रदेश में स्थित सीतापुर जनपद में कहीं भी देखा जा सकता है, जहां पर पानी का स्तर नीचे चला गया है और कुंए वहां के सूख गये हैं। फलस्वरूप वहां के लोगों को पीने के लिये पानी काफी दूर दराज से लाना पड़ता है। इस गर्मी के मौसम में वहां कुछ लगे हैंडपंप ही सहारा हैं किन्तु कहीं-कहीं वे भी खराब हो गये हैं जिसके चलते वहां पर पानी का अकाल सा पड़ा हुआ है।

अतः मैं जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि वहां के लोगों की समस्या को हल करने के लिये कोई ऐसी योजना तैयार करें ताकि वहां पर लोगों को पीने के लिये स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके और उन लोगों के सामने उपस्थित इस समस्या का निदान हो जाये।

[अनुवाद]

(पांच) असम के शिवसागर जिले में अहोम राजाओं के ऐतिहासिक स्मारकों और भग्नावशेषों के उचित रखरखाव की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, अहोम राजाओं के ऐतिहासिक स्मारकों तथा भग्नावशेषों का असम में जिस प्रकार से रखरखाव तथा संरक्षण किया जाता है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए॰एस॰आई॰) के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। इनमें से अधिकांश मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जोरहाट के शिवसागर जिले में स्थित हैं। हालांकि कई ऐतिहासिक वस्तुएं राज्य के अन्य भागों में भी हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक आम दलील है कि संसाधनों का अभाव है। संस्कृति संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यसूची में गैर सरकारी क्षेत्र की धनराशि की भागीदारी के संबंध में काफी कुछ कहा गया है तथा वायदे भी किए गए हैं। लेकिन गैर सरकारी संसाधनों को जुटाने हेतु अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करके धनराशि जुटाने अथवा खेलकूद, आमोद-प्रमोद जैसी गतिविधियों का ऐसे ऐतिहासिक स्थलों से हटकर आम स्थलों पर और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु आयोजन किए जाने संबंधी सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है। सरकारी विभागों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगरानी में मरम्मत तथा रखरखाव के लिए धन दिए जाने की पेशकश को भी अधिकांश रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा ऐसे प्रस्तावों की जांच के नाम पर स्वीकृति देने में अत्यधिक विलंब की जाती है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश ऐतिहासिक स्मारक अथवा खंडहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। यदि कुछ स्मारकों का रखरखाव भी किया जाता है तो मरम्मत संबंधी कार्य जिस अवधि में इन ढांचों का निर्माण हुआ था उसकी वस्तु शिल्प, शैली तथा तकनीक को कल्पना शक्ति तथा इतिहास की उपयुक्त जानकारी के अभाव में बहाल करने में असफलता रही है। ऐतिहासिक भवनों की शक्ति की भी यह जानने के लिए जांच नहीं की जाती है कि क्या इसके संरक्षण हेतु इसे सुदृढ़ किए जाने अथवा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अतः अहोम राजाओं के ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर तथा जीर्णावशेष अत्यंत खराब स्थिति में हैं तथा यदि इनकी स्थिति और बदतर होती है तो इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपनी लापरवाही के कारण ही उत्तरदायी होगा।

(छह) महाराष्ट्र में कोपरगांव में एक नए डाकघर भवन के निर्माण की आवश्यकता

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव) : महोदय, कोपरगांव मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह एक ताल्लुका है और 'ख' श्रेणी का नगर है। यहां पर चीनी के तीन बड़े सहकारी कारखाने और कई सहकारी उद्योग जैसे कि दुग्ध संसाधन संयंत्र और

[श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे]

बिनौला निकालने वाली इकाइयां हैं। कोपरगांव की आबादी लगभग 70,000 है। यहां किराए के स्थान पर एक डाकघर है और यह लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। डाक विभाग ने डाकघर के लिए नए भवन का निर्माण करने हेतु एक उपयुक्त भूखण्ड की खरीद की है जो कई वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि जनहित के लिए डाकघर भवन का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए।

(सात) महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों में एक नए दूरभाष केन्द्र के लिए न्यूनतम दूरभाष कनेक्शनों के मानदण्ड में छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री डी॰एस॰ अहिरे (धुले) : महोदय, महाराष्ट्र के धुले और नासिक जिलों के अधिकांश क्षेत्रों, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, वर्ष 1996-97 और 1997-98 की अवधि के दौरान कई नए दूरभाष केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इस समय धुले जिले में चार दूरभाष केन्द्र और नासिक जिले में छः दूरभाष केन्द्र हर दृष्टि से पहले पूरे किए जा चुके हैं। संबंधित दूरभाष केन्द्रों के भीतर आने वाले गांवों के लोगों ने नए टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए फार्म भरे हैं लेकिन अभी तक दोनों जिलों में एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है।

संबंधित अधिकारियों से पूछने पर यह पता चला कि स्वीकृत और निर्मित किए गए दूरभाष केन्द्रों की तुलना में स्थानीय लोगों का कोटा पूरा नहीं होता है अर्थात् प्रत्येक दूरभाष केन्द्र को चलाने के लिए कम से कम 30 कनेक्शन होने चाहिए। तत्पश्चात् मैंने कुछ और लोगों से अपने-अपने दूरभाष केन्द्रों में नए कनेक्शन लेने के लिए फार्म भरने के लिए अनुरोध किया। तद्नुसार लगभग छः दूरभाष केन्द्रों ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है लेकिन उन केन्द्रों ने अब तक काम करना शुरू नहीं किया है। अन्ततः यह पता चला कि जिला दूरभाष प्रबन्धकों ने दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के कोटे को 30 से बढ़ाकर 40 कर दिया है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नए टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्धारित टेलीफोन कनेक्शनों के कोटे को कम करे अथवा दूरभाष केन्द्रों को शुरू करने के लिए संबंधित टेलीफोन कनेक्शनों के कोटे को कम करे। यह भी अनुरोध है कि जहां तक आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है, इन शर्तों को शिथिल किया जाए क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के लोग इन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

(आठ) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सभी भागों में एस॰टी॰डी॰ दूरभाष सुविधा की आधुनिक प्रणाली को स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संध्या बौरी (विष्णुपुर) : पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सभी भागों में एस॰टी॰डी॰ दूरभाष संचार की रेडियो प्रसारण प्रणाली को अभी तक प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। केवल बांकुरा जिले के एक छोटे से भाग में आधुनिक रेडियो प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई है? वर्तमान में बांकुरा जिले के बड़े भाग में पोल और मैनुअल प्रणाली की पुरानी प्रणाली विद्यमान है। अतः मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र "विष्णुपुर" और घनी आबादी वाले शहरों में रहने वाले लोग परेशान हो जा रहे हैं। हल्की सी वर्षा और मामूली सा तूफान आने पर तकनीकी खराबी आने की वजह से मैनुअल टेलीफोन प्रणाली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। पूरे जिले का देश के दूसरे भागों से संबंध कट जाता है। लोग आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं।

इस स्थिति में जयपुर, कोयलपुर, गलिया, रायपुर, रानीबंध, मोयनापुर, पत्राशायर, जॉयरामबटी और इंदौर के क्षेत्र में एस॰टी॰डी॰ दूरभाष सुविधा की आधुनिक प्रणाली को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तत्काल कदम उठाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद-अम्बेडकर नगर/फैजाबाद-इलाहाबाद/फैजाबाद-रायबरेली राजमार्गों पर एक रेलवे उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, उत्तर रेलवे लाइन जनपद फैजाबाद अयोध्या स्थित उ॰ प्र॰ में पूरे नगरीय क्षेत्र को दो भागों मे विरक्त करती हुई लखनऊ से वाराणसी जाती है। ट्रेनों के आवागमन के समय मुख्य मार्गों पर रेल फटकियां बंद होने से सामान्य जन को सभी आवश्यक सेवाओं में बाधा ही नहीं बल्कि वंचित हो जाना पड़ता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं सामान्य जन की आवश्यक सेवाओं की कठिनाई एवं बाधा को देखते हुए फैजाबाद-अम्बेडकर नगर, फैजाबाद-इलाहाबाद, फैजाबाद-रायबरेली मार्ग में से किसी पर ऊपरगामी रेल ब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु की ओंजगकल जल योजना को शीघ्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री के॰पी॰ मुनूसामी (कृष्णागिरि) : धर्मपुर तमिलनाडु का एक पिछड़ा और शुष्क जिला है। जिसमें पीने के पानी की बहुत कमी है। इस जिले की आबादी 24 लाख है और उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। अब उन्हें जमीन से 400 फुट नीचे से फ्लुअराइड जल उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें विटामिन की कमी है। कावेरी बेसिन से स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जापान के ओ ई सी एफ के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 636.30 करोड़ रुपए है। इस योजना को पूरा करने के बाद, दो नगरपालिकाओं, दो नगर

पंयाचतों, 13 पंचायत संघों और 4101 गांवों को लाभ पहुंचेगा। तमिलनाडु के लोक निर्माण विभाग ने कावेरी बेसिन से 108 मिलियन गैलन पानी प्राप्त करने के लिए पहले ही अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय (आर्थिक विभाग) और ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार तथा शहरी कार्य मंत्रालय को उक्त योजना तमिलनाडु सरकार की सिफारिश के साथ भेजी गई। वन विभाग ने इस योजना के लिए 12.5 हेक्टेयर भूमि देने के लिए अनुमति दे दी है। चूंकि कावेरी जल का बंटवारा करने के बारे में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मौजूदा विवाद अभी भी चल रहा है इसलिए जापान का ओ ई सी एफ जल संसाधन मंत्रालय से अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र मांग रहा है। अब जल संसाधन मंत्रालय ने बंगलौर के लिए जल योजना के चौथे चरण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मैं सरकार से ओंजगकल जल योजना के बारे में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। यह योजना 18 लाख लोगों के लिए तैयार की गई थी और होसुर नगरपालिका के लोगों और होसुर, घाली, केलमंग्लम और धर्मापुरी की शूलगिरी के पंचायत संघों के लिए सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के वास्ते तमिलनाडु सरकार द्वारा एक और योजना तैयार की जाएगी। मैं सरकार से ओंजगकल जल योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश के किसानों से अतिरिक्त तम्बाकू खरीदने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आन्ध्र प्रदेश के किसानों पर से अभी भी विपत्तियों के बादल छटे नहीं हैं कपास की फसल खराब होने के बाद उन्हें तम्बाकू की फसल अच्छी होने का प्रभाव भी सहना पड़ा है। इस वर्ष देश में 135 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और इसके अतिरिक्त 40 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू का अनधिकृत उत्पादन हुआ है और 25 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू का स्टाक बकाया है। इससे बाजार में अफरातफरी मच गई है जिसके कारण पिछले तीन महीने में ही तम्बाकू की कीमतों में 85 रु॰ किलोग्राम से 45 रु॰ किलोग्राम तक की कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को तम्बाकू की अपनी खड़ी फसल जलाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आन्ध्र प्रदेश में ही 15 मिलियन से अधिक तम्बाकू की फसल जलाई गई है।

भारत में तम्बाकू विक्रेता अपनी मांग का केवल 40 प्रतिशत ही खरीद कर रहे हैं, और अधिक तम्बाकू विक्रेता मिलने की कोई संभावना नहीं है। इतना ही नहीं अफ्रीका के कई देशों के भारतीय तम्बाकू निर्यात में प्रवेश करने के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जिम्बाब्वे जैसे देश जिस मूल्य पर तम्बाकू की बिक्री कर रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से भी कम से कम 40 प्रतिशत कम है। चीन, ब्राजील और अमरीका भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। वे भी पिछले वर्ष के मूल्य से 10 प्रतिशत कम मूल्य पर तम्बाकू की बिक्री कर रहे हैं।

यह उचित समय है जब सरकार किसानों को आत्महत्या करने जैसे कठोर कदम को पुनः उठाने से पूर्व तम्बाकू उत्पादकों के लिए कुछ कार्रवाई करे।

(बारह) तमिलनाडु में वन्डावासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी सड़क और रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एम॰दुराई (बन्डवासी) : तमिलनाडु में वंडावासी में उचित सड़क सम्पर्क सुविधाएं नहीं हैं। यहां तक कि एक महत्वपूर्ण सड़क जो कांजीवरम होते हुए टिंडीवनम को वंडावासी से जोड़ती है, खतरनाक स्थिति में है, कांजीवरम में प्रसिद्ध हिन्दू संत शंकराचार्य का मठ है जिससे मंदिर तक जाने वाले अनेक लोग इस मार्ग को चुनते हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग मानचित्र में शामिल करने और इसे 6 लेन चौड़ी सड़क बनाने का अनुरोध करता हूं। तिरुपति और पांडिचेरी इसी टिंडीवनम मार्ग के जरिए जुड़े हैं। इसलिए इस सड़क पर उसका अंतरराज्यीय परिवहन में अनेक बसों और ट्रकों का संचालन होता है। केन्द्र सरकार को सुपर राजमार्ग सड़क प्रदान करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे हमारे क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। थिरुवन्नामलाई और गिनजी अनेक पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। थिरुवन्नमलाई के नजदीक एक फाटक है जो भारी रेल यातायात के कारण अक्सर बंद रहता है। इस मार्ग से हजारों मालवाहक और अन्य वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं और इसलिए वहां शीघ्र एक उपरिपुल का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए, मेपारुवाथुर; इस तीर्थस्थल को थिरुवन्नामलाई वाया बंडावासी औ चेटपुट, से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़क की आवश्यकता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार इस मार्ग पर एक नई रेल लाइन बिछाने और टिंडीवनम तथा कांजीवरम वाया वंडावासी के बीच एक अन्य रेल मार्ग बनाने के लिए रेल मंत्रालय को निदेश दें। इस क्षेत्र में इस सड़क और रेल के आधारभूत ढांचे के विकास से इस क्षेत्र में उत्तरी आर्कोट दक्षिणी आर्कोट जैसे चार से अधिक जिलों को बहुत लाभ मिलेगा। थिरुवन्नामलाई और चिंगलपेट का आर्थिक विकास होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, इस चर्चा में अभी अनेक सदस्यों को बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए सभा की राय लेना चाहूंगा। अध्यक्ष पीठ जानना चाहती है कि क्या सभा आधे घंटे की चर्चा शुरू करे या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं तो बहुत ही ब्रीफ में बोलूंगा, मगर मुझे बोलना है। इससे तो डिसिप्लीन खराब हो जाएगा। मैं आज ही श्रीनगर से आया हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बाद में सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप भारत की विदेश नीति पर पांच मिनट के लिए श्री सुरेश कुरुप को बोलने की अनुमति दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अंतर्गत अन्य चर्चा होगी, वे उस चर्चा में बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 5.47 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाएं

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह दुख की बात है कि 1992 से हमारी विदेश नीति के बारे में इस सम्माननीय सभा में कोई चर्चा नहीं की गई। यह और भी गम्भीर बात है कि इन वर्षों में अमरीका पुनः एक महाशक्ति के रूप में ऊपर रहा है उसी तरह हमारे भीतर भी देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि इस विलम्बित मुद्दे पर अब चर्चा हो रही है। इस प्रकार से घटनाओं की निरंतर श्रृंखला हमारी विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन की ओर इशारा करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जबसे शक्तियों के ध्रुवीयकरण का युग समाप्त होकर विश्व एक ध्रुवीय हुआ है, हमें अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यह इस बात को कहने का बहुत ही आधुनिक और जटिल तरीका है। हमें अमरीका की बात को हू-बहू मान लेना चाहिए। महोदय, आवश्यकता इस बात की है हम अपनी विदेश नीति सबंधी परिप्रेक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करें। जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सुदृढ़ स्तम्भ पर आधारित हो।

मुझे आश्चर्य है कि बहुत कम माननीय सदस्यों ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें हमारे देश ने अहम भूमिका अदा की है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुरक्षित था। इसे सभी जानते हैं। इस आंदोलन का जोर साम्राज्यवाद के विरोध और साम्राज्यवादी देशों द्वारा नव स्वतंत्र तीसरे विश्व के देशों पर प्रभुत्व पर था।

नई विश्व व्यवस्था पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रभुत्व जमाने संबंधी यही समस्याएं अब भी प्रबल हैं और गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा की तरह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है।

भारत के लिए गुट निरपेक्ष का मतलब अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना है और विश्व के गरीब लोगों के हितों के लिए लड़ना है। हाल के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष शब्द को विदेश नीति संबंधी हमारे एक विशेषज्ञ द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "गुट-निरपेक्ष" का केवल एक अर्थ है। अधिक शक्तिशाली देशों अथवा देशों के समूहों के साथ प्रभावी समन्वय के साथ स्थायी संबंधों की कमी।"

मैं समझता हूं यह परिभाषा बहतु प्रासंगिक है। यह हमारी विदेश नीति परिप्रेक्ष्य के लिए भी प्रासंगिक है। अभी इस सरकार ने विदेश नीति के संबंध में ठोस वक्तव्य नहीं दिया है। 1977 में, जब माननीय प्रधान मंत्री विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि समय पर खरी उतरने वाली विदेश नीति को सरकार द्वारा अपनाया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

केवल कुछ वक्तव्य जो कुछ मंत्रियों की ओर से आए हैं वे विरोधाभासी वक्तव्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से गलत संकेत देंगे। आंशिक खुशी जो पोखरण परीक्षणों के पश्चात् इस सरकार को मिली है, के पश्चात्, यदि हम पिछले आंकड़ों को देखें तो हमें क्या मिला है, जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। 35 वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात् इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए हमारे देश पर हर सम्भव दवाब डाला जा रहा है। पाकिस्तान इस द्विपक्षीय चर्चा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है क्योंकि वह इस मुद्दे पर तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप चाहता है। यही पोखरण परीक्षण का नतीजा है।

मैं चीन के साथ अपने संबंधों के बारे में अपनी सरकार की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री उन अति महत्वपूर्ण राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने 1979 में चीन का दौरा किया था जो 1962 युद्ध के बाद किए गए थे। उसके पश्चात् पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने उस देश का दौरा किया था। एक युग की शुरूआत तब हुई जब चीन के साथ हमारे

संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। सम्पूर्ण देश ने इसका स्वागत किया था। रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य, कि 'चीन सबसे पहला शत्रु है' ने इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को ही उलट दिया है।

यदि आप सम्पूर्ण विश्व के राजनयिक इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आप पाएंगे कि किसी देश के नेता द्वारा अन्य देश के बारे में यह टिप्पणी नहीं की गई है कि वह देश हमारा नम्बर एक शत्रु है। श्री नटवर सिंह जी इसे पहले स्पष्ट कर चुके हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारे संबंधों का क्या भविष्य है। यह सरकार क्या पहल करने जा रही है? पोखरण परीक्षण के पश्चात् उन्होंने चीन को छोड़कर सभी देशों में अपने दूत भेजे हैं। इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

यह सभा और देश की जनता यह जानना चाहती है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। यह सरकार तो क्लिंटन प्रशासन के कनिष्ठ अधिकारी तक को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अमरीका हमारे वैज्ञानिकों का वीसा देने तक से इनकार कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : समता पार्टी को भी टाइम दीजिए ताकि उनका जवाब हम भी दे दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : उन्होंने हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों को वीसा देने से मना कर दिया है। वे अपने यहां कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को वापिस भेज रहे हैं। अमरीका के प्रतिनिधियों के साथ की जा रही चर्चाओं के मामले में देश की जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। इस सरकार ने व्यापक विदेश नीति नहीं बनाई है। इस सरकार को अनेकों बार परखी गई विदेश नीति में परिवर्तन करने का न तो अधिकार है, न प्राधिकार है और न ही जनादेश है। यदि वे इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें देश को विश्वास में लेना होगा। परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहीं हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन सोज कृपया दो मिनट से अधिक नहीं लीजिए।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ देने का कोई शौक नहीं है लेकिन मेरा भाषण दो मिनट में नहीं होगा। दो-चार मिनट में होगा।

अध्यक्ष महोदय : दो-चार मिनट में नहीं दो मिनट में ही अपनी बात कहिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, मुझे तकरीर नहीं करनी है, इसलिए अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं। मैं आज ही श्रीनगर से आया और श्रीनगर में सब खैरियत है लेकिन दिल्ली में खैरियत नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। मुझे इत्मिनान है कि जो मैं बातें कहूंगा, वे और साथियों ने नहीं कही होंगी क्योंकि इनसे मेरे शरीर और आत्मा दोनों को दुख पहुंचता है। जिसको आप कश्मीर की समस्या कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब आपने मुझे इंकार किया था, आप चाहे एक मिनट का समय ही देते लेकिन मेरी बात कहे बगैर कश्मीर की बात इस सदन में कैसे कहेंगे? मैंने पहली तकरीर में कहा था कि जब इनका कांफीडेंस हुआ था, इनकी शख्सियत के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत और इज्जत है। मुझे गिला यह है कि वाजपेयी जी की सरकार दुनिया को वह सब कुछ नहीं बता रही है जो पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है और जिससे मुझे इत्मिनान हो जाए। यह ठीक है कि इन्होंने जसवंत सिंह जी को श्री तालबॉट के साथ बात करने के लिए भेजा। बड़ा अच्छा है, जसवंत सिंह जी को मैं जानता हूं, बड़े काबिल आदमी हैं और वाजपेयी जी का विश्वास उनको हासिल है। लेकिन आप इतने बड़े टेलेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर कश्मीर की समस्या भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की समस्या नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है, यह नेशनल इश्यू है। इस सदन का टेलेन्ट, दूसरे हाउस का टेलेन्ट, पूरे मुल्क की सौ करोड़ आबादी का टेलेन्ट सामने है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को मुस्तरद कर दिया। वे अमन और चैन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिस तरह और प्रांत हैं, वैसे ही वे लोग भी भारत के एक अटूट हिस्से की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन इस बात को इस सरकार ने और मेरे ख्याल से पूर्व सरकार ने भी दुनिया के सामने कितना कहा था? मुझे इत्मिनान नहीं है कि वाजपेयी जी ने इसमें पूरी कोशिश की है ताकि दुनिया को पता लगे। सिर्फ अमरीका जरूरी नहीं है, अभी कुरुप साहब बात कर रहे थे। ठीक है, अमरीका में यूनीपोलर सिस्टम हो गया है। लेकिन क्या यूरोप जरूरी नहीं है? क्या जापान जरूरी नहीं है? अभी अहमद साहब यहां बात कर रहे थे। आपने तमाम इस्लामी मुमालिकों को मुस्तरद किया है, एकतरफ रखा है। आपको यह कैसे ख्याल में है कि वे भारत के दुश्मन हैं? कौन सी कोशिश आपने की थी? क्या आपने बनातवाला जी को या अहमद जी को बुलाया कि कुछ मदद कीजिए? इसलिए मुझे इत्मिनान नहीं है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं।

इस वक्त गुलमर्ग में बीस-बीस हजार लोग रात और दिन में ठहरते हैं। पहलगांव भी लोगों से भरा हुआ है। तमाम ट्यूरिस्ट्स भरे पड़े हैं। मैं आज एयरपोर्ट से आया तो मुझे लगा कि कश्मीर में बिल्कुल सामान्य स्थिति है लेकिन दिल्ली में मझे लगता है कि कश्मीर में गड़बड़ है।

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

[अनुवाद]

यह विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है।

[हिन्दी]

यह कैसा पैराडॉक्स पैदा हो गया? मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कैसे यूरोफिया हो गया? इसको एक नेशनल इश्यू मानें और दुनिया को बताएं। अभी वाशिंगटन से दो-चार दोस्त आ गए थे। इन्हीं दो-तीन दिनों में उनसे मुलाकात हो गई।

अपराह्न 6.00 बजे

उनको मैंने कैसेट दिखाया कि मेरे इलैक्शन में किस तरह से हजारों लोग शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि भारत के एम्बैसडर क्या काम करते हैं, वे सऊदी अरब के एडीटर्स से जाकर मिलते क्यों नहीं हैं? यह कैसेट उनको देते क्यों नहीं है? मैंने कहा-उस जमाने में कश्मीर में जो इलैक्शन लड़ा जा रहा था, यहां का मीडिया उसको नहीं दिखा रहा था। वे कहते हैं कि हमारा सिस्टम खराब हो गया है। अब जालन्धर के जरिए कोशिश की जा रही है। मेरा गिला यह है कि मीडिया को हरकत में नहीं लाया जा रहा है। दूरदर्शन ही नहीं, जी-टीवी और स्टार में भी कोशिश नहीं हो रही है। इस बारे में मेरा गिला आडवाणी जी से भी है। मैं इस सदन में पांचवीं बार चुनकर आया हूं और थोड़ी सी सीनियोरिटी हासिल कर ली है। अगर मैं पहली बार भी आया होता, तो भी उनका हक बनता है, क्योंकि वे होम मिनिस्टर हैं और जॉर्ज साहब डिफैंस मिनिस्टर हैं, वे हम दोनों सदस्यों को बुलाते। हमारे तीसरे साथी, श्री सैय्यद हुसैन, बाहर हैं, जो करगिल से हैं। करगिल में गोले फट रहे हैं, ऊरी में गोले फट रहे हैं और करना में गोले फट रहे हैं। क्या यह नहीं होना चाहिए था कि आडवाणी जी हम को बुलाकर बात करते और पूछते कि वहां क्या हो रहा है? हम लोगों ने फैसला किया था कि आज आडवाणी जी और जॉर्ज साहब को किसी तरह से यहां पकड़ लेंगे और पूछेंगे कि आप अपना दुःख क्यों प्रकट नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं पूछते हैं कि इसको कैसे रोका जाए?

[अनुवाद]

महोदय, इसका निचोड़ है। पाकिस्तान कश्मीर में स्थिति में सुधार को देखकर चिन्तित हैं और सरकार कश्मीर में बहाल हुई सामान्य स्थिति को विश्व को बताने में असफल रही है। कश्मीरियों ने हर प्रकार के आतंकवाद को कैसे अस्वीकार कर दिया है। वे शान्ति और प्रगति में कैसे जीना चाहते हैं। सरकार यह सब बताने में असफल रही है।

[हिन्दी]

मेरी दरखवास्त है, आप बताएं कि इस टैलेंट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं?

[अनुवाद]

मुझे श्री जसवंत सिंह द्वारा टालबोट से बातचीत करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु शेष विश्व भी तो महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरीका अंततः अपना उत्तरदायित्व निभाएगा। मुस्लिम देशों, यूरोप, चीन और जापान से बातचीत करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। डोडा के बारे में तो आडवाणी जी बतायेंगे। वहां लोग मारे जा रहे हैं। मेरी जानकारी है कि जम्मू में कत्लोगारत हो गया है। कश्मीर में मुसलमान लोग नजारा देख रहे हैं। यह जख्म तो उनके सीने पर उतर रहा है। जब वजीरे आजम जवाब दें, तो बतायें कि कश्मीर में अमन है, नार्मेल्सी है और कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनकर सुख और चैन से जीना चाहते हैं। यह मेरी आपसे दरख्वास्त है।

सायं 6.03 बजे

आधे घंटे की चर्चा

लीला सेठ आयोग

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा करेगी। श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, लीला सेठ आयोग पर आधे घन्टे की चर्चा पर बोलने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा दिनांक 21.7.98 के तारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्पष्टीकरण के मुद्दे पर आने से पूर्व मैं इस मामले की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं।

महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है जो मानवधिकारों के साथ कुछ कानूनी बातों से भी जुड़ा है। वर्ष 1995 में श्री राजन पिल्लै की मौत ने देश की जनता के दिल में अनेक आशंकाएं और अविश्वास पैदा कर दिए थे। मेरे विचार से अनुच्छेद 21 भारत के नागरिकों के लिए बहुमूलय अधिकार है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तब तक वंचित

नहीं किया जाएगा जब तक कि विधिक प्रक्रिया द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।

श्री राजन पिल्लै के मामले में उनके जीवन और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब वह न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें तिहाड़ सेन्ट्रल जेल में रखा गया था तब उनका उचित उपचार नहीं किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह स्वीकार्य तथ्य है कि उचित उपचार के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाने की जिम्मेदारी संबंधित सरकार की होती है। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था। वह जिगर के कैंसर, उच्च रक्तचाप और खून की उल्टी का पुराना रोगी था और उसे सिंगापुर के न्यायालय ने दोषी करार दिया था। वह सिंगापुर के न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के पश्चात् न्याय पाने के लिए भारतीय न्यायपालिका की शरण में आया था।

सायं 6.05 बजे

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

उसी समय सिंगापुर सरकार ने श्री राजन पिल्लै को वापिस सिंगापुर भेजने की मांग की थी। भारत सरकार ने प्रत्यार्पण मजिस्ट्रेट न्यायालय का गठन किया था और न्यायालय की स्थापना एक जुलाई, 1995 को की गई थी।

एक जुलाई को ही नामित प्रत्यार्पण मजिस्ट्रेट ने पिल्लै के नाम गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और चार जुलाई 1995 को अर्द्ध रात्रि को 0•15 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसी दिन 10 बजे प्रातः उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। उन्होंने जमानत के आवदेन के साथ-साथ एक इलाज कराने संबंधी आवेदन भी किया था कि उसका इलाज किसी सर्वाधिक सुविधासम्पन्न अस्पताल में कराया जाए क्योंकि वह जिगर के कैंसर और अन्य बीमारियों से ग्रसित है। उन्होंने अनेक मेडिकल रिकार्डों के साथ एक एस्काट्र्स अस्पताल तथा सिंगापुर के भी अस्पतालों के चिकित्सा संबंधी कागजात प्रस्तुत किए थे। परन्तु माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत की अर्जी के साथ-साथ उनके चिकित्सा संबंधी आवेदन पत्र को भी खारिज कर दिया गया।

उन्हें तिहाड़ जेल में रिमाण्ड पर भेज दिया गया। उन्हें 5 और 6 तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पुनः बेहतर इलाज कराए जाने की याचना की थी परन्तु उन्हें इसके लिए इनकार कर दिया गया। 7 तारीख को हमें यह दुखद समाचार मिला कि उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह 7 तारीख की रात 8.20 बजे की बात है।

दिनांक 27.7.1995 को दिल्ली सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत लीला सेठ आयोग नाम के आयोग का गठन किया। मैं श्री राजन पिल्लै की मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गठित किए गए इस आयोग के निदेश पदों के बारे में जोर देना चाहता हूं।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी आयोग के मुख्य निष्कर्ष यह थे कि राजन पिल्लै की मौत चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण हुई है। उसे तिहाड़ जेल में पर्याप्त और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। लेकिन आयोग ने इस षडयंत्र की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं की।

यह विश्वास करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कुछ प्रदेशों में कुछ लोगों ने जानबूझकर निम्नलिखित कारणों से समुचित चिकित्सा उपचार न करने के प्रयास किए।

1. 4 जुलाई को जब उन्हें दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया—यह आयोग का निष्कर्ष है—और जब उनका रिमांड लिया गया, रिमांड आर्डर के साथ विद्वान दण्डाधिकारी ने एक गोपनीय अतितत्काल पत्र भी दिया था जिसमें तिहाड़ सेंट्रल जेल के रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी को उस कैदी की चिकित्सा जांच करने का निर्देश दिया गया था और उस कैदी की शारीरिक स्थिति की रिपोर्ट 5 जुलाई को अपराह्न 2 बजे दी जानी थी। यह गोपनीय पत्र भी रिमांड आर्डर के साथ भेजा गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिकित्सा जांच रिकार्ड्स के साथ-साथ यह पत्र रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं पहुंचा। तिहाड़ केन्द्रीय जेल के सहायक जेल अधीक्षक को ये पत्र प्राप्त हुए हैं। चिकित्सा रिकार्ड के साथ-साथ चिकित्सा जांच की आदेश वाले ये पत्र सहायक जेल अधीक्षक को प्राप्त हुए हैं। ये आयोग के निष्कर्ष हैं लेकिन आयोग ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि ये पत्र रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी को क्यों नहीं दिए गए और इसके पीछे किसका हाथ है और यह सब कैसे हुआ। इस बात की जांच नहीं की गई है। इसमें काफी संदेह है।

2. जब चिकित्सा उपचार आवेदन के साथ-साथ जमानत की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की गई तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो जांच एजेन्सी है, ने इसका कड़ा विरोध किया। इस बात पर ध्यान देना उचित होगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि श्री राजन पिल्लै की हालत दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें 5, 6 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था। रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास था, यह निष्कर्ष भी पृष्ठ संख्या 170 अनुच्छेद 39 में दिया गया है। मैं उसे उद्धृत नहीं कर रहा हूं। उन्होंने यह तथ्य न्यायालय को नहीं बताया और उन्होंने इसका विरोध किया था।

[श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन]

3. जब किसी कैदी को जेल में लाया जाता है तो ऐसा नियम है कि उसका मुलाहिज, रजिस्टर्ड मेडीकल ट्रीटमेंट हो और इस संबंध में एक मुलाहिज रजिस्टर भी रखा जाता है।

उसके स्वास्थ्य की जांच की जानी होती है और जांच के निष्कर्षों को मुलाहिज रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उन्हें चार तारीख को जेल में लाया गया था और इस संबंध में कोई जेल रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी। पांच और छः तारीख को भी ऐसा नहीं किया गया था। आयोग के निष्कर्षों के अनुसार रजिस्टर के अनुसार 7 तारीख को प्रातः दस बजे रजिस्टर में प्रविष्टि की गई। अतः पूर्ण संदेह है कि श्री राजन पिल्लई की मृत्यु के बाद रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी। इसी तरह से आयोग के निष्कर्षों के अनुसार ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि उक्त कैदी की मृत्यु होने के पीछे साजिश होने की पर्याप्त आशंका है। साजिश के बारे में भी आयोग के निष्कर्ष मौजूद हैं। चूंकि लीला सेठ आयोग ने साजिश के पहलू की जांच नहीं की है, उक्त कैदी की पत्नी ने साजिश की भी जांच करने का अनुरोध किया है। आयोग ने जो कहा था वह यह था श्री राजन पिल्लई की पत्नी ने इस संबंध में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। जांच आयोग अधिनियम के अनुसार धारा 5 के अन्तर्गत इस आयोग को साजिश की जांच करने का अधिकार है और वह इस कार्य के लिए कोई अन्य एजेंसी भी नियुक्त कर सकता है। और तो और यह आयोग दिल्ली सरकार ने नियुक्त किया था। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो शामिल है। इस मामले में प्रत्यर्पण का मामला भी सम्मिलित है। ये दोनों विषय सातवीं अनुसूची, सूची 1 में मद संख्या 8 और 18 के रूप में सूचीबद्ध हैं। अतः मैं सरकार विशेषरूप से गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाए या आगे कार्रवाई की जाए और साजिश के संबंध में भी जांच की जाए। किसने रोका है? इसका क्या कारण है? इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी उपलब्ध है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध भी विशेष टिप्पणी की गई है। जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल दो चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जेल अधीक्षक के विरुद्ध भी कुछ नहीं किया गया है। अतः हम मानवाधिकार मुद्दे की दृष्टि से भी इस मामले पर पूरा जोर दे रहे हैं। यह एक व्यक्ति का मामला नहीं है। एक व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य रक्षा का भौतिक अधिकार था उसे इस अधिकार से वंचित किया गया और इस आयोग को इस बात की जांच करनी थी लेकिन आयोग ने साजिश के उस पहलू की जांच नहीं की जिसके संबंध में न्यायालय के समक्ष आरोप लगाये जा रहे थे। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मानवाधिकारों के पहलू को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि मैं भी उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उस घटना के बाद उनके पिता बीमार हैं वह अभी तक बीमारी से नहीं उठे हैं। इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने भी पिछले संसदीय चुनाव में मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा था। अतः मेरा सुझाव है कि लीला सेठ आयोग ने साजिश के संबंध में कुछ खामियां छोड़ी हैं, इसलिए इसकी जांच करनी होगी और समुचित कार्रवाई करनी होगी। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से अनुकूल स्पष्टीकरण चाहता हूं।

इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य विधान सभा में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री श्री ई॰के॰ नयनार ने केन्द्र सरकार से इस मामले की फिर से जांच कराने का अनुरोध किया है। अतः राज्य विधान सभा ने भी इस मामले पर चर्चा की थी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री प्रेमचन्द्रन ने इस आधे घंटे की चर्चा कराने का कारण स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हमारा आग्रह है कि उस रिपोर्ट में श्री राजन पिल्लै की हत्या की साजिश के पहलू को शामिल नहीं किया गया है। मैं केवल कुछ प्रश्न पूछूंगा। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। कृपया हमें कुछ प्रश्नों के बारे में बताएं, श्री राजन पिल्लै को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। मैं यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें जल्दबाजी में गिरफ्तार किया था। वह इस उम्मीद में सिंगापुर से आए थे कि उनके देश में उन्हें न्याय मिलेगा।

उन्हें विदेश में न्याय नहीं मिला। वह इस उम्मीद में यहां आए थे कि उन्हें यहां न्याय मिलेगा। लेकिन उन्हें यहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है पर्याप्त औचित्य होने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। मैं नहीं जानता कि यह ठीक था। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्हें तिहाड़ जेल लाया गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने बीमार होने की शिकायत की उन्हें यकृत की बीमारी थी। उन्होंने केवल इस बात की शिकायत ही नहीं की थी बल्कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी दिखाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंगापुर के अस्पताल में जो उपचार कराया था उसका भी उल्लेख किया था। वह गंभीर रोग से पीड़ित थे।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जेल में चिकित्सकों ने उनका समुचित उपचार नहीं किया। उन्होंने न्यायालय में अपनी जमानत याचिका के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित सारे रिकार्ड भी प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने उन्हें ऐसे अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जहां उनकी उस बीमारी का विशेष उपचार हो सके जिससे वे पीड़ित

थे। इतना ही नहीं माननीय न्यायालय ने उनकी सुख से जीवन जीने की जीवनशैली का मजाक भी उड़ाया। वह एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ब्रिटेनिया के अध्यक्ष थे। एक भारतीय व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कम्पनी का अध्यक्ष बना। वह अपने कठिन परिश्रम के कारण इसके अध्यक्ष बने। हो सकता है वे पांच सितारा होटल में ठहरे हुए हों, पर उन्हें उचित चिकित्सा से वंचित रखने का यह कोई कारण नहीं है। माननीय न्यायालय ने उनकी जीवनशैली का उपहास किया और टिप्पणी की थी कि वे एक विलासप्रिय मरीज थे। हम विलासप्रिय, धनी या निर्धन मरीज में भेदभाव नहीं कर सकते। हर एक को सही उपचार दिया जाना है। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा कि उन्हें लिवर सिरासिस जैसी बीमारी के लिए भी विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में नहीं ले जाया गया। और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें यह उपचार देने पर आपत्ति की।

मैंने इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था। राजन पिल्लई अब नहीं रहे। उनके माता-पिता और उनका परिवार अभी भी संतप्त है। ऐसा इस देश के किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। मैं कोई वकील नहीं हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे कानूनविद इस सभा में बैठे हुए हैं। और भी कई वकील हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि जब हिरासत में या जेल में कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह बीमार है तो क्या निर्णय न्यायालय करेगा कि वह बीमार हैं या नहीं? क्या इसका निर्णय न्यायालय को करना है? यदि कोई न्यायाधीश गलती कर दे तो पता नहीं हम उसे सुधार भी सकते हैं या नहीं। यहां मुझे अपनी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

मेरे पास और भी उदाहरण हैं। राजन पिल्लई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अध्यक्ष थे अतः सभी उनके बारे में जानते थे। कितने ही गरीब लोग इस देश में जेलों में तड़प रहे हैं क्योंकि हम उनका उचित चिकित्सा नहीं कराते। यही मेरी शिकायत हैं इस मामले के माध्यम से मैं यह महत्वपूर्ण बात सभा के ध्यान में ला रहा हूं कि हमारी व्यवस्था की इस महत्वपूर्ण कमी को दूर करके उसमें सुधार किया जाना चाहिए।

राजन पिल्लई मामले के संदर्भ में मुझे जांच रिपोर्ट को देखने का अवसर मिला। मैंने पाया कि साजिश का भी पहलू था—सबसे पहले तो जेल के डाक्टर का क्रूर और लापरवाह रवैया केन्द्रीय जांच ब्यूरो का उनकी गिरफ्तारी में जल्दबाजी दिखाना फिर उनका चिकित्सा कराने में आपत्ति करना, न्यायालयों का उनके लिए प्रतिकूल टिप्पणियां करना और उन्हें उचित उपचार उपलब्ध न कराना—इस सबसे किसी साजिश का संकेत मिलता है। पता नहीं साजिश है या क्या है पर हमें और राजन पिल्लई को जानने वाले सभी लोगों को, सभी केरलवासियों और कई अन्य लोगों को संदेह है कि व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण कोई साजिश जरूर है।

वे एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अध्यक्ष थे। कोई अन्य कम्पनी भी थी। अतः व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता रही और राजन पिल्लई उसी प्रतिद्वन्द्विता के शिकार हुए जो बहुराष्ट्रीय व्यवसाय क्षेत्र में इतनी अधिक व्याप्त है। हम इसी की बात कर रहे हैं।

इस देश में हमारी व्यवस्था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, न्यायपालिका, डॉक्टर—सभी इस बड़ी साजिश को अंजाम देने में शामिल हैं। अतः आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया जांच कराएं कि राजन पिल्लई की मृत्यु के संबंध में कोई साजिश तो नहीं थी। यदि ऐसा हो तो दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही हमारा अनुरोध है।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि कृपया हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाकी सब औपचारिकताओं को देखें और यह सुनिश्चित करें कि हमारे जो नागरिक जेलों में हैं, आरोपी हैं या दोषी हैं या इस प्रकार के जो भी लोग हैं, यदि वे बीमारी की शिकायत करते हैं तो उनकी चिकित्सा करायी जानी चाहिए।

मेरे ये दो अनुरोध हैं और मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय गृह मंत्री द्वारा लीला सेठ आयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 492 के 21.7.98 को दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर बोलने के लिए...

सभापति महोदय : आपको बोलने के लिये नहीं यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता...

सभापति महोदय : सब लोग बोल चुके हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं माननीय सदस्य श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन तथा प्रो॰ कुरियन द्वारा जो चर्चा प्रारम्भ की है, उससे सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा सवाल मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। आप देखिये कि जेल में सुरक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि वहां ये व्यवस्थायें किस प्रकार की जा रही हैं। यह बहुत चिन्ताजनक है।

सभापति महोदय, आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि जेलों के अंदर बड़े-बड़े कैदियों के पास सेलुलर फोन और हथियार तक पहुंच रहे हैं। जो आपत्तिजनक वस्तुयें नहीं पहुंचनी चाहिये, वे उन तक पहुंच रहीं हैं। यह देश की अंदरूनी सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न हैं दूसरी बात यह है कि लखनऊ जेल में अभी...

सभापति महोदय : लखनऊ जेल की बात इसमें नहीं चलेगी। आप आसन ग्रहण कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इससे जुड़ा हुआ सवाल है...

सभापति महोदय : आधा घंटा की डिबेट है। यह उससे संबंधित प्रश्न नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिये। देश भर की बात इसमें नहीं आती।

श्री शैलेन्द्र कुमार : दूसरी तरफ इलाहाबाद में युवा ...*(व्यवधान)* की पुलिस पिटाई से मृत्यु हुई है।

सभापति महोदय : आप अब इलाहाबाद की बात कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, जेल में उस युवा की मृत्यु हो गई। उसे अस्पताल में लाया गया। सबसे बड़ा प्रश्न सुरक्षा और पुलिस से संबंधित है जिसकी ओर माननीय गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिये। यदि मानवाधिकार से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। फर्जी मुठभेड़ के नाम पर इलाहाबाद में...*(व्यवधान)* हत्याएं हो रही हैं।

सभापति महोदय : इसमें इलाहाबाद का मामला बहस के लिये नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं इलाहाबाद का नाम नहीं बता रहा हूं। चूंकि जेल में हत्या तथा फर्जी मुठभेड़ के नाम पर हत्या हुई है, इसलिये यह सीधे मानवाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो कांड हो रहे हैं, उन पर गौर करें। इस पर ठोस कदम उठायें और जेलों तथा पुलिस पर कंट्रोल करें।

सभापति महोदय : इस विषय से आपका कोई मतलब नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, सी॰बी॰आई॰ की कस्टडी में मार दिया जाता है।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति जी, सी॰बी॰आई॰ का मामला सी॰बी॰आई॰ से जांच कराईये।

[अनुवाद]

श्री पी॰ सी॰ चाक्को (इडुक्की) : महोदय, श्री प्रेमचन्द्रन द्वारा उस अभूतपूर्व दुखद घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है जो विशेष रूप से केरलवासियों के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। मैं यहां केवल एक प्रश्न पूछूंगा। यहां कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं पर मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं बिस्कुट के बड़े व्यापारी या बहुत बड़े उद्योगपति राजन पिल्लई को नहीं जानता।

मैं उन राजन पिल्लई को जानता हूं जो क्विलोन एस॰एन॰ कालेज के छात्र थे। छात्र आन्दोलन में वे भी हमारे साथ थे। वे अपने कठिन परिश्रम के बल पर ही एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। पता नहीं उनके खिलाफ किसी देश में कोई आपराधिक मामला दर्ज था या कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, या नहीं पर इस देश का कानून कहता है कि किसी घोषित अपराधी को भी चिकित्सा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में , जैसा कि प्रो॰ कुरियन ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट ने जेल अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये थे कि उनका विशेष उपचार चल रहा था और उन्हें डाक्टर के पास ले जाया जाए और चिकित्सीय जांच कराके दवाएं दी जाएं। 4 तारीख को गिरफ्तार करके 24 घंटे बाद जब उन्हें न्यायालय ले जाया गया तो वे मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे। वे जिलाधिकारी को विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे कि उनके हाथ-पांव सूज गए थे और उन्हें दवा नहीं दी गई थी। जिलाधिकारी ने क्रूरतापूर्वक ऐसी टिप्पणी की जिसे मैं यहां उद्धृत नहीं कर सकता, किन्तु तथ्य यह है कि चिकित्सोपचार नहीं कराया गया और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते हुए मृत्यु के कगार पर पहुंचे व्यक्ति को दवाओं से वंचित रखा गया।

मैं माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि भारत की जेलों में कई निर्दोष लोग तड़प रहे हैं। लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं होता और न कोई मुकदमा ही चलता है। सालों-साल लोग जेलों में तड़पते रहते हैं। इस मामले में तो जान-बूझकर कत्ल किया गया है। जेल के अधिकारी उनसे धन ऐठना चाहते थे क्योंकि वे एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अध्यक्ष थे और जेल अधिकारी उन्हें धनवान समझते थे। अतः जेल अधिकारियों की क्रूरता ने उस व्यक्ति को मार डाला।

श्री मदन लाल खुराना जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लीला सेठ आयोग नियुक्त किया था। महोदय, मैं आपसे इस सभा से और माननीय गृह मंत्री से इस मानवीय दृष्टिकोण के बारे में पूछता हूं कि इस मामले में अगला कदम क्या है? लीला सेठ आयोग को नियुक्त करके खुराना जी ने एक सही काम किया था। लीला सेठ आयोग ने मामले की जांच करके रिपोर्ट दी और बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा कि उस व्यक्ति को चिकित्सा से वंचित रखा गया था और उनकी मृत्यु के लिए जेल अधिकारी भी उत्तरदायी थे। यह रिपोर्ट लिखित रूप में विद्यमान है।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने यहां कहा कि कई अन्य बातें भी हैं। जिलाधिकारी के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकार्ड को छुपाया गया और उनका ध्यान नहीं दिया गया। श्री प्रेमचन्द्रन ने स्पष्टतया वर्णन किया कि इसमें साजिश भी थी। देश का कानून जनता के लिए है। रिपोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने दी है। मैं सीमाएं जानता हूं। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। यह एक विशिष्ट मामला है। उस व्यक्ति की हत्या की गई या जो भी हो पर जैसा कि प्रो॰ कुरियन ने कहा , ऐसा इस देश में भविष्य में नहीं होना चाहिए हम तो इसी की आशा कर सकते हैं। पता नहीं जांच अधिनियम के उसी आयोग के अन्तर्गत यह संभव है या नहीं पर मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर यह अवश्य सम्भव है कि गृह मंत्रालय मामले की ओर जांच कराए। साजिश के पहलू की जांच तब नहीं कराई गई थी। आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें जेल अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। लगभग स्पष्ट है कि यह जानबूझकर की गई हत्या थी।

उनके विरूद्ध आरोप कुछ भी रहे हों पर उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तिहाड़ जेल में एक आदमी को इतना पीटा गया था कि उसकी मृत्यु हो गई। यह जेल अधिकारियों और सरकार के सम्मुख हुआ। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यह भावना केवल केरल के लोगों की ही नहीं है बल्कि सभी न्यायप्रिय नागरिकों की है।

अतएव, माननीय गृह मंत्री हम लोगों को यह आश्वासन दें कि भारत सरकार इस मामले में पीड़ित लोगों—अभी भी अनेक लोग दुःखी हैं—की परेशानी को भारत सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई से कुछ नहीं तो कम करने के लिए ही सरकार द्वारा अधिक से अधिक कदम उठाए जाने का आश्वासन दें। अतएव इस मामले में आगे जांच की जाए तथा इस जांच प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाए और भारत सरकार जो जांच शुरू कर सकती है वह करे जिससे कि जनता की शिकायतें तथा चिन्ता दूर की जा सके। मेरा यह अनुरोध है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में जब सामान्य लोगों को भले ही वे श्री राजन पिल्लई को नजदीक से जानते हों या सिर्फ उसके बारे में सुना ही हो, को यह जानकारी मिली कि उनकी किस तरह से मृत्यु हुई तो इस पर हरेक को दुःख हुआ था। एक व्यक्ति बीमार है तथा हिरासत में उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह वास्तव में हिरासत में हुई मौत है। वास्तव में हिरासत में हुई मृत्यु को सिर्फ 'जब एक व्यक्ति पुलिस की हिरासत में मरता है' नहीं कहा गया है या सिर्फ इस रूप में उसकी परिभाषा नहीं की गई है। यदि उसकी मृत्यु न्यायिक हिरासत में भी मृत्यु होती है तो यह हिरासत में हुई मृत्यु है।

इसलिए हिरासत में मृत्यु के इस मामले से सर्वत्र चिन्ता तथा शोक व्याप्त हो गया। जैसा कि अभी उल्लेख किया गया था, उस समय श्री खुराना दिल्ली के मुख्य मंत्री थे तथा उन्होंने जांच आयोग अधिनियम के तहत आयोग का तत्काल गठन कर दिया था। न्यायमूर्ति लीला सेठ अत्यन्त ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ...

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं यह चाहता हूं कि ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया बैठे-बैठे कमेन्ट्स न करें।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए जब आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया, इस संबंध में यहां तक कि इस सत्र में भी मुझसे यह प्रश्न किया जाता रहा है और जिसके बारे में मैनें हमेशा ही यह कहा है कि दिल्ली सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है तथा आयोग की सिफारिशें चाहे वे चिकित्सा सुविधा की अपर्याप्तता हो या किसी उत्तरदायी डाक्टर की गैर जिम्मेदारी हो या पूरी व्यवस्था में ही परिवर्तन की बात हो, जिससे कि इस तरह की बात भविष्य में दुबारा न हो, के अनुसरण में सभी आवश्यक कदम उठा रही है जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

आज आधे घंटे की चर्चा मुख्यतः षडयंत्र के पहलू पर केन्द्रित है क्योंकि ऐसा संदेह है कि इस तरह का आरोप है कि यह न सिर्फ जेल प्राधिकारियों या चिकित्सा प्राधिकारी की ओर से आपराधिक उपेक्षा है जिससे कि ऐसा हुआ, अपितु राजन पिल्लई की हत्या करने की सोची-समझी साजिश थी तथा यह एक षडयंत्र था। श्री प्रेमचन्द्रन ने कहा कि षडयन्त्र का पहलू जांच का विषय नहीं था और इसलिए इसकी जांच नहीं की जा सकती है। मैंने इसके जांच का प्रयास किया था तथा मैं यह पाता हूं कि यद्यपि इसके जांच की बात नहीं थी, आयोग की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया था कि यदि किसी को कोई षडयंत्र की जानकारी है तथा आयोग को बताएं। श्री राजन पिल्लई की पत्नी को यदि उनके पास कोई साक्ष्य था, तो देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि वह देंगी, किंतु बाद में उन्होंने यह कहा कि उनके लिए किसी भी षडयंत्रकारी का नाम बताना संभव नहीं है। इसके परिणामस्वरूप आयोग ने यह तर्क नहीं माना कि यह जांच का यह बिंदु इसके क्षेत्राधिकार में नहीं था। किंतु इसने कहा कि षडयंत्र को साबित करने के लिए इसके पास साक्ष्य नहीं थे। इसलिए इसने इस आधार पर षडयंत्र के प्रश्न से संबंधित मामले को बंद नहीं किया क्योंकि यह इसके जांच की शर्तों में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था तथा आज भी, मैं यह सोचता हूं कि यदि किसी को मुझसे पूछना है, तो मैं यह कहूंगा कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं जिनके आधार पर षडयंत्र का आरोप लगाया जा सके या यह कहा जा सके कि उनकी हत्या के लिए जानबूझ कर साजिश की गई थी, क्योंकि वह इतने ऊंचे पद पर थे तथा इतने उत्कृष्ट व्यक्ति थे कि वह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के चेयरमैन बन गए।

किंतु उनकी मृत्यु के प्रश्न के विषय में न्यायमूर्ति लीला सेठ आयोग का यह कहना है :

> "इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री राजन पिल्लई एक बीमार व्यक्ति थे, जिन्हें लीवर सिरासिस जैसे असाध्य रोग थे। वर्ष 1992 में उन्हें दो बार जानलेवा बीमारी हुई तथा मार्च 1995 तक दस बार स्कलीरा चिकित्सा की गई थी। इसलिए वह कितने वर्षों तक जीवित रहते वह भी विशेष कर तब जबकि वह लगातार शराब पीते रहे थे, एक मूक प्रश्न है। किंतु वह निश्चित तौर पर समुचित आर्यु चिकित्सा के हकदार थे और चूंकि वह हिरासत में

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

थे इसलिए उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराना राज्य का कर्त्तव्य था। दुर्भाग्यवश केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली के दोनों चिकित्सक डा॰ वेंकट सुबैय्या तथा डा॰ हीरालाल, जिन्होंने उनकी जांच की थी, अपने व्यावसायिक कर्त्तव्य के निर्वहन में असावधान रहे। इस पर पूर्व में ही प्रकाश डाला जा चुका है। उनकी उपेक्षा का अंततः परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन बचने की काफी कम संभावना रह गई।"

मैं नहीं सोचता कि कोई भी आयोग उन्हें मुहैय्या कराई गई आर्यु चिकित्सा की इससे अधिक भर्त्सना नहीं कर सकता, और इसी के अनुसरण में एक या शायद दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। किंतु आज अधिक महत्वपूर्ण यह है कि, मुझे अभी अभी कहा गया था, कि जहां तक बंदियों का सवाल है सर्वथा पूर्ण व्यवस्थापरक परिवर्तन की गई है।

तिहाड़ जेल में बड़ी संख्या में डाक्टर नियुक्त किए गए थे। जो कि जोकि इस दुर्घटना से पूर्व की संख्या से कई गुणा अधिक हैं। इनकी उपस्थिति चौबीसों घंटे रहती है। मैं जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके विस्तार में जाना नहीं चाहता। वास्तव में उस समय 16 डाक्टर तथा 9 पारामेडिक्स थे। आज 75 डाक्टर तथा 125 पारामेडिक्स हैं ...*(व्यवधान)*। वह वहां लगभग डेढ से दो साल पहले थे निश्चय ही कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है किंतु उस सीमा तक नहीं।

इस रिपोर्ट में प्रारम्भिक आर्यु चिकित्सा पर एक अध्याय है जिसमें यह कहा गया है कि श्री राजन पिल्लई की प्रारम्भिक आर्यु जांच नहीं कराई जा सकी। अब सभी कैदियों का प्रवेश के समय प्रारम्भिक आर्यु जांच अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ओ पी डी प्रणाली सभी कैदियों को सभी औषधियां इत्यादि, ये सभी व्यवस्थाएं परिवर्तन किया गया है। इसी दुर्घटना ने दिल्ली सरकार की ये सभी कदम उठाने को प्रेरित किया है। हालांकि कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त अत्यल्प आशंकाओं के मद्दे नजर मैंने निजी तौर पर स्वयं को आश्वस्त करना चाहा कि जो कुछ भी आवश्यक था वह किया जा चुका था। इसलिए मैं इस विषय पर दिल्ली सरकार के साथ चर्चा करना चाहूंगा तथा यह पता लगाने का प्रयास करूंगा कि राजन पिल्लई के उपचार के संबंध में क्या कोई खास विषय है जिस पर लीला सेठ आयोग ने विचार नहीं किया है। मैं निश्चित तौर पर यह पता करना चाहूंगा तथा इस संबंध में क्या किया जा सकता है देखूंगा।

सामान्य स्थितियों में, मेरे लिए किसी आयोग के बारे में बोलना संभव नहीं है। जहां तक आयोग के काम का संबंध है यह समाप्त हो चुका है। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। किंतु मैं यह जानता हूं कि इस खास प्रकरण ने कई हलकों में चिन्ता पैदा की है। कई संसद सदस्यों ने मुझसे निजी तौर पर मुलाकात की है और मैंने कहा कि अनौपचारिक रूप से जो कुछ भी स्थापित परम्पराओं तथा कानून का उल्लंघन किए बिना, किसी भी तरह से, किया जा सकता है, वह मैं अवश्य करूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आधे घंटे की चर्चा समाप्त होती है। अब नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होती है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सायं के 6 बजकर 43 मिनट हो चुके हैं। यह सभा कितने समय तक चलेगी? हमें यह जानकारी होनी चाहिए। यदि हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस समय चर्चा करते हैं तो यह वास्तव में इस विषय पर चर्चा को सीमित करना होगा। कई वक्ता बोलना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई में व्यवधान डालने की मेरी मंशा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आम तौर से दो घंटे की बहस होती है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : हम अपने कार्यक्रम को किस तरह से निर्धारित करें इस पर चल रही चर्चा को में सुन रहा हूं। मैं यह देख सकता हूं कि कई सदस्य महाराष्ट्र से बंग्लादेशियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष रूप से तत्पर हैं। श्री राम विलास पासवान की भी इसमें विशेष रुचि है कि अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के संबंध में भी चर्चा समुचित तरीके से हो और इस पर हल्के ढंग से चर्चा न की जाए। इसी समय प्रो॰ कुरियन कहते हैं कि जैन आयोग पर चर्चा 11 बजे पूर्वाह्न में शुरू करने के बजाए हमने 12 बजे मध्याह्न शुरू करने का निर्णय किया है। उसी समय श्री मदन लाल खुराना भी यह बताते रहे कि कतिपय बिलों जैसे संसद सदस्य वेतन और भत्ता विधेयक होंगे जिनका निपटारा करना है। मेरा सुझाव है कि यदि प्रो॰ कुरियन और श्री राम विलास पासवान नियम 193 के तहत इन दो चर्चाओं में से किसी एक पर अर्थात् अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ पर चर्चा पर सहमत हो जाते हैं तो देश से निष्कासन के विषय पर इसके बाद चर्चा की जा सकती है।

इनमें से एक पर प्रधान मंत्री के उत्तर के ठीक बाद चर्चा की जा सकती है और दूसरे पर परसों पूर्वाह्न 11 बजे चर्चा की जा सकती है। मैं इस तरह का सुझाव दूंगा। किंतु इससे जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए उपलब्ध समय में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए मैं इस प्रश्न या प्रो॰ कुरियन, श्रीरामविलास पासवान और श्री सोमनाथ चटर्जी के सुझाव पर समाधान निकाला है।

[हिन्दी]

राम विलास पासवान जी, यदि आपका विषय कल ले लिया जाए तो क्या यह ठीक रहेगा?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल मेरा हो जाए और परसों इनका हो जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल हम लोग नियम 193 के अंतर्गत विदेशियों के निष्कासन के बारे में चर्चा करेंगे और परसों हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरे लिए दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं सीरियली करने को कह रहा हूं। जो निष्कासन का मामला था, वह दुर्गा पूजा तक रुक गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस पर डिक्शन होती रहे तो उस पर कल कर लेंगे। लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला ऑलरैडी लिस्ट में था। ऐसा सिगनल नहीं जाना चाहिए कि हम उस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप कल उसे ले लीजिए और परसों 11.00 बजे महाराष्ट्र वाला मामला ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकरा) : सभापति महोदय, मुझे यह सुझाव सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि जैन आयोग की रिपोर्ट जो हमारे नेता स्व॰ राजीव गांधी की जघन्य हत्या से संबंधित है को स्थगित कर दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, दूसरी सभा में इस पर चर्चा पहले से ही चल रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पोस्टपोन नहीं कहा, उनका सुझाव है कि विवासन वाला मामला परसों ले लिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उसे परसों नहीं, कल लिया जाए और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्स वाले मामले को भी कल लिया जाए।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : श्री आचार्य पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया इस तरह से थोपने का प्रयास नहीं करें। मैं कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ हुआ वह बताने नहीं जा रहा हूं किंतु जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया तो सभी सहमत थे कि चर्चा को पूरा करने के लिए सभा की बैठक दो दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए पूरे दो दिन नियत करने का निर्णय किया गया था। ...*(व्यवधान)* कृपया धैर्य नहीं खोएं। फिर, यह निर्णय किया गया कि दो दिनों के बजाए इसे कम कर के डेढ़ दिन कर दिया जाए। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि इस चर्चा के लिए सिर्फ एक दिन रहेगा क्योंकि हम इस पर इन दो दिनों के अपराह्न में इस पर चर्चा शुरू करेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि कल दो बजे अपराह्न इस पर चर्चा शुरू की जाए और हम इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। पांच तारीख को हमें इस पर पूरे दिन चर्चा करना चाहिए। इस समय का उपयोग हम अन्य दो विषयों से संबंधित कार्य को पूरा करने में कर सकते हैं। इन दो विषयों में से आप किसी एक को पहले लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि दोनों विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

सांय 6.43 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ लोगों का विवासन

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अंतर्गत बहस प्रारंभ होती है। श्रीमती गीता मुखर्जी बहस शुरू करेंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, सूची में मेरा नाम सबसे पहले है किंतु मेरे भाई हन्नान मोल्लाह ने अनुरोध किया है कि उन्हें पहले बोलने का अवसर दिया जाए। मैं इस पर सहमत हूं। सूची में उनका नाम भी है। इसलिए कृपया उन्हें पहले बोलने का अवसर दें तत्पश्चात् मैं बोलूंगी।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और गीता जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय को शुरू करने का मौका दिया। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की समस्या आज नई नहीं उठ रही है।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

पिछले सात-आठ साल से मैं इस हाउस में अकेला चिल्लाता रहा हूं।...*(व्यवधान)* कभी-कभी किसी ने जोइन किया है, हमेशा नहीं किया। आपने भी किया, इस हाउस में सब लोगों ने किया। मगर बात यह है कि यह सवाल आज ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है कि इसके बारे में पार्लियामेंट में एक सहमति, एक राय बनना बहुत जरूरी हो गया है।

मैं पहले एक बात साफ करना चाहूंगा कि एक इंटरैस्टेड क्वार्टर से लगातार बंगलादेशी और बंगलाभाषी में कन्फ्यूज करने की एक कोशिश होती है। यह कॉमन सेंस है कि अंग्रेज और अंग्रेजी बोलने वाला एक नहीं है। वैसे ही बंगलाभाषी और बंगलादेशी एक नहीं हो सकते। मगर बंगलाभाषी और बंगलादेशी में कन्फ्यूजन करने का एक लगातार प्रयास हम देखते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से साफ करना चाहता हूं कि हम लोगों ने कभी बंगलादेशी का ब्रीफ नहीं लिया। हमारी साफ बात है कि जो विदेशी है, उसे हिन्दुस्तान में जबरदस्ती या गैरकानूनी रूप से रहने का कोई हक नहीं है।

यह सरकार की बेबकूफी है, नाकामयाबी है, जो वह उनको पकड़ नहीं सकती। जैसे पुलिस काम करती है, जब मार-पीट होती है तो गुंडा भाग जाता है और अच्छे लोगों को पुलिस पकड़ती है। यह जो पुलिस का, प्रशासन का...* है, यह हमारे देश की सरकार का भी है कि असली अपराधी को पकड़ नहीं सकते।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं अनपार्लियामेंटरी वर्ड विदड्रा कर रहा हूं। आज प्रशासन और पुलिस सही अपराधी को पकड़ नहीं सकते और दूसरे लोगों को पकड़कर फंसाते हैं। हमारे प्रशासन की यह जो परम्परा है, इसके शिकार भी बंगलाभाषी लोग हो रहे हैं, यह भी हमारा कहना है। मैं पहले यह बात साफ करना चाहता हूं कि विदेशी को आइडेंटीफाई करना, चुनना, उसको स्कूटनाइज करना और उसके बाद उस पर मुकदमा चलाना और उसको अपने देश में भेजना सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पायी, उसकी जिम्मेदारी को आम गरीब लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में आइडेंटीफाई करने का तरीका ब्रिटिश टाइम का है, बावर टाइम का कानून है। यह कानून भी थोड़ा साम्राज्यवादी बना है। इसके तहत जिस आदमी को पकड़ा जाता है, उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी उसकी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या घास काटेगा? आज के जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम गरीब लोग कहां से प्रूव करेगा? यहां जितने लोग बैठे हैं किसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? किसी के पास नहीं है, 90 परसेंट लोगों के पास नहीं है। जो नये बच्चे हैं, उनके 2-4 के पास हो सकता है, बाकी किसी के पास नहीं है, हमारी यह स्थिति हैं एक तो जन्म का सर्टिफिकेट किसी को मालूम ही नहीं है, यह परिस्थिति है। इसलिए कानून को भी बदलने की जरूरत है।

तीसरी बात यह है कि किसी विदेशी को डिपोर्ट करना है तो मानवीय रूप से करना चाहिए। विदेशी भी इन्सान हैं, जानवर नहीं हैं, गाय बैल नहीं हैं। हम लोगों ने जैसा देखा, उसके अनुसार ट्रेन की खिड़की में जो लोहे की रॉड होती है, उसके साथ चैन से बांधकर ले जाना हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए कलंक है। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए और सही तरीके से उनको डिपोर्ट करना चाहिए। जैसा हमने चकमा का किया था, उस देश के साथ बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर उनको एक्सचेंज किया था। यह तो तरीका होता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है।

पहली बात यह है कि विदेशी बात को लाकर आज की आलोचना को कोई कन्फ्यूज न करे। विदेशी को डिपोर्ट करने का सही तरीका हम तय करें। उसके लिए एक्ट में बदलाव लायें और साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा हम सही तरीके से डिपोर्ट करें। इसके बारे में हमारी साफ बात है, कोई ऐसा न बताये कि हम बंगलादेशी के लिए ब्रीफ दी है। हमने अखबारों में पढ़ा है कि हमारे देश में 20 लाख नेपाली हैं, कुछ लाख बंगलादेशी हैं या श्रीलंका से आये हुए तमिल हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : पाकिस्तानी भी हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : कुछ पाकिस्तानी भी हैं। जहां तक उनको आइडेंटीफाई करके डिपोर्टेशन की बात है, यह जारी रहनी चाहिए। वैसे भी गरीब देश से लोग थोड़े बेहतर देश में काम के लिए जाते ही हैं। ऐसे लोगों को हम मजदूर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर अमानवीय बर्ताव भी उनके साथ करते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों की रजिस्टरी करनी चाहिए और उन्हें वर्क परमिट मिलना चाहिए, जिससे वे यहां काम कर सकें और उसके बाद वापस लौट जाएं। मगर उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)* हमारे देश के भी बहुत से लोग मजदूरी या काम के लिए अरब देशों में जाते हैं। हमारी जरूरत है तो हम ऐसे लोगों को काम देते हैं।

मैं कुछ बातें इस सम्बन्ध में यहां रखना चाहता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र में घटना घटी। वहां बंगलादेशी और बंगला बोलने वालों में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे जिले और आसपास के जिलों से नौजवान वहां काम के लिए गए हुए हैं। मेरे क्षेत्र से गए हुए 80-90 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। वे लोग मुम्बई आदि जगह पर जरी का काम करते हैं, साड़ी बनाने का काम करते हैं या सुनार का काम करते हैं या फिर डायमंड पालिश करते हैं। ये लोग ये काम बचपन से ही करते हैं। हमारे यहां के लोग जो यहां ऐसा काम

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

करते है, इनको और किसी राज्य से ऐसे लोग नहीं मिलते, क्योंकि इनके पास बचपन से ही इन कामों का हुनर है। अगर इन उद्योगों को जारी रखना है तो फिर इन लोगों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल इन पर हमला हो रहा है। हमारे यहां के लोग बंगला बोलते हैं और ये लोग पश्चिम बंगाल से विभिन्न जगहों से यहां काम की तलाश में आते हैं। कुछ लोग बिहार से और अन्य जगहों से भी आते हैं। ये लोग बंगला बोलते हुए वी॰टी॰ स्टेशन से जाते हैं तो पुलिस इन्हें पकड़ कर ले जाती है। वैसे भी पुलिस किसी की नहीं है। कभी-कभी ये तरीके से बाहर भी जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ कर थाने में ले जाती है और इनसे रिहाई की एवज में दो हजार रुपये या पांच हजार रुपये तक मांगती है। जो पैसे दे देता है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी पांच-सात दिन के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर इनको कहा जाता है कि तुम प्रमाणित करो कि भारत के नागरिक हो। ये लोग अनपढ़ हैं, इनके मां-बाप भी अनपढ़ होते हैं, वे जल्दी से सारे कागजात मुहैया नहीं करा सकते। इस पर पुलिस वाले इन पर जुल्म करते हैं, इनको खाना नहीं मिलता और आखिर में इनका डिपोर्टेशन किया जाता है। पिछली 22-23 और 24 जुलाई को तीन-चार बैच में महाराष्ट्र में ऐसे कुछ लोगों को पकड़कर कुर्ला एक्सप्रेस के द्वारा पश्चिम बंगाल के जरिए बंगलादेश पहुंचा गया। मैंने 17 तारीख को इस मामले को उठाया था और 23 तारीख को भी उठाया। मैं 22 तारीख को आडवाणी जी से भी मिला। शिव सेना के सांसद मोहन रावले जी से भी मिला और कहा कि ये लोग हमारे गांव के हैं, मैं इनको बाई फेस पहचानता हूं, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इन्हें बचाएं।

मगर कुछ नहीं हुआ। उनको गाड़ी में बिठा दिया। जब यह सब बात बंगला अखबार में आ गई तो हमारे जिले व गांव के पन्द्रह-बीस हजार लोग स्टेशन पर आ गए और गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी को घेरकर उन्होंने देखा कि एक कमरे में चैन के साथ वे सब बंधे हुए हैं। वे लोग चिल्लाए। वहां महाराष्ट्र पुलिस के 14 सिपाही भी थे। जब इतनी बड़ी भीड़ को देखा तो पुलिस ने उनको जिस चैन के साथ बंधे हुए थे, चैन खोल दी। हमारे एक एम॰एल॰ए॰ भी थे। इतनी बड़ी भीड़ देखकर हर कोई सोचता है कि कहीं गाड़ी न जला दे तो उसी तरह से परिस्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है। आपको मालूम है कि पुलिस कैसे उनको डिपार्ट करती है? उनको बॉर्डर पर ले जाया जाता है और पुश-बैक होता है। बंगलादेश कहता है कि ये हमारे देश के नहीं हैं और फिर उनको धक्का दिया जाता है, पुश-बैक होता है। उस परिस्थिति में या तो बंगलादेश राइफल गोलियों से उनको मारेगा या फिर जेल में डाल देगा। जिंदगी भर जेल में उनको रहना पड़ेगा और इस बात का पता तक नहीं चलेगा। कितनी इन्ह्यूमन परिस्थिति है? बंगलाभाषी लोगों के ऊपर यह जुल्म है। इस तरह की परिस्थिति को मैं बार-बार हाउस की नजर में लाना चाहता हूं ताकि इस समस्या को सुलझाया जाए।

जब मुम्बई पुलिस इन लोगों को पकड़कर ले जाती है कि ये बंगलादेशी हैं। जबकि इन लोगों के पास राशन-कार्ड की जरॉक्स कॉपी होती है या एम॰एल॰ए॰ का सर्टिफिकेट होता है। मैंने भी पांच हजार सर्टिफिकेट दिए हैं। रोज दो सौ-तीन सौ सर्टिफिकेट हमारे गांव के लोग ले जाते हैं। मुम्बई में तो यदि वे लोग चाय पीने जाते हैं तो होटल में खाना खाने जाते हैं तो भी सर्टिफिकेट जेब में रखना पड़ता है। अगर बंगला में बात करेंगे तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। पकड़कर सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हिन्दी सीखनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : हिन्दी भी बोलते हैं। उनके पास कुछ न कुछ प्रूफ जरूर होता है, राशन-कार्ड की जीरॉक्स कॉपी होती है या फोटो वाला वोटर कार्ड होता है लेकिन फिर भी यदि बंगला में बात करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी उनके पास है। उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वे लोग डीपोर्ट कर रहे हैं। इस परिस्थिति को मैं सदन की नजर में लाना चाहता हूं। यह घटना दिल्ली में भी दो-तीन बार हुई थी। जयपुर, अजमेर में भी हुई थी। जब इस सदन में इस बारे में आवाज उठाई जाती है तो यह सब बंद हो जाता है लेकिन फिर दुबारा शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया है, इस सरकार को थोड़ा सचेत होकर काम करना है। यह ठीक है कि सरकार का कर्त्तव्य है कि सरकार विदेशी को पकड़े, आइडेंटिफाई करे या डिपोर्ट करे या सिविल कोर्ट में पेश करे लेकिन इसकी आड़ में बंगलादेशी लोगों पर जुल्म न किए जाएं, यही मेरा इस सदन के सामने निवेदन है। यह संविधान की धारा 15ए के भी खिलाफ है जिसमें बताया गया है : जन्म स्थान और धर्म के आधार पर जिस जगह मे जन्म लिया है, उसी जगह में रहना है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन धर्म और जन्म लेने के स्थान के आधार पर उन्हें पकड़ा जाता है, यह मेरा आरोप है और यह गलत है। यह संविधान के आर्टिकल 15ए के खिलाफ है। यह संविधान के आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है क्योंकि इनके साथ बराबरी के साथ व्यवहार नहीं हो रहा है, यह मेरा दूसरा आरोप है।

सांय 7.00 बजे

[अनुवाद]

तीसरे अनुच्छेद 19(1)(घ) में भारत के संपूर्ण भूभाग में स्वच्छंद रूप से कहीं भी आने जाने के अधिकार का उपबन्ध है - मतलब, किसी भी आदमी को पूरे हिन्दूस्तान में किसी भी जगह चूमने का हक है।

चौथे, अनुच्छेद 19(1)(ङ) में भारत के किसी भी भूभाग में रहने तथा बसने के अधिकार का उपबन्ध है - कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जा सकता है और सैटल हो सकता है।

पांचवां, अनुच्छेद 19(1)(छ) कोई भी व्यवसाय करने और कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उपबन्ध करता है।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

[हिन्दी]

हमारे हिन्दुस्तान में हर नागरिक को फ्रीली व्यापार करने का हक है। लेकिन इस हक पर भी हमला हो रहा है। छठा, संविधान की धारा 21 है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी का हक है, इसके खिलाफ भी काम हो रहा है। इस प्रकार संविधान की छः धाराओं के खिलाफ काम हो रहा है। इसके शिकार हमारे बंगला भाषी लोग हैं। इन लोगों की हिफाजत करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करूंगा कि इसकी सही ढंग से जांच होनी चाहिए और उनको बचाया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र पुलिस इन लोगों को ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रही है। बंगाल में दो तरह के लोग हैं—एक वे जो पश्चिम बंगाल में रहते रहे हैं और दूसरे वे जो विभाजन के बाद 1947 में बंगलादेश से आए हैं। उनकी भाषा से पता चल जाता है कि वे बंगलादेश से आए हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले घटि हैं और जो उधर से आए हैं, उनको बंगाल कहते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मनोरंजन भक्त बंगाल है और हम घटि है। हमारी आईडेंटिटी है। बंगाल के लोग ईस्ट बंगाल क्लब के सर्पोटर हैं और जो घटि हैं, वे मोहन बागान्स क्लब के सपोर्टर हैं। जो उधर के लोग हैं, उनकी भाषा अलग है और इधर के रहने वाले लोगों की भाषा अलग है। एक वाक्य से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति है और कहां से आया है, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस इसको नहीं देखती है और भाषा को नहीं समझती है। जो कोई बंगला भाषा में बात करता है, उसी को पकड़ लेती है। यह भी एक समस्या है। इस पर सही ढंग से विचार करके नागरिकों को इन हमलों से बचाया जा सकता है।

अब मैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पश्चिम बंगाल के होम मिनिस्टर को जो पत्र लिखा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा है—

[अनुवाद],

> 'न्यायालय से यथा स्वीकृति प्राप्त तथा देश से निकाले जाने के समुचित आदेश के साथ 34 ऐसे देश निष्कासितों को 21 जुलाई 1998 को कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस से भेजा गया।'

[हिन्दी]

मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह डीएसपी का आर्डर है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारे हिसाब से जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें से 38 लोग मिदनापुर-खड़गपुर जेल में है। इनमें भी 13 बंगलादेशी हैं, चार बिहारी इंडियन्स हैं और बाकी बंगाली स्पिकिंग वैस्ट बंगाल के हैं। इस प्रकार तीनों ग्रुप्स में 5-10 परसेंट बंगलादेशी हैं और बाकी बंगाली स्पिकिंग हैं। इसलिए जो भावना पैदा करने की कोशिश हो रही है, मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूं। मैं इस सदन का मैम्बर हूं। छः बार चुनके आया हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि इस बार डिपोर्ट करने वाले लोगों में से 70 से 80 प्रतिशत बंगला भाषी हैं। कुछ बंगला देशी हैं। वह प्रमाण न हो तो मैं इस सदन की मैम्बरशिप छोड़ने के लिए तैयार हूं। उधर से जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई मैम्बरशिप छोडने के लिए तैयार है?

हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 99 परसेंट केसेज में बैनिफिट ऑफ-डाउट दिया जाता है।

हमारे देश में जो बंगाली भाषी स्पीकिंग लोग हैं, उनको बंग्लादेशी बोल कर बदनाम किया जाता है। मेरा चैलेंज है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ न हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमें बहुत दुख और दर्द के साथ इस बात को रखना पड़ रहा है। जब हम घर जाएंगे तो हजारों लड़के हम से पूछेंगे कि जो वहां के एम•पीज हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उन सबको भी यही दर्द है। वेस्ट बंगाल के होम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के मंत्री को जो पत्र लिखा है, मैं उससे सहमत हूं। उसमें कहा है—

[अनुवाद]

> "लोगों के एक समूह को बांगलादेश भेजे जाने के लिए महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों के साथ इन राज्यों में भेजा गया। उन्हें विदेशी समझा गया। किंतु हमें जानकारी मिली है कि वस्तुतः तथाकथित विदेशियों में से कई भारत के नागरिक हैं और पश्चिम बंगाल के जिलों में रह रहे हैं।"

[हिन्दी]

बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने होम मिनिस्टर को लिख कर बताया है। पश्चिम बंगाल के होम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को यह पत्र लिखा है, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि मेजोरिटी में वे बंग्ला भाषी लोग हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग हैं। मेरी बात सही साबित हुई कि वहां आठ लोग अदालत में गए—दो लोग एक बार गए और छः लोग एक बार गए, जिनको पकड़ा था। हम इसलिए खुशी मनाते हैं कि हमारे जिले के लोगों ने आकर उन्हें रेसक्यू किया। वे रेसक्यू न होते तो शायद बंग्लादेश चला जाता। वे बंग्लादेश के जेल में मरते थे, मगर उन्हें बचाया। वे लोग कोर्ट में गए। वे लोग देश से भागने वाले नहीं हैं, मैं यह चाहूंगा। हमने इस देश में जन्म लिया, हम इस देश में मरेंगे, इस देश से भाग कर, इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जो हमारे देश का नागरिक है, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी हैं इसलिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट में गया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइमाफेसी देख कर उसे स्टे दिया। जब वह केस फाइनल होगा, सारे प्रूफ के साथ मालूम पड़ेगा कि कौन बंगाली है और कौन बंग्लादेशी है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब दुनिया के सामने साबित हो जाएगा कि हम

गलत बोल रहे हैं या दूसरे लोग, जो हमें बदनाम करते हैं, जो बंग्लादेशियों को प्यार करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, यह बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोर्ट की राय का इंतजार भी हम करते रहेंगे। हमारी जो कोर्ट में मांग है—

[अनुवाद]

जो जन्म से भारत के नागरिक हैं उन्हें कही भी बसने का अधिकार है।

[हिन्दी]

यह एक ग्राउंड है, जिस के लिए हम हाईकोर्ट गए। दूसरा ग्राउंड है, हमारे पश्चिम बंगाल के आर्टीजन्स को किसी भी टेरेटरी के हिस्से में जाकर काम करने का हक है। वह काम कर भी रहे हैं। तीसरा, जो एड्रेस दिया गया, उसमें एक तो एड्रेस पर इंक्वायारी नहीं की, केवल यह पूछा कि तुम्हारा कुछ है। उन्होंने उधर ही रिपोर्ट की। वे कम से कम उसके एड्रेस पर जाकर उनके बारे में पूछ सकते थे। पश्चिम बंगाल सरकार को कह सकते थे कि यह एड्रेस सही है या गलत है? अगर नहीं मिलता तो उसकी रिपोर्ट सही ढंग से करते, तो शायद ऐसा न होता और लोगों पर जुल्म न होता। इसलिए यह जो काम इस सरकार ने किया है, यह बैड और इल्लिगल है, इसलिए हम इसके खिलाफ बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे। जो डेपोर्टेशन करने की कोशिश की है, उसकी पूरी छानबीन करें। हमारे देश में रहने वाले सिटीजंस पर कहीं हमला न हो जाए, वे लोग इस बात से डर रहे हैं। मेरे पास कल एक पत्र आया। मेरे गांव का एक लड़का जरी का कारखाना चलाता है। वह बोला, वरडाला के करीब 500 लड़कों को पकड़ कर ले गए हैं। वे वारडाला, सतारा और जहां-जहां भी जरी का काम करते हैं, वे एक साथ रह कर काम करते हैं। वहां भी बंगाली बहुत हैं। उसके नजदीक एक रेलवे स्टेशन है। वहां भी एक कालोनी हैं उधर से भी हमारे पास पत्र आया है। उसमें लिखा है 500 से ज्यादा लड़के वारडाला से पकड़ कर ले गए।

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इंटरवीन कीजिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया, महाराष्ट्र सरकार को चार पैराग्राफ लिख कर दिए और बंग्ला सरकार को दो पैराग्राफ लिख कर दिए। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मुझे खुशी है कि आपने कम से कम उसको टाइटल मे तो लिखा—'सर्टेन पीपल' बंग्लादेशी नहीं लिखा। मुझे खुशी है कि उसको आप भी मान रहे हैं। सब बंग्लादेशी नहीं हैं, इसलिए हैडिंग में लिखा है 'सर्टेन पीपल' हम इस बात से खुश हैं।

जिन लोगों को पकड़ा गया है पश्चिमी बंगाल सरकार के पास उनके नाम और घर का पता भेजकर उनकी सही ढंग से तहकीकात की जाए। उनकी पहचान सही न मिले तब उनको कोर्ट में ट्रायल करके उनका निष्कासन सही ढंग से किया जाए। इस तरह से भविष्य में रैंडम डैपोर्टेशन किसी का न हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग गरीब और अनपढ़ हैं जिनको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं और ये अपनी नौकरी खुद की ढूंढ़ लेते हैं। ये अपना स्वयं का काम करके अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए न कि उनके ऊपर जुल्म करना चाहिए। किसी भी सभ्य सरकार के लिए ऐसा करना सही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो परिस्थिति है इस पर आप गंभीरता से विचार करें। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो लोग घुसपैंठ करते हैं वहां की सरकार भी कोशिश करती है कि उनको वहां बसने न दिया जाए। मेरे पास आनंद बाजार पत्रिका है, इसमें लिखा है कि पिछले 10 साल में 80 हजार बांग्लादेशी लोगों को हमारी सरकार ने बांग्लादेश वापस भेजा है। जबकि यह पत्रिका हमारी बंगाल सरकार के खिलाफ रोज लिखती है।

जहां तक फैंसिंग की बात है तो यह किसकी जिम्मेदारी है? कह देते हैं कि फैंसिंग जल्दी-जल्दी करो, तो यह जिम्मेदारी किसकी है? बार्डर सिक्योरिटी फोर्सिज को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। यह काम भी आप सही ढंग से करें और कानूनी तरीके से आप गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोगों को पकड़ कर कार्रवाई करें, लेकिन किसी भी सिटीजन पर जुल्म न हो, इस बात का आश्वासन मैं आपसे चाहूंगा। गृह मंत्री जी से एक आश्वासन मैं और चाहूंगा। मैंने जो तीन-चार काम बोले—जरी, गोल्डस्मिथ, टेलरिंग, पॉलिशिंग के काम करने वाले हमारे एरिया के लोग हैं और ये गरीब लोग अपना काम करके अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और जिनकी संख्या मुम्बई में 20-25 हजार से ज्यादा है। दिल्ली में भी इनकी संख्या 20-25 हजार के करीब होगी।...*(व्यवधान)* मेरी आपसे प्रार्थना है कि महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे लोगों पर हमला न हो। दस साल पहले महाराष्ट्र से मद्रासियों, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयाली को भगाया गया...*(व्यवधान)* दस साल के बाद भइयों को हटाया जाता है...*(व्यवधान)* अभी यह काम बंगालियों के साथ हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रावले कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नगिरि) : आपको किसी स्टेट को बदनाम करने का अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)* आप पूरे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया हस्तक्षेप नहीं करें। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है...*(व्यवधान)* वहां एक घटना हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूं।

सभापति महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मानते हैं या नहीं। श्री हन्नान मोल्लाह क्या आप मान रहे हैं? वह अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, उन्होंने मान लिया है।

सभापति महोदय : ठीक है अब आप बोल सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह विषय अत्यन्त संवेदनशील है। प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य से प्यार करता है। किसी को भी किसी राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए। हम प्रत्येक राज्य के व्यक्ति को अपने भाई-बहन की तरह प्रेम करते हैं, इसलिए हमें शांतिपूर्वक इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने कतिपय घटित घटनाओं का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों यह सैंट्रल गवर्नमैंट को देखना है। जिन दो स्टेट गवर्नमैंट्स के बीच मतभेद हो रहा है, उनको सैंट्रल गवर्नमैंट दूर करे और इस पर विचार करने का काम करे। होम मिनिस्टर महाराष्ट्र और वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स को बुला कर इस प्राबलम को सॉल्व करने की कोशिश करें। वह ऑल पार्टी मीटिंग भी करवा सकते है।। भविष्य में कोई भी नागरिक कंट्री में किसी जगह भी रहे, उस पर हमला न हो, वह इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश करें। हिन्दुस्तान एक मजबूत राष्ट्र बने। हिन्दुस्तान को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने का जो सपना है, उसे आप साकार करने का काम करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, नियम 193 के तहत इस विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, बंगलादेशियों के बारे में इस सर्वोच्च सदन में 27 तारीख को एक मामला आया था। इसके ऊपर बातचीत भी हुई। सदन में हर पार्टी ने अपनी बात रखी। इसके बाद आज यह मैटर डिसकशन के लिए आया है जो बहुत खुशी की बात है। हन्नान मोल्लाह जी ने यहां यह मैटर रखा। मैं उनको करीब दो-ढाई साल से जानता हूं। मैंने इनके काम करने का भी तरीका देखा है। उन्होंने जो केस रखा, उसमें यह कहने की कोशिश की कि मुम्बई से पश्चिम बंगाल के लोगों को भगा दिया गया है। उनके साथ मार-पीट की गई। यदि बंगलादेशियों को वहां से निकाला जाता है तो उनके बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ऐसी बात सदन में रखने की कोशिश की है जो एक अच्छी बात है। इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है।

सभापति जी, सवाल यह है कि हमारे देश में जो बंगलादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अन्य फॉरेनर्स हैं, उनका क्या करना है? आपके यहां शायद इतनी समस्या नहीं होगी। अगर होगी तो आप उसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में खास करके मुम्बई में बहुत बड़ी तादाद में विदेशी हैं। उनमें बंगलादेशी, पाकिस्तानी और अन्य कई लोग हैं। इन्द्रजीत गुप्त जी ने हमें इनके बारे में जानकारी इस सदन में दी थी। सौभाग्य से इन्द्रजीत गुप्त जी यहां बैठे हैं। उन्होंने 6 मई 1997 को यहां जानकारी दी थी। यदि आप वे सब फीगर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि समस्या कितना बड़ा रूप धारण कर रही ह?

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि पूरे भारत में दस मिलियन विदेशी रह रहे हैं।

[हिन्दी]

हमारे देश में ऐसे दस मिलियन लोग हैं? उनको बाहर करने का कौन सा तरीका है, मैंने ऐसा सवाल वहां खड़े होकर पूछा था? उन्होंने जवाब दिया

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"विदेशियों विषय व अधिनियम के अंतर्गत यह सभी शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और राज्य सरकारों से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है।"

[हिन्दी]

उन्होंने उस समय ऐसा जवाब दिया था।

ऐसा उन्होंने जवाब दिया। मेरे सामने यह समस्या है कि यदि सैंट्रल गवर्नमैंट कहती है कि स्टेट गवर्नमैंट फैसला करे और यहां पर सांसद कहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट को देखना चाहिये। अब हकीकत में क्या करना चाहिए? यह अच्छा हुआ कि श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री हन्नान मोल्लाह ने यह सवाल उठाया और इस पर कभी न कभी चर्चा होना आवश्यक था। आज अच्छा मौका आया है। मैंने तो पिछले साल श्री इन्द्रजीत गुप्त से प्रश्नोत्तर के समय कहा था कि इस बारे में सदन में चर्चा हो जाये। उन्होंने मान लिया था लेकिन पता नहीं फिर यह सब्जैक्ट मैटर आया ही नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) उसके बाद यह हुआ कि हमारी सरकार को गिरा दिया।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : हम लोगों ने नहीं गिराया। जो लोग उधर बैठे हैं, उन्होंने गिराया है। आप लोगों ने उनका आधार लेकर यह सरकार बनाई थी। किस आधार पर गिरा दी, यह आप जानते हैं। हमने तो आपसे कहा था कि यदि उनसे बचना चाहते हैं तो बचो। आप नहीं बचो तो मैं क्या करूं? इसमें हमारी पार्टी का कोई कसूर नहीं था। मेरी जो भावना थी, वह मैंने बता दी। उस समय श्री गुप्त ने कहा था :

[अनुवाद]

"हमारी समस्या यह है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों जिनकी पहचान नहीं की गई है विभिन्न देशों के हो सकते हैं तथा उनके प्रयोजन अलग अलग हो सकते हैं। वे सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। उनकी जनसंख्या लगभग दस मिलियन है जबकि हमारी जनसंख्या 100 मिलियन है।

यह संभव है कि प्रत्येक दस व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सीमा पार करके आया हो। हम उनकी पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको अब तक पहचान किए गए लोगों की संख्या बता सकता हूं तथा यह बता सकता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है।"

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कब का है?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : यह ग्यारहवीं लोक सभा वाद-विवाद के भाग 4 का अंग्रेजी पाठ है।

[हिन्दी]

मैं महाराष्ट्र से आता हूं। आपको जिस मुम्बई से शिकायत है, मैं उस मुम्बई से आया हूं। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र में जितने बंगलादेशी हैं, आपने इस संबंध में बहुत सारी बातें की हैं। आप मेरे साथ एक दिन मुम्बई आइये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर बंगलादेशियों का इस्तेमाल किस ढंग से किया जा रहा है। आप इन्सानियत की बात करते हैं। उन लोगों को कौन सा इन्सान बताया जाता है? वे किस हालत में रहते हैं? आप लोग यहां पर केवल बातें उठाते हैं। आप वहां जाकर देखिये तो मालूम होगा कि उनकी हालत गुलामों से भी वर्स्ट है। और वह भी मुसलमानों द्वारा की जाती है। आप उनके घरों को देखो कि किस तरह से वे काम करते हैं तब आप लोग बात करिये।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप सरकार किसलिये चला रहे हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : हम अपने देश के लोगों का सरकार चलाते हैं, बाहर वाले लोगों का नहीं चलाते हैं। यदि हम लोगों को बाहर के लोगों का सरकार चलाना हो तो देश के संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और संविधान में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारे देश में आओ, जाओ, यह घर तुम्हारा है, जो चाहे करो।...*(व्यवधान)*.. सभापित जी, ऐसे टोका-टाकी तो अच्छा नहीं है। जब ये लोग बोले थे मैं चुप रहा। यदि टोका-टाकी करेंगे तो मैं जवाब देने वाला हूं' यदि आप टोका-टाकी नहीं करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा।

सभापति महोदय : कोई टोका-टाकी नहीं करे।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि टोका-टाकी नहीं होगी तो ठीक है। मेरी बात सुन लीजिये। हम तो चाहते थे कि चर्चा कल हो जाती परन्तु किसी ने माना नहीं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अत्यन्त ही उदारता से सभी शंकाओं का निवारण किया। इस विशेष प्रश्न पर 6 मई, 1997 को आधे घंटे तक चर्चा की गई थी। कई पूरक प्रश्न किए गए थे और उन्होंने उसका जवाब दिया था। किंतु दुर्भाग्यवश बाद में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल चर्चा नहीं की गई। मैं उनकी स्थिति को समझ सकता हूं। अंततः उनकी सरकार 4 दिसम्बर 1997 को गिर गई। मैं

[श्री मधुकर सरपोतदार]

समझता हूं कि उनके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं था। उन्हें गृह मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए पांच वर्ष मिलने चाहिए थे। उन्हें काम करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए था। वह मैं समझ सकता हूं। उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है।

[हिन्दी]

जिनको मौका मिलता है वह लोग काम कर देंगे। महाराष्ट्र के बारे में मुझे बताना है। इसमें कोई नयी बात नहीं है कि फॉरेनर्स वहां पर हैं और उनको बाहर करने के बारे में शरद पवार जी ने कहा था, मगर मैं कहना चाहता हूं कि फॉरेनर्स को मुम्बई से बाहर करने की ऐक्सरसाइज 1982 से चल रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था और उनके मुख्य मंत्री थे तो कितने लोगों को उन्होंने डीपोर्ट किया था।

[अनुवाद]

उस समय प्रक्रिया तय की गई थी उसका इस समय पालन किया गया है। हमारी सरकार की आलोचना की गई है जबकि उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। एक भी सदस्य ने देश से निष्कासित किए जाने के विरूद्ध कुछ नहीं कहा। यह भी सत्य है।

[हिन्दी]

हमारे ऊपर इन्होंने जो लांछन लगाया वह ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से ऐसे लोगों को भगाया जाता है जिनके अंदर बिहारी लोग हैं, जिनके अंदर यूपी वाले लोग हैं, जिनके अंदर वैस्ट बंगाल के लोग हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सब फॉरेनर्स हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : ये उनका हमारे ऊपर इल्जाम था। उनके जो वर्डिंग्ज थे वह मैं आपके सामने जरा पढ़कर सुनाना चाहता हूं और मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि वह ऐस्टैबलिश करें कि महाराष्ट्र में 14 मार्च, 1995 से हमारा शासन आने के बाद कितने बिहारियों को भगा दिया, कितने वैस्ट बंगाल के लोगों को भगाया, कितने यूपी वालों को भगाया, उनकी सूची यहां दे देंगे तो अच्छा है।

[अनुवाद]

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इस सभा में महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। अब उन्हें आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। अन्यथा उन्हें इस सभा से क्षमा मांगनी होगी। किसी को निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले आरोप लगाया कि सैकड़ों दक्षिण भारतीयों को मुम्बई शहर से भगा दिया गया। माननीय सदस्य को भी दृष्टान्त देना चाहिए। मैं उनसे और अधिक नहीं चाहता हूं।

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : मैं आपको मामलों के बारे में बता सकता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि शिव सेना या सरकार की ओर से परेशान किए जाने के कारण कोई बाहर गया हो तो उन्हें आंकड़े देने चाहिए और फिर उन्हें बोलना चाहिए। जब हम इस सम्मानीय सभा में बोलते हैं वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यह ससंद सदस्य का उत्तरदायित्व है बल्कि जब वह सभा में वक्तव्य देता है तो उसे उस वक्तव्य को सत्यापित करना होगा। किसी को भी इस पर इस प्रकार से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं यह सब आंकड़े देता हूं। उस समय उन्होंने जो यहां कहा था, में रिकार्ड में लाना चाहता हूं। उसका जवाब देने की जिम्मेदारी शरद पवार जी की है। उनके प्रति मेरे दिल में कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन जब भी महाराष्ट्र का सवाल आता है तो कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा उनको ही आगे कर देते हैं। अन्य सवाल आते हैं तो वह पीछे हैं। फॉरेन मैटर्स पर डिसकशन में चर्चा में वह आगे नहीं आए, अन्य किसी को आगे कर दिया गया।...*(व्यवधान)* मैं क्वोट कर रहा हूं :—

> "...अध्यक्ष जी, कुछ मुस्लिम फॉरेनर्स को मुम्बई से बाहर भेज दिया गया है। पिछले साल भी बीजेपी-शिवसेना गठजोड़ ने बंग्लादेशियों के नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार और वैस्ट बंगाल के मुस्लिम लोगों को बाहर भेजा था और आज भी यही स्थिति है। वे लोग बंग्लादेशी नहीं हैं। वे लोग मुस्लिम हैं, इसलिए मुम्बई से बाहर भेज दिया। भारत सरकार को इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। यह स्थिति इस देश में धर्म के नाम पर, अन्य राज्यों के नाम पर हो रही है।..."

यह शरद पवार जी ने 27 तारीख को सदन में कहा था। दूसरी बात उन्होंने कही है—

> "...मान्यवर, इसी साम्प्रदायिक शक्ति ने अपनी राजनीति की शुरूआत नार्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस पर हमले करके शुरू की थी। आज अगर बिहार, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल के किसी जिले से कोई मुस्लिम समाज का गरीब आदमी वहां रोजी-रोटी के नाम पर जाता है तो बंगलादेशी के नाम पर उन पर हमले होते हैं, उनके साथ सख्ती की जाती है और उनको वहां से बाहर भेजने की परिस्थिति पैदा की जाती है। इतना सब होने के बाद भी भारत सरकार आज इस बारे में कोई कदम उठाने के

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह देश की एकता पर हमला है। जिस स्टेट में देश की एकता पर हमला होता हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार उनको डिसमिस करने का काम करे। मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि इसके बाद सरकार की क्या नीति रहेगी?"

सब्जैक्ट मैटर साइड में हो गया। यह बोलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को डिसमिस करो। चार वर्षों से यह सपना देख रहे हैं कि सरकार को हटाओ, रोज सपना देखते हैं। लोगों ने आजकल दिन में भी सपने देखना शुरू कर दिया है। जब से हमारा शासन आया है तब से कोई न कोई बयान आ जाता है कि सरकार अभी गिरने वाली है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप और आपके एलाइस 356 की मांग करते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : 356 की हमने कोई बात नहीं की है।

[अनुवाद]

हमने उसके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। मैंने जो कहा था वही कह रहा हूं। जब कभी इस सभा में अनुच्छेद 356 बहस के लिए आया है तो मैंने इसका विरोध किया। अधिकार के प्रयोग का यह उचित तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

ऐसा हमारा कहना है, लेकिन अंडर सरकम्सटांसिज कभी कोई डिसीजन ले लेते हैं। उसका जस्टिफिकेशन देना उनका काम है, जिन्होंने डिसीजन दिया है। मैं उस समय बोला था जब श्री नम्बूदरीपाद की गवर्नमेंट को निकाल दिया था, क्या हुआ था। मैं इतनी पुरानी बात पर जाता हूं, जो कि आज का विषय नहीं है। इसलिए मैं इस पर नहीं जाता हूं। मैं शरद पवार जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने यहां पर स्टेट किया है यदि उसके बारे में उनके पास कोई प्रूफ्स हों तो वह सदन में पेश करें, नहीं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। कम से कम यहां आकर कहें कि मैंने भावनावश बोल दिया। मुसलमानों के लिए इतनी प्रीत है, इतनी लगन है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। मैंने उस दिन बोला था लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मुस्लिम यदि हमारे देश के हैं तो वे हमारे हैं, यह हमारा आज से कहना नहीं है, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन बाहर के मुसलमानों को यहां रहने का हक नहीं है, यह मैं कहता रहूंगा। आज ही नहीं आज से दस वर्ष के बाद भी यही कहूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : आप कह रहे हैं कि बाहर का कोई मुस्लिम नहीं रहेगा।...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : बाहर के मुस्लिम से मेरा मलतब है नो फॉरेनर्स।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : उस दिन क्या हुआ, 27 तारीख को जो बात यहां हुई थी हावड़ा में एक उलूबेरिया स्टेशन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैंने इस उलूबेरिया कहता हूं। मैं गलत हो सकता हूं। मैं गलती ठीक करने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उलूबेरिया में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : अगर आपके बारे में मैं बोलूंगा कि आपके फादर कहां के थे और आप कहां के हैं, मैं इस डीटेल में नहीं जाना चाहता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप शिवसेना में कैसे हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपके पिता का काफी सम्मान करता हूं। उसी तरह से कुछ चीजों को छोड़कर मैं आपका भी सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

मैं इसके डीटेल में नहीं जाना चाहता। मैं यह कह रहा था कि उलूबेरिया स्टेशन पर लोगों को डीपोर्टेशन के लिए लाया जाता है। हमारा यह कहना है कि यदि डीपोर्टेशन के बारे में कोई शिकायत हो, यदि सरकार को मालूम था तो सरकार की मशीनरी को इसे वहां आकर रोकना चाहिए था। यह कौन सा तरीका है

[अनुवाद]

उन्होंने 10,000 या 15,000 लोगों की भीड़ के साथ हमारे पुलिस बल पर आक्रमण किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवधान नहीं डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं जो कह रहा हूं, यदि उसमें आपको कोई आपत्ति है तो आप उसे...*(व्यवधान)* हमारा कहना इतना ही है कि इनके पास इतने आदमी होने के बाद ये प्रोसीजर बता रहे थे। आज भी हमारे बहुत से देहातों में ऐसा प्रोसीजर है कि जब कैदियों को लेकर जाते हैं तो उनके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं।...*(व्यवधान)* बहुत सी जगह ले जाते हैं, जेल से लेकर कोर्ट तक ले जाते हैं। ...*(व्यवधान)* पुलिस की सुरक्षा क्या है? हमारे यहां मुम्बई शहर में ऐसा हुआ है कि कैदी को अस्पताल से ले जाते हैं तो वहां गोली चलाई जाती है, पुलिस के लोग मारे जाते हैं और वे कैदियों को भगाकर ले जाते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए। डिपोर्टेशन के समय उनको कैसे ले जाना है, यदि उनको चैन से बांधना नहीं है, पेशाब के लिए छोड़ते हैं, खाने के लिए छोड़ते हैं और सब काम के लिए छोड़ते हैं।

[अनुवाद]

अन्यथा, 10-15 पुलिस कर्मी कैसे 40 लोगों पर नियंत्रण करते? इसे समझने का प्रयास कीजिए। यही प्रक्रिया है और इन लोगों को प्रक्रिया के अनुसार ले जाया गया था।

[हिन्दी]

मेरा कहना इतना है कि क्या इसके बारे में कोई शिकायत वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, क्या किसी को अरैस्ट किया गया, कुछ हुआ या नहीं? यदि होगा तो लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमैंट को बोल सकते हैं।...*(व्यवधान)* यह उनका ऐलीगेशन है।...*(व्यवधान)* मेरी जानकारी ऐसी नहीं है...*(व्यवधान)* हमारा कहना है कि उसके बारे में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। यहां पर छोटी-छोटी बातों पर हमले होते हैं कि उसके ऊपर केस दर्ज करो और इतना बड़ा हमला होने के बाद केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बारे में जांच करनी चाहिए। यदि वह हमला गलत था तो उसके बारे में भी वैस्ट बंगाल गवर्नमैंट के लोगों को माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)* गलती से उनके ऊपर अटैक किया था। पुलिस फोर्स पर अटैक नहीं करना चाहिए और उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शिकायत थी तो सरकार के लोग आते, पुलिस पार्टी को बाहर बुलाते कि ऐसी बात है, आप पुलिस स्टेशन चलो और ले जाते। लेकिन इस प्रोसीजर को ऐडॉप्ट करने की क्या जरूरत थी।...*(व्यवधान)* हमारा कहना है कि यह बात भी क्लीयर होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जगवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उन्हें चेन से नहीं बांधा गया था।

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे पता नहीं।

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि यदि वैस्ट बंगाल में एक ट्रेन पर इस तरह हमला होता है, हमारे वैस्ट बंगाल के सांसद हमेशा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन के बारे में बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या हो सकता है।. ..*(व्यवधान)* यह गलत है, ऐसा आपका कहना है लेकिन हमारा अंदाजा ऐसा रहा, हमारी पुलिस के साथ ऐसा हुआ।...*(व्यवधान)* आपने आठ हजार पिछली रिपोर्ट का जो बोला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं केवल समझने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : आपने बोला है कि आठ हजार लोगों को डिपोर्ट किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। श्री सरपोतदार, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : आपकी पुलिस है।...*(व्यवधान)* हमला करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* यह उचित तरीका नहीं है जब श्री शरद पवार और इनका शासन था, मेरे पास आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)* उस समय जो डिपोर्टेशन किया गया था, उसकी फिगर्स मेरे पास हैं, मैं इस सदन के रिकार्ड में वह रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री मधुकर सरपोतदार : बंगलादेशी नागरिक 1982 से 1995 तक जो डिपोर्ट हुए...*(व्यवधान)* कांग्रेस शासन काल में 5434 लोगों को निर्वासित किया गया जब से हमारा शासन आया, तब से आज तक 2,669 तक बंगलादेशी निकाले गए।...*(व्यवधान)* जब वहां पर पाकिस्तानी थे, उसमें 3,787 थे और हमने 106 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। यदि टोटल फिगर देखेंगे तो करीबन 10,000 आदमियों को करीब 10,000 लोगों को निर्वासित किया गया था। जिनको पकड़कर ले गए, उनको छुड़वा दिया। पुलिस के हाथ में है कि किसे छोड़ना है तो यह मौब साईकोलौजी हो गई।

[अनुवाद]

मुझे उसकी चिन्ता है। हम जो सन्देश भेज रहे हैं वह उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पिछले बीस वर्षों से पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी शासन है।

पिछले बीस वर्षों से श्री ज्योति बसु वहां के मुख्य मंत्री हैं। वहां ये सभी चीजें हैं, मगर मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि वो अपने कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करते हैं और संपूर्ण राज्य की क्या प्रगति है। उनके जैसे अनुशासित व्यक्ति के होते हुए भी वहां उनके नियंत्रण में यह हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कैसा अनुशासन है यह आप बेहतर जानते हैं। मुझे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। आप रोज पश्चिम बंगाल जाते हैं।...*(व्यवधान)* मैं विषय से नहीं हटुंगा। वो अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : कुछ विशेषज्ञों के वक्तव्यों को मैं पढ़ना चाहुंगा।

[हिन्दी]

मुम्बई के बंगाली लोगों ने जो बयान दिया है...*(व्यवधान)*

वे सालों से हमारे पास रहते हैं...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

> "महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुम्बई में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी बंगलादेशियों के निर्वासन करने से राजनीतिक क्षेत्र में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया है। वही लोग कह रहे हैं कि विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3क के तहत आरोप लगाएं गए हैं और मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाते हैं और मेजिस्ट्रेट से आदेश लेने के पश्चात् उन्हें निर्वासित कर दिया गया।"

जिला न्यायाधीश का केवल यही आदेश नहीं है, जो उन्होंने कहा है वह सर्वथा गलत है। मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के समक्ष अधिकारियों ने प्रमाणित किया कि वो बंगलादेशी हैं और आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें निर्वासित किया गया।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं समाप्त कर रहा हूं। महाराष्ट्र के उप-मुख्य मंत्री...*(व्यवधान)* मैं नाम भी पढ़ रहा हूं। मैं विषय-वस्तु पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वक्तव्य कुछ बंगालियों द्वारा दिया गया? क्या वो बंगाली हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : वो मुम्बई में रहने वाले बंगाली हैं। मैं उन सभी, के नाम पढ़कर सुनाता हूं। ये हैं (1) श्री सुधीर कुमार चौधरी (2) श्री शक्ति सामंतरे (3) श्री सोमनाथ चक्रवर्ती (4) श्री बसु चटर्जी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्टेटमैंट सही नहीं करने से भगा देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : और (5) श्री चन्द्र मैत्र। एक पद्मश्री भी हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब कनक्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) **:** वो उन्हें एक वाक्य भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं। महोदय, यहां माननीय वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं। वो उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे। यह उचित नहीं है। कृपा करके उन्हें व्यवस्था बनाए रखने को कहें...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे समझने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)* एक मिनट मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)* वो मुझे वक्तव्य को पढ़ने नहीं दे रहे।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : आपने 40 मिनट का समय ले लिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, एक मिनट।

> "जैसा कि अनुमान है, दो लाख बंगाली भाषी हिन्दुस्तानी परिवार जिनकी कुल सदस्य संख्या करीब आठ लाख है, बृहद मुंबई में रह रहे हैं, उन्होंने इस शहर को अपना घर बना लिया है। वो महाराष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल गए हैं।"

आप महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जो मूलतः गलत है। और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि दो राज्यों के बीच समस्या निपटाने का यह तरीका नहीं है। मैं ब्यौरा बता रहा हूं। जो उन्होंने अन्नत में कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। "ये सभी बंगाली हिन्दुस्तानी जनता यहां शान्ति, सुख और इज्जत के साथ रह रहे हैं और जिन्दगी के हर क्षेत्र में उन्हें समान अवसर उपलब्ध हैं।" आप प्रैस विज्ञप्ति देखें। इस पर सब व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ...*(व्यवधान)* उन लोगों द्वारा यह प्रैस विज्ञप्ति दी गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : यह आपका अंतिम वाक्य है।

श्री मधुकर सरपोतदार : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यह किस अखबार में छपा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : जब वो बोले तो किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मगर अब वो बोल रहे हैं, उन्हें कोई बोलने नहीं दे रहा।...*(व्यवधान)* वो टोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे सारे तथ्य रखने दीजिए। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उससे संबंधित तथ्य मैं रख रहा हूं जिससे की राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सरकार को जानकारी मिले। महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए अगर कोई अनावश्यक रूप से गलत और झूठे आरोप लगाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस पर मैं दृढ़ हूं। मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पश्चिम बंगाल के सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि हम मूलतः भारत के किसी भी क्षेत्र के लोगों के खिलाफ नहीं है। हम उनके खिलाफ नहीं हैं जो वास्तव में भारतीय हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि संपूर्ण देश एवं विश्व को गलत संदेश न जाए। महाराष्ट्र, सभी बिहारियों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं। महाराष्ट्र की आबादी में अन्य राज्यों को आबादी में अन्य राज्यों के लोग भारी संख्या में हैं। *...(व्यवधान)*

यह हमारे देश के सभी भागों के लोगों का समागम है तथा हम उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। हम मुफ्त आवास भी दे रहे हैं ताकि इस प्रकार की आलोचना न की जाए। इस तरह की आलोचना से किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक संसद सदस्य आंकड़े देखें तथा वस्तुस्थिति का अध्ययन करें और इसके पश्चात् आलोचना करें। अन्यथा इस चर्चा से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस मामले पर मेरे विद्वान मित्र श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत हूं।

मैं इस चर्चा में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्न नहीं हूं। मुझे दुःख होता है कि हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों पश्चात तथा हमारे महान संविधान के 48 वर्षों तक काम करने के बाद इस सर्वोच्च सभा को यह चर्चा करनी है कि इस देश का एक विशेष शहर कुछ व्यक्तियों को उन्हें विदेशी तथा किसी अन्य भाषा बोलने के नाम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है। यह अत्यंत दुःखद स्थिति है। अतः मैंने कहा है कि मैं इस चर्चा में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्न नहीं हूं।

हमारे देश, चाहे हम इसे पसंद करें अथवा नहीं की एक परंपरा तथा इतिहास है तथा हमारी सामाजिक सरंचना इतनी जटिल है कि कोई दल कोई धर्म, कोई भाषा तथा कोई सरकार इस परंपरा तथा इतिहास को आसानी से समाप्त नहीं कर सकता है।

मैं मुम्बई के प्रश्न पर आता हूं। श्री सरपोतदार ने अपने विचारों को अत्यंत पुरजोर तरीके तथा कुशलता से रखा है। मैं उन्हें मधुकरजी कहूंगा। क्या मैं ठीक हूं?

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरा नाम सरपोतदार है।

श्री ए॰सी॰ जोस : यही हमारी कठिनाई है। मैं प्यार से उन्हें मधु कहता हूं।

वह शिव सेना से संबंध रखते हैं। मैं उनका अत्यंत आदर करता हूं क्योंकि हम अच्छे निजी दोस्त हैं। लेकिन वे शिव सेना से संबंध रखते हैं। शिव सेना का जन्म कैसे हुआ? शिव सेना का जन्म 'दक्षिण भारतीयों को हटाओं' के नारे के साथ हुआ। दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध चली लड़ाई से शिव सेना का जन्म हुआ। शिव सेना मुम्बई में काम करने वाले दक्षिण भारतीयों को हटाने के नाम पर शक्तिशाली हुआ। वर्ष 1970, 1972, 1974 तथा 1980 में वहां रहने वाले दक्षिण भारतीयों के लिए यह एक दुःस्वप्न था।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मुम्बई को उसका अपना शहर होने का दावा नहीं कर सकता है। वहां, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश के, तमिल, मलियाली लोग भी रहते हैं।

मैं इस देश के दक्षिणवर्ती राज्य केरल का हूं। हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं। हम दक्षिण की ओर नहीं जा सकते हैं। यह समुद्र से घिरा हुआ है। हमें रोजगार हेतु उत्तर की ओर आना पड़ता है। हमारी जनसंख्या की सघनता अत्यधिक है। हमारे पास 300 मिलियन अर्थात् 3 करोड़ शिक्षित लोग हैं लेकिन वे बेरोजगार हैं। हम अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं तथा यदि कोई शहर अथवा राज्य यह करने की कोशिश करता है कि वह भाग उसका है तथा वे उस भूमि के पुत्र हैं तो यह देश संकट में फंस जायेगा।

इस देश में रक्तपात हो जाएगा। अतः मेरा शिव सेना के दोस्तों से यह अनुरोध है कि उनका यह दावा कि मुम्बई मराठियों अथवा महाराष्ट्र के लोगों का है उचित नहीं है। मुझे श्री सरपोतदार की यह बात सुनकर दुःख होता है कि उन्होंने उन्हें आवास तथा अन्य सभी

चीजें उपलब्ध कराई हैं। उस शहर के निर्माण में हमने भी भाग लिया है। हमारे भागीदारी की कभी अनदेखी नहीं की जा सकती है। आप इस बात का आभार नहीं मान रहे हैं, अतः यह एक गंभीर मामला है।

एक माननीय सदस्य : हमने आपको अनदेखी नहीं की है।

श्री ए॰सी॰ जोस : मुझे खेद है कि अब आप इसका ध्यान रख रहे हैं। हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। हमें वहां रहना होगा। अतः भारत के सभी भागों विशेषकर मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में देश के सभी भागों से लोग आते हैं तथा वे सप्रभावपूर्वक रह रहे हैं। वे सभी मुख्यधारा, उस शहर की संस्कृति, देश की संस्कृति से घुल-मिल जाते हैं। मुझे यह कहने में गर्व है कि मलयाली भाषा बोलने वाले केरलवासी तथा तमिल भाषा बोलने वाले तमिलवासी उस राज्य में जन्म लेने तथा पलने-बढ़ने वाले किसी व्यक्ति से अधिक बेहतर हिंदी बोलते हैं...*(व्यवधान)*। मैं समझता हूं कि दिल्ली में मलयाली बोलने वाले व्यक्ति, अपने केरल के व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अच्छी हिंदी बोलते हैं...*(व्यवधान)* वे मराठी भाषा भी बोलते हैं। अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि ईश्वर के लिए धर्म, भाषा अथवा जन्म स्थान के नाम पर लोगों को अलग नहीं करें। यहां प्रश्न यह है कि बांग्लादेश के व्यक्ति अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ बांग्लादेश के लोगों तक सीमित नहीं है। वहां तमिल बोलने वाले श्रीलंका के लोग हैं। आप उनका क्या करेंगे? केरल में पंजाबी भाषा बोलने वाले पाकिस्तान के लोग हैं। वहां उर्दू बोलने वाले मुसलमान लोग हैं। वहां नेपाली बोलने वाले नेपाल के लोग हैं। आप उनका क्या करेंगे? हमारा देश सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश इसी प्रकार का है। हमारी सीमा बहुत विशाल है। हमारे एक तरफ श्रीलंका, पाकिस्तान तथा दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ऊपरी तरफ नेपाल और दूसरी तरफ मयांमार है। उनका होना हमारे लिए सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य की बात है। अतः हमें उनसे अत्यंत सावधानीपूर्वक निपटना होगा। श्री हन्नान मोल्लाह ने सुझाव दिया है कि जब भी वे बंग्लादेश, श्रीलंका नेपाल अथवा पाकिस्तान के अवैध लोगों को पाते हैं अथवा जब उन्हें शक हो कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो उन्हें हिरासत में ले लेना चाहिए तथा प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहना चाहिए। इसके बाद ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके बिना यदि बिना छान बीन करके किसी को बांधकर वापिस भेजते हैं तो यह उचित नहीं होगा यह अत्यंत असभ्य तरीका है। मुझे श्री सरपोतदार द्वारा यह कहे जाने का अत्यंत दुःख है कि वे हर किसी को हिरासत में ले रहे हैं। यह अत्यंत असभ्य तरीका है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो हत्या अथवा इसी प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं जिन्हें हथकड़ी लगाई जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है।

श्री ए॰ सी॰ जोस : हां, उच्चतम न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। कोई बिना पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् रह रहा है जैसी छोटी-सी बात, के कारण किसी के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए। क्या वे ऐसा किसी धनी व्यक्ति के साथ करेंगे। क्या वे ऐसा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ करेंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे ऐसा केवल गरीब लोगों, निरक्षर लोगों तथा भिखारियों के साथ करेंगे। धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को ले जाने हेतु आरामदेह तरीका अपनाएंगे।

वे रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अंतिम परिणाम क्या था? वहां पश्चिम बंगाल के कुछ लोग भी थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पश्चिम बंगाल के अधिक व्यक्ति थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए।

श्री ए॰सी जोस : यही मैं कह रहा हूं। माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। हमारे देश के जटिल स्वरूप को देखते हुए, हमें कोई प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे कि जो विदेशी राष्ट्रिक इस देश में गैर-कानूनी रूप से रह जाते हैं उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जा सके। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देश गैर-कानूनी रूप से रुकने वाले अप्रवासियों का देश नहीं है। इस कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मगर हमें यह विचार करना है कि इसकी रक्षा कैसे की जाए, फर्ज कीजिए कि कल वो कुछ तमिल भाषी लोगों को यह कहते हुए जेल में डाल दें कि वो श्रीलंकाई हैं, तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, देश के इस दक्षिण हिस्से में पंजाबी लोग काफी संख्या में हैं। हम उन्हें अपना भाई मानते हैं। हम उनसे इज्जत से पेश आते हैं और वो अपना व्यवसाय चलाते हैं। उनके अपने गुरुद्वारे हैं। हम कुछ नहीं करते। हम नहीं जानते कि वो पाकिस्तानी पंजाबी हैं या भारतीय पंजाबी। अतः हमें कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मेरा नम्र कथन यह है कि वर्षों पहले जो काम शिव सेना के लोगों ने किया था अब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने पहले दक्षिण के लोगों को निशाना बनाया। दक्षिण भारत के लोग वहां भारी संख्या में हैं। वो भी भुगत रहे हैं। अब लोग मुबंई जाकर नहीं बस रहे हैं क्योंकि नए लोग उन्हें वहां रहने नहीं दे रहे।

धर्म के नाम पर भी यही हो रहा है। मैं विषय से थोड़ा हट रहा हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान गुजरात में हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 6 जुलाई को एक ईसाई को दफनाया गया था। कब्रिस्तान को लेकर कुछ विवाद था। अल्पसंख्यक समुदाय के थोड़े से लोगों ने कब्रिस्तान का विरोध किया। अंत में मामला न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय ने ईसाईयों के पक्ष में फैसला दिया। उस कब्रिस्तान में एक शव को दफना दिया गया। कुछ दिन पश्चात् उस शव को निकाल कर गिरजाघर के सामने रख दिया गया। घबराये हुए ईसाईयों ने उसे नदी के तट पर ले जाकर दफना दिया।

[श्री ए॰सी॰ जोस]

मैंने गुजरात में बाइबल जलाए जाने की घटना का मुद्दा उठाया था। गुजरात में अल्पसंख्यकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा श्री सरपोतदार एवं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध यह है कि किसी विशेष घटना के प्रति उनका चाहे जो भी रवैया हो इस समस्या के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है। वही महत्व रखता है। वे आने वाले दिनों में चाहे कुछ न कर रहे हों, शायद वे इस विशेष घटना से बचना चाहते हों, परन्तु खबर यह है कि इस देश में अल्पसंख्यक निडर होकर नहीं रह सकते और यह कि पश्चिम बंगाल, केरल या दक्षिण भारत के लोग मुंबई में नहीं रह सकते। यह खतरनाक हैं। सरकार द्वारा मनोवैज्ञानिक शक्ति एवं विश्वास पैदा किये जाने की आवश्यकता है। मैं कोई विशेष घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूं। गुजरात में ईसाईयों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध रोज कोई न कोई घटना हो रही है। गिरजाघर तोड़ा जा रहा है। क्या कार्रवाई की गई? गुजरात सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश जाता है कि भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केरल के बहुसंख्यक अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकते हैं और अन्य राज्यों के अल्पसंख्यक कोई अन्य जगह बहुसंख्यक हो सकते हैं। क्या विश्व हिन्दू परिषद के लोग यह कह सकते हैं कि यहां कोई बहुसंख्यक हैं? गुजरात में आज बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सक्रिय हैं। मैंने ऐसा नहीं सुना है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। केरल में ऐसा नहीं है। इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं...*(व्यवधान)* वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं...*(व्यवधान)* कृपा उन्हें यहां न लाएं। उनके बिना हम बहुत खुश हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गृह मंत्री की कार्रवाई से अल्पसंख्यकों एवं विभिन्न राज्यों के लोगों के मध्य विश्वास कायम किया जा सकता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार के अनुसार नागरिक के तौर पर हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। और किसी भी स्थान में रह सकते हैं। मगर इससे अधिक सुरक्षा क्या दे सकते हैं? यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे।

मेरा निवेदन यह है कि महाराष्ट्र सरकार को कहा जाए—मैं अभी भी यह मानता हूं कि मुंबई किसी की जायदाद नहीं है—यह भारतीयों की जायदाद है। देश के सभी शहरों की तरह भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणों से मुंबई अस्तित्व में आया यह समस्या मुंबई में विशेषतौर से विकट है।

रात्रि 8.00 बजे

यह शिव सेना के कारण है। अतः अल्पसंख्यकों के मन से डर की भावना समाप्त की जानी चाहिए, उनमें विश्वास की भावना जगाई जानी चाहिए और शहरों में सबको शांति से रहने देना चाहिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, आठ बज गए हैं। इस चर्चा को हम कल जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सदन सहमत होता है तो हम साढ़े आठ बजे तक चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : नहीं। हम कल चर्चा जारी रख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, अब काफी देर हो गई है। इस चर्चा को हम कल जारी रख सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : सभापति महोदय, पूर्व में सदन की बैठक केवल आठ बजे तक बढ़ाई गई थी। अतः इस चर्चा को कल तक बढ़ा देना उचित होगा।

सभापति महोदय : नियम 193 के तहत कल एक और चर्चा है। इसलिए हम चर्चा को साढ़े आठ बजे तक जारी रख सकते हैं। श्री अजित कुमार पांजा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री फातमी कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री अजित कुमार पांजा का नाम लिया है।

श्री अजित कुमार पांजा : सभापति महोदय, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमें इस सदन में बहुत ही सावधानी से इस पर चर्चा करनी है। हमें ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए या ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे बंगाली तथा अन्य लोग प्रभावित हों।

महोदय, न केवल आवाजाही बल्कि अपने व्यवसाय के लिए किसी भी राज्य के लोग अन्य राज्यों में जा सकते हैं। सभी सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन यह है कि—मैं कल मुंबई गया था और हम वहां लोगों से बातचीत करके कल ही वापस आए हैं—हमें मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए या टिप्पणी करनी चाहिए जिससे कि जो लोग देश की संपूर्ण एकता के लिए हम पर, लोक सभा पर, आशा लगाए बैठे हैं, किसी भी तरह प्रभावित हों।

महोदय, मुद्दे की संवेदनशीलता के मद्देनजर बंगलादेशी, और पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी लोगों के साथ जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा 'बंगलादेशी बंगलादेशी' कहकर विभाजन या एक तरह से मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई थी। ऐसा कोई विभाजन नहीं है। इतिहास ऐसे कोई विभाजन को नहीं मानता। 1905 में अंग्रेजों ने कहा था कि बंगाल का विभाजन एक वास्तविकता है। उस समय श्री सुरेन्द्र नाथ

बनर्जी ने निडर होकर खुली घोषणा की, "मैं उस वास्तविकता को बदल दूंगा", और विभाजन टल गया। सैकड़ों जानें गईं। तब अपनी जवानी में मैं कलकत्ता की गलियों में दंगों के दौरान हिन्दू द्वारा मुसलमान भाई की एवं मुसलमान द्वारा हिन्दू भाई की हत्या करते देखा। बहुत खून खराबे के बाद अर्धरात्री को भारत को आजादी मिली।

मगर इसके लिए सबने कुर्बानी दी। मगर सबसे बड़ी कुर्बानी बंगाल का विभाजन था जिसके परिणामस्वरूप पूर्व और पश्चिम बंगाल अस्तित्व में आए। पंजाब के साथ भी ऐसा हुआ। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अतः यह विशेष कुर्बानी दी गई और कवि ने कहा :

"गंगा अमार मां, पोद्दा आमर मा
दुइ चोखे दुइ जोलेर धारा मेघना जमुना
एकी आकाश एकी बत्ताश
कन्ना हासी एकी उत्तास
दोयल कोयल पाखी दाके एकी अर्चना"

इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है :

गंगा मेरी मां है, पद्मा मेरी मां है।
ये दो नदियां मेरी दोनों आंखों से गिरते आंसू की बूंदें हैं।
आकाश एक है।
गाते, हंसते या रोते हुए
हम सभी एक ही तरह के पक्षी हैं एक ही धुन गुनगुनाते हुए।

नजरुल इस्लाम, टैगोर, कबीर सभी में मिलकर भारत बनाया।

अतएव, हमारी राष्ट्रीय गान, जिससे यह सभा प्रत्येक सत्र में शुरू होती है, के रचयिता टैगोर ने बारीकी से तथा सही इसे 'पंजाब-सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा...' से शुरू किया। वे इसे बंगाल से भी शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने "पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा द्रविड़, उत्कल, बंगा..." से शुरू किया।

एक फूल, बंगाल, को इसमें से निकाल लीजिए और हमारी भारत माता के हृदय से माला गिर जाएगी। मराठा, पंजाब, गुजरात एक हार की तरह भारत माता के हृदय के मध्यस्थल हैं। यह तस्वीर है। यहां हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, इसाई, जैन, पारसी, सिक्ख एक साथ हैं। 'जातेर नामे बज्जाती' नहीं होना चाहिए। भारत के खिलाफ जाति के नाम पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। जैसा नसरुल इस्लाम ने कहा 'हिन्दु ना ओरा मुस्लिम ओय जिग से कोन जान' वैसा नहीं हो सकता है। कौन पूछ रहा है कि कौन हिन्दू है तथा कौन मुस्लिम है—"कान्दारी ताबा खुजीचे मधु संतन मोरे मार" मेरी भारत माता सच्चे सपूत की तलाश में है—"दुर्गामा गिरि कंतारा मारु, दुस्तारा पाराबारा है।" यही विचार नसरुल इस्लाम द्वारा बहुत पहले व्यक्त किया गया था। इस देश ने टैगोर को जन्म दिया। एक तरफ उन्होंने 'जन गण मन अधिनायक जय हे' नामक राष्ट्रीय गान लिखा तथा दूसरी ओर उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र का दूसरा राष्ट्रीय गीत "आभार सोनार बांला आमी तोमाय भालो बासी" लिखा। आप इसे बांग्लादेश से किस प्रकार अलग कर सकते हैं? अतएव मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता श्री हन्नान मोल्लाह के मस्तिष्क में उठे विभेद को देखकर आश्चर्य चकित हो गया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, मैं आपसे सहमत नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, वे मुझे गलत समझ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत में आएं और यहां रहे?

श्री अजित कुमार पांजा : हां, ऐसा ही है।

श्री हन्नान मोल्लाह : तब आप भारत-विरोधी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें पूरा करने दें।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, हमने इस दुनिया को काफी छोटी जगह बना दिया है। संस्कृति महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश हमारा मित्रवत पड़ोसी देश है। यदि बंग्लादेशी यहां आते हैं, तो कोई हानि नहीं है। मुद्दा केवल यही है कि वह वास्तव में बांग्लादेशी हो तथा यहां आने के लिए उचित दस्तावेज रखता हो। मानव को, अकेले में, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। मुद्दा केवल यह है कि क्या वह भारत घूमने के लिए उचित वीसा तथा पासपोर्ट के साथ आया हुआ बांग्लादेशी है तथा ऐसा न हो कि वह बांग्लादेशी हो इसलिए उसे इंकार कर दिया जाय।

हमें इस बारे में सावधान रहना होगा। यही सांस्कृतिक गठबंधन है। अतएव, इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, माननीय सदस्यों को ऐसी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि आप कृषानगर तथा मुशीराबाद आएं तो मैं आपको ऐसे घर दिखाऊंगा जिनमें बैठक भारत में है तथा रसोई बांग्लादेश में है तथा विलोमतः।

यह कृत्रिम बाड़ भारत की स्वतंत्रता के कारण लगाना पड़ा। इसीलिए, माननीय गृह मंत्री से जो यहां उपस्थित हैं मेरी सविनय प्रार्थना है कि कुछ मुद्दे अब तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान बनाए जाने के बाद अब यह परिस्थिति आई तब हमारे महान तथा प्रिय नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय (श्रीमती) इंदिरा गांधी ने बंगबंधु-मुजीबुर्रहमान के साथ मिलकर एक देश बनाकर इतिहास रचा। हम अवश्य यह याद रखें कि हजारों जानें गई थीं। उस समय, इंदिराजी के महान नेतृत्व में हमने लोगों को यहां आने तथा बसने की अनुमति दी तथा हमने

[श्री अजित कुमार पांजा]

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवन प्रदान करने की भी कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्यवश, जब हमने बंगबन्धु मुजीबुर्रहमान को खोया तो सैनिक शासन आया तथा फिर प्रजातंत्र आ गया है। अब, श्रीमती हसीना के नेतृत्व में मित्रवत पड़ोसी है। यह बात अखबारों में प्रकाशित हुई तथा ढाका द्वारा इस बात का अब तक खंडन नहीं किया गया है। कि श्रीमती हसीना ने कहा है कि एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं है। अतएव, हमें इस संबंध में काफी सावधान होना पड़ेगा। यह महाराष्ट्र तथा बंगाल या महाराष्ट्र तथा केरल का प्रश्न नहीं है वरन् यह प्रश्न घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून से संबंध रखता है। बांग्लादेश से श्रीमती हसीना कह रही हैं कि एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं है।

मैं महाराष्ट्र में था तथा महाराष्ट्र सरकार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की आज्ञा से, उन्हें वापस भेज रही है। जब ये लोग बांग्लादेश जाते हैं, तो श्रीमती हसीना उन्हें वापस जाने को कहती हैं। और जब वे यहां आते हैं तो उन्हें हम वापस जाने के लिए कहते हैं। क्या उनके साथ शटल कॉक की तरह से व्यवहार किया जाना उचित है? लोक सभा में, क्या हम बिना जाने कि वे कौन हैं लोगों के साथ व्यवहार इस प्रकार करते हैं? सभा इस बात को अवश्य समझे कि 1946 की विदेशी नागरिक अधिनियम ब्रिटिश की देन है। 1946 की विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 9 के अनुसार साक्ष्य का भार व्यक्ति पर है तथा यह सिद्ध करना उसका काम है कि वह भारतीय है तथा बांग्लादेशी या नेपाली नहीं है। यह कैसे संभव है जबकि केवल 33 प्रतिशत ही शिक्षित हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे 35 प्रतिशत लोग रह रहे हैं?

मैं वहां गया तथा लोगों से मिला। मेरे सहयोगी, श्री अकबर, मेरे साथ थे जब हम लोग घुसे, सैकड़ों नर नारी जो 18 से 35 वर्ष के बीच थे, ने कहना शुरू किया, "अक्बादा, कृपया मदद करें। वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग बंग्लादेशी हैं।" हमने इसे खुद देखा। अतएव, यह एक सरकार की विफलता का उदाहरण नहीं है वरन् यह दिशाज्ञान की विफलता का नमूना है। 1946 की विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 9 कहती है, "आप सिद्ध करें कि आप बांग्लादेशी या नेपाली या ब्रिटिशर नहीं हैं।" स्वतंत्रता के 50 वर्षों में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। एक शताब्दी समाप्त होने जा रही है तथा हम नई शताब्दी अर्थात् इक्कीसवी शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। सदस्यों, कृपया यह समझें कि ब्रिटिशरों ने 1922 की पासपोर्ट अधिनियम को अपने लिए बनाया था तथा साक्ष्य का भार संबद्ध व्यक्ति पर रहता है।

आज विकसित देश मानवाधिकार के बारे में चिल्ला रहे हैं तथा भारत को मानवाधिकार तथा पर्यावरण के बारे में सीखने को कहते हैं वे भारत को सीख दे रहे हैं। जिसके पास हजारों साल पुरानी मानवाधिकार के मूल्य को समझने की सांस्कृतिक परंपरा है। भारत के महापुरुषों ने 'आत्मा' के बारे में बहुत पहले समझ लिया। 'अपने आपको समझो' हमारे महापुरुषों का नारा था जिन्होंने उपनिषद्, गीता, कुरान, बाइबिल आदि की रचना की।

इन परिस्थितियों में, पहली चीज जो कि जानी है वह यह है। जैसा कि सही कहा गया है, एक व्यक्ति एक जगह पर बहुमत में होता है तथा दूसरी जगह पर अल्पमत में होता है। अतएव, यह सभा सभी संबद्ध लोगों से आग्रह करते हुए यह संकल्प पारित करे कि कोई सरकार इस विषय में कुछ न बोले। पूरे भारत में एक करोड़ बंग्लाभाषी लोग विद्यमान हैं। मैं केवल बांग्ला लोगों के बारे में उल्लेख कर रहा हूं तथा मैं दूसरों को उद्धृत भी कर सकता था।

लेकिन यह विषय वस्तु नही है।

उसी प्रकार, गत 40 वर्षों से कई जगहों पर तमिलों तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के महाराष्ट्रियों, हिन्दुओं तथा मुस्लिमों, बुद्ध, जैन तथा पारसियों के साथ मेरे मधुर संबंध रहे हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक छोटा भारत है। मैं जानता हूं कि कहां दर्द होता है। अतएव, यह मानें कि इन 1 करोड़ लोगों में से, 8 लाख केवल मुम्बई तथा बाहर रहते हैं, नागपुर को छोड़कर जो बंगाल-नागपुर रेल लाइन पर रेलवे स्टेशन हैं। हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। यह ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई रेलवे प्रणाली के साथ पली-बढ़ी जो यहां आए तथा जिन्होंने राइटर्स बिल्डिंग की स्थापना की तथा बंगाल गुप्तचर सेवा को आरंभ किया गया और रेलवे प्रणाली की शुरूआत हुई।

इसकी शुरूआत का यही इतिहास है। इसलिए मेरा आपके सामने यह विनम्र अनुरोध है।

आइए इस पृष्ठभूमि परिप्रेक्ष्य में यह देखें कि वास्तव में हुआ क्या है। हमने वहां का दौरा किया था। हमने 31 जुलाई को साढ़े नौ बजे माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय से मुलाकात की थी और हमने विस्तृत चर्चा की थी। अपने राजनीतिक और कानूनी अनुभव के आधार पर मैंने उपमुख्यमंत्री महोदय, श्री मुण्डे जी और वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य सचिव से लेकर प्रभारी अधिकारी और चार्जमेन तक जो वास्तव में प्रभारी थे और एस बी सतर्कता अधिकारी जो कि वास्तव में निर्वासन प्रभारी थे से स्पष्ट प्रश्न पूछे उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। एक बंगाली होने के नाते मैं किसी भी सच्चाई को नहीं छिपाऊंगा। अधिकारियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे और अपने लम्बे अनुभव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी पुलिस अधिकारी, किसी मुख्यसचिव अथवा उप मुख्य मंत्री ने सभी फाइलें देने का वादा किया हो। उन्होंने दस्तावेज निकाल कर मेरे हाथ में देकर कहा कि पांजा जी आपको यही चाहिए था न। आप इन्हें ले लीजिए और इनका अध्ययन कीजिए तथा हमें हमारी गलती बताइए। हम सभी आदेशों को निकालकर उनका बारीकी से अध्ययन करंगे।" यही शब्द उन्होंनें मुझसे बोले थे। उन्होंने मुझसे कहा "क्या आप किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं।" उपमुख्यमंत्री श्री मुण्डे ने खुले दिल से मुझसे कहा "श्री पांजाजी हम आपको यह नहीं बताएंगे कि कहा जाना है। आप खुद ही स्थान की चयन कीजिए। आप कहीं भी जा सकते हैं।" उस समय वहां पर श्री रामपुर के अकबर तथा पटना के अनेक लोग आए हुए थे। वे हमसे होटल में मिले और हमने स्वयं ही कुछ स्थानों का

चयन किया और वहां पर गए। वहां हमें सैकड़ों लोग मिले। उन्होंने केवल यही कहा कि देख लीजिए स्थानीय पुलिस थाना वैसी ही समस्याएं पैदा कर रहा है जैसा कि पश्चिम बंगाल और केरल में होता है। उन्होंने नाम भी लिए। मैं उन चीजों को यहां दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को सब कुछ बताऊंगा। उन्होंने तीन स्थानीय पुलिस थानों के नाम गिनाए हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आप अभी उन पुलिस थानों के नाम बता दीजिए।

श्री अजित कुमार पांजा : जी नहीं। मैं वांछित पुलिस थानों के नाम ही लाया हूं। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हम नाम कमाना नहीं चाहते और न ही समाचारों के लिए कोई खबर बनना चाहते हैं। कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिए।

हमारे मांगे जाने पर सभी सूचनाएं दे दी गई थी। इसलिए सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना कायम रही। उसी शाम को साढ़े पांच बजे हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। इसी बीच हमने दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया और हमने उन्हें मुख्यमंत्री जी को दिखाया तो उन्होंने अधिकारियों के समक्ष ही कहा कि पांजा जी आपने दस्तावेज देख लिए हैं। अब आप बताइए कि गलती कहां पर है। मैंने कई गलतियों को बताया। एक बात तो यह बताई कि बम्बई में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पूरे पते लिखे जाने चाहिए थे जहां से कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के पते लिखवाए थे और आसूचना एजेंसियों ने पाया कि वे बंगला देश के थे। ये बात सूची में शामिल नहीं थी। यह एक गंभीर खामी है। और इसे उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने तत्काल कहा कि अब हम अगले मुद्दे पर बात करते हैं इसके पश्चात हमने रामपुर हाट, वीरभूम, बंगलादेश का पता लिखवाने वाली दो महिलाओं के पतों की ओर ध्यान दिलाया जो कि बिल्कुल गलत थे। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि ये सूची किसने तैयार की है? यदि कोई गलत प्रविष्टि हो जाती है तो संबद्ध आदमी भागने में सफल हो जाता है। निर्दोष कतई नहीं सताया जाना चाहिए। यह सुनते ही वे आपस में विचार विमर्श करने लगे और समय की मांग करने लगे। और इस प्रकार सब कुछ भलीभांति हो गया।

मैंने कहा कि मनचाहा समय लीजिए परन्तु जाकर इसकी जांच कीजिए। इस सूची में पुरुष और महिलाओं के नाम अलग-अलग नहीं लिखे गए थे। मैंने कहा कि पुरुष और महिलाओं में भेद करना बहुत जरूरी था क्योंकि मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं और हिन्दु महिलाओं के मामले में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए थी और यह भेद करना मानव अधिकारों की दृष्टि से भी अनिवार्य था। मुख्य मंत्री ने तत्काल मुझसे कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए था। हमने उन्हें तीन बातें बताई। पहली बात तो यह बताई कि इसे तत्काल रोक दिया जाए और कोई कार्यवाही न की जाए क्योंकि मैंने आपके सामने मामले को खोलकर रख दिया है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस बात पर उन्हें विचार करने दिया जाए। मैंने उन्हें कहा कि इसे तत्काल रोक दिया जाए। मैंने उनसे कहा कि इस वर्ष लिए गए सभी मामलों में से कई मामलों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारीकी से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उन्हें देखेंगे। व्यक्तियों की श्रेणी तीन प्रकार की थी। एक तो वह व्यक्ति थे जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे दूसरे वे लोग थे जिन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति थे जिन्होंने दस्तावेज जमा कराए थे और छूट गए थे। दुर्भाग्यवश उन्होंने उन लोगों की सूची नहीं दी जो कि छूट चुके थे, हालांकि सूची उन्होंने दिखा दी थी। मैंने उनसे लोगों के मन में विश्वास कायम करने को कहा। मैंने कहा कि आपने 100 मामलों की छानबीन की है जिनमें से 50 को आपने रिहा कर दिया और 50 अभी इन कारणों से बंद हैं। इन बातों का विवरण फाइलों में दर्ज था किन्तु फाइलें जनता को नहीं दी गई। ये विवरण माननीय गृह मंत्री को अवश्य दिए जाने चाहिए...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : माननीय श्री पांजा जी ने मुम्बई का दौरा किया था, क्या वे हमें यह बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर रह रहे बंगाली लोगों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है यदि आपको कोई विवरण नहीं मिला है तो यह कोई तकनीकी गलती है जो कि निचले स्तर पर हुई है। आखिर मुद्दा क्या है? हम इसकी जानकारी चाहेंगे। यदि महाराष्ट्र सरकार को माफ कर दिया जाता है तो यहां पर चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्होंने कहा है कि वे अपनी बात जारी रखेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, तो मैं इसका उत्तर देने वाला कौन होता हूं। यह सूचना तो माननीय मंत्री महोदय से प्राप्त की जा सकती है।

श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य : उपमुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिख रहे हैं जो कि गृह मंत्रालय के भी प्रभारी हैं, वे आपस में पत्राचार करके विवरण प्राप्त कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांजा जी कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रमथेस मुखर्जी, आप बैठ जाइए। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : हमारी बात सुनने के पश्चात् मुख्य मंत्री महोदय ने उसी दिन तत्काल यह आदेश दिया कि दुर्गा पूजा तक,

[श्री अजित कुमार पांजा]

जो कि तीन महीने बाद है, निर्वासन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। हमें बताया गया कि हमारे द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्येक मामले की जांच की जा रही है। हमने उन्हें सुझाव दिया कि इस संबंध में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह पश्चिम बंगाल से मुम्बई गए उन लोगों का दावा है जो वहां पर जरी का काम और सुनार का कार्य करने गए थे। इसमें नुकसान हो गया है? हमने उनसे कहा कि मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जिलों के मजिस्ट्रेटों को कुछेक दस्तावेज जारी करने की शक्ति दी जाए ताकि ये लोग अपने साथ कुछ दस्तावेज रख सकें...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : वे अपने साथ दस्तावेज कैसे रख सकते हैं? वे कोई दूसरे देश में थोड़े ही जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी और चिल्लाने लग गए...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.25 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : कृपया मेरी बात सुनिए। मामला यह था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय मामला यह था कि ...*(व्यवधान)* वे समझ ही नहीं रहे हैं...*(व्यवधान)* मामला यह था कि उन्हें कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ...*(व्यवधान)* आप कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)* हमने कहा था कि यह असंभव है। यदि आप मुझसे प्रमाण पत्र मांगे तो मैं कहूंगा कि मेरे पास तो प्रमाण पत्र नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट देना तो असंभव है। राशनकार्ड रखना भी असंभव है। हमने यह भी सुना था कि प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र को फाड़ दिया गया। इसलिए, महोदय एक भारतीय नागरिक के लिए किसी प्रमाणपत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई बांग्लादेशी सीमा पार आना चाहता है तो उसके लिए कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। अतः जैसाकि मैंने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रश्न है जिसमें बंग्लादेश सरकार, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकार को एक प्रकोष्ठ अथवा एक समिति का गठन करना चाहिए। यह बहुत नाजुक मसला है।

सर्वप्रथम, मैंने मुख्य मंत्री को इस मामले की जांच करने के लिए कोई प्रकोष्ठ अथवा समिति गठित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। दूसरे, निर्वासन रोक दिया गया है। तीसरे, सभी लम्बित मामलों की पुनर्जांच की जा रही है। चौथे, बंगाली भाषा में एक पुस्तिका निकालनी होगी जिसमें लोगों को बताना होगा कि वे किसी भी आशंका से मुक्त रहें और निश्चिन्तता के साथ जिएं।

मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने कहा कि, "श्री पांजा, कृपया अपने सहकर्मियों को बता दें कि यदि कोई जांच अथवा अन्य कोई बात होती है तो कृपया उन्हें निदेश दें कि मामला हमारी जानकारी में सीधे अथवा पश्चिम बंगाल के जन संपर्क अधिकारी के जरिए हमारे जनसंपर्क अधिकारी की जानकारी में लाएं।"

महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह ने न्याय नहीं किया और इसीलिए वह चिल्ला रहे हैं। उन्होंने श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पत्र, दिनांक 27/28 जुलाई, 1998 की कुछ पंक्तियां पढ़ी।

अध्यक्ष महोदय : पांजाजी, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अजित कुमार पांजा : उस पत्र में, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह भी लिखा है :

> "तथापि, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनमें से कुछेक लोग वास्तव में बांग्लादेशी हैं।"

लेकिन श्री हन्नान मोल्लाह ने यह पंक्ति नहीं पढ़ी...*(व्यवधान)* अतः यह मेरा विनम्र निवेदन है कि पश्चिम बंगाल सरकार में कुछ लोग अपने राजनैतिक लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, वे यह कार्य उद्देश्यपूर्वक कर रहे हैं। वे निर्वासन के बारे में बात कर रहे हैं। हम तृणमूल कांग्रेस के हैं। क्या वे गारण्टी देते हैं कि मैं पंचकुला तक जा सकता हूं? क्या वे हमारे 120 लोगों की गारण्टी देते हैं?...*(व्यवधान)* दुर्गा पूजा और ईद के दौरान जब मुम्बई से हमारे बंगाली लोग बंगाल आते हैं तो वे अपने साथ कुछ कीमती चीजें लाते हैं, उदाहरणार्थ, वे अपनी माता बहनों के लिए स्वर्ण आभूषण और जीनवा लाते हैं। किन्तु जब वे गीतांजलि अथवा हावड़ा मेल से खड़गपुर पहुंचते हैं तो वहां दो तरह के लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि "तुम बंग्लादेशी हो।" यह पूछने पर कि वे कौन हैं, एक व्यक्ति कहता है कि वह "लाल कुली" है अर्थात् लाल सिगनल के साथ पल्लेदार-सरकारी पल्लेदार। दूसरा आदमी कहता है कि वह "नील कुली" है अर्थात् नीला पल्लेदार। लेकिन ये नीले कुली हैं कौन लोग? वे मार्क्सवादी पार्टी, इस मार्क्सवादी पार्टी के...**हैं। मुम्बई से आने वाले लोगों को इन नीले कुलियों द्वारा खड़गपुर पर लूट लिया जाता है ...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

केन्द्र सरकार को एक प्रकोष्ठ गठित करना चाहिए और इन बंगालियों की लूटपाट से रक्षा करनी चाहिए...*(व्यवधान)* वे इसे दूसरी तरह से कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे राजनीति कर रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल को किसी के भी नियंत्रण से बाहर कर रहे हैं।

एक दूसरी प्रणाली वहां पर मौजूद है जिसका नाम है "पुश बैक" प्रणाली...*(व्यवधान)* ये "पुश बैक" प्रणाली किसी भी लोकतंत्र में नहीं जानी जाती है। इसे शांतिपूर्ण नागरिकों को देश के बाहर खदेड़ने की प्रणाली के रूप में जाना जाता है...*(व्यवधान)* इसे कम्युनिस्टों द्वारा अपनाया गया है।...*(व्यवधान)* देखिए वे किस तरह का व्यवहार इस सदन में कर रहे हैं। यदि इस तरह का व्यवहार वे यहां पर कर रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का व्यवहार करते होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित पांजा, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, यदि वे मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं समाप्त नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : श्री ज्योति बसु उन्हें पश्चिम बंगाल में नहीं रोक सकते। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य उन्हें वहां नहीं रोक सकते। श्री सोमनाथ चटर्जी उन्हें वहां नहीं नियंत्रित कर सकते।...*(व्यवधान)* आप कृपया उनसे अपनी-अपनी सीटों पर बैठने को कहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई चीज आपत्तिजनक होगी तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। कृपया बैठिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा : देखिए, वे किस तरह व्यवहार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए। श्री पांजा को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी जो चाहे इच्छा हो, वह कहेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है?...*(व्यवधान)* यह तो अभद्र है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर बैठिए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा : पश्चिम बंगाल में ये ऐसा ही व्यवहार करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो मैं इस तरफ माननीय सदस्यों को कैसे रोक सकता हूं? ...*(व्यवधान)* वह इस सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। यदि वह इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम कैसे सहन कर सकते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैंने माननीय गृह मंत्री का नाम पुकारा है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अजित कुमार पांजा से अनुरोध करूंगा कि जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, उसे वह पहले वापस ले लें। कुछ भी हो प्रत्येक पार्टी—चाहे यह मेरी पार्टी हो अथवा श्री सोमनाथ चटर्जी की पार्टी हो—स्वयं मैं एक गर्व की भावना होती है और इसी से संसदीय संस्कृति का निर्माण होता है। अतः मैं उनका क्रोध समझ सकता हूं और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कृपया उस विशेष शब्द को वापस ले लें जिसका प्रयोग उन्होंने किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार पांजा, कृपया माननीय मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री अजित कुमार पांजा : वह अपनी बात कह चुके हैं और मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं।

जब माननीय गृह मंत्री और श्री सोमनाथ चटर्जी तथा यह सदन महसूस करता है कि मार्क्सवादी कहना उन्हें*..... कहकर बुलाना असंसदीय है तो मैं इसे वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : समूचे सदन ने सुना है कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आशा करता हूं कि देश ने भी इसे देखा है। यदि लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और सदन के शिष्टाचार को बनाए

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

रखने का यही तरीका है तो मैं आशा करता हूं कि समूचे देश ने इसे देखा है।...*(व्यवधान)*?

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, 120 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। सम्मान किसे दिया जाना चाहिए?...*(व्यवधान)* ऐसा बताया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दस वर्षों में 80,000 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है।...*(व्यवधान)* 2 अगस्त, 1998 के 'आनन्द बाजार पत्रिका' में पहले पृष्ठ पर दाहिनी ओर छपी इस खबर का गृह मंत्रालय को विवरण भेजा जाना चाहिए क्योंकि श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते रहे हैं कि राज्य सरकार समय-समच पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सूचित करती रही है।

पिछले वर्ष 200 व्यक्ति जिन पर बांग्लादेशी होने का आरोप था कि पहचान की गई और उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने वापस बंग्लादेश भेज दिया। इसके लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी? यह कहा गया है कि यह मामला मानवाधिकार का मामला है। मैंने देखा है, महाराष्ट्र में प्रत्येक मामले को न्यायालय का समर्थन है तथा प्रत्येक मामले की पुष्टि फाइल तथा गुप्तचर रिपोर्ट से की गई है। यह ठीक भी हो सकता है तथा गलत भी किंतु कानून के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किस कानून का अनुपालन किया गया है? श्री लालू प्रसाद ने ठीक ही कहा कि चूंकि कोई बिहार राज्य से आ रहा है सिर्फ इसी कारण से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। यदि ऐसा है और यदि यह वैध है, तो यहां पर रिकार्ड प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार बी॰एस॰एफ॰ के माध्यम से तथाकथित बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है। महाराष्ट्र सरकार भी यही प्रक्रिया अपना रही है। किंतु इस पर भी आपत्ति की गई है। फिर महाराष्ट्र सरकार को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? वे उत्तरी चौबीस परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, पद्मा नदी, जालंगी से होकर प्रवेश करते हैं और फिर नदी पार करके वे फरक्का बैराज आते हैं, फिर वे बिहार के पूर्णिया से होते हुए देश में प्रवेश करते हैं। बंगाल की सीमा पर पुलिस बंग्लादेशियों से रुपये लेकर उन्हें भारत भेज देती है। यदि यह सही नहीं है तो माननीय गृह मंत्री को रिपोर्ट भेजनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

महोदय, अंतिम किंतु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने हम लोगों को बताया है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक आदेश पारित किया है तथा ये चीजें उस आदेश का अत्यन्त सावधानीपूर्वक अनुसरण करते हुए की गई। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पारित वह आदेश क्या है? माननीय गृह मंत्री द्वारा इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोधपूर्वक यह कहना है कि हमें अपनी भावनाओं को नहीं उभाड़ना चाहिए। हमें इस समस्या को अत्यन्त सावधानी से हल करना चाहिए। बांग्लाभाषी लोगों तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, वे वोट की खातिर चिल्ला रहे हैं। किंतु हमें मानवाधिकार तथा बंगालियों के संरक्षण की चिन्ता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, चल विवरण नहीं।

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, आपको आश्चर्य है किंतु वे जो कर रहे हैं उस पर हमें आश्चर्य नहीं है।

महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री से नम्र निवेदन है कि सरकार को इस समस्या का हल करने तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षा देने के लिए बांग्लादेश सरकार, केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों का प्रकोष्ठ बनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : सात सदस्यों की पार्टी ने 40 मिनट लिया है। हम लोगों को भी पर्याप्त समय दें।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय बर्बाद न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : शुरू में ही मैं सभा से यह अपील करूंगी कि इस गंभीर समस्या का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। यदि आज यह महाराष्ट्र में हो रहा है और यदि हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो यह कल और कहीं भी हो सकता है।

अतएव, इसे गंभीरतापूर्वक लें तथा इसे राजनीतिक स्वरूप न दें। इस समस्या का हल करते समय महत्वहीन राजनीतिक कारणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह मेरी पहली अपील है। दूसरे, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं। जब देश का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल के समक्ष एक भारी समस्या खड़ी हो गई—सीमा पार से भारी संख्या में लोग आए तथा बंगाली बन गए क्योंकि वे शरणार्थी थे, और इस प्रकार, हमारे यहां जनाधिकार की भारी समस्या है। फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में, न सिर्फ कलकत्ता में अपितु कई गांवों में न सिर्फ पड़ोसी राज्यों से बल्कि दूर-दराज के राज्यों से भी लोग आए और वे लोग यहां रह रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए।

मुख्य श्रमिक कौन हैं जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं? अधिकांश फैक्टरियां, जूट मिलें, इत्यादि जो आज बंद हो रही हैं, के अधिकांश श्रमिक उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य के हैं। क्या हम उन श्रमिकों के लिए ठीक उसी तरह से नहीं लड़ रहे हैं जिस तरह से हम बंगाली श्रमिकों के लिए लड़ रहे हैं? इसलिए, संसद को तथा मेरे सभी सम्मानित सहकर्मियों को पश्चिम बंगाल की परेशानी समझनी चाहिए। हम बिना किसी भेदभाव के सभी के प्रति सद्भाव रखते हैं। हमें हर जगह यही करना है।

मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहती हूं क्योंकि यह अतिशय होगा और पौने नौ बज भी चुके हैं। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगी और जिनके बारे में अलग-अलग जगहों पर कहा जा चुका है। संभवतः यह बेहतर होता यदि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। मैं हम लोगों के भविष्य की सुरक्षा की खातिर इनमें से कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगी क्योंकि जब तक हम इन बातों से अपना बचाव नहीं करेंगे तो किसी समय विशेष में राज्यविशेष का भविष्य नहीं रहेगा।

श्री सरपोतदार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार को महाराष्ट्र सरकार से क्षमायाचना करनी चाहिए। मैं श्री सरपोतदार से पूछना चाहूंगी कि क्या महाराष्ट्र सरकार का कर्त्तव्य बाहर निकाले जा रहे लोगों की सूची पश्चिम बंगाल को अग्रिम में भेजने का नहीं था। यही कारण है कि हमारी सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया है कि जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनके बारे में कोई शिकायत आती है तो उन जिलों के संबंधित कलेक्टरों को उनके पत्ते भेजे जाएंगे तथा संबंधित कलेक्टर उन पतों पर स्वयं जाएंगे या अपने प्रतिनिधि को यह पता करने के लिए भेजेंगे कि क्या वे किसी अन्य देश अर्थात् बंग्लादेश के हैं या वे पश्चिम बंगाल में रह रहे भारत के नागरिक हैं। इस बातों को कहने का यह तरीका नहीं है? यह बात उनके दिमाग में नहीं आई।

मुझे आशा है कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि कौन क्या है यह निर्धारित करने में तथा इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, इस तरह की मनोवृत्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस बात को मानवीय ढंग से करना चाहिए। अंततः सभी मानव हैं। जब यह सब कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बांग्लादेशियों के बारे में हम उत्तेजनापूर्ण भाव पैदा कर रहे हैं। किंतु जब यूरोप से लोग अर्थात् ब्रिटेन से और कई अन्य पश्चिमी देशों के लोग यहां हैं, वे यहां ठहरते हैं। उनमें से सबके पास उपयुक्त पासपोर्ट नहीं होता है। उनके बारे में क्यों नहीं शोर मचाया जाता है? मैं सोचती हूं कि हमें इन सबके प्रति बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। हमें कानून के अनुसार चलना चाहिए।

मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि परसों जब डा॰ मुरली मनोहर जोशी पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने कहा कि वह राज्य सहयोग नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती कि डा॰ जोशी के ऐसा कहने का क्या आधार था। यदि इस तरह की कोई बात कही गई थी, तो हमारे गृह मंत्री उस राज्य की सरकार से इस संबंध में बात करते। हम लोगों की राजव्यवस्था संघीय है। केन्द्रीय सरकार है। राज्य सरकारें भी हैं। अतएव इनमें उपयुक्त सहयोग होना चाहिए। इसके बावजूद भी इतने क्षणभंगुर हालात में क्या डा॰ जोशी का पश्चिम बंगाल जाना तथा इस तरह का वक्तव्य देना उचित था। यदि उनके पास कुछ था तो वे श्री एल॰के॰ आडवाणी से भली-भांति पूछ सकते थे ऐसा मैंने सुना है। आप इसकी जांच कर लें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन बातों से बड़ा आन्दोलन तो होता ही है; अनावश्यक दुर्भावना भी पैदा होती है तथा असुरक्षा बनी रहती है। इसलिए इससे अवश्य ही छुटकारा पाया जाना चाहिए।

मैं अपने अनुभव के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। जब श्री अजित कुमार पांजा बोल रहे थे जब वे अपना अनुभव सुना रहे थे। चूंकि मैं मुम्बई राजनीतिक मिशन पर नहीं गयी थी, मेरा अनुभव थोड़ा भिन्न है। मैं यह बात बताऊंगी जो मैंने उस समय देखी। मेरा भाई मुम्बई में रहता है। जब कभी मैं वहां जाती हूं तो उससे मिलती हूं। उस समय उनकी सरकार ने काम करना शुरू ही किया था। तथा मैंने अपने भाई से पूछा, "परिस्थिति कैसी है?" मेरा भाई राजनीतिज्ञ नहीं है। यह स्पष्ट कर दूं कि वह मेरे दल या किसी अन्य दल से संबद्ध नहीं है। वह एक साधारण सम्मानित नागरिक है। इसलिए मैंने उससे पूछा, स्थिति कैसी है? उसने मुझे बताया, "बहन जी, स्थिति काफी जटिल है।" "मैंने पूछा क्यों?" उन्होंने कहा, 'बंगालियों के विषय में मैं कह सकता हूं कि कई जगहों पर उन्हें नियमित रूप से धमकी दी जाती है। दूसरे, उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। बिना पैसे दिए उन्हें नहीं रहने दिया जा रहा है।'

यह दूसरी बात है कि ऐसा पुलिस स्टेशन या सरकार या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की बनती है। यदि हमारे राज्य में ऐसी बात हो रही है तो हमारी सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

यदि ऐसा अन्य किसी राज्य में होता है तो उस राज्य सरकार को अवश्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में, क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र राज्य सरकार जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ताकि ऐसी घटनाएं घटित न हों।

जैसा कि मैंने कहा, मैं राजनीतिक मिशन में नहीं गई थी। अपने भाई से सुनने के बाद मैं उस स्थान पर गई थी। मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। मैंने केवल उनसे पूछा कि क्या यह सच है। मैंने जानना चाहा कि क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है। वे सभी चिल्लाने लगे। एक वयोवृद्ध महिला होने के नाते उन्होंने मुझसे कहा, "दीदी, आप जो कह रही हैं वह बिलकुल सही है। स्थिति ऐसी ही है। हम नहीं जानते कि आप इसके बारे में किस प्रकार जान पायी परन्तु यह सच है कि हम गंभीर खतरे में हैं।" अतएव, यह वह है जो मैंने उस समय पाया। कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि ये चीजें हो रही हैं या हो रही थीं। इसके साथ ही कोई इस बात से भी इंकार नहीं कर सकता कि ऐसी चीजें अवश्य ही रोकी जानी चाहिए।

जहां तक बांग्लादेशियों को बंग्लादेश में भेजे जाने का प्रश्न है, यह सही है कि पश्चिम बंगाल एक संस्कृति तथा एक भाषा के कारण, बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। उनकी पहचान काफी कठिन कार्य है हालांकि राज्य सरकार उनकी पहचान की कोशिश कर रही है। पहचान की यह समस्या वहां है। हम समस्या से इस तरह छुटकारा

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

नहीं पा सकते हैं। जैसा भी मामला सरकार बनाना चाहती है, हम उन्हें वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है सीमा सुरक्षा बल वहां हैं। कई लोग यहां आते हैं, काम करते हैं और तब यहां से चले जाते हैं। कुछ लोग राज्य में रह जाते हैं क्योंकि वे नहीं जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं होता है। मेरे विचार में ऐसा उन सभी राज्यों में होता है जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा लंबी होने की वजह से वहां अन्य सीमावर्ती राज्यों की तुलना में भारी संख्या में घुसपैठ हो रही है।

इसने बनावटी तौर पर देश को विभाजित कर दिया है। अपने दिल को विभाजित करना काफी कठिन है। हमारे दिल अभी तक विभाजित नहीं हुए हैं। मैं खुद बांग्लादेश से आयी हूं। यद्यपि मैं अब काफी समय से पश्चिम बंगाल की नागरिक हूं, मैं अपनी मातृभूमि को भूला नहीं सकती हूं। क्या मैं भूला सकी हूं? अतएव पश्चिम बंगाल की इस समस्या से निबटते हुए वहां की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें।

मैं विशेषरूप से गृह मंत्री से इस विषय पर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के साथ निकट समन्वय स्थापित करने का आग्रह करूंगी। आइये हम सब मिलकर यह पता लगायें कि कानून के दायरे के अंदर इस समस्या से निबटने के लिए मानवीय तौर पर हम क्या कर सकते हैं। मैंनें पहले ही आपको बता दिया है कि राज्य सरकार इस संबंध में क्या करने का प्रयास कर रही है। उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार को शांति बहाल करने के लिए कई चीजें करनी हैं। हमें यह भी पता लगाना है कि परिस्थिति के सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र क्या कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम इस बहस को उस परिप्रेक्ष्य में लें ताकि समस्या का समाधान निकाल सकें। मैं इस मामले पर कुछ भिन्न लिखने वाले शक्ति सामंत अथवा बसु चटर्जी के विचारों से सहमत नहीं हूं। आइये हम सब मिलकर यह पता लगायें कि हमें इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाने हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से केवल पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की ही नहीं वरन् उन सभी राज्य सरकारों की प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का आग्रह करूंगी जहां इस प्रकार की समस्या है तथा इस समस्या का उचित समाधान खोजें। आप यह न भूलें कि हमारा देश बहुभाषी बहु धर्मी देश है।

हम जब तक अभी से से सावधान नहीं होंगे तो हमारा देश टूट सकता है। यह कोई छोटी समस्या नहीं है। यह राजनीति करने वाली समस्या नहीं है। यह नए संदर्भ में राष्ट्रीय एकता बनाने की समस्या है जहां हम सभी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरी आशा है कि मैंने जो कहा है सभा उसकी भावना को समझेगी तथा सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। जहां तक हम लोगों के सहयोग का प्रश्न है, यदि बातें मानवीय ढंग से चलीं तो हम अपना सहयोग अवश्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस विषय पर 15 और सदस्यों को बोलना है। क्या हम सूची आज ही पूरी कर लें या इसे कल तक के लिए जारी रखें?

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, इसे कल भी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यही विषय कल फिर रहेगा। सभा स्थगित होने के पूर्व गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना है।

रात्रि 8.56 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

3 अगस्त, 1998 को हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में उग्रवादियों द्वारा हत्या की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले से आज एक दुखद रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कल रात यहां पाकिस्तान समर्थित संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की दो दुखद घटनाएं हुई हैं।

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले की पुलिस से यह सूचना प्राप्त हुई है कि चम्बा जिले के तिस्सा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कालाबन क्षेत्र में 26 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है तथा 8 व्यक्ति घायल हो गए हैं। यह बताया गया है कि यह बर्बरतापूर्ण कृत्य आज (3 अगस्त) को तड़के करीब 3.00 बजे कुछ उग्रवादियों द्वारा किया गया है। कालाबन क्षेत्र डोडा जिले के भदरवाह क्षेत्र के साथ लगा हुआ है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने घटनास्थल पर एक पुलिस पार्टी भेज दी है। चम्बा के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भी कालाबन के लिए रवाना हो गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक भी शिमला से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो चम्बा क्षेत्र में ही थे, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

एक अन्य घटना में, गांव सतरिन्दी, जिला चम्बा में लगभग 1.30 बजे सुबह 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और 3 व्यक्ति घायल हुए। यह क्षेत्र भी जम्मू व कश्मीर में डोडा जिले की किश्तवार तहसील से लगा हुआ है। इस मामले में भी पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों का हाथ होने का सन्देह है।

गृह मंत्रालय में, जम्मू और कश्मीर मामलों के प्रभारी विशेष सचिव और महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सुबह घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर, दोनों

राज्यों के प्राधिकारियों से संयुक्त रूप से कार्रवाई करने और ऐसे बर्बरतापर्ण ढ़ंग से निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले तत्वों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है।

मुझे विश्वास है कि इन हत्याओं पर दुख प्रकट करने और जिन्होंने ये घृणित कार्य किए हैं उनकी भर्त्सना करने में यह सदन मेरे साथ है।

मैंने यह भी देखा कि प्रभावित क्षेत्रों को बल की कुछ अतिरिक्त कम्पनियां भेजी जाती हैं। मैंने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल से सम्पर्क किया है। हमने मुख्यमंत्री से बात की जो इस समय देश से बाहर हैं। इस मामले में जो कुछ भी आवश्यक हुआ वह किया जायेगा। यह लगातार चौथी घटना है जो हमारे ध्यान में आई है। हमने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है ताकि पंजाब सशस्त्र बल की कुछ बटालियन तुरंत हिमाचल प्रदेश भेजी जा सके। इस दोपहर के बाद से जब मुझे यह रिपोर्ट मिली है सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

हम इस प्रकरण की तह में जा रहे हैं क्योंकि यह छोटी समस्या नहीं है विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश की एक अन्य राज्य इससे प्रभावित हुआ है। दो या तीन वर्ष पूर्व भी इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई थीं। जब हम डोडा में आतंकवादियों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे उस समय भी हमारी बैठक में हम इससे सशंकित थे कि वे समीपवर्ती क्षेत्र में तुरंत घुस जायेंगे।

रात्रि 9.00 बजे

हिमाचल प्रदेश प्रभावित हो सकता है। अतएव उस समय भी हमने जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक तथा हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आपस में सम्पर्क रखने को कहा था ताकि सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें। लेकिन जब भी, ये गांव, छोड़ी गई बस्तियां सुलभ निशाना बन गई है तथा आज यही हुआ है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : ऐसे कितने दिन हम सुनते रहेंगे? ...*(व्यवधान)* पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

सभा कल दिनांक 4 अगस्त, 1998 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

रात्रि 9.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 अगस्त, 1998/13 श्रावण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।